खण्ड-08 सत्र-02 / अंक-06

सोमवार 24 मार्च, 2025 / 03 चैत्र, 1947 (शक)

# दिल्ली विधान सभा

## की

## कार्यवाही

सत्यमेव जयते

## आठवीं विधान सभा

### दूसरा सत्र

अधिकृत विवरण

**(खण्ड-08, सत्र-2 में अंक 06 से 12 तक सम्मिलित हैं।)**

**दिल्ली विधान सभा सचिवालय**

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

**रंजीत सिंह**

सचिव

**RANJEET SINGH**

Secretary

**महेन्द्र गुप्ता**

उप-सचिव (सम्पादन)

**MAHENDRA GUPTA**

Deputy Secretary (Editing)

# विषय सूची

**सत्र-2 सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक) अंक-6**


| क्र.सं. | विषय | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1. | निधन संबंधी उल्लेख | 3 |
| 2. | बधाई प्रस्ताव | 4-5 |
| 3. | तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर | 6-83 |
| 4. | तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर | 84-112 |
| 5. | अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर | 113-263 |
| 6. | विशेष उल्लेख (नियम-280) | 264-291 |
| 7. | सीएजी रिपोर्ट (डी.टी.सी.) का प्रस्तुतिकरण | 292-293 |
| 8. | सीएजी रिपोर्ट (डी.टी.सी.) पर चर्चा | 294-316 |
| 9. | इकॉनामिक सर्वे पर मा. मुख्यमंत्री का वक्तव्य | 317-325 |
| 10. | सीएजी रिपोर्ट पर लंबित ए.टी.एन पर मा. अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य एवं अन्य सदस्यों द्वारा विचाराभिव्यक्ति | 326-336 |
| 11. | वित्तीय समितियों का निर्वाचन | 337 |
| 12. | समिति का प्रतिवेदन | 338-340 |

# दिल्ली विधान सभा

# की

# कार्यवाही

**सत्र-02 सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक) अंक-6**

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

1. श्री अहिर दीपक चौधरी
2. श्री अजय महावर
3. श्री अनिल कुमार शर्मा
4. श्री अरविन्दर सिंह लवली
5. श्री अशोक गोयल
6. श्री चन्दन कुमार चौधरी
7. डॉ. अनिल गोयल
8. श्री गजेन्द्र दराल
9. श्री गजेन्द्र सिंह यादव
10. श्री हरीश खुराना
11. श्री कैलाश गंगवाल
12. श्री करनैल सिंह
13. श्री करतार सिंह तंवर
14. श्री कुलवन्त राणा
15. श्री मनोज कुमार शौकीन
16. सुश्री नीलम पहलवान
17. श्री नीरज बैसोया
18. श्री ओम प्रकाश शर्मा
19. श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत
20. श्री पवन शर्मा
21. श्रीमती पूनम शर्मा
22. श्री राज करन खत्री
23. श्री राज कुमार भाटिया
24. श्री राज कुमार चौहान

25. श्री रवि कान्त
26. श्री रविन्दर सिंह नेगी
27. श्री सन्दीप सहरावत
28. श्री संजय गोयल
29. श्री सतीश उपाध्याय
30. सुश्री शिखा रॉय
31. श्री श्याम शर्मा
32. श्री सूर्य प्रकाश खत्री
33. श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
34. श्री तिलक राम गुप्ता
35. श्री उमंग बजाज
36. श्री अनिल झा
37. चौधरी ज़ुबैर अहमद
38. डॉ. अजय दत्त
39. श्री इमरान हुसैन
40. श्री जितेन्द्र महाजन
41. श्री कुलदीप कुमार
42. श्री कुलदीप सोलंकी
43. श्री प्रवेश रत्न
44. श्री प्रेम चौहान
45. श्री पुनरदीप सिंह साहनी
46. श्री राम सिंह नेताजी
47. श्री सही राम
48. श्री संजीव झा
49. श्री सोम दत्त
50. श्री सुरेन्द्र कुमार
51. श्री विरेन्द्र सिंह कादियान
52. श्री विशेष रवि

# दिल्ली विधान सभा

# की

# कार्यवाही

**सत्र-02 सोमवार, 24 मार्च, 2025/03 चैत्र, 1947 (शक) अंक-6**

**सदन पूर्वाह्न 11.05 बजे समवेत हुआ।**

माननीय अध्यक्ष **(श्री विजेंद्र गुप्ता)** पीठासीन हुए।

राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्यगण आठवीं विधानसभा के द्वितीय सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनतापूर्वक अपने विचार सदन में प्रस्तुत करें। सदन का समय खराब न होने दें। साथ ही, कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय को मेरी अनुमति के बिना न उठायें। मुझे आशा है कि आप सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने में मुझे सहयोग देंगे।

## निधन संबंधी उल्लेख

माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सबको विदित है कि दिनांक 05 मार्च 2025 को दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक श्री एस.के.बग्गा जी का निधन हो गया, वे 71 वर्ष के थे। स्वर्गीय श्री बग्गा, कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर छठी तथा सातवीं दिल्ली विधान सभा के सदस्य रहे। राजनीति तथा समाजसेवा में उनकी विशेष रूचि थी तथा वे अपने क्षेत्र की जनता की

समस्याओं को सदन में सक्रियतापूर्वक उठाते थे। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वर्गीय श्री एस.के.बग्गा जी को श्रद्धांजलि देता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सदन द्वारा दो मिनट का मौन धारण किया जायेगा।

## भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर बधाई प्रस्ताव

माननीय सदस्यगण आप सब जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम ने दिनांक 09 मार्च 2025 को न्यूजीलेंड के खिलाफ चैम्पियनस ट्राफी फाइनल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भारतीय टीम यह ट्राफी तीन बार जीतने वाली एकमात्र टीम बन गई है। मैं इस उपलब्धि के लिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूं। पूरे टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए मैं अन्तरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष श्री जय शाह को भी हार्दिक बधाई देता हूं।

## अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी पर बधाई प्रस्ताव

माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स नौ महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद 19 मार्च 2025 को सकुशल धरती पर लौट आई है। उनके साथ उनके तीन सहकर्मियों बुच विल्मोर, निक हेग और अलेक्जेंडर ने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी की। लगातार नौ महीने विपरीत परिस्थितियों में अंतरिक्ष में रहना बहुत साहसिक कार्य है। मैं अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और अन्य सभी यात्रियों की सकुशल वापसी के लिए उन्हें बधाई देता हूं तथा उनकी हिम्मत की सराहना करता हूं।

उनकी सकुशल वापसी के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा किये गये प्रयास भी सराहनीय है।

प्रश्नकाल शुरू होने से पहले मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि अपना नाम पुकारे जाने पर पूरा क्वेश्चन ना पढ़ें, केवल इतना कहें कि प्रश्न संख्या और जो भी है, प्रस्तुत है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** प्रश्नकाल के बाद आप बात कीजिए।

**श्री संजीव झाः** अध्यक्ष महोदय ये सदन और ये रूलबुक आपको असीम पावर देता है, ना केवल सदन के अंदर बल्कि सदन के परिसर में भी कोई भी गतिविधि हो वो बिना आपके संज्ञान के या बिना आपके वो नहीं होना चाहिए और आज तक नहीं होता रहा है। मैं आज का ही एक फोटो दिखाता हूं एक विकसित दिल्ली बजट एक सरकार ने आज यहां कार्यक्रम किया। उसमें स्पीकर का इसमें फोटो नहीं है। मुझे लगता है ये सदन की अवमानना है, ये चेयर की अवमानना है। आप किसी का भी फोटो लगाइये मुझे कोई उसमें एतराज नहीं है, लेकिन अगर इस परिसर में कोई भी प्रोग्राम होगा वो स्पीकर के फोटो के बिना ये प्रोग्राम नहीं होगा। चूंकि ये सदन का और इस परिसर का मुखिया आप हैं और परम्परा आज तक रहा है, बहुत सारे सीनियर साथी हैं यहां पर, परम्परा ये रहा है कि सदन में कोई, परिसर में कोई भी कार्यक्रम हो...

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है, ठीक है।

**श्री संजीव झाः** उसमें आपका फोटो, स्पीकर का फोटो होना बहुत जरूरी है। आगे से इस प्रकार इस तरह का कोई भी...

**माननीय अध्यक्षः** मैं मामले को देख लेता हूं।

**श्री संजीव झाः** आप बाहर करें, कोई विषय नहीं है।

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है हो गई, बात हो गई।

**श्री संजीव झाः** हम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन इस परिसर में अगर, ये परंपरा, कल को हम भी...

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है, धन्यवाद।

**श्री संजीव झाः** कल को हम भी कार्यक्रम करेंगे नहीं...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** अब प्रश्नकाल को शुरू करते हैं। आपकी बात का संज्ञान लिया जाएगा, उस पर ध्यान रखा जाएगा।

**श्री संजीव झाः** बात आपकी नहीं है, बात चेयर की है, आप डायरेक्शन दें।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है इसका संज्ञान लिया जाता है, आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। आगे जी, प्रश्नकाल प्रारम्भ करते हैं। श्री संजय गोयल।

**श्री संजय गोयलः** माननीय अध्यक्ष महोदय।...

## तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**श्री संजय गोयलः** माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या-1 प्रस्तुत है।

क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में कर्मचारियों की अत्यंत कमी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा इस उठाए गए कदम; और

(ग) इस समस्या का समाधान कब तक कर दिया जाएगा?

**माननीय अध्यक्षः** माननीय स्वास्थ्य मंत्री।

**माननीय स्वास्थय मंत्री (डॉ0 पंकज कुमार सिंह):** अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या-1 का उत्तर प्रस्तुत है-

उत्तर: (क) हाँ, यह सत्य है।

(ख) और (ग) डॉक्टरों के संदर्भ में डॉक्टरों के 492 रिक्त पदों को भरने के लिए (UPSC) यूपीएससी को अधियाचना भेजी गई है। अभी तक 341 चयनित डॉक्टरों के डोजियर (UPSC) यूपीएससी से मिल चुके हैं। इनमें से 249 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं, 92 डॉक्टरों की नियुक्ति/जॉइनिंग का मामला प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा अस्थायी व्यवस्था के तौर पर इन पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए भर्ती अभियान भी चलाया गया है।

पेरामेडिकल स्टाफ के संदर्भ में 1055 विभिन्न पदों को भरने के लिए पहले ही DSSSB (Delhi Subordinate Services Selection Board) को भेजा जा चुका है।

नर्सिंग स्टाफ के संदर्भ में 1507 पदों को भरने के लिए DSSSB (Delhi Subordinate Services Selection Board) को भेजा जा चुका है। जिसकी परीक्षा हो चुकी है परिणाम आने बाकी है।

**माननीय अध्यक्षः** श्री जरनैल सिंह जी। कुलवंत राणा जी।

**श्री कुलवंत राणाः** अध्यक्ष जी क्या यह सत्य नहीं है कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उनके अंदर एम.एस. डयूलचार्ज लेकर काम कर रहे हैं, जबकि उन अस्पतालों में अच्छे से काम नहीं हो पा रहा। और ये भी जानकारी आई है कि सुरक्षा कर्मी डॉक्टरों के साथ मिल करके पेशेंटस को तंग करते हैं, भीड़ होती है और उसके ऐवज में पैसा लिया जा रहा है, ऐसा अम्बेडकर अस्पताल में हो रहा है और ये एम.एस. की नियुक्ति कब तक होगी, इसके बारे में प्लीज मंत्री जी अवगत कराएं।

**माननीय स्वास्थय मंत्री ( डॉ0 पंकज कुमार सिंह ):** माननीय अध्यक्ष जी जैसे माननीय विधायक जी ने बात ड्यूल चार्ज की कही है ये सत्य है कि कितने ही होस्पिटलों में एम.एस. ड्यूल चार्ज पर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर सारी वर्किंग हो गई है और बहुत जल्दी ही इसकी लिस्ट निकाल दी जाएगी, बहुत जल्द ही।

**माननीय अध्यक्षः** राजकुमार चौहान जी।

**श्री राजकुमार चौहानः** अध्यक्ष जी, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि 10 साल के बाद प्रश्न काल आपने इस विधानसभा में शुरू कराया। अध्यक्ष जी कोरोनाकाल के अंदर हमारे यहां मेरे क्षेत्र में मंगोलपुरी विधानसभा में संजय गांधी होस्पिटल है और ये ऐसी जगह होस्पिटल है, नांगलोई, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी। कुलवंत राणा जी का एरिया भी नजदीक पड़ता है, यहां बहुत ज्यादा मरीज आते हैं और करोनाकाल के अंदर जरूरत के हिसाब से उस वक्त हमारे यहां संजय गांधी होस्पिटल से डॉक्टर्स और कर्मचारी यहां से डायवर्ट कैपेसिटी के अंदर

अंबेडकर होस्पिटल में भेज दिये गये थे, वो वापस कब दिये जाएंगे और साथ में 2012 में ट्रॉमा सैंटर का एक प्रपोजल मैंने पास कराया था, जो कि।

**माननीय अध्यक्षः** प्रश्न को छोटा रखें।

**श्री राजकुमार चौहानः** छोटा ही कर रहा हूं सर।

**माननीय अध्यक्षः** क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी क्वेश्चन...

...(व्यवधान)

**श्री राजकुमार चौहानः** सर एक साइड को तो बोलने दिया करो।

**माननीय अध्यक्षः** जी, जी, जी।

**श्री राजकुमार चौहानः** सर तो वो ट्रॉमा सैंटर आज तक शुरू नहीं हुआ, किस कारण शुरू नहीं हुआ और कब शुरू होगा, धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्षः** मुझे लगता है कि दो, आप रिप्लाई कर दीजिए बस। ऐसा है एक प्रश्न के अगेंस्ट दो पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि पूरक प्रश्न पूछने की एक सीमा है, तो सभी सदस्य इस बात का ध्यान रखें।

**माननीय स्वास्थय मंत्री (डॉ0 पंकज कुमार सिंह):** माननीय अध्यक्ष जी हमने उस हॉस्पिटल का राउंड लिया था और माननीय विधायक जी के साथ राउंड लिया था, विधायक जी साथ थे। उसमें थोड़ी स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी को जल्द से जल्द पूरा किया जायेगा और जहां तक वो जो ट्रॉमा सैंटर की बात कर रहे हैं, माननीय विधायक जी मेरे साथ ही थे, हम उसको अगले महीने में ही, मई में जरूर चालू कर देंगे। क्योंकि उसका एक पार्ट बनना रह गया है जिसके कारण वो चालू नहीं हो पा रहा, मई एंड तक उसको चालू कर देंगे।

**माननीय अध्यक्षः** नहीं एक मिनट राजकुमार जी। पहले उनका कुलवंत राणा जी के प्रश्न का, पूरक प्रश्न का रिप्लाई मंत्री जी, उनके पूरक प्रश्न का जवाब, उनके। जी।

**श्री राजकुमार चौहानः** मैं अपना जवाब तो पूरा कर लूं अध्यक्ष जी।

**माननीय अध्यक्षः** जी, जी।

**श्री राजकुमार चौहानः** मैंने इनसे पूछा, स्वास्थ्य मंत्री से कि करोनाकाल के जो समय में एमरजेंसी में, जो मेरे यहां संजय गांधी होस्पिटल से डॉक्टर, कर्मचारी अंबेडकर होस्पिटल में डायवर्ट किये गए। वो कर्मचारी मेरे संजय गांधी हॉस्पिटल में कब आएंगे और वो संजय गांधी के अंदर क्योंकि बहुत मरीजों की तादाद वहां पर हजारों की संख्या में आती है वो कब वापिस आएंगे इतना मैं पूछना चाहता हूं। ट्रामा सैंटर में पिछली गवर्नमेंट के समय सबसे बड़ी कमी हुई अध्यक्ष जी इतना बड़ा ट्रामा सैंटर बना और उसमें रैम्प ही नहीं बना और जो इंजीनियर जिसने वो ट्रामा सैंटर बनाया उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए।

**माननीय अध्यक्षः** देखिए इसमें मुझे लगता है प्रश्न कई हैं और इसके लिए हाफ एन ऑवर डिस्कशन हम आने वाले समय में किसी दिन पर मैं फिक्स कर देता हूं। अभी आप रिप्लाई करिए फिर इस पर हाफ एन ऑवर डिस्कशन...

**माननीय स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर पंकज कुमार सिंह):** अध्यक्ष जी वो ट्रामा सैंटर जो था। वो ट्रामा सैंटर में रैम्प ही नहीं बनाया जिसके कारण वो डिले हो रहा है वो मैंने माननीय विधायक जी को पहले भी बता रखा है वो उसका निर्देश दिया जा चुका है और रैम्प बनने में जो एक दो महीना लगे उसके बाद

ट्रामा सेंटर चालू हो जायेगा। जहां तक कर्मचारी का विषय की बात है, स्टाफ की बात है, डाक्टर्स की डायवर्टिड की बात है तो इसका आंकलन किया जा रहा है। स्टाफ की कमी है संजय गांधी में, जो डायवर्टिड कैपेसिटी पे गये हैं उन्हें जल्द से जल्द वापिस संजय गांधी में लाया जायेगा। मैं विधायक जी की बात से सहमत हूं कि वहां पे पेशंट बहुत आते हैं, हर कोने से आते हैं। तो जो भी डायवर्टिड डाक्टर्स गये हैं, स्टाफ गये हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ गये हैं वो संजय गांधी में जल्द से जल्द आयेंगे, जल्द से जल्द संजय गांधी हॉस्पिटल को ज्वाईन करेंगे।

**माननीय अध्यक्षः** इस बार हाफ एन ऑवर डिस्कशन होगा स्वास्थ्य के मामले पर और समय सुनिश्चित कर दिया जायेगा। अब अगले प्रश्न पे आयें। उसमें सबको मौका मिल जायेगा।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** श्री जरनैल सिंह। हाफ एन ऑवर डिस्कशन इसलिये रख दिया न, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा इसमें। पूरक प्रश्न जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रहेगा। जनरैल सिंह नहीं हैं। श्री हरीश खुराना।

**श्री हरीश खुरानाः** माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम प्रश्न संख्या तीन प्रस्तुत है।

क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कुल कितने वेंटिलेटर्स और 'आईसीयू' बेड उपलब्ध हैं;

(ख) स्वास्थ्य नीति के अनुसार कितने वेंटिलेटर्स और आईसीयू बेड वांछित हैं;

(ग) दिल्ली सरकार के स्वामित्व में कितने वेंटिलेटर्स हैं;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त वेंटिलेटर कितने हैं; और

(ङ) दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2014 से फरवरी 2025 के दौरान कितने वेंटिलेटर खरीदे गए, वर्षवार विवरण प्रदान करें?

**माननीय स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर पंकज कुमार सिंह):** अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या-3 का उत्तर प्रस्तुत है-

(क) वेंटिलेटर्स - 1956

आई.सी.यू.बैड - 764

(ख) स्वास्थ्य नीति के अनुसार कुल बिस्तर क्षमता का 5 से 10 प्रतिशत वेंटिलेटर्स और आई.सी.यू बेड वांछित हैं।

(ग) 1007

(घ) 646

(ङ) 2014 -50

2015 -41

2016 -73

2017 -53

2018 -17

2019 –56

2020 –208

2021 –400

2022 –142

2023 –3

2024 –7

2025 –0 है

**नोटः** उपरोक्त के अलावा कुल अस्पतालों में कोविड–19 के दौरान दान के माध्यम से एवं अन्य अस्पतालों से भी वेंटिलेटर्स प्राप्त हुए थे उसकी संख्या अलग है जो मैं बाद में बता पाउंगा। अभी उपलब्ध नहीं है हमारे पास।

**माननीय अध्यक्षः** तरविन्दर सिंह मारवाह, हां जी। तरविन्दर सिंह मारवाह।

...(व्यवधान)

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी, ये जो वेंटिलेटर्स की है ये समस्या कब दूर होगी मंत्री जी जरा बतायें क्यूंकि तादाद दिल्ली में जो चल रही है, जहां फोन करो वहां पर कहते हैं वेंटिलेटर नहीं हैं। तो क्या है इसके लिये जरा मंत्री जी कहें कि आगे कोई पालिसी और ला रहे हो, जिम्मेवार तो 11 साल पता ही है आपको, कंगला कर दिया है उसके बारे में बोलूंगा नहीं क्योंकि प्रश्न कवेश्चन आंसर आपके पास समय नहीं तो आप जरा मंत्री जी बतायें इस पर।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** जो पूरक प्रश्न है उस पर ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिये कि आपको तुरंत रिप्लाई मिल सकता है। आपकी बात मंत्री जी के संज्ञान में आई है वो मंत्री जी अपने विवेक से जो भी बात कहना चाहें वो कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** बैठिये, आप बैठिये मैडम। आप करिये।

...(व्यवधान)

**माननीय स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर पंकज कुमार सिंह): मैं खड़ा हूं जी बोलने के लिये। जवाब तो मैं खड़ा हूं।**

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है।

...(व्यवधान)

**माननीय स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर पंकज कुमार सिंह):** जवाब मैं नहीं दे पाउं तब न, मैं खड़ा हूं देने जवाब के लिये आतिशी जी इसकी चिंता मत कीजिये। हम स्वास्थ्य की व्यवस्था को अच्छे से सुधारने के लिये आये हैं और सुधारेगें। मैं खड़ा हूं उसके लिये। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार, हमारी मुख्यमंत्री जी हम काम करने के लिये आये हैं बात बनाने के लिये नहीं आये हैं। अध्यक्ष जी, मैं माननीय विधायक जी अपने बड़े भाई की बातों से सहमत हूं कि हमें और भी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है और आपके माध्यम से अभी भी मैं ये जरूर कहूंगा विधायक जी को कि विधायक जी हम इसके उपर आंकलन कर रहे हैं और हर हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा देनी चाहिए वो सब देगें, अगले दो तीन महीनों के अंदर वेंटिलेटर की जो समस्याएं हैं माननीय मुख्य मंत्री जी से हमारी

चर्चा इस पर हो गई है बजट के बाद इसके उपर वेंटिलेटर की समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक्यू।

**माननीय अध्यक्षः** अच्छा ऐसा है कि वैसे तो नेता, विपक्ष पूरक प्रश्न नहीं पूछते हैं लेकिन फिर भी चूंकि आतिशी जी ने रिकवेस्ट की है तो मैं आप सब को ओवररूल करते हुए सीधा क्योंकि आपने हालांकि बाद में, उनका सम्मान है नेता प्रतिपक्ष, पूरक प्रश्न के लिए।

**सुश्री आतिशी (माननीया नेता- प्रतिपक्ष):** सबसे पहले अध्यक्ष जी मेरा ये आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि जो भी मंत्री गण है पूरे डेटा और स्पेसिफिक जवाब दें टाइम लाइन्स के साथ क्यूंकि जल्द से जल्द करेगें, अच्छा करेगें, बहुत अच्छा करेगें। यहां पे विधानसभा के सत्र में विधायक ये अपेक्षा करते हैं जो अलग अलग इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि स्पेसिफिक जवाब मिलेगा और उसी के लिए अफसर गैलरी में बैठे भी होते हैं। मेरा सवाल सप्लीमेंट्री क्वेशचन स्वास्थ्य मंत्री से ये हैं कि 20 फरवरी से आज तक अब तक कितने वेंटिलेटर्स का आर्डर दिल्ली सरकार ने दिया है ये डेटा जरा दें।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट आप बैठिए, मंत्री जी अपने आप बात करेगें।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** नहीं नहीं मंत्री जी। प्रश्नकाल में मंत्री जी...

...(व्यवधान)

**माननीय स्वास्थ्य मंत्री ( डाक्टर पंकज कुमार सिंह ):** अध्यक्ष जी स्वास्थ्य की व्यवस्था जल्दी करेगें, अच्छा करेगें ये हम इसलिए कहते हैं कि यहां की स्थिति क्या थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या थी आप सबको पता है, ज्ञात है जो लीडर आफ ओपोजीशन ने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के अंदर बहुत सी बातें हैं जो कैग की रिपोर्ट में भी सामने आई हैं ।

...(व्यवधान)

**माननीय स्वास्थ्य मंत्री ( डाक्टर पंकज कुमार सिंह:** ऐसा है जवाब बोलूं बता दूं। झा जी जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। जवाब लीजिए। जवाब सुनने का दम रखिए, मत बोलिए।

(समय की घंटी)

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** व्यवस्था बना के रखिए।

...(व्यवधान)

**माननीय स्वास्थ्य मंत्री ( डाक्टर पंकज कुमार सिंह ):** अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी पूरे जितने हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट के हैं वहां सबकी व्यवस्था ठीक करना, दुरूस्त करना हमारी सरकार का पहला काम है। हम उसको कर रहे हैं जहां तक लीडर अपोजीशन ने वेंटिलेटर की बात की है उसका डाटा लिखित लीडर आफ अपोजीशन के पास पहुंचेगा। लिखित पहुंचेगा।...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है। अब अगला प्रश्न श्री संजीव झा।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** श्री संजीव, व्यवस्था बना के रखें। प्रश्नकाल का समय सीमित है। बारह बजे ये समाप्त हो जाएगा। अगर देखिए बारह बजे प्रश्नकाल समाप्त हो जाएगा इसलिए समय का ध्यान रखते हुए प्रश्नकाल में भाग लें। संजीव झा जी।

...(व्यवधान)

**श्री संजीव झाः** अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय वैसे तो अध्यक्ष महोदय...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** आप बैठिए।

...(व्यवधान)

**श्री संजीव झाः** मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से प्रश्न संख्या चार का जवाब मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और थोड़ा सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार दे दीजिए सीधा ये चाहता हूं आपसे।

क्या माननीय **सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पुश्ता रोड़ पर विभाग द्वारा लगाई 'पोल लाइटें' काम नहीं कर रहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इन्हें ठीक करने के लिए विभाग द्वारा उठाए जाने वाले कदम;

(ग) क्या इन लाइटों के रख-रखाव के लिए कोई निविदा जारी की गई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो विवरण दें; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों?

**माननीय अध्यक्षः** सप्लीमेंट्री पूछो।

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** अभी वो पूछेगें सप्लीमेंट्री तब मैं जवाब दूंगा। आपने पढ़ा नहीं क्या उत्तर पहले पढ़ लीजिए ना वो।

...(व्यवधान)

**श्री अजय दत्तः** अध्यक्ष जी, ये-ये मंत्री जी को पढ़ के सुनाना होता है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** कोई नहीं ये जिनका प्रश्न है उनको आप बात करने दें। आप बैठिए जिनका प्रश्न है उनको बात करने दें। संजीव झा जी आप पूरक प्रश्न पूछिए?

...(व्यवधान)

**श्री संजीव झाः** अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी आप भी इस सदन के...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** संजीव झा जी।

...(व्यवधान)

**श्री संजीव झाः** अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, आप भी इस सदन के सदस्य रहे हैं और अपोजीशन में रहे हैं। मंत्री हमेशा क्वेशचन को पढ़कर के जवाब देता है। इसमें आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप एक एक सवाल का जवाब आपको पढ़ के देना चाहिए फिर मैं आपको सप्लीमैंट्री सवाल करूंगा। हमें पढ़ना तो बहुत कुछ आता है लेकिन वो पढ़ के अगर सुनाने लगेगें तो...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** चलिए अब आप पूरक प्रश्न पूछ लीजिए। पूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

**श्री संजीव झाः** बस मैं एक डायरेक्शन चाहता हूं आपसे...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** नहीं तो जवाब।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** आप पूरक प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

**श्री विशेष रवि:** अध्यक्ष जी स्टार क्वेशचन में ये कम्पलसरी है कि मंत्री जी को पढ़कर जवाब देना पड़ेगा। जवाब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, दिल्ली की जनता के लिए है।

...(व्यवधान)

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** अरे सुनो भाई। सुनो यार। विधायक जी सुनिए, सुनिए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** प्रवेश जी ।

...(व्यवधान)

**सुश्री आतिशी (माननीया नेता प्रतिपक्ष):** सुनो यार, ये यार क्या भाषा होती है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि समय की सीमा है, सिर्फ आप चौथे प्रश्न पर आएं हैं पढ़ना कोई अनिवार्य नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं स्थिति।

...(व्यवधान)

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** अध्यक्ष जी मैं बोल देता हूं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** लिखित उत्तर आ गया है। आप पूरक प्रश्न पूछिए। वो जिसका आपके पूरक प्रश्न का अगर वो जस्टीफाइड है तो वो जरूर जवाब देगें, बिना पढ़े।

...(व्यवधान)

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** मैं जवाब दे देता हूं बैठ जाओ।

**माननीय अध्यक्षः** समय बचेगा न सबके प्रश्न आ जाएगें। अगर हम ये करते रहेगें कि पढ़ के बताओ तो इसका मतलब ये है कि प्रश्न तो पक्ष और विपक्ष दोनों के हैं अगर आखिर तक आएंगें तो सबके आएंगे और 25 मिनट में आप सोचिए 16 प्रश्न नहीं हो पाएगें तो आप उनको पूरक प्रश्न है तो पूछिए।

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** बोलने दीजिए अभी बोलने तो दो।

...(व्यवधान)

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** एक सैकिण्ड मारवाह जी रूक जाओ, रूक जाओ।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** मारवाह जी मंत्री जी खड़े हैं इनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोल लेना। हां जी मंत्री जी।

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** अध्यक्ष जी पीछे जैसे बताया कि दस साल में एक बार भी प्रश्न काल नहीं हुआ।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** लेकिन ये तो सच है ना

...(व्यवधान)

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** अच्छा कितने साल से नहीं हुआ ये तो बता दो कितने।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** ये तो सच है कि 2024 में...

...(व्यवधान)

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** कितने साल से नहीं हुआ ये तो बता दो।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अच्छा कितने प्रश्नकाल हुए।

...(व्यवधान)

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** कितने साल से नहीं हुआ ये तो बता दो।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** पिछले पांच साल में लास्ट सत्र में जब सीटिंग ही 75 भी नहीं हुई तो वहां के क्या कहते हैं कि प्रश्नकाल कितने हो गए होगें। तो चलिए वो।

...(व्यवधान)

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री ( श्री प्रवेश साहिब सिंह ):** पांच साल में नहीं हुआ।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आगे बढिए।

...(व्यवधान)

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री ( श्री प्रवेश साहिब सिंह ):** पांच साल में नहीं हुआ।

...(व्यवधान)

**सुश्री आतिशी ( माननीया नेता प्रतिपक्ष ):** तैयारी तो करके आइए मंत्री जी।

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री ( श्री प्रवेश साहिब सिंह ):** पांच साल में नहीं हुआ।

**माननीय नेता, प्रतिपक्ष:** बिष्ट साहब बैठे हैं पांच साल में भी नहीं हुआ ठीक है हम झूठ बोल रहे हैं आपके पीछे बिष्ट साहब बैठे हैं उनको पता है

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** अच्छा देखिये, 2024 में एक भी प्रश्नकाल नहीं हुआ।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** 2024 में, मैं बता रहा हूं ना वर्ष 2024 में एक भी प्रश्नकाल नहीं हुआ आगे बढ़िये।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** मैं आंकड़े मैं पूरे आंकड़े पेश कर दूंगा सदन के समक्ष, पूरे आंकड़े, आपकी जो क्वेरी है पूरे आंकड़े पेश कर दिये जायेंगे, धन्यवाद।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** सदन के समक्ष।

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** अच्छा, सुनिये-सुनिये।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** मैं आपके सामने आंकड़े रख दूंगा।

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** अध्यक्ष जी मेरा, अध्यक्ष जी जब मैंने कहा कि सदन पर पटल पर रख दिया है तो उससे मेरा ये था कि केवल एक घंटा मिलता है दिल्ली की जनता की समस्याओं को उठाने के लिये अगर हमने जो जवाब दे दिया है और वो आप सभी सदस्यों ने पढ़ लिया है अगर उसके अतिरिक्त आपको कोई जवाब हमसे चाहिये तो मैं वो आपको देने को तैयार हूं।

...(व्यवधान)

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** आप अगर ये चाहते हैं कि मैं इसको पढ़ूं तो मैं पढ़ देता हूं।

**माननीय अध्यक्षः** मंत्री जी मुझे लगता है कि समय बचाने के लिये आपका फैसला सही था पूरक प्रश्न उनको पूछने दीजिये उसका आप रिप्लाई कर दीजिये। समय की सीमा है।

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** मैं अगर ये पढ़ने लगूंगा तो आधा घंटा लगेगा इसलिये मैं कह रहा हूं।

**माननीय अध्यक्षः** आप संजीव जी आप दो पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** आपको सुनना ही है तो मैं पढ़ देता हूं आधा घंटा, आपको पूछना है तो।

(प्रश्न संख्या 04 का उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।)

प्रश्न संख्या : 04 का उत्तर :

(क) जी हाँ, पुश्ता रोड पर लगाई गई कुछ विभागीय पोल लाइटें काम नहीं कर रही हैं।

(ख) समय-समय पर लाइटों की मरम्मत कराई जाती है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण केबल, पैनल, एमसीबी और अन्य भागों की चोरी होती रहती है। जिसके कारण क्षेत्र में लाइटें नहीं जल पाती हैं।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में लाइटों के रख-रखाव की निविदा जारी नहीं की गई है।

(घ) लागू नहीं है।

(ङ) आकलन की तैयारी प्रक्रियाधीन है।

...(व्यवधान)

<u>कार्यालय मुख्य अभियंता</u>
<u>सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग</u>
<u>दिल्ली सरकार</u>
<u>एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली।</u>

तारांकित प्रश्न संख्या: 04 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

दिनांक : 24.03.2025
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री संजीव झा

<u>पूरक सामग्री</u>

माननीय विधायक श्री संजीव झा के द्वारा अपनी बुराडी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली पुश्ता रोड़ पर लगाई गई पोल लाइट के बारे में जानकारी मांगी है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की सिविल खंड संख्या-VI के द्वारा एक योजना अनुमानित लागत रु 369.27 लाख, कार्य का नाम "Providing and fixing of LED street Lights on RME RD. 1200m to RD. 10500m and Tie Bund Shank No. 16 & 17 at RME", "Providing and fixing of LED street lights on RME RD 16500m to RD 18360m and LED street lights on RME RD10500m to 16500m." & "Providing and fixing of LED street lights on Jagatpur Bund from RD0m to RD. 4388m". बनाई गई है। इस योजना को 41st Technical Advisory Committee की बैठक में प्रस्तुत की गई। जिसकी सक्षम अधिकारी के द्वारा अनुमोदन किया गया एवं जिसकी A/A & E/S (प्रशासनिक अनुमति व खर्चा स्वीकृति) कार्यालय मुख्य अभियता, दिल्ली सरकार के पत्र संख्या EE/CD-VI/DB/T-11/2020-21/2302/101616827/1705-16 DT25/11/2020, EE/CD-VI/DB/T-11/2020-21/2302/101616833/1657-68 DT25/11/2020, & EE/CD-VI/DB/T-11/2020-21/101616836/1633-44 DT25/11/2020 द्वारा जारी की गई। जिसके पश्चात सभी औपचारिकतायें पूरी की गई। कार्य को एवार्ड किया गया।

यह पुश्ता रोड़ (जगतपुर रोड़ से आर.एम.ई. (हिरंकी पोस्ट) से आर.एम.ई. एक्सटेंशन पल्ला) पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की सिविल खंड संख्या 6 के द्वारा पोल लाइट लगाई गई जिसकी रखरखाव अभियांत्रिकी खंड संख्या-I के द्वारा की जा रही है।

अभियांत्रिकी खंड संख्या I के द्वारा समय समय पर लाइटों की मरम्मत कार्य Non Plan Head से की जाती है लेकिन कुछ गैर सामाजिक / असामाजिक तत्त्वों के द्वारा केबल, पैनल, एम.सी.बी. और अन्य भागों की चोरी की जाती है जिसके कारण क्षेत्र में लाइटें नहीं जल पाती है।

अभियांत्रिकी खंड संख्या I के द्वारा इन लाइटों के रख-रखाव के लिए कोई निविदा जारी नहीं की गई है।

लाइटों के रखरखाव के लिए आकलन की तैयारी प्रक्रियाधीन है।

शिव कुमार

शिव कुमार)
कार्यसर्वेक्षक
नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

| S.no | Name of Work | file no | A/A & E/S Amount (in Lacs) | Name of Agency | No of Poles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Providing and fixing of LED street lights on RME RD 16500m to RD 18360m and LED street lights on RME RD10500m to 16500m. | EE/CD-VI/DB/T-11/2020-21/2302/101616833/1657-68 DT25/11/2020 | 132.53 | M/s R.S Electricals | 164 |
| 2 | Providing and fixing of LED street Lights on RME RD. 1200m to RD. 10500m and Tie Bund Shank No. 16 & 17 at RME | EE/CD-VI/DB/T-11/2020-21/2302/101616827/1705-16 DT25/11/2020 | 151.91 | M/s R.S Electricals | 232 |
| 3 | Providing and fixing of LED street lights on Jagatpur Bund from RD0m to RD. 4388m. | EE/CD-VI/DB/T-11/2020-21/101616836/1633-44 DT25/11/2020 | 84.83 | M/s Universal Enterprises | 90 |

शिव कुमार

नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (I&FC) DEPTT., GNCT OF DELHI
L.M.BUND, SHASTRI PARK, OFFICE COMPLEX, DELHI-110031
FA-Branch

F No. EE/CD-VI/DB/T-11/2020-21/2302/101616833/ 1657-68 Dated:- 25/11/2020

To

The Executive Engineer, CD-VI,
Irrigation & Flood Control Deptt.,
GNCT of Delhi, Delhi.

Sub: A/A&E/S for Rs. 132.53 Lac under the "MH-4711-03-800-99-00-53 Other Drainage Works"- for the work "Providing and fixing of LED street lights on RME RD. 16500m to RD. 18360m and LED street lights on RME RD .10500m to RD. 16500m of I&FC Deptt.".

Sir,

I am directed to convey the A/A & E/S for Rs. 132.53 lac (Rs. One Crore thirty two lacs and Fifty three thousand Only) (Sr. No. 9 of Annexure-I of Cabinet Decision No. 2884 dt. 02.11.2020) for the above mentioned work subject to the following conditions:

**Responsibility before execution of work**

1. **Merely issue of AA/ES does not confer the right for violation of norms as decided and circulated for carrying out restoration/improvement of works.**

2. **No deviation from the prescribed specifications, quality and quantity (ies):**
**There shall be no deviation in the proposed work unless and until it is essentially required and that shall be undertaken only after due compliance of all the requisite codal formalities and in consonance with the provision/guidelines as laid down under GFR,FRSR,DFPR,instructions of CVC, Finance Department issued from time to time. Any deviation beyond the permissible limit as per CPWD Works Manual shall not be carried out without the approval of the Competent Authority.**
The executing agency during the course of execution/construction will ensure that the specification of items, their quality, quantities and proportion of the quantities as well as measurements in respect thereof as used in the project during the course of construction are the same on the basis of which estimates have been prepared and that there is no deviation whatsoever.

3. **Due diligence has been exercised in the formulation of instant scheme/proposal for the execution of work. The proposed scheme is new one and no work of the same/similar nature has been executed by this department prior to the proposed one except in those cases where the life of previously executed same work's life has been completed.**

For fulfillment of the aforesaid requirement, Supervisory Officers/ Engineers during the course of execution/construction shall carry out regular inspections and ensure that specifications regarding quality, quantities and proportions/ measurements thereof are being adhered to scrupulously.

4. **Compliance of statutory rules and regulations:**
Work shall be awarded after completion of codal formalities as per the provisions of CPWD Work Manual, GFR-2017 and instructions/guidelines etc. issued by Finance Department/ CVC from time to time.

5. **Award of work:**
Bids shall be invited for the consolidated work which shall not be sub-divided in any manner for the purpose of tendering. Work shall be awarded through competitive bidding only. Performance security shall be obtained from successful bidder to ensure execution of the contract as per the provisions of GFR-2017, CPWD Manual and instructions/guidelines etc. issued by Finance Department / CVC from time to time.
Work shall be awarded within the scope and financial limits of AA & ES granted by the competent Authority. In case the L-1 Bid is over and above the sanctioned cost of the project, fresh tenders may be invited. If the rates quoted by L-1 bidder subsequently (second time) are/is also higher than the approved cost, the proposal for revision of estimates may be brought/ submitted before the competent authority clarifying as to whether the rates are reasonable or not, keeping in view the prevalent market trend/rates.

4/12/2020 3386

RECEIPT 1406 4/12/2020

6. **Adherence to time schedule and sanctioned cost:**

Work shall be completed within the given time-frame and within the sanctioned cost and as per CPWD Work Manual/ GFR 2017. Escalation in cost will not be allowed. The expenditure shall be restricted to the approved detailed estimates or approved tender amount whichever is less.Necessary limited tenders shall be invited for this purpose from the approved registered contractors/agencies/parties in the panel of I&FC Depttt., as per the departmental guidelines. The Accounts functionary posted in the Division shall be associated as a member of the tender committee for finalizing the same and the same shall be got examined from them before seeking approval of the competent Authority.

7. **Adherence to sanctioned scope of work:**

The Executive Engineer shall not change the scope of work on their own. It shall be brought before the competent authority for approval, if any such change is perceived/ necessitated subsequently. **The proposed development work shall be updated upon completion on the GSDL map. The proposed work does not fall within any reserve forest area/morphological ridge/ASI jurisdication. The proposed scheme has been approved by the TAC and the scheme is proposed to be executed on the department own land and it shall be free from all the hindrances.**

8. **Payment not to be released without the approval of the competent authority:**

The Executive Engineer shall not make any payment in anticipation of approval/ sanction of revised/modified estimates unless and until the same has been considered and approved by the Competent Authority.

9. **Splitting of work not permissible:**

No work shall be splitted, in any manner, subsequent to the issue of the sanction. In case, it is required, the proposal shall be brought before the competent sanctioning authority for its consideration and approval.

10. **Non-Inclusion of extra item:**

No extra item shall be included in the sanctioned project/ work subsequent to the sanction. Extra items, if essential, shall be included in the execution of work only after the prior approval of the competent sanctioning authority. Post facto approvals shall not be permitted.

11. **Utilization of provision for contingency:**

The provision of contingency is meant for unforeseeable and unidentifiable items which can not be included/anticipated while preparing estimates for the work/project. Accordingly, the sanctioned provision of the project for contingencies shall be invariably utilized for the same. Personal claims on any account including conveyance, office contingencies etc. shall not be charged on works.

12. **Financing of the sanctioned work:**

Financing for the works shall be managed by executing agency as per the provisions made in its budget for respective works allocated/ provided in different years

13. **Monitoring of the project:**

The Supertendent Engineer shall monitor the execution of the project and submit quarterly progress report of the project to Finance Department/ Planning Department regarding the financial and physical targets and that the specifications of items, quantity/quality of materials including proportion thereof are the same on the basis of which estimates were prepared.

14. **Confirmation of completion of work/project:**
On the conclusion of the project/ scheme, work completion certificate alongwith utilization certificate of funds and 3rd Party quality control certificate must be furnished to Finance Department/Planning Department, Secretary (I&FC) And IFA/DCA(Development) and there shall be a provision of an Independent third party check for evaluation of the quality of the executed work.

15. **No duplicacy of work by any agency:**
The Executive Engineer/Superintending Engineer agency must ensure that none of the components/units/stretch (es) is duplicated in any manner during execution/award of work or at the time of payment either by it or by any other agency.

16. **Guarnatee period:**
Every capital asset created/ upgraded has, technically, a certain/estimated life span,. In order to ensure that the quality and quantity of the items/ material used in the execution of work is as per the standard/ prescribed specifications and that the asset so created lives its full life, Guarantee clause must be incorporated in the contract deed so that the contractor is held responsible/liable whenever any deficiency/ short coming/ break down is observed which shows that the work has not been executed as per prescribed specifications/ standards.

17. **Fore-closer of the project is not permissible mid-way:**
The project must not be scraped during the course of execution on any pretext. In case emergence of some extra-ordinary circumstances leads to such unforeseen situation of fore-closer of the project/scheme, the matter may be placed before the sanctioning authority.

18. **Maintenance of the assets after construction:**
The projects, after their completion, shall be properly maintained by the executing agency / user organization properly as per the provisions of the CPWD Manual, Government Order dated 25.07.2011, the guidelines/ instructions issued from time to time and keeping in view the provisions of Construction-cum-maintenance contracts executed, in cases where such mechanism has been adopted.

19. **Contract with the contractor:**
The executing agency shall enter into formal contract with the contractor. The contract deed should be in the standard format and should incorporate all the necessary clauses for safeguarding the interest of Government in accordance with the provisions of GFR 2017/ CPWD Manual and the aforesaid instructions/ conditions.

20. **Availability of budget:**
It may be ensured that the expenditure is to be made only subject to the availability of funds. All efforts should be made to utilize the funds efficiently & effectively as per rule. DDO to ensure that the expenditure against the project/scheme shall be booked only when the allocation of fund is available against the project/scheme.

21. **Online updation would be** done on the Website of I&FC, on monthly basis without fail being the implementing agency. Assurance given by I&FC to the CVC will be followed in all cases. 3rd Party Quality Checking will be done as per CPWD manual. Project delays if any_would be intimated to the Secretary, I&FC and Pr. Secretary, on monthly basis.**The proper documentation of the proposed work with reference to pre and post status of the site of the work shall be maintained including photographs etc., and kept on records.**

22. **The Project will be executed** as per the guidelines issued by the Finance Department vide order No.F.3(30)/CD/2007/DS-IV/3051-64 dated 12.07.2011 & No. F.2(5)/2015-16/Finanace. E-IV/Infra/012274603 /DS-IV/4878-4987 dated 10.09.2015.

**All other necessary conditions, regulation, guidelines & instructions etc. issued by the Govt., I&FC Deptt., CVC,GFR,FRSR,DFPR and instructions contained in CPWD/PWD Manual & CPWD/PWD Account code and Finance Department GNCT of Delhi issued from time to time shall also be observed.**

23. **This is further subject to the following conditions as per Competent Authority.**

(i) No other scheme of similar nature is under execution by any other Executing Agency of GNCTD in the proposed stretch area.

(ii) The work shall be executed strictly in accordance with the intent of the approval of TAC, which according to the paper on file has accorde its approval to the proposed scheme in 41st TAC meeting held on 08.01.2019.

(iii) No compromise with the specification and quality in the work will be allowed during the execution of the work and the timelines, so prescribed, for the completion of work should be adhered to.

(iv) Provision of dedicated utility channel shall be ensured as per the instruction of Government of India, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industries to avoid road cutting and to provide provision for laying of basic infrastructure facilities of public utilities without road cutting, the above reference of GoI has been circulated recently.

(v) The time lines, so prescribed, for the completion of the proposed work shall be adhere to.

(vi) The remodeling of regulator site, shall be in accordance with the Hon'ble NGT guidelines issued from time to time, and all remedial measures to combat the pollution, if likely to be caused on account of remodeling of regulator.

The expenditure on the above mentioned scheme will be debitable to **MH 4711-03-800-99-00-53" "Other Drainage Works" under demand No. 10 of Govt. of NCTof Delhi for the year 2020-21 for the work "Providing and fixing of LED street lights on RME RD. 16500m to RD. 18360m and LED street lights on RME RD .10500m to RD. 16500m of I&FC Deptt"** as per year wise budget provision and should not exceed the budget allotment placed at your disposal and observance of all other codal formalities as per G.F.R , C.P.W.D. manual and other financial guidelines issued by the Govt. time to time.

This issues with the prior approval vide Cabinet decision No.2884 dated 02.11.2020 and Secretary (I&FC) vide U.O.no. 2340 dated 27.10.2020.

(K.L.SHARMA)
FA-CUM-DCA(I&FC, H.Q.)

F No. EE/CD-VI/DB/T-11/2020-21/2302/101616833/ Dated:-

**Copy forwarded for information and necessary action to:-**

1. Secy. to Secretary (I&FC), Varunalya Building, Jhandewalan,GNCTD, Delhi.
2. Deputy Secretary, Finance-V, Finance Department, Delhi Sachivalaya , ITO, New Delhi.
3. Chief Engineer Zone-I & II (I&FC) Deptt., Govt. of NCTof Delhi.
4. S.S.W to Chief Engineer I&II, I&FC Deptt. GNCT of Delhi.
5. PAO-22, GNCT of Delhi. MSO Bldg., I.T.O New Delhi.
6. Superintending Engineer, FC-II, (I&FC Deptt.) GNCT of Delhi.
7. Executive Engineer, P&D Branch (I&FC Deptt.), GNCT of Delhi.
8. Accountant General (Audit) Delhi, AGCR BLDG., I.P. Estate New Delhi-02.
9. Directorate of Audit, 4th Level, GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate New Delhi-02.
10. Guard File

FA-cum-DCA (I&FC, H.Q.)

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (I&FC) DEPTT., GNCT OF DELHI
L.M.BUND, SHASTRI PARK, OFFICE COMPLEX, DELHI-110031
FA-Branch

F No. EE/CD-VI/DB/T-11/2020-21/101616836/ 1633-44 Dated:- 25/11/2020

The Executive Engineer, CD-VI,
Irrigation & Flood Control Deptt.
GNCT of Delhi, Delhi.

Sub: A/A&E/S for Rs. 84.83 Lac under the "MH-4711-03-800-99-00-53 Other Drainage Works"- for the work "Providing and fixing of LED street lights on Jagatpur Bund from RD 0m to RD. 4388m.".

Sir,

I am directed to convey the A/A & E/S for Rs. 84.83 lac (Rs. Eighty four lacs and Eighty three thousand Only) (Sr. No. 7 of Annexure-I of Cabinet Decision No. 2884 dt. 02.11.2020) for the above mentioned work subject to the following conditions:

**Responsibility before execution of work**

1. Merely iss[illegible] and circulated for carrying out restoration/improvement of works.

2. No deviation from the prescribed specifications, quality and quantity (ies):

There shall be no deviation in the proposed work unless and until it is essentially required and that shall be undertaken only after due compliance of all the requisite codal formalities and in consonance with the provision/guidelines as laid down under GFR,FRSR,DFPR,Instructions of CVC, Finance Department issued from time to time. Any deviation beyond the permissible limit as per CPWD Works Manual shall not be carried out without the approval of the Competent Authority.

The executing agency during the course of execution/construction will ensure that the specification of items, their quality, quantities and proportion of the quantities as well as measurements in respect thereof as used in the project during the course of construction are the same on the basis of which estimates have been prepared and that there is no deviation whatsoever.

3. Due diligence has been exercised in the formulation of instant scheme/proposal for the execution of work. The proposed scheme is new one and no work of the same/similar nature has been executed by this department prior to the proposed one except in those cases where the life of previously executed same work's life has been completed.

For fulfillment of the aforesaid requirement, Supervisory Officers/ Engineers during the course of execution/construction shall carry out regular inspections and ensure that specifications regarding quality, quantities and proportions/ measurements thereof are being adhered to scrupulously.

4. Compliance of statutory rules and regulations:

Work shall be awarded after completion of codal formalities as per the provisions of CPWD Work Manual, GFR-2017 and instructions/guidelines etc. issued by Finance Department/ CVC from time to time.

5. Award of work:

Bids shall be invited for the consolidated work which shall not be sub-divided in any manner for the purpose of tendering. Work shall be awarded through competitive bidding only. Performance security shall be obtained from successful bidder to ensure execution of the contract as per the provisions of GFR-2017, CPWD Manual and instructions/guidelines etc. issued by Finance Department / CVC from time to time.

Work shall be awarded within the scope and financial limits of AA & ES granted by the competent Authority. In case the L-1 Bid is over and above the sanctioned cost of the project, fresh tenders may be invited. If the rates quoted by L-1 bidder subsequently (second time) are/is also higher than the approved cost, the proposal for revision of estimates may be brought/ submitted before the competent authority clarifying as to whether the rates are reasonable or not, keeping in view the prevalent market trend/rates.

RECEIPT 1904

6. **Adherence to time schedule and sanctioned cost:**

Work shall be completed within the given time-frame and within the sanctioned cost and as per CPWD Work Manual/ GFR 2017. Escalation in cost will not be allowed. The expenditure shall be restricted to the approved detailed estimates or approved tender amount whichever is less.Necessary limited tenders shall be invited for this purpose from the approved registered contractors/agencies/parties in the panel of I&FC Depttt., as per the departmental guidelines. The Accounts functionary posted in the Division shall be associated as a member of the tender committee for finalizing the same and the same shall be got examined from them before seeking approval of the competent Authority.

7. **Adherence to sanctioned scope of work:**

The Executive Engineer shall not change the scope of work on their own. It shall be brought before the competent authority for approval, if any such change is perceived/ necessitated subsequently. **The proposed development work shall be updated upon completion on the GSDL map. The proposed work does not fall within any reserve forest area/morphological ridge/ASI jurisdication. The proposed scheme has been approved by the TAC and the scheme is proposed to be executed on the department own land and it shall be free from all the hindrances.**

8. **Payment not to be released without the approval of the competent authority:**

The Executive Engineer shall not make any payment in anticipation of approval/ sanction of revised/modified estimates unless and until the same has been considered and approved by the Competent Authority.

9. **Splitting of work not permissible:**

No work shall be splitted, in any manner, subsequent to the issue of the sanction. In case, it is required, the proposal shall be brought before the competent sanctioning authority for its consideration and approval.

10. **Non-Inclusion of extra item:**

No extra item shall be included in the sanctioned project/ work subsequent to the sanction. Extra items, if essential, shall be included in the execution of work only after the prior approval of the competent sanctioning authority. Post facto approvals shall not be permitted.

11. **Utilization of provision for contingency:**

The provision of contingency is meant for unforeseeable and
unidentifiable items which can not be included/anticipated while preparing estimates for the work/project. Accordingly, the sanctioned provision of the project for contingencies shall be invariably utilized for the same. Personal claims on any account including conveyance, office contingencies etc. shall not be charged on works.

12. **Financing of the sanctioned work:**

Financing for the works shall be managed by executing agency as per the provisions made in its budget for respective works allocated/ provided in different years

13. **Monitoring of the project:**

The Supertendent Engineer shall monitor the execution of the project and submit quarterly progress report of the project to Finance Department/ Planning Department regarding the financial and physical targets and that the specifications of items, quantity/quality of materials including proportion thereof are the same on the basis of which estimates were prepared.

14. **Confirmation of completion of work/project:**
On the conclusion of the project/ scheme, work completion certificate alongwith utilization certificate of funds and 3rd Party quality control certificate must be furnished to Finance Department/Planning Department, Secretary (I&FC) And IFA/DCA(Development) and there shall be a provision of an independent third party check for evaluation of the quality of the executed work.

15. **No duplicacy of work by any agency:**
The Executive Engineer/Superintending Engineer agency must ensure that none of the components/units/stretch (es) is duplicated in any manner during execution/award of work or at the time of payment either by it or by any other agency.

16. **Guarnatee period:**
Every capital asset created/ upgraded has, technically, a certain/estimated life span. In order to ensure that the quality and quantity of the items/ material used in the execution of work is as per the standard/ prescribed specifications and that the asset so created lives its full life, Guarantee clause must be incorporated in the contract deed so that the contractor is held responsible/liable whenever any deficiency/ short coming/ break down is observed which shows that the work has not been executed as per prescribed specifications/ standards.

17. **Fore-closer of the project is not permissible mid-way:**
The project must not be scraped during the course of execution on any pretext. In case emergence of some extra-ordinary circumstances leads to such unforeseen situation of fore-closer of the project/scheme, the matter may be placed before the sanctioning authority.

18. **Maintenance of the assets after construction:**
The projects, after their completion, shall be properly maintained by the executing agency / user organization properly as per the provisions of the CPWD Manual, Government Order dated 25.07.2011, the guidelines/ instructions issued from time to time and keeping in view the provisions of Construction-cum-maintenance contracts executed, in cases where such mechanism has been adopted.

19. **Contract with the contractor:**
The executing agency shall enter into formal contract with the contractor. The contract deed should be in the standard format and should incorporate all the necessary clauses for safeguarding the interest of Government in accordance with the provisions of GFR 2017/ CPWD Manual and the aforesaid instructions/ conditions.

20. **Availability of budget:**
It may be ensured that the expenditure is to be made only subject to the availability of funds. All efforts should be made to utilize the funds efficiently & effectively as per rule. DDO to ensure that the expenditure against the project/scheme shall be booked only when the allocation of fund is available against the project/scheme.

21. **Online updation would be** done on the Website of I&FC, on monthly basis without fail being the implementing agency. Assurance given by I&FC to the CVC will be followed in all cases. 3rd Party Quality Checking will be done as per CPWD manual. Project delays if any would be intimated to the Secretary, I&FC and Pr. Secretary, on monthly basis.**The proper documentation of the proposed work with reference to pre and post status of the site of the work shall be maintained including photographs etc., and kept on records.**

22. **The Project will be executed** as per the guidelines issued by the Finance Department vide order No.F.3(30)/CD/2007/DS-IV/3051-64 dated 12.07.2011 & No. F.2(5)/2015-16/Finanace E-F/Infra/012274603 /DS-IV/4878-1957 dated 10.05.2015.

All other necessary conditions, regulation, guidelines & instructions etc. issued by the Govt., I&FC Deptt., CVC,GFR,FRSR,DFPR and instructions contained in CPWD/PWD Manual & CPWD/PWD Account code and Finance Department GNCT of Delhi issued from time to time shall also be observed.

23. **This is further subject to the following conditions as per Competent Authority.**

(i) No other scheme of similar nature is under execution by any other Executing Agency of GNCTD in the proposed stretch area.

(ii) The work shall be executed strictly in accordance with the intent of the approval of TAC, which according to the paper on file has accorde its approval to the proposed scheme in 41st TAC meeting held on 08.01.2019.

(iii) No compromise with the specification and quality in the work will be allowed during the execution of the work and the timelines, so prescribed, for the completion of work should be adhered to.

(iv) Provision of dedicated utility channel shall be ensured as per the instruction of Government of India, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industries to avoid road cutting and to provide provision for laying of basic infrastructure facilities of public utilities without road cutting, the above reference of GoI has been circulated recently.

(v) The time lines, so prescribed, for the completion of the proposed work shall be adhere to.

(vi) The remodeling of regulator site, shall be in accordance with the Hon'ble NGT guidelines issued from time to time, and all remedial measures to combat the pollution, if likely to be caused on account of remodeling of regulator.

The expenditure on the above mentioned scheme will be debitable to MH 4711-03-800-99-00-53" "Other Drainage Works" under demand No. 10 of Govt. of NCTof Delhi for the year 2020-21 for the work "Providing and fixing of LED street lights on Jagatpur Bund from RD 0m to RD. 4388m" as per year wise budget provision and should not exceed the budget allotment placed at your disposal and observance of all other codal formalities as per G.F.R., C.P.W.D. manual and other financial guidelines issued by the Govt. time to time.

This issues with the prior approval vide Cabinet decision No.2884 dated 02.11.2020 and Secretary (I&FC) vide U.O.no. 2340 dated 27.10.2020.

(K.L.SHARMA)
FA-CUM-DCA(I&FC, H.Q.)

F No. EE/CD-VI/DB/T-11/2020-21/101616836/ Dated:-

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Secy. to Secretary (I&FC), Varunalya Building, Jhandewalan,GNCTD, Delhi.
2. Deputy Secretary, Finance-V, Finance Department, Delhi Sachivalaya, ITO, New Delhi.
3. Chief Engineer Zone-I & II (I&FC) Deptt., Govt. of NCTof Delhi.
4. S.S.W to Chief Engineer I&II, I&FC Deptt. GNCT of Delhi.
5. PAO-22, GNCT of Delhi. MSO Bldg., I.T.O New Delhi.
6. Superintending Engineer, FC-II, (I&FC Deptt.) GNCT of Delhi.
7. Executive Engineer, P&D Branch (I&FC Deptt.), GNCT of Delhi.
8. Accountant General (Audit) Delhi, AGCR BLDG., I.P. Estate New Delhi-02.
9. Directorate of Audit, 4th Level, GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate New Delhi-02.
10. Guard File

FA-cum-DCA (I&FC, H.Q.)

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (I&FC) DEPTT., GNCT OF DELHI
L.M.BUND, SHASTRI PARK, OFFICE COMPLEX, DELHI-110031
FA-Branch

F No. EE/CD-VI/DB/T-11/2020-21/2302/101616827/ 1705-16 Dated:- 25/11/2020

To

The Executive Engineer, CD-VI,
Irrigation & Flood Control Deptt.,
GNCT of Delhi, Delhi.

**Sub:** A/A&E/S for Rs. 151.91 Lac under the "MH-4711-03-800-99-00-53 Other Drainage Works"- for the work "**Providing and fixing of LED street lights on RME RD. 1200m to RD. 10500m and Tie Bund Shank No. 16 & 17 at RME.**".

Sir,

I am directed to convey the A/A & E/S for Rs. 151.91 lac (Rs. One Crore Fifty one lacs and Ninety one thousand Only) (Sl. No. 10 of Annexure-I of cabinet decision No. 2884 dated 02.11.2020) for the above mentioned work subject to the following conditions:

**Responsibility before execution of work**

1. **Merely issue of AA/ES does not confer the right for violation of norms as decided and circulated for carrying out restoration/improvement of works.**

2. **No deviation from the prescribed specifications, quality and quantity (ies):**

**There shall be no deviation in the proposed work unless and until it is essentially required and that shall be undertaken only after due compliance of all the requisite codal formalities and in consonance with the provision/guidelines as laid down under GFR,FRSR,DFPR,instructions of CVC, Finance Department issued from time to time. Any deviation beyond the permissible limit as per CPWD Works Manual shall not be carried out without the approval of the Competent Authority.**

The executing agency during the course of execution/construction will ensure that the specification of items, their quality, quantities and proportion of the quantities as well as measurements in respect thereof as used in the project during the course of construction are the same on the basis of which estimates have been prepared and that there is no deviation whatsoever.

3. **Due diligence has been exercised in the formulation of instant scheme/proposal for the execution of work. The proposed scheme is new one and no work of the same/similar nature has been executed by this department prior to the proposed one except in those cases where the life of previously executed same work's life has been completed.**

For fulfillment of the aforesaid requirement, Supervisory Officers/ Engineers during the course of execution/construction shall carry out regular inspections and ensure that specifications regarding quality, quantities and proportions/ measurements thereof are being adhered to scrupulously.

4. **Compliance of statutory rules and regulations:**

Work shall be awarded after completion of codal formalities as per the provisions of CPWD Work Manual, GFR-2017 and Instructions/guidelines etc. issued by Finance Department/ CVC from time to time.

5. **Award of work:**

Bids shall be invited for the consolidated work which shall not be sub-divided in any manner for the purpose of tendering. Work shall be awarded through competitive bidding only. Performance security shall be obtained from successful bidder to ensure execution of the contract as per the provisions of GFR-2017, CPWD Manual and Instructions/guidelines etc. issued by Finance Department / CVC from time to time.

Work shall be awarded within the scope and financial limits of AA & ES granted by the competent Authority. In case the L-1 Bid is over and above the sanctioned cost of the project, fresh tenders may be invited. If the rates quoted by L-1 bidder subsequently (second time) are/is also higher than the approved cost, the proposal for revision of estimates may be brought/ submitted before the competent authority clarifying as to whether the rates are reasonable or not, keeping in view the prevalent market trend/rates.

RECEIPT No. 1907 02/12/20

6. <u>Adherence to time schedule and sanctioned cost:</u>
Work shall be completed within the given time-frame and within the sanctioned cost and as per CPWD Work Manual/ GFR 2017. Escalation in cost will not be allowed. The expenditure shall be restricted to the approved detailed estimates or approved tender amount whichever is less.Necessary limited tenders shall be invited for this purpose from the approved registered contractors/agencies/parties in the panel of I&FC Depttt., as per the departmental guidelines. The Accounts functionary posted in the Division shall be associated as a member of the tender committee for finalizing the same and the same shall be got examined from them before seeking approval of the competent Authority.

7. <u>Adherence to sanctioned scope of work:</u>
The Executive Engineer shall not change the scope of work on their own. It shall be brought before the competent authority for approval, if any such change is perceived/ necessitated subsequently. The proposed development work shall be updated upon completion on the GSDL map. The proposed work does not fall within any reserve forest area/morphological ridge/ASI jurisdication. The proposed scheme has been approved by the TAC and the scheme is proposed to be executed on the department own land and it shall be free from all the hindrances.

8. <u>Payment not to be released without the approval of the competent authority:</u>
The Executive Engineer shall not make any payment in anticipation of approval/ sanction of revised/modified estimates unless and until the same has been considered and approved by the Competent Authority.

9. <u>Splitting of work not permissible:</u>
No work shall be splitted, in any manner, subsequent to the issue of the sanction. In case, it is required, the proposal shall be brought before the competent sanctioning authority for its consideration and approval.

10. <u>Non-Inclusion of extra item:</u>
No extra item shall be included in the sanctioned project/ work subsequent to the sanction. Extra items, if essential, shall be included in the execution of work only after the prior approval of the competent sanctioning authority. Post facto approvals shall not be permitted.

11. <u>Utilization of provision for contingency:</u>
The provision of contingency is meant for unforeseeable and unidentifiable items which can not be included/anticipated while preparing estimates for the work/project. Accordingly, the sanctioned provision of the project for contingencies shall be invariably utilized for the same. Personal claims on any account including conveyance, office contingencies etc. shall not be charged on works.

12. <u>Financing of the sanctioned work:</u>
Financing for the works shall be managed by executing agency as per the provisions made in its budget for respective works allocated/ provided in different years

13. <u>Monitoring of the project:</u>
The Supertendent Engineer shall monitor the execution of the project and submit quarterly progress report of the project to Finance Department/ Planning Department regarding the financial and physical targets and that the specifications of items, quantity/quality of materials including proportion thereof are the same on the basis of which estimates were prepared.

14. **Confirmation of completion of work/project:**
On the conclusion of the project/ scheme, work completion certificate alongwith utilization certificate of funds and 3rd Party quality control certificate must be furnished to Finance Department/Planning Department, Secretary (I&FC) And IFA/DCA(Development) and there shall be a provision of an independent third party check for evaluation of the quality of the executed work.

15. **No duplicacy of work by any agency:**
The Executive Engineer/Superintending Engineer agency must ensure that none of the components/units/stretch (es) is duplicated in any manner during execution/award of work or at the time of payment either by it or by any other agency.

16. **Guarnatee period:**
Every capital asset created/ upgraded has, technically, a certain/estimated life span,. In order to ensure that the quality and quantity of the items/ material used in the execution of work is as per the standard/ prescribed specifications and that the asset so created lives its full life, Guarantee clause must be incorporated in the contract deed so that the contractor is held responsible/liable whenever any deficiency/ short coming/ break down is observed which shows that the work has not been executed as per prescribed specifications/ standards.

17. **Fore-closer of the project is not permissible mid-way:**
The project must not be scraped during the course of execution on any pretext. In case emergence of some extra-ordinary circumstances leads to such unforeseen situation of fore-closer of the project/scheme, the matter may be placed before the sanctioning authority.

18. **Maintenance of the assets after construction:**
The projects, after their completion, shall be properly maintained by the executing agency / user organization properly as per the provisions of the CPWD Manual, Government Order dated 25.07.2011, the guidelines/ instructions issued from time to time and keeping in view the provisions of Construction-cum-maintenance contracts executed, in cases where such mechanism has been adopted.

19. **Contract with the contractor:**
The executing agency shall enter into formal contract with the contractor. The contract deed should be in the standard format and should incorporate all the necessary clauses for safeguarding the interest of Government in accordance with the provisions of GFR 2017/ CPWD Manual and the aforesaid instructions/ conditions.

20. **Availability of budget:**
It may be ensured that the expenditure is to be made only subject to the availability of funds. All efforts should be made to utilize the funds efficiently & effectively as per rule. DDO to ensure that the expenditure against the project/scheme shall be booked only when the allocation of fund is available against the project/scheme.

21. **Online updation would be** done on the Website of I&FC, on monthly basis without fail being the Implementing agency. Assurance given by I&FC to the CVC will be followed in all cases. 3rd Party Quality Checking will be done as per CPWD manual. Project delays if any would be intimated to the Secretary, I&FC and Pr. Secretary, on monthly basis. The proper documentation of the proposed work with reference to pre and post status of the site of the work shall be maintained including photographs etc., and kept on records.

22. The Project will be executed as per the guidelines issued by the Finance Department vide order No.F.3(30)/CD/2007/DS-IV/3051-64 dated 12.07.2011 & No. F.7(5)/2015-16/Finanace E-IV/Infra/012274603 /DS-IV/4878-4987 dated 10.09.2015.
All other necessary conditions, regulation, guidelines & instructions etc. issued by the Govt., I&FC Deptt., CVC,GFR,FRSR,DFPR and instructions contained in CPWD/PWD Manual & CPWD/PWD Account code and Finance Department GNCT of Delhi issued from time to time shall also be observed.

23. This is further subject to the following conditions as per Competent Authority.

(i) No other scheme of similar nature is under execution by any other Executing Agency of GNCTD in the proposed stretch area.

(ii) The work shall be executed strictly in accordance with the intent of the approval of TAC, which according to the paper on file has accorde its approval to the proposed scheme in 41st TAC meeting held on 08.01.2019.

(iii) No compromise with the specification and quality in the work will be allowed during the execution of the work and the timelines, so prescribed, for the completion of work should be adhered to.

(iv) Provision of dedicated utility channel shall be ensured as per the instruction of Government of India, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industries to avoid road cutting and to provide provision for laying of basic infrastructure facilities of public utilities without road cutting, the above reference of GoI has been circulated recently.

(v) The time lines, so prescribed, for the completion of the proposed work shall be adhere to.

(vi) The remodeling of regulator site, shall be in accordance with the Hon'ble NGT guidelines issued from time to time, and all remedial measures to combat the pollution, if likely to be caused on account of remodeling of regulator.

The expenditure on the above mentioned scheme will be debitable to MH 4711-03-800-99-00-53" "Other Drainage Works" under demand No. 10 of Govt. of NCTof Delhi for the year 2020-21 for the work "Providing and fixing of LED street lights on RME RD. 1200m to RD. 10500m and Tie Bund Shank No. 16 & 17 at RME" as per year wise budget provision and should not exceed the budget allotment placed at your disposal and observance of all other codal formalities as per G.F.R , C.P.W.D. manual and other financial guidelines issued by the Govt. time to time.

This issues with the prior approval vide Cabinet decision No.2884 dated 02.11.2020 and Secretary (I&FC) vide U.O.no. 2340 dated 27.10.2020.

(K.L.SHARMA)
FA-CUM-DCA(I&FC, H.Q.)

F No. EE/CD-VI/DB/T-11/2020-21/2302/101616827/ Dated:-

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Secy. to Secretary (I&FC), Varunalya Building, Jhandewalan,GNCTD, Delhi.
2. Deputy Secretary, Finance-V, Finance Department, Delhi Sachivalaya , ITO, New Delhi.
3. Chief Engineer Zone-I & II (I&FC) Deptt., Govt. of NCTof Delhi.
4. S.S.W to Chief Engineer I&II, I&FC Deptt. GNCT of Delhi.
5. PAO-22, GNCT of Delhi. MSO Bldg., I.T.O New Delhi.
6. Superintending Engineer, FC-II, (I&FC Deptt.) GNCT of Delhi.
7. Executive Engineer, P&D Branch (I&FC Deptt.), GNCT of Delhi.
8. Accountant General (Audit) Delhi, AGCR BLDG., I.P. Estate New Delhi-02.
9. Directorate of Audit, 4th Level, GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate New Delhi-02.
10. Guard File

FA-cum-DCA (I&FC, H.Q.)

**श्री संजीव झाः** अध्यक्ष महोदय।

...(व्यवधान)

**श्री संजीव झाः** अध्यक्ष महोदय।

...(व्यवधान)

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी, आपने काट दिया मेरे को।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट ये पूरक क्वेश्चन पूरे हो जायें फिर उसके बाद।

**श्री संजीव झाः** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 'ख' के जवाब में इन्होंने लिखा है कि समय-समय पर लाइटों की मरम्मत कराई जाती है लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के कारण केबल, पैनल, एमसीबी और अन्य भाग की चोरी होती रहती है इस कारण से क्षेत्र में लाइटें नहीं जल पातीं। अब ये कितना गंभीर विषय है कि वो अंधेरा है वहां पर चोरी, डकैती, मर्डर, नशे बिक रहे हैं, चोरी हो रही है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** आप देखिये, प्रश्न, ये प्रश्न नहीं है यह गद्य है।

**श्री संजीव झाः** मेरा क्वेश्चन, मेरा-मेरा-मेरा।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** आप प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

**श्री संजीव झाः** क्या माननीय मंत्री जी यह बताना चाहेंगे कि इन सारे जो कमियां इन्होंने बताई हैं इसको दूर करते हुये अबाध रूप से लाइटें कब तक जल पायेंगी।

...(व्यवधान)

**माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** ये जो लाइटें नहीं जल रहीं हैं अभी जैसा माननीय विधायक जी ने बताया इनका एस्टिमेट बन रहा है और अगले तीन महीने में इन सारी लाइटों को चालू करा दिया जायेगा।

**माननीय अध्यक्षः** हां जी।

...(व्यवधान)

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी, नहीं सबसे पहले आतिशी जी को ये समझना चाहिये कि 24 में कोई प्रश्न आन्सर नहीं हुआ था ठीक है ना और दूसरी बात,

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट। 2024 में कोई प्रश्न काल नहीं हुआ ये गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं सही तो बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** वो भी मैं आपको, सारे आंकड़े दे दूंगा, सारे आंकड़े दे दूंगा, हां बताईये।

...(व्यवधान)

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** दूसरी बात कि विपक्ष की लीडर होकर प्रश्न क्वेश्चन पर बार-बार खड़े नहीं होना चाहिये जिससे कि समय ना खराब हो।...

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है।

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** क्योंकि विपक्ष की नेता हैं।

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है धन्यवाद।

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** नहीं-नहीं अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** अब।

...(व्यवधान)

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** हां, सीधी बात है, अध्यक्ष जी।

**माननीय अध्यक्षः** हां जी, हां जी।

...(व्यवधान)

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** जब प्रश्न आन्सर में कितना टाइम खराब कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो खामियां हैं वो बताई जा रही हैं इसलिये समय खराब कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है। अब बिष्ट जी कुछ कहना चाहते हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** जी बिष्ट जी। मोहन सिंह बिष्ट जी।

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** आदरणीय अध्यक्ष जी।

**माननीय अध्यक्षः** प्रश्न से संबंधित बात है।

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** मैं प्रश्न से ही संबंधित बात कर रहा हूं उससे आउट हटकर नहीं बात करूंगा मैं कोई भी।

**माननीय अध्यक्षः** जी, जी, जी।

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** मंत्री जी ने प्रश्न की गंभीरता को समझते हुये प्रश्न पूछने के लिये उनको कहा कि सप्लीमेंटरी आप पूछें। जिस प्रकार से संजीव जी बोल रहे हैं, संजीव जी हमारी सरकार को आये हुये तो एक या डेढ महीना भी नहीं हुआ है। सुनिये, मैं आज आपको बताता हूं आपकी सरकार कितनी सेंसेटीव थी जो ये लाइटें लगीं थीं।

...(व्यवधान)

**सुश्री आतिशी ( माननीया नेता-प्रतिपक्ष ):** बस एक ही क्वेश्चन है अध्यक्ष जी।

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** मैं उसी क्वेश्चन पर पूछ रहा हूं।

...(व्यवधान)

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** अरे भाई मैं उसी पर पूछ रहा हूं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** पूछिये-पूछिये। आप सीधा प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** मैडम, मैं उसी पर पूछ रहा हूं मैं बता रहा हूं तुम्हारी कमियां।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** मोहन सिंह बिष्ट जी, आप सीधा प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** सर मैं आपके माध्यम से।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट-एक मिनट, सदस्यों से अनुरोध है वो शांति बनाकर रखें प्रश्नकाल की गरिमा को बनाकर रखें, आप प्रश्न पूछिये।

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** सर, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्षः** जी।

...(व्यवधान)

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** इन्होंने आनन-फानन मैं अपने बजट का दुरूपयोग करते हुये ये फ्ल्ड डिपार्टमेंट से जो लाइटें लगाई थीं ना उसके बाद उनको हैंडओवर और टेकओवर दूसरी डिपार्टमेन्टों से करना...

...(व्यवधान)

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** अरे भाई क्या है ये।

...(व्यवधान)

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** क्या हो रहा है ये? आप प्रश्न की गंभीरता को समझें। संजीव जी आपने प्रश्न जो पूछा मैं उस प्रश्न का सम्मान करता हूं।

**माननीय अध्यक्षः** आप प्रश्न पूछिये ना।

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** मेरा प्रश्न ये है कि जो स्ट्रीट लाइटें आपने फ्ल्ड के माध्यम से लगाई थीं इनका रखरखाव बिजली डिपार्टमेंट से होता है लेकिन आपके कारगुजारियों की वजह से ये लाइटें हैंडओवर और टेकओवर नहीं हुई हैं जिसकी वजह से...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है, ठीक है।

...(व्यवधान)

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** मेरा सवाल यही है कि आपकी नैग्लिजेन्सी से...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** आप बैठ जाईये, अगला प्रश्न है श्री रवि कान्त।

...(व्यवधान)

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** मंत्री नहीं है इनकी नैग्लिजेन्सी, तुम्हारी सरकार की वजह से नहीं हो पा रही हैं लाइटें रिपेयर।

...(व्यवधान)

**श्री मोहन सिंह बिष्ट:** अरे भाई तुम्हारी वजह से नहीं हुई हैं ये रिपेयर।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** चलिये रवि कान्त जी।

...(व्यवधान)

**श्री रवि कान्त:** आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रश्न संख्या-5 प्रस्तुत है:

क्या माननीय **उच्च शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के आधीन सभी विश्वविद्यालयों में, विभिन्न पाठ्यक्रमों की 'प्रोस्पेक्टस' के अनुसार, फीस का विवरण;

(ख) वर्ष 2023 के बाद से अब तक फीस में हुई वृद्धि का विवरण;

(ग) ईडब्ल्यूएस श्रेणी के छात्रों के लिए प्रॉस्पेक्टस फीस का विवरण;

(घ) क्या छात्रों को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग फीस जमा करानी होती है;

(ङ) यदि हाँ, तो पिछले 10 वर्षों में कितने विद्यार्थियों ने यह फीस जमा कराई है; और

(च) क्या उपर्युक्त में से, किसी पाठ्यक्रम की फीस लौटाई गई थी, संपूर्ण विवरण?

**माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ( श्री आशीष सूद ):** आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहता हूं इस प्रश्न का जवाब तो पटल पर रखा गया है पटल पर रखने के साथ 35 कागज संलग्न किये गये हैं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 35 के 35 पढ़ दूं ताकि बार-बार दिल्ली की जनता के नाम की आड़ लेकर अपने कुकर्मों को छुपाने का काम ना हो, आप कहें तो मैं 35 के 35 कागज पढ़ सकता हूं वैसे इसका उत्तर सदन के पटल पर रखा गया है 35 कागज संलग्न हैं अगर नेता विपक्ष चाहे तो मैं 35 के 35 कागज भी पढ़ सकता हूं।

(प्रश्न संख्या 05 का उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।)

प्रश्न संख्या 05 का उत्तर

(क) दिल्ली सरकार के अधीन 11 विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रोस्पेक्टस के अनुसार, फीस का विवरण संलग्न है। (अनुलग्नक-1)[1]

(ख) वर्ष 2023 के बाद से अब तक फीस में हुई वृद्धि का विवरण संलग्न है। (अनुलग्नक-2)[2]

(ग) दिल्ली सरकार के अधीन सभी विश्वविद्यालयों में ऑन-लाइन प्रोस्पेक्टस ईडब्ल्यूएस एवम् सभी श्रेणी के छात्रें के लिए निःशुल्क उपलब्ध है।

(घ) छात्र एक समय में एक ही नियमित (Regular) पाठ्यक्रम (Course) कर सकता है। इसके लिए अलग-अलग फीस जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

---

1. अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।
2. अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(ङ) लागू नहीं।

(च) लागू नहीं।

**माननीय अध्यक्षः** नहीं ठीक है, इस पर पूरक प्रश्न रवि कान्त जी है आपका कोई।

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी।

**माननीय अध्यक्षः** एक सैकेंड, संजीव झा जी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट।

**श्री प्रेम चौहानः** अध्यक्ष जी क्या कोई भी सदस्य इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकता है।

**माननीय अध्यक्षः** नहीं–नहीं कोई नहीं कर सकता, वो तो बाईचांस बैठे होंगे एक मिनट के लिये अगर कोई बता करने, चलिये आगे बढ़िये।

**श्री संजीव झाः** अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस योजना के शुरूआत से 20 फरवरी, 2025 तक कितने छात्रों को वित्तीय सहायता मिली और कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

...(व्यवधान)

**श्री संजीव झाः** अभी आपने कहा कि आपके क्वेश्चन का जवाब रखा हुआ है।

**शिक्षा मंत्रीः** नहीं–नहीं।

**श्री संजीव झाः** जिस योजना की बात की गई कि दिल्ली सरकार के अधीन सभी, आप क्वेश्चन एक बार और पढ़ लीजिये।

**माननीय शिक्षा मंत्रीः** आप उसमें किसी योजना का जिक्र नहीं है बताईये कौन सी योजना का कौन से प्वांइट में जिक्र है।

**श्री संजीव झाः** दिल्ली सरकार के अधीन सभी विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रोसपैक्टस के अनुसार फीस का विवरण आपने दिया। इस विवरण में कितनी फीसें दी गई हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि कितने छात्रों को वित्तिय सहायता मिली और कितनी राशि मिली।

**माननीय शिक्षा मंत्रीः** ये फीस कितनी लगती है उस कॉलेज की फीस कितनी है ये संलग्न है, पर फीस दिल्ली सरकार ने दी ये प्रश्न नहीं है।

**माननीय अध्यक्षः** जो प्रश्न पूछा जा चुका उसके अलावा कोई पूरक प्रश्न पूछिये ना।

**श्री संजीव झाः** माननीय मंत्री जी, अगर आपके पास नहीं है जवाब फिर कोई बात नहीं अधिकारी तो जवाब भिजवाते हैं सदन को जवाब दे दें।

**माननीय शिक्षा मंत्रीः** आप कृपया अपना प्रश्न दोहरायें, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं है।

**श्री संजीव झाः** मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो योजना थी इस योजना में 20 फरवरी, 2025 तक कितने छात्रों को सहायता मिली और कितनी राशि मिली, बस।

**माननीय शिक्षा मंत्री:** अध्यक्ष जी ये प्रश्न थोड़ा अस्पष्ट है इसकी जानकारी लेकर मैं उपलब्ध कराऊँगा माननीय सदस्य जी को।

**माननीय अध्यक्ष:** ठीक है, अब श्री मुकेश कुमार अहलावत जी।

**श्री मुकेश कुमार अहलावतः** अध्यक्ष महोदय धन्यवाद।...

**माननीय अध्यक्ष:** देखिये प्रश्न स्पेसेफिक होना चाहिये, क्लीयरकट होना चाहिये और कम से कम शब्दों में होना चाहिये जिससे कि सही रिप्लाई आपको मिल सके।

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाह:** अध्यक्ष जी, ये गरीब बच्चों की बात है जो मैं सुनाने जा रहा हूं आपने...

**माननीय अध्यक्ष:** आप बैठिये मैं आपको मौका आयेगा जरूर बुलावाऊँगा, अभी प्रश्नकाल में प्रश्न और उत्तर होने दीजिये।

**श्री मुकेश कुमार अहलावतः** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री से प्रश्न संख्या-6 का 'क' भाग पता करना चाहता हूं।

क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) दिनांक 20.02.2025 से पहले व इसके बाद पीपीएसी शुल्क (ऊर्जा खरीद समायोजन लागत) कितनी थी; और

(ख) क्या डिस्कॉम्स इस पीपीएसी शुल्क को एक निश्चित सीमा तक बिना डीईआरसी की स्वीकृति के बढ़ा सकते हैं?

**माननीय ऊर्जा मंत्री ( श्री आशीष सूद ):** माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या-6 का उत्तर सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया है इन्होंने 'क' भाग के संदर्भ में कहा है उसका डाटा पूरा माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया गया है आपने 'क' ही पूछा है 'ख' नहीं पूछा है तो मैं 'ख' भी बता देता हूं अब दोबारा खड़ा होना पड़ेगा आपको।

प्रश्न संख्या-6 का उत्तर इस प्रकार है:-

(क) दिनांक 20.02.2025 से पहले व इसके बाद पीपीएसी शुल्क (ऊर्जा खरीद समायोजन लागत) का विवरण इस प्रकार है :

| डिस्कॉम | पीपीएसी शुल्क (20.2.25 से पहले) | पीपीएसी शुल्क (20.2.25 से बाद) |
|---|---|---|
| टीपीडीडीएल | 21.64% | 21.64% |
| बीआरपीएल | 16.93% | 16.93% |
| बीवाईपीएल | 11.80% | 11.80% |

(ख) डीईआरसी ने सूचित किया है कि डीईआरसी के (बिजनेस प्लान) विनियमन, 2023 के खंड 30 (4) के तहत आयोग ने डिस्कॉम को नियामक कार्यवाही से गुजरे बिना बिलों में गणना की गई पीपीएसी का एक निश्चित प्रतिशत लगाने की अनुमति दी है। डीईआरसी का उत्तर संलग्न है। (संलग्नक 'क')

संलग्नक 'क'

(क) Details of PPAC as on date are as follows:

आज की तिथि के अनुसार पीपीएसी का विवरण इस प्रकार है:

| DISCOM Name | PPAC before 20/2/2025 | PPAC After 20/22025 | Applicable till |
|---|---|---|---|
| BRPL | 9.44% | 9.44% | Till 20/3/25 |
| BYPL | 5.85% | 5.85% | Till 20/3/25 |
| TPDDL | 12.89% | 12.89% | Till 30/4/25 |
| NDMC | 45.77% | 45.77% | Till 31/3/25 |

(ख) The Commission under clause 30(4) of DERC (Business Plan) Regulations, 2023 has allowed DISCOMs to levy a certain percentage of computed PPAC in the bills without going through the regulatory proceedings. The relavant clause is as follows:

डीईआरसी (बिजनेस प्लान) विनियमन, 2003 के खंड 30 (4) के तहत आयोग ने डिस्कॉम को नियामक कार्यवाही से गुजरे बिना बिलों में गणना की गई पीपीएसी का एक निश्चित प्रतिशत लगाने की अनुमति दी है। प्रासंगिक खंड इस प्रकार है:

'30. MECHANISM FOR RECOVERY OF POWER PURCHASE COST ADJUSTMENT CHARGES:

(4) The Treatment of PPAC computation as per the specified formula shall be as follows:

(a) in case PPAC does not exceed 5% for any quarter, the Distribution Licensee may levy PPAC at 90% of computed PPAC with prior intimation to the Commission without going through the regulatory proceedings.

(b) in case PPAC exceeds 5% but does not exceed 10% for any quarter, the Disctribution Lincensee may levy PPAC of 5% and 75% of balance PPAC (Actual PPAC 5%) with prior intimation to the Commission without going through the regulatory proceedings.

(c) in case PPAC exceeds 10% for any quarter, the Distribution Licensee may levy PPAC, as per sub-regulation (a) and (b) as above without going through the regulatory proceedings and shall file an application for prior approval of the Commission for the differential PPAC claim (Actual PPAC%-8.75%).

(d) The Distribution Licensee shall file Petition only for their claim of PPAC.'

30. बिजली खरीद लागत समायोजन प्रभार की वसूली के लिय मेकेनिज्म:

(4) निर्दिष्ट फार्मूले के अनुसार पीपीएसी गणना का प्रशोधन निम्नानुसार होगा:

(ए) किसी भी तिमाही के लिये पीपीएसी 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होने की स्थिति में, वितरण लाइसेंसधारी बिना विनियामक कार्यवाही के बिना आयोग को पूर्व सूचना के साथ गणना किये गये पीपीएसी के 90 प्रतिशत पर पीपीएसी लगा सकता है।

(बी) यदि पीपीएसी 5 प्रतिशत से अधिक है लेकिन किसी भी तिमाही के लिये 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो वितरण लाइसेंसधारी विनियामक कार्यवाही के बिना आयोग को पूर्व सूचना के साथ शेष पीपीएसी का 5 प्रतिशत और 75 प्रतिशत पीपीएसी लगा सकता है (वास्तविक पीपीएसी प्रतिशत–5 प्रतिशत)

(सी) यदि किसी भी तिमाही के लिये पीपीएसी 10 प्रतिशत से अधिक है, तो वितरण लाइसेंसधारी पीपीएसी को उप–विनियम (ए) और (बी) के अनुसार नियामक कार्यवाही के बिना ले सकता है और अंतर के लिये पीपीएसी दावे (वास्तविक पीपीएसी प्रतिशत–8.75 प्रतिशत) के लिये आयोग की पूर्व स्वीकृति के लिये एक आवेदन दाखिल करेगा।

(डी) वितरण लाइसेंसधारी केवल पीपीएसी के अपने दावे के लिये याचिका दायर करेगा।

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी एक मिनट दे दो।

**माननीय अध्यक्षः** प्रश्न है आपका, अभी एक मिनट। नहीं नहीं आप जो एजुकेशन विषय नहीं है इस समय जो प्रश्न पूछा गया है मुकेश अहलावत जी द्वारा उसमें आपके पास अगर पूरक प्रश्न है टू द प्वांइट नहीं तो मैं अगले प्रश्न पर जा रहा हूं, प्रश्न संख्या–7,

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** हां बताईये हां पूरक प्रश्न पूछिये।

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी, ये बात है एजुकेशन मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि नोवीं क्लास के बाद जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं कई स्कूलों में उनसे पैसे लिये जा रहे हैं फीस के।

**माननीय अध्यक्षः** अभी-अभी।

...(व्यवधान)

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अरे यार गरीब आदमियों की बात नहीं करें, क्या कर पा रहे हैं।

...(व्यवधान)

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** क्वेश्चन को छोड़, ये गरीब आदमियों की बात है। ईडब्ल्यूएस के अध्यक्ष जी ये बड़ा सीरियस मामला है।

**माननीय अध्यक्षः** ये अभी शिक्षा पर नहीं है प्रश्न मैं आपको मौका दूंगा पूरक प्रश्न पूछने का।

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** एक मिनट लूंगा।

**माननीय अध्यक्षः** अभी ये अभी ये सप्लीमेंटरी आपके पास अगर पूरक प्रश्न है डिस्कॉम से रिलेटिड, पॉवर से रिलेटिड तो वो आप पूछ सकते हैं।

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** नहीं-नहीं आपने कहा था ना मैं अभी बाद में बात करूंगा।

**माननीय अध्यक्षः** वो मैं प्रश्नकाल के बाद करूंगा आपकी बात।

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** चलो फिर ठीक है।

**माननीय अध्यक्षः** प्रश्नकाल होने दीजिये। ये सदन हमको मिलकर चलाना है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आ जायें ये हमारी कोशिश होनी चाहिये श्री सुरेन्द्र कुमार।

**श्री सुरेन्द्र कुमारः** माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से क्वेश्चन नम्बर–7 प्रस्तुत है:

क्या माननीय **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या गोकुलपुर गाँव से राम विहार को जाने वाली सड़क के किनारे नाला बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) इस कार्य के लिए बजट का आवंटन कब होगा;

(ग) यह कार्य कब तक आरंभ हो जाएगा;

(घ) क्या इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय की गई है; और

(ङ) अब तक इस कार्य को आरंभ न किए जाने का क्या कारण है?

**माननीय सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री प्रवेश साहिब सिंह):** आप चाहते हैं मैं पढ़ूं।

**माननीय अध्यक्षः** नहीं–नहीं आप बस प्रस्तुत कर दीजिये। प्रस्तुत कर दीजिये वो पूरक प्रश्न पूछ लेंगे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमें कोई वो नहीं है पढ़िये।

**माननीय सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण मंत्री:** अध्यक्ष जी, मैं केवल इतना बता देता हूं कि इसका एस्टिमेट बना था दो–ढाई साल पहले और जो इससे पहले की सरकार थी यानि कि 'आप' की जो सरकार थी उन्होंने बजट नहीं दिया था अभी इस वर्श पर हमने बजट के लिये रखा है जैसे ही बजट मिलेगा उसको 10 महीने में पूरा करेंगे, थैंक्यू।

(प्रश्न संख्या 07 का उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।)

प्रश्न संख्या 07 का उत्तर:

(क) जी नहीं, यह गोकलपुर गांव से प्रस्तावित नहीं है। यह नाला जौहरीपुर एक्सटेंशन (टी–पॉइंट) से रामविहार तक सड़क के किनारे प्रस्तावित है जिसकी लंबाई लगभग 2000 मीटर है

(ख) बजट वितरण का प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष 2025–26 में आबंटित करने का अनुमान है।

(ग) वित्त वर्ष 2025–26 में बजट मिलने के पश्चात इसकी औपचारिकताएं (codal formalities) पूरी की जाएंगी जिसमें आंकलन की स्वीकृत, NIT की स्वीकृत, टेन्डर प्रक्रिया का पूरा करना इत्यादि शामिल है। उपरोक्त कार्यवाही पूरी होने के बाद काम को अवॉर्ड किया जाएगा एवं आरम्भ किया जाएगा ।

(घ) हाँ, कार्य करने की अनुमानित समय अवधि 270 दिन है।

(ङ) गत वर्ष 2024–25 में विशेष शीर्ष में पर्याप्त बजट न होने के कारण औपचारिकताएं (codal formalities) पूरी नहीं की गई।

कार्यालय मुख्य अभियंता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार
एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली।

तारांकित प्रश्न संख्या : 07 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री सुरेन्द्र कुमार

## पूरक सामग्री

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा गोकुलपुर विधानसभा में जौहरीपुर एक्सटेंशन से राम विहार को जाने वाली सड़क के किनारे RCC storm water drain बनाने का प्रस्ताव है जिसकी लम्बाई लगभग 2000 मीटर है। इस प्रस्तावित कार्य Construction of RCC storm water drain along service road in L/bank (colony side) between Pipeline Bridge (RD 11300m) to Delhi-U.P Border (RD 13387m) of Trunk Drain No. 1 in Gokalpur Constituency (AC-68) की योजना को विभागीय तकनीकी सलाहकार समिति (Technically Advisory Committee) की 41वी बैठक में प्रस्तुत किया गया है। जिसकी स्वीकृत राशि रू 385.52 लाख है एवं जिसकी पत्र संख्या EE/CD-IV/DB/T-23/TAC/1015542014/FABr./5489-5502 दिनांक 24-01-2022 (प्रतिलिपि संलग्न) को जारी की गई है। गत वर्ष 2024–25 में विशेष शीर्ष में पर्याप्त बजट न होने के कारण औपचारिकताएं (codal formalities) पूरी नहीं की गई। बजट का प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष 2025–26 में आबंटित करने का अनुमान है वित्त वर्ष 2025–26 में बजट मिलने के पश्चात इसकी औरचारिकताएं पूरी की जाएंगी, जिसमें पुनः आंकलन की स्वीकृत, NIT की स्वीकृत, टेन्डर प्रकिया का पूरा करना इत्यादि शामिल है। उपरोक्त औपचारिकताएं पूरी होने के बाद काम को अवॉर्ड किया जाएगा एवं आरम्भ किया जाएगा। इस कार्य को करने की अनुमानित समय अवधि 270 दिन है।

शिव कुमार

(शिव कुमार)
नोडल अधिकारी

नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER (I&FC) DEPTT., GNCT OF DELHI
L.M.BUND, SHASTRI PARK, OFFICE COMPLEX, DELHI-110031

F.No. EE/CD-IV/DB/T-23/TAC/101554201/FA/Br./ 5489-550 Dated:- 24/1/22

To

The Executive Engineer, CD-IV,
Irrigation & Flood Control Deptt.,
GNCT of Delhi, Delhi.

Sub: A/A & E/S for Rs. 385.52 lacs under the "MH-4711-05-800-99-00-53 Other Drainage Works"- for the work "Construction of RCC storm water drain along service road in L/Bank (colony side) between Pipeline bridge (RD. 11300m) to Delhi U.P Border (RD. 13387m) of Trunk Drain No. 1 in Gokalpur Constituency (AC-68) for the year 2021-22."

Sir,

I am directed to convey the A/A & E/S for Rs. 385.52 lacs (Rs. Three Crore Eighty five lacs and Fifty two Thousand Only) for the above mentioned work subject to the following conditions:

Responsibility before execution of work

1. Merely issue of AA/ES does not confer the right for violation of norms as decided and circulated for carrying out restoration/improvement of works.

2. No deviation from the prescribed specifications, quality and quantity (ies):
There shall be no deviation in the proposed work unless and until it is essentially required and that shall be undertaken only after due compliance of all the requisite codal formalities and in consonance with the provision/guidelines as laid down under GFR,FRSR,DFPR,instructions of CVC , Finance Department issued from time to time. Any deviation beyond the permissible limit as per CPWD Works Manual shall not be carried out without the approval of the Competent Authority.
The executing agency during the course of execution/construction will ensure that the specification of items, their quality, quantities and proportion of the quantities as well as measurements in respect thereof as used in the project during the course of construction are the same on the basis of which estimates have been prepared and that there is no deviation whatsoever.

3. Due diligence has been exercised in the formulation of instant scheme/proposal for the execution of work. The proposed scheme is new one and no work of the same/similar nature has been executed by this department prior to the proposed one except in those cases where the life of previously executed same work's life has been completed.

For fulfillment of the aforesaid requirement, Supervisory Officers/ Engineers during the course of execution/construction shall carry out regular inspections and ensure that specifications regarding quality, quantities and proportions/ measurements thereof are being adhered to scrupulously.

4. Compliance of statutory rules and regulations:
Work shall be awarded after completion of codal formalities as per the provisions of CPWD Work Manual, GFR-2017 and instructions/guidelines etc. issued by Finance Department/ CVC from time to time.

5. Award of work:
Bids shall be invited for the consolidated work which shall not be sub-divided in any manner for the purpose of tendering. Work shall be awarded through competitive bidding only. Performance security shall be obtained from successful bidder to ensure execution of the contract as per the provisions of GFR-2017, CPWD Manual and instructions/guidelines etc; issued by Finance Department / CVC from time to time.
Work shall be awarded within the scope and financial limits of AA & ES granted by the competent Authority. In case the L-1 Bid is over and above the sanctioned cost of the project, fresh tenders may be invited. If the rates quoted by L-1 bidder subsequently (second time) are/is also higher than the approved cost, the proposal for revision of estimates may be brought/ submitted before the competent authority clarifying as to whether the rates are reasonable or not, keeping in view the prevalent market trend/rates.

..PTO

6. <u>Adherence to time schedule and sanctioned cost:</u>

Work shall be completed within the given time-frame and within the sanctioned cost and as per CPWD Work Manual/ GFR 2017. Escalation in cost will not be allowed. The expenditure shall be restricted to the approved detailed estimates or approved tender amount whichever is less.Necessary limited tenders shall be invited for this purpose from the approved registered contractors/agencies/parties in the panel of I&FC Depttt., as per the departmental guidelines. The Accounts functionary posted in the Division shall be associated as a member of the tender committee for finalizing the same and the same shall be got examined from them before seeking approval of the competent Authority.

7. <u>Adherence to sanctioned scope of work:</u>

The Executive Engineer shall not change the scope of work on their own. It shall be brought before the competent authority for approval, if any such change is perceived/ necessitated subsequently. The proposed development work shall be updated upon completion on the GSDL map. The proposed work does not fall within any reserve forest area/morphological ridge/ASI jurisdication. The proposed scheme has been approved by the TAC and the scheme is proposed to be executed on the department own land and it shall be free from all the hindrances.

8. <u>Payment not to be released without the approval of the competent authority:</u>

The Executive Engineer shall not make any payment in anticipation of approval/ sanction of revised/modified estimates unless and until the same has been considered and approved by the Competent Authority.

9. <u>Splitting of work not permissible:</u>

No work shall be splitted, in any manner, subsequent to the issue of the sanction. In case, it is required, the proposal shall be brought before the competent sanctioning authority for its consideration and approval.

10. <u>Non-Inclusion of extra item:</u>

No extra item shall be included in the sanctioned project/ work subsequent to the sanction. Extra items, if essential, shall be included in the execution of work only after the prior approval of the competent sanctioning authority. Post facto approvals shall not be permitted.

11. <u>Utilization of provision for contingency:</u>

The provision of contingency is meant for unforeseeable and unidentifiable items which can not be included/anticipated while preparing estimates for the work/project. Accordingly, the sanctioned provision of the project for contingencies shall be invariably utilized for the same. Personal claims on any account including conveyance, office contingencies etc. shall not be charged on works.

12. <u>Financing of the sanctioned work:</u>

Financing for the works shall be managed by executing agency as per the provisions made in its budget for respective works allocated/ provided in different years.

13. <u>Monitoring of the project:</u>

The Supertendent Engineer shall monitor the execution of the project and submit quarterly progress report of the project to Finance Department/ Planning Department regarding the financial and physical targets and that the specifications of items, quantity/quality of materials including proportion thereof are the same on the basis of which estimates were prepared.

14. Confirmation of completion of work/project:
On the conclusion of the project/ scheme, work completion certificate alongwith utilization certificate of funds and 3[rd] Party quality control certificate must be furnished to Finance Department/Planning Department, Secretary (I&FC) And IFA/DCA(Development) and there shall be a provision of an independent third party check for evaluation of the quality of the executed work.

15. No duplicacy of work by any agency:
The Executive Engineer/Superintending Engineer agency must ensure that none of the components/units/stretch (es) is duplicated in any manner during execution/award of work or at the time of payment either by it or by any other agency.

16. Guarantee period:
Every capital asset created/ upgraded has, technically, a certain/estimated life span,. In order to ensure that the quality and quantity of the items/ material used in the execution of work is as per the standard/ prescribed specifications and that the asset so created lives its full life, Guarantee clause must be incorporated in the contract deed so that the contractor is held responsible/liable whenever any deficiency/ short coming/ break down is observed which shows that the work has not been executed as per prescribed specifications/ standards.

17. Fore-closer of the project is not permissible mid-way:
The project must not be scraped during the course of execution on any pretext. In case emergence of some extra-ordinary circumstances leads to such unforeseen situation of fore-closer of the project/scheme, the matter may be placed before the sanctioning authority.

18. Maintenance of the assets after construction:
The projects, after their completion, shall be properly maintained by the executing agency / user organization properly as per the provisions of the CPWD Manual, Government Order dated 25.07.2011, the guidelines/ instructions issued from time to time and keeping in view the provisions of Construction-cum-maintenance contracts executed, in cases where such mechanism has been adopted.

19. Contract with the contractor:
The executing agency shall enter into formal contract with the contractor. The contract deed should be in the standard format and should incorporate all the necessary clauses for safeguarding the interest of Government in accordance with the provisions of GFR 2017/ CPWD Manual and the aforesaid instructions/ conditions.

20. Availability of budget:
It may be ensured that the expenditure is to be made only subject to the availability of funds. All efforts should be made to utilize the funds efficiently & effectively as per rule. DDO to ensure that the expenditure against the project/scheme shall be booked only when the allocation of fund is available against the project/scheme.The EE CD-VII already certified that there is no liability for the said work in the current financial year. The provisions for entire expenditure to be incurred under the said work have been projected in BE 2021-22.

21. Online updation would be done on the Website of I&FC, on monthly basis without fail being the implementing agency. Assurance given by I&FC to the CVC will be followed in all cases. 3[rd] Party Quality Checking will be done as per CPWD manual. Project delays if any would be intimated to the Secretary, I&FC and Pr. Secretary, on monthly basis.The proper documentation of the proposed work with reference to pre and post status of the site of the work shall be maintained including photographs etc., and kept on records.

22. The Project will be executed as per the guidelines issued by the Finance Department vide order No.F.3(30)/CD/2007/DS-IV/3051-64 dated 12.07.2011 & No. F.2(5)/2015-16/Finanece E-IV/Infra/012274503 /DS-IV/4878-4987 dated 10.09.2015.

All other necessary conditions, regulation, guidelines & instructions etc. issued by the Govt., I&FC Deptt., CVC,GFR,FRSR,DFPR and instructions contained in CPWD/PWD Manual & CPWD/PWD Account code and Finance Department GNCT of Delhi issued from time to time shall also be observed.

23. This is further subject to the following conditions as per Competent Authority.

(i) No other scheme of similar nature is under execution by any other Executing Agency of GNCTD in the proposed stretch area.

(ii) The work shall be executed strictly in accordance with the intent of the approval of TAC, which according to the paper on file has accorded its approval to the proposed scheme in 41st TAC meeting.

(iii) No compromise with the specification and quality in the work will be allowed during the execution of the work and the timelines, so prescribed, for the completion of work should be adhered to.

(iv) Provision of dedicated utility channel shall be ensured as per the instruction of Government of India, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industries to avoid road cutting and to provide provision for laying of basic infrastructure facilities of public utilities without road cutting, the above reference of GoI has been circulated recently.

(v) The time lines, so prescribed, for the completion of the proposed work shall be adhere to.

(vi) Strict quality control and supervision be exercised during the execution of work and due financial prudence exercised.

(vii) The EE shall ensure the essentiality of the project/scheme during the current financial year 2021-22.

The expenditure on the above mentioned scheme will be debitable to MH 4711-03-800-99-00-53" "Other Drainage Works" under demand No. 10 of Govt. of NCTof Delhi for the current financial year 2021-22 for the work "Construction of RCC storm water drain along service road in L/Bank (colony side) between Pipeline bridge (RD. 11300m) to Delhi U.P Border (RD. 13387m) of Trunk Drain No. 1 in Gokalpur Constituency (AC-68) for the year 2021-22" as per year wise budget provision and should not exceed the budget allotment placed at your disposal and observance of all other codal formalities as per G.F.R , C.P.W.D. manual and other financial guidelines issued by the Govt. time to time.

This issues with the prior approval of Hon'ble Minister (I&FCvide U.O.No. 6956453 dated 09.08.2021/11.01.2022

FA-CUM-DCD (I&FC)

F.No. EE/CD-IV/DB/T-23/TAC/101554201/FABr./ Dated:-

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Secy. to Secretary (I&FC), Varunalya Building, Jhandewalan, GNCTD, Delhi.
2. Deputy Secretary, Finance-III, Finance Department, Delhi Sachivalaya , ITO, New Delhi.
3. Chief Engineer Zone-I & II (I&FC) Deptt., Govt. of NCTof Delhi.
4. S.S.W to Chief Engineer I&II, I&FC Deptt. GNCT of Delhi.
5. PAO-22, GNCT of Delhi MSO Bldg., I.T.O New Delhi.
6. Superintending Engineer, FC-I, (I&FC Deptt.) GNCT of Delhi.
7. Executive Engineer, P&D Branch (I&FC Deptt.), GNCT of Delhi.
8. Accountant General (Audit) Delhi, AGCR BLDG., I.P. Estate New Delhi-02.
9. Directorate of Audit, 4th Level, GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate New Delhi-02.
10. Guard File

**माननीय अध्यक्षः** प्रश्न संख्या-8 श्री इमरान हुसैन।

**श्री इमरान हुसैनः** अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रश्न संख्या-8 का उत्तर देने का कष्ट करें।

क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विगत दस वर्षों के 'स्लैबवार' टैरिफ आँकड़े प्रदान करें;

(ख) कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए विगत दस वर्षों के 'स्लैबवार' टैरिफ आँकड़े प्रदान करें;

(ग) औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए विगत दस वर्षों के 'स्लैबवार' टैरिफ आँकड़े प्रदान करें; और

(घ) सभी श्रेणियों उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान टैरिफ-संरचना क्या है?

**माननीय ऊर्जा मंत्री ( श्री आशीष सूद ):** बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या-8 का उत्तर सदन के पटल पर है अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं टैरिफ 2014 से 2024-25 तक पढ़कर भी उनको बता सकता हूं वैसे तो ये पटल पर उपलब्ध है सारी एनैक्चर्स उपलब्ध हैं माननीय सदस्य चाहें तो मैं सभी डिस्कॉम्स की टैरिफ की 2014-15 में क्या था और 2024-25 में क्या है पढ़कर भी सदन में बता सकता हूं।

(प्रश्न संख्या 08 का उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।)

प्रश्न संख्या 08 का उत्तर :-

(क) से (ग) पूरी दिल्ली में घरेलू उपभोक्ताओं, कमर्शियल उपभोक्ताओं और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए विगत दस वर्षों में जारी स्लैबवार टैरिफ ऑकड़ों का विवरण संलग्न है। (संलग्नक 'क')[3]

(घ) डीईआरसी द्वारा जारी सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान टैरिफ-सरंचना की प्रति संलग्न है। (संलग्नक 'ख')[4]

**माननीय अध्यक्ष:** चलिये सप्लीमेंटरी।

**श्री इमरान हुसैन:** टैरिफ पॉलिसी के अनुसार रेगुलेटरी एसेट्स का लिक्विडेशन तीन साल के अंदर होना है दिल्ली के तीनों डिस्कॉम्स के रेगुलेटरी एसेट्स को तीन साल में समाप्त करना है तो उससे बिजली के दाम कितने बढ़ेंगे और एक और है सर, एक और है, दोनों एक बार ही बता दीजिये। क्या वित्त वर्ष 2025-26 में बिजली के दाम बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है अगर हां तो नये दाम कब तक लागू होंगे।

**माननीय ऊर्जा मंत्री:** माननीय अध्यक्ष जी, पिछली सरकार दिल्ली के डिस्कॉम्स के साथ डीआरसी के माध्यम से 27 हजार करोड़ रूपये के रेगुलेटरी एसेट्स का कर्ज दिल्ली की डिस्कॉम्स के पास एसेट्स के रूप में छोड़कर गई है जिसकी वसूली दिल्ली की कम्पनियां बिजली कम्पनियां जनता से दाम बढ़ाकर करने के लिये अधिकृत हैं 27 हजार करोड़ रूपये और पिछली सरकार के कार्यकाल में ही हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार डिस्कॉम को टैरिफ आर्डर लाने के निर्देश दिये गये थे दिल्ली की जनता के हितों को हाईकोर्ट में सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर पाई है। आने वाले समय में इस...

...(व्यवधान)

3. संलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

4. संलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

**माननीय ऊर्जा मंत्री:** हां जी, 'पिछली सरकार' मैंने कहा। मैंने पिछली सरकार कहा सर, मैंने पिछली सरकार कहा। माननीय सदस्य मैंने पिछली सरकार कहा और आने वाले समय में दाम बढ़ेंगे। शायद, कुछ लोग चाहते हैं बढ़ें, शायद कुछ लोग चाहते हैं बढ़ें ताकी उनकी राजनीतिक रोटी सिक सके परन्तु अभी आने वाले समय में सरकार इसका अवलोकन कर रही है डीईआरसी से सरकार संपर्क में है, अपने विषय रख रही है इसके संदर्भ में आगे की कार्रवाई के संदर्भ में माननीय सदस्य को मैं सूचित करूंगा।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री सोमदत्त।

**श्री सोमदत्त:** अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रश्न संख्या 9 का जवाब देने का कष्ट करें।

क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 2014 में 'CATS' एंबुलेंसों की संख्या कितनी थी और उनका औसत रिस्पोंस टाइम कितना था; और

(ख) दिल्ली में 19 फरवरी, 2025 तक कुल कितनी 'CATS' एंबुलेंस थीं और अब उनका औसत रिस्पोंस टाइम क्या है?

**माननीय स्वास्थ्य मंत्री (डॉ. पंकज कुमार सिंह):** आदरणीय अध्यक्ष जी,

(क) दिल्ली में वर्ष 2014 में कैट्स एंबुलेंसों की संख्या 155 थीं और उनका रिस्पांस टाइम 13 मिनट था।

(ख) दिल्ली में 19 फरवरी 2025 तक कुल कैट्स एंबुलेंसों की संख्या 261 है और उनका रिस्पांस टाइम 17.4 मिनट है।

**माननीय अध्यक्षः** पूरक प्रश्न।

**श्री सोमदत्तः** अध्यक्ष जी, ये है कि सरकार द्वारा कैट्स एंबुलेंस की संख्या बढ़ाने को लेकर क्या कार्य-योजना है और इसके लिए क्या कोई टाइम लाइन निर्धारित की गई है।

**माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः** अध्यक्ष जी, बिलकुल इस पर विचारणीय इसे हम करने जा रहे हैं क्योंकि कैट्स की एंबुलेंस संख्या कम है और हम अपनी मुख्यमंत्री जी के साथ इस पर बैठे भी हैं और बहुत जल्द, जल्द मतलब अगले दो-तीन महीनों में हमारी लीडर आफ अपोजीशन जी को बहुत जल्द से बड़ी दिक्कत है, 11 साल में जल्द से दिक्कत नहीं आई, 10 साल में, आपको 1 महीने में टाइम लाइन चाहिए न जी।

**माननीय अध्यक्षः** मंत्री जी आप अपना रिप्लाई दें और मैं चाहूंगा कि सदस्य उसको सुनें टीका-टिप्पणी न करें।

**माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः** आदरणीय अध्यक्ष जी 3 महीने के अंदर और भी एंबुलेंस चलाई जाएंगी।

**माननीय अध्यक्षः** अब इसमें, नहीं अब बस हो गया। लवली जी।

**श्री अरविन्दर सिंह लवलीः** अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2014 में 155 कैट्स की एंबुलेंस थी और रिस्पांस टाइम 13 मिनट था और 2025 में जैसा माननीय सदस्य ने पूछा की कैट्स एंबुलेंसों की संख्या हो गई है 261 और रिस्पांस टाइम बढ़कर 17.4 हो गया है यानी जब कम थी तो 13 मिनट में पहुंच जाती थी जब ज्यादा हैं तो 17.4 में पहुंच जाती थी। ये सरकारी एजेंसीज का जो 2025 से पहले का जो समय है जिसमें जो है गिरावट आई है एंबुलेंस के पहुंचने

के लिए क्या सरकार उस समय की कोई जांच बिठाने की या अधिकारियों की जिम्मेवारी फिक्स करने की योजना बना रही है कि नहीं बना रही है मैं यह पूछना चाहता हूं।...

**माननीय अध्यक्षः** मंत्री जी।

**माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः** अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो बात रखी है सदन पटल पर जल्द से जल्द ही इस पर इन्क्वायरी हो रही है और सत्य सामने आ जाएगा।

**माननीय अध्यक्षः** जी धन्यवाद, डॉक्टर अनिल गोयल बस, एक मिनट।

**श्री अरविंदर सिंह लवलीः** आप कह रहे हो 155 थी तो 13 मिनट में पहुंचती थी 261 हैं तो 18 मिनट में पहुंच रही हैं तो अधिकारियों की और जिम्मेवार लोगों की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए।...

**माननीय अध्यक्षः** लवली जी आपका प्रश्न आ गया उनके ध्यान में मंत्री जी ने रिप्लाई कर दिया है, काउंटर आर्गूमेंट नहीं प्रश्नकाल में। जी।

**डॉक्टर अनिल गोयलः** अध्यक्ष जी बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हमने अभी सीएजी रिपोर्ट में देखा ये नंबर तो ठीक है इसकी सुविधा इसके अंदर क्या है। किसी भी कैट्स एंबुलेंस में एडवांस लाइफ स्पोर्ट होना चाहिए उसमें कितने वेंटीलेंटर हैं, क्या मैनपावर है, क्या स्पोर्ट टीम है, रिस्पांस टाइम से जरूरी है उसका क्वालिटी आफ रिस्पांस क्या है तो मेरा सवाल है कि उसमें कितने वेंटीलेटर्स, कितने बाइपैप, कितने एक्सेसरी इक्विपमेंट हैं और कितना मैनपावर है आईडियली एक कैट्स एंबुलेंस में एक डॉक्टर या पैरामैडिकल स्टाफ को रख सकें ये मेरा सवाल है।

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है प्रश्न आ गया आपका।

**माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः** आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी के सवाल का जवाब अभी यथास्थिति मैं दे नहीं पाउंगा लेकिन मैं इनको लिखित जवाब भिजवा दूंगा।

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है, श्री प्रेम चौहान।

**श्री प्रेम चौहानः** अध्यक्ष जी, वैसे तो बार-बार पीछे से मेरे बड़े भाई हरीश खुराना जी ये बोल रहे हैं कि 12 साल तुमने...

**माननीय अध्यक्षः** आप प्रश्न करिये... देखिये।

**श्री प्रेम चौहानः** मैं वो ही पूछ रहा हूं करना है नहीं करना है।

**माननीय अध्यक्षः** नहीं-नहीं आप प्रश्न करिये। प्रेम चौहान जी सीधा प्रश्न करिये।

**श्री प्रेम चौहानः** माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से मेरा प्रश्न नंबर 10 प्रस्तुत है जिसका मंत्री जी से मैं जवाब चाहूंगा।

क्या माननीय **मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार द्वारा 20 फरवरी 2025 के बाद, आशा वर्कर्स के मासिक भत्ते बढ़ाने व उन्हें स्वास्थ्य व जीवनबीमा सुविधाएँ प्रदान करने का कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

**माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः** अध्यक्ष जी, जवाब पटल पर है लेकिन ये चाहते हैं मैं बोलकर बताउं तो बोलकर बता देता हूं जी।

उत्तरः

(क) से (ग) हाँ। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा आशा वर्कर्स के मासिक भत्ते बढ़ाने के लिए नियोजित लिखित दस्तावेज की फाइल विचाराधीन है। जीवन बीमा योजनाओं में (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) सभी आशा वर्कर्स के लिए प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार कैबिनेट द्वारा आयुश्मान भारत योजना को लागू करने की अनुमति दी जा चुकी है, जिसमें कि भारत सरकार की नियमावली के अनुसार आशा वर्कर्स भी स्वास्थ्य बीमा योजना की लाभार्थी होंगी।

**श्री प्रेम चौहानः** अध्यक्ष जी, मेरा इस पर छोटा सा सवाल है कि मंत्री जी इसमें जो आयुष्मान भारत योजना का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें हमारी जो आशा वर्कर है वो आशा वर्कर सरकार का ही काम करती है और सरकार का हिस्सा होती है सरकारी कर्मचारी होती है उसके लिए आप आयुष्मान भारत योजना में अगर उसको जोड़ना चाहते हैं तो उसमें एक लिमिट होती है आयुष्मान भारत योजना में जो एक इलाज करने का है। दूसरी चीज इसमें ये है कि वो क्या कैपेबल है जो आपकी 'आयुष्मान भारत' योजना की कई सारी कंडीशन हैं उसमें वो क्या फिट बैठेगी, हर आशा वर्कर क्या फिट बैठेगी। तो मुझे लगता है आशा वर्कर के लिए तो अलग से प्रावधान होना चाहिए आयुषमान भारत में तमाम दिल्ली...

**माननीय अध्यक्षः** नहीं आप प्रश्न करिये जो आपको लगता है वो यहां पर बात करने का नहीं है। आप सीधा प्रश्न करिये।

**श्री प्रेम चौहानः** ये आयुष्मान भारत के अलावा होना चाहिए तो क्या मंत्री जी बताएंगे की ये अलग से करेंगे या इसी में चलाएंगे।

**माननीय स्वास्थ्य मंत्रीः** माननीय विधायक जी, जो मैंने आपको लिखित जवाब दिया है उस जवाब को आप फिर से पढ़ेंगे, उसको एक बार पढ़ लीजिए और योजना ऑन-रिकार्ड आपको बता रहे हैं कि उनको उसका लाभ मिलेगा तो मिलेगा।

**माननीय अध्यक्षः** ये प्रश्न ओवररूल, आगे अब कोई पूरक प्रश्न, अनिल झा जी।

**श्री अनिल झाः** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण ये चाह रहा हूं कि 2 प्रश्न एक मैंने पूछा कि किराड़ी विधानसभा में नया हस्पताल खोलने की कोई योजना है। तो उसमें बताया गया योजना नहीं, योजना है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। अभी अरविन्दर सिंह लवली जी ने पूछा कोई नई योजना है दिल्ली में तो उसमें लिखा है कि 458 बिस्तरों का...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** नहीं-नहीं आप प्रेम चौहान जी के प्रश्न से पूरक प्रश्न पूछिये न।

**श्री अनिल झाः** स्वास्थ्य मैं ये स्वास्थ्य से संबंधित है।

**माननीय अध्यक्षः** नहीं-नहीं स्वास्थ्य से नहीं जो विषय उन्होंने लिया है उसी से संबंधित पूरक प्रश्न।

**श्री अनिल झाः** मैं अध्यक्ष जी आपकी जानकारी में।

**माननीय अध्यक्षः** अभी हमने हाफ एन ऑवर डिस्कशन की बात की है न उसमें आप करियेगा।

**श्री अनिल झाः** अध्यक्ष जी, आपकी जानकारी में बता रहा हूं स्वास्थ्य मंत्रालय के एक ही प्रश्न के दो उत्तर हैं, अलग-अलग उत्तर हैं।

**माननीय अध्यक्षः** नहीं-नहीं, एक मिनट अभी प्रेम चौहान जी का 10 नंबर सवाल जो है उस पर आप बताईये पहले।

**श्री अनिल झाः** ये सीरियस मैटर है...

**माननीय अध्यक्षः** नहीं-नहीं ऐसे नहीं देखिये।

**श्री अनिल झाः** कि एक जगह एक ही सचिव कह रहा है हस्पताल नहीं बनेंगे एक उत्तर में कह रहा है बनेंगे।

**माननीय अध्यक्षः** अगला प्रश्न भी जुबैर अहमद जी का ही है अगर आप समय, मैं फिर ये खत्म हो जाएगा 10 पर ही। मैं अगले सदस्यों को भी बुलवाना चाहता हूं विपक्ष के ही हैं। तो आप अगर अन्यथा बात करेंगे तो फिर ये समय समाप्त हो जाएगा।

**श्री अनिल झाः** आदरणीय अध्यक्ष जी, रिक्वेस्ट है। एक ही प्रश्न के दो अलग उत्तर है।

**माननीय अध्यक्षः** अब आप देख लीजिए आप किसी को पूरक प्रश्न पूछना है। अंतिम प्रश्न हम ले रहे हैं श्री चौधरी जुबैर अहमद।

**चौधरी जुबैर अहमदः** अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से प्रश्न संख्या 11 का उत्तर चाहता हूं।

क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ब्रह्मपुरी मेनरोड, सीलमपुर में दिल्ली सरकार का एक स्कूल स्थित है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि यह स्कूल अत्यंत जर्जर स्थिति में है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या इस स्कूल के पुनर्निमाण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(घ) यदि हाँ, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**माननीय शिक्षा मंत्री (श्री आशीष सूद):** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य आपने तो अभी एक ही भाग का जिक्र किया मैं सभी भागों का उत्तर क, ख, ग और घ इन सबका उत्तर सदन के पटल पर है। साथ में 24 पेज का एनेक्सचर उसको और विस्तृत रूप से समझाने के लिए है ये सदन के पटल पर उपस्थित है।

(प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।)

प्रश्न संख्या 11 का उत्तर:

(क) जी हाँ, ब्रह्मपुरी मेन रोड, सीलमपुर में दिल्ली सरकार का एक स्कूल राजकीय सह–शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (गांधी) ब्रह्मपुरी, दिल्ली–53 विद्यालय आईडी–1105249 स्थित है।

(ख) विद्यालय का भवन जर्जर होने की स्थिति के कारण प्रशासनिक अनुमति के बाद उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया तथा विद्यालय के नए भवन के निर्माण से संबंधित प्रक्रिया विभाग के पास क्रियान्वित होने की प्रक्रिया में है।

बिल्डिंग तोड़ने हेतु प्रशासनिक अनुमति की तिथि :- 28.07.2019

बिल्डिंग तोड़ने की तिथि :- फरवरी से अप्रैल 2021

बच्चों की पढ़ाई हेतु की गई व्यवस्था : जीजीएसएसएस नं. 2, नया सीलमपुर, स्कूल आईडी-1105025

स्कूल जमीन की वर्तमान स्थिति : स्कूल जमीन का प्लाट खाली है।

(ग) पुनर्निर्माण का प्रस्ताव विभाग के पास क्रियान्वित होने की प्रक्रिया में है। प्रारंभिक स्वीकृति दिनांक 27.09.2021 में परिकल्पित प्लिंथ क्षेत्र 6504 वर्गमीटर के साथ 80 समकक्ष कक्षाओं के निर्माण के लिए प्रमुख सचिव द्वारा 26,59,16000/- रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन पेड़ों की कटाई न होने के कारण स्कूल भवन का निर्माण शुरु नहीं किया जा सका था क्योंकि एनजीटी ने पेड़ों की कटाई पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद, पीएआर 2023 के आधार पर 4395 वर्ग मीटर के प्लिंथ क्षेत्र के साथ 64 (52+12) समतुल्य कक्षाओं के निर्माण का संशोधित प्रस्ताव पेश किया गया था। विस्तृत अनुमान में शामिल मंजूरी के घटकों के लिए पीएआर 2023 के आधार पर लागत 23,79,84,161 (तेईस करोड़ उन्नासी लाख चौरासी हजार एक सौ इकसठ मात्र) रुपये थी। यह ध्यान देने योग्य था कि विस्तृत अनुमान में वास्तव में विचार किए गए समकक्ष कक्षाओं की संख्या 64 हैं? जिसमें एक ब्लॉक में 52 और दूसरे ब्लॉक में 12 शामिल हैं, जबकि शुरू में विचार किए गए समकक्ष कक्षाओं की संख्या 80 थी। प्रारंभिक

विचार से लागत में वृद्धि समय के साथ सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि के कारण हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप PARs 2023 DSR (दिल्ली अनुसूची दरें 2023) में दरें अधिक हो गई थी।

उपरोक्त कार्य के लिए प्रारंभिक अनुमान पीएआर 2012 पर आधारित था और 15.03.2021 को ही भेजा गया था और ए/ए और ई/एस दिनांक 27.09. 2021 को प्राप्त हुआ था, लेकिन भवन ले-आउट योजना में पेड़ों की मौजूदगी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका था। वर्तमान विस्तृत अनुमान लोक निर्माण विभाग द्वारा अक्टूबर 2023 में तैयार किया गया था, जब उसे शिक्षा निदेशालय से पत्र संख्या एफ/16एस्टेट/डीओई/कंस्ट्रान रूम/जी. को-एडएसएसएस/ब्रह्मपुरी/2534-39 दिनांक 21 जुलाई, 2023 के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुए थे। जिसमें पेड़ों को स्थानांतरित करने से बचते हुए संशोधित योजना के अनुसार कमरों की संख्या कम करने के लिए आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था। विस्तृत अनुमान उस कार्य के लिए आधारित था, जिसकी राशि 1,96,90,434 रुपये थी, जो वर्तमान में लागू प्लिंथ क्षेत्र के आधार पर 64 समतुल्य कक्षाओं के क्षेत्र को कम करने के लिए 23,79,84,161 रुपये की प्रारंभिक राशि के भीतर थी, जिसे पीडब्ल्यूडी द्वारा उचित ठहराया गया था। लेकिन संबंधित एजेंसी द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अमल नहीं किया गया था, क्योंकि हरे पेड़ों के कारण 12 कमरों का निर्माण नहीं किया जा सकेगा तथा संबंधित एजेंसी ने प्राधिकरण को सूचित किया था कि स्कूल की भूमि के वर्तमान परिद्श्य में केवल 52 कमरों का निर्माण किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी के अनुरोध पर 52 कमरों की निर्माण की योजना पीडब्ल्यूडी को भेज दी गई है।

(घ) यहां पर 80 कमरों के निर्माण हेतु 26.59 करोड़ रुपये का सैक्शन ऑर्डर 27.09.2021 को जारी किया गया था। परंतु बाद में पीडब्ल्यूडी द्वारा यह

सूचित किया कि इस स्थान पर अधिक संख्या में पेड़ होने के कारण 80 कमरों का निर्माण संभव नहीं है। अतः पीडब्ल्यूडी को संशोधित प्रारंभिक अनुमान भेजने के लिए 28.02.2025 को पत्र लिख दिया गया है।

(ङ) लागू नहीं।

**श्री अरविन्दर सिंह लवलीः** अध्यक्ष जी, सप्लीमेंटरी।

**माननीय अध्यक्षः** हां सप्लीमेंटरी पूछिये।

**श्री ओमप्रकाशः** अध्यक्ष जी मेरा भी है।

**माननीय अध्यक्षः** नहीं इस पर जुबैर अहमद जी का जो प्रश्न है इससे संबंधित पर पूरक प्रश्न। पहले लवली जी फिर आप।

**सुश्री आतिशी (माननीया नेता, प्रतिपक्ष):** अध्यक्ष जी, मैं आपसे...

**श्री अरविन्दर सिंह लवलीः** मैं माननीय सदस्य की पीड़ा के साथ...

**माननीय अध्यक्षः** अनेक्सचर आपने बोला था...

**श्री अरविन्दर सिंह लवलीः** आतिशी जी, chair has asked me to …

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** चलिये कोई बात नहीं।

**श्री अरविन्दर सिंह लवलीः** but I am not yielding ना …Chair has asked me to speak …

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** मैडम उसमें अनेक्सचर की रिक्वायरमेंट हो तो बताईये न,...तो देख लेंगे न आप खुद ही समय बताईये। जी।

**श्री अरविन्दर सिंह लवलीः** अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य चाहे विपक्ष की हैं मैं उनकी पीड़ा के साथ अपने आपको जोड़ता हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं बड़ी दुखद बात है कि ब्रह्मपुरी मेनरोड के स्कूल की अत्यंत जर्जर स्थिति में है। ऐसे यमुना पार के और कितने स्कूल हैं जो इसी तरह की जर्जर स्थिति में हैं और क्योंकि हम तो अखबारों में यही पढ़ते आए हैं कि स्कूल बड़े जो हैं अच्छे बन गये हैं महल जैसे बन गये हैं। इनका अपना मेंबर ही कह रहा है जर्जर स्थिति में हैं तो ये तो जांच का विषय है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** आप प्रश्न।

**श्री अरविन्दर सिंह लवलीः** नहीं... मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं न यमुनापार में और कितने ऐसे स्कूल हैं उसकी जो है अगर आप रिपोर्ट इक्ट्ठी करके हम तक भिजवा दें की जो जर्जर स्थिति में हैं और आतिशी जी जरा बैठ भी लीजिए आपस में...

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट, देखिये पूरक प्रश्न...

...(व्यवधान)

**माननीय शिक्षा मंत्रीः** माननीय सदस्य जी की पीड़ा को मैं समझता हूं। मैं आपको इस संदर्भ में आपने जो पूछा है और ऐसे कितने स्कूल हैं इसकी पूरी जांच करके इसकी पूरी जानकारी सदन के पटल पर आपको उपलब्ध करा दूंगा।

**माननीय अध्यक्षः** ओ पी शर्मा जी।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने का प्रयास कर रहा था आपने मुझे मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। 1993 से 98 के बीच में बहुत प्रतिभाशाली लोगों के लिए प्रतिभा स्कूल बनाए गए और प्रतिभा स्कूल का जो पूरे देश में उनकी प्रशंसा हुई। चाहे अनचाहे...

**माननीय अध्यक्षः** प्रश्न पूछिये।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** पिछले 10-12 साल में...

**माननीय अध्यक्षः** प्रश्न पूछिये।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** एजुकेशन का पूछ रहा हूं।

**माननीय अध्यक्षः** नहीं-नहीं एजुकेशन नहीं।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** भइया एकोमोडेट करोगे जब तुम घुस रहे हो मैं भी तो घुसुंगा।

...(व्यवधान)

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** मैं एजुकेशन से संबंधित सवाल पूछ रहा हूं।

**माननीय अध्यक्षः** मुझे चलाने दीजिए आप बैठिये-बैठिये।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** अरे क्या है यार ये कैसी एलओपी बनाई है आपने।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** एक मिनट, ओपी शर्मा जी आप अपनी बात कहिये, आप चेयर को, चेयर से बात करिये। आप चेयर से बात करिये चलिये।

...(व्यवधान)

**श्री ओम प्रकाश शर्मा:** ये काम है आपका, हर आदमी के ऊपर खड़े हो जाते हो एलओपी का ये काम नहीं है बहनजी। अरे यार आप किसी को बात ही नहीं करने दोगे।... नहीं आप किसी को बात ही नहीं करने दोगे। प्रतिभा स्कूलों का ये बहुत गंभीर विषय है कि पिछले 12 साल में शिक्षा के साथ जो खिलवाड़ किये गये उसका सबसे बड़ा...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** मैं अपने आप तय कर लूंगा।

**सुश्री आतिशी (माननीया नेता, प्रतिपक्ष):** आप रूलिंग दीजिए क्या ये सप्लीमेंटरी है।

**माननीय अध्यक्ष:** ये एक मिनट उनको अपनी बात उनको बात तो पूरी करने दीजिए न तभी तो मैं तय करूंगा। आप बात तो पूरी होने दीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री ओम प्रकाश शर्मा:** अरे एक-एक बात पकड़ोगे क्या यार।

**माननीय अध्यक्ष:** उनकी बात तो पूरी हो जाए न, बताईये।

**श्री ओम प्रकाश शर्मा:** मैं शिक्षा से संबंधित बात कर रहा हूं। प्रतिभा स्कूलों को बंद करने का जो शड़यंत्र पिछली सरकारों ने चलाया हमारा कहना यह है कि वो बंद नहीं होने चाहिए।...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** प्रश्न पूछिये प्रश्न।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** उनको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए नंबर-1। नंबर-2 जो दिल्ली बोर्ड बनाकर दिल्ली के छात्रों के साथ शड़यंत्र किया जा रहा है...

**माननीय अध्यक्षः** ये जो प्रश्न है ये इससे इसका संबंध नहीं है सीधा।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** वो दिल्ली बोर्ड को भी बंद किया जाए धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है। अब कुलवंत राणा जी। दो प्रश्न पूरक प्रश्न मैं और अलाउ कर रहा हूं कुलवंत राणा जी का और माननीय सदस्य अजय महावर जी का इसके बाद कोई पूरक प्रश्न इस सवाल पर नहीं होगा।

...(व्यवधान)

**श्री कुलवंत राणाः** अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा।...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** हैं जी।

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी एक मिनट...

**माननीय अध्यक्षः** ये प्रश्नकाल खत्म हो जाए फिर आप बोलना, जी।

**श्री कुलवंत राणाः** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ब्रह्मपुरी स्कूल की स्थिति है उसी प्रकार से शाहबाद डेयरी में दो वर्ष पहले पूर्ववर्ती सरकार ने एक स्कूल बनवाया और एक साल में जब बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद उसकी छत पहले साल

में ही चू गई तो उसके क्या कारण है उस स्कूल की मरम्मत या वो बिल्डिंग दोबारा बनाई जाएगी या नहीं बनाई जाएगी और उसकी जांच की कोई व्यवस्था है और कौन लोग दोशी हैं जो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बनी और बनने के बाद वो जर्जर भी हो गई और चू भी गई उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कोई प्रावधान या योजना है क्या माननीय मंत्री जी।

**माननीय अध्यक्षः** हां, बस खत्म, लास्ट है ये।

**माननीय शिक्षा मंत्री (श्री आशीष सूद):** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है उसकी फिजिकल जांच कराके मैं आपको उसके संदर्भ में आने वाले एक्शन के सम्बन्ध में सूचना दूंगा।

**माननीय अध्यक्षः** श्री अजय महावर जी।

**श्री अजय महावरः** धन्यवाद अध्यक्ष जी। अच्छा लगा जब आज विपक्ष के विधायक ने उन्हीं की सरकार की दस साल के शिक्षा का जो ढिंढोरा पीटा था उसकी पोल खोली कि वो कितने दर्द में हैं। इन्हीं के दर्द में मैं अपनी बात को शामिल करता हूं। हमारे यहां जन कल्याण स्कूल है और वो स्कूल पिछले पांच साल से मैं सदन में रोता रहा, चीखता रहा, एक तरफ ये ढींढोरा पीटते रहे। मैं बार-बार आवाज देता रहा इनको...

**माननीय अध्यक्षः** आप क्वेश्चन पूछिये, प्रश्न।

**श्री अजय महावरः** तो वो पोर्टा केबिन में चल रहा था। अब पोर्टा केबिन से उसको हटा दिया गया है। चार क्लास के बच्चे हैं उसमें तो वो बच्चे अभी कभी किसी स्कूल में डाल दिये जाते हैं कभी किसी स्कूल में। उनकी स्थिति

किराये वाली हो गई है कि वो स्कूल किरायेदारों की तरह बदल रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि उनको आखिर उनका स्थाई रूप से स्कूल जो आधा तो स्कूल चल रहा है स्कूल की बिल्डिंग में और आधा चल रहा है किरायेदारी में। वो कब तक उनको अपना स्थाई स्कूल मिलेगा उन बच्चों को ये मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

**माननीय शिक्षा मंत्रीः** माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है ये एक cause of concern है। वैसे आज के प्रश्नकाल में भी ऐसे प्रश्न है जिसमें इस तरह के स्कूलों का जिक्र है जिसको हमने बाकी माननीय सदस्यों के लिए जवाब में प्रस्तुत किया है। जहां पर आठवी के बाद इधर-उधर के स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चों को जाना होता है। माननीय सदस्य ने जिस विशेष स्कूल का जिक्र किया है उसके सम्बन्ध में हम अधिकारियों के द्वारा त्वरित और तुरन्त जांच करवाकर फिजिकल वैरिफिकेशन के उपरान्त मैं योग्य उत्तर माननीय सदस्य को उपलब्ध कराऊंगा।

**माननीय अध्यक्षः** जी। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त। अब आप कुछ कहना चाहते हैं। मारवाह जी। बाकी प्रश्नों के उत्तर पढ़े हुए मानते हुए।

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी आपने बोलने का समय दिया धन्यवाद। यह गरीब व्यक्तियों की बात है। मैं शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहता हूं या पूछना चाहता हूं जो मर्जी समझ लो कि ईडब्ल्यूएस में पहली क्लास से बारहवीं तक फ्री शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। लेकिन कुछ प्राईवेट स्कूल वाले कितने साल से नौवीं में जब बच्चा जाता है आठवीं पास करता है नौवीं क्लास या तो बच्चे को कहते हैं कि आप दूसरे स्कूल चले जाओ नहीं तो यहां पर फीस जमा करानी पड़ेगी आपको। अध्यक्ष जी, इस ओर ध्यान दिलाना चाहता

हूं मंत्री जी का कि कितने साल से ये गड़बड़ी हो रही है। जिन स्कूलों ने गड़बड़ी की है, उनके लिए कमेटी बननी चाहिए क्योंकि वे बच्चे अभी वहां दसवीं क्लास में फीस देकर पर पढ़ रहे हैं, तो वो इन्क्वायरी होनी चाहिए। मैं मंत्री जी को कहूंगा कि बच्चों को बात है इसमें जरूर आप ध्यान दें।

**माननीय अध्यक्षः** धन्यवाद। अब आगे विशेश उल्लेख। देखिये, हाँ बताईये।

**श्री अरविन्दर सिंह लवलीः** अध्यक्ष जी ऐसा है कि वैसे तो चेयर का जो डिसिजन है वो फाईनल होता है और विधान सभा सचिवालय पर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए लेकिन मैं एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जब भी कोई मैम्बर क्वेश्चन लगाता है चाहे वो स्टार्ड हो या अनस्टार्ड हो तो उस विधायक की व्यक्तिगत इन्फोर्मेशन के लिए वो जो है क्वेश्चन होता है और normally parliamentary norms से आया है और इस विधान सभा में भी आपके डिप्टी स्पीकर पुराने मैम्बर है वो भी इस बात पर जो है मेरी बात से एग्री करेंगे कि जवाब जो है उस मैम्बर के पास आता है और जब मंत्री जवाब देता है उसके बाद वो हाउस की प्रापर्टी बनता है। तो अभी जैसे सभी क्वेश्चन्स का जो है हमारे पास जवाब आ रहा है। तो हमने जो अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है उस पर भी हम लोग concentrate नहीं, इतने क्वेश्चन कैसे सम्भव है किसी भी विधायक के साथ ऑन्सर पढ़ना। तो normal parliamentary norms ये होते हैं कि जो क्वेश्चन लगाये चाहे उसके स्टार्ड क्वेश्चन हो, चाहे अनस्टार्ड क्वेश्चन हो उसका पैकेट उस मैम्बर के पास आना चाहिए। इसीलिए मिनिस्टर साहब ने अगर कहा जब प्रवेश जी ने ये आपके पटल पर आ तो गया है उनकी बात सही थी। अगर वो उसी मैम्बर पर आयेगा तभी मंत्री हाउस में पढकर बतायेगा कि क, ख, ग, घ जो है वो क्या जवाब है। वो तब वो हाउस की प्रापर्टी बनता है। तो ये

तो बिना मांगे ही हाउस की प्रापर्टी बन रहा है सब मैम्बर्स के। तो मैं समझता हूं मैम्बर्स की भी inconvenience है। आपको इसके बारे में विचार करना चाहिए।

**माननीय अध्यक्षः** देखिये प्रश्नकाल में जो स्टार्ड क्वेश्चन है उनके सब के रिप्लाई आ गए। अनस्टार्ड के सब के रिप्लाई आ गए।

**श्री अरविन्दर सिंह लवलीः** नहीं वो सबके पास आ गए। वो जिसने क्वेश्चन पूछा है उसके पास आना चाहिए।

**माननीय अध्यक्षः** नही–नहीं उसके पास भी तो आ रहा है। सबके पास आ रहा है।

**श्री अरविन्दर सिंह लवलीः** नहीं ये कभी parliamentary norms में नहीं होता है कभी। पता नहीं कब इस विधान सभा में भी ये होना शुरू हो गया। हमेशा इस विधान सभा में होता था कि एक पैकेट बनकर आता है स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन का जो मैम्बर क्वेश्चन लगाता है उसके पास वो लिफाफा जाता है और उसके बाद जब मिनिस्टर रिप्लाई देता है तो जो है क्वेश्चन पूछा जाता है।

**माननीय अध्यक्षः** चलिए ऐसा है कि आपने...

...(व्यवधान)

**श्री अरविन्दर सिंह लवलीः** आप इस पर विचार कर लीजिएगा।

**माननीय अध्यक्षः** आपने जो विषय उठाया है इसकी जो व्यवस्था है वो भी पर्याप्त है लेकिन अगर आपने जो सुझाव दिया है उसको भी हम एक बार दिखवा लेते हैं। अब आप आगे चलिये।

## तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

**2. श्री जरनैल सिंह:** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न डिस्कॉम्स द्वारा दिल्ली में सड़कों पर लगाए गए खंभों और ट्रांसफार्मरों की संख्या;

(ख) इन खंभों और ट्रांसफार्मरों के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए कौन उत्तरदायी है;

(ग) ऊर्जा विभाग व डिस्कॉम्स द्वारा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या व की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण;

(घ) इन शिकायतों के समाधान हेतु सरकार की क्या योजना है;

(ङ) सुभाष नगर ड्रेन के किनारे सड़क पर लगे खंभों व ट्रांसफार्मरों के कारण होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या पर कब तक कार्रवाई होगी;

(च) आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से गुज़रने वाली 'हाई टेंशन वायर्स' को हटाने संबंधी विभाग की नीति का विवरण; और

(छ) एमबीएस नगर तथा विष्णु गार्डन क्षेत्र से गुज़रने वाली हाई टेंशन वायर्स को कब तक हटा दिया जाएगा?

**ऊर्जा मंत्री:** (क) विभिन्न डिस्कॉम द्वारा दिया गया विवरण इस प्रकार है:

| डिस्कॉम | खम्भें (In Lakh) | ट्रांसफार्मर |
|---|---|---|
| टीपीडीडीएल | 3.16 | 31329 |
| बीआरपीएल | 2.83 | 36918 |
| बीवाईपीएल | 1.39 | 4044 |

(ख) बिजली वितरण कंपनी द्वारा सूचित किया गया है कि सभी खम्भें और ट्रांसफार्मर सड़क के किनारे लगाये गये हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न ना हो। यद्यपि ट्रैफिक जाम की कोई समस्या/शिकायत प्राप्त होती है तो तकनीकी व्यवहारता जांचने के उपरांत तथा नागरिक एजेन्सी/आवेदक द्वारा अनुमानित लगात का भुगतान करने पर डीईआरसी नियमों के अनुसार समाधान कर दिया जाता है।

(ग) विद्युत वितरण कंपनियों से प्राप्त शिकायतों/कार्यवाही का पूर्ण विवरण इस प्रकार है। संलगनक ('क')

| कंपनी | कुल प्राप्त शिकायत | कार्यवाही की गई | विचाराधीन |
|---|---|---|---|
| बीवाईपीएल | 15 | 8 | 7 |
| टीपीडीडीएल | 10 | 9 | 1 |
| बीआरपीएल | 22 | 0 | 22 |

(घ) उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

(ङ) संबंधित बिजली वितरण कंपनी बीआरपीएल तथा ऊर्जा विभाग में पिछले 10 वर्षों में इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) हाई टेंशन वायर्स को हटाने संबंधी ऊर्जा विभाग की नीति का विवरण संलग्न है संलगनक 'ख'

(छ) संबंधित बिजली वितरण कंपनी बीआरपीएल तथा ऊर्जा विभाग में पिछले 10 वर्षों में इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

BYPL का
Closed complaint

Vidhan Sabha Q.2 -24.03.2025

Details of Closed complaints for Pole shifting and substation shifting creating obstruction on roads in BYPL area

Annexure- B

| S.no. | Source of complainant | Road Owning Agency | Location details - Road name/ area name | Obstructing (Road / Footpath along road / Both ) | Longitude Latitude | Network Element creating obstruction | No. of 11 KV Substation shifted | Shifted 11 KV substation name | No. of poles shifted | BYPL Division | Complaint Logged in FY | Work status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHAI | NHAI | RAMESH PARK PUSHTA ROAD, LAXMI NAGAR | Road | Lat- 28.636472 Long- 77.270146 | Substation and Poles | 1 | PWD Street Light Pushta | 2 | Laxmi Nagar | FY 2023-24 | Completed |
| 2 | NHAI | NHAI | M.B PUSTA ROAD MAIN WAZIRABAD ROAD , PUNJABI COLONY GAMRI | Road | Lat- 28.69590 Long- 77.25529 | Substation and Poles | 1 | Punjabi Colony Gamri | 1 | Yamuna vihar | FY 2023-24 | Completed |
| 3 | RWA FRIENDS COLONY | MCD | SHIFTING OF DT & POLE IN GALI NO. 5-6 FCIA R. LINE IN DIV GT ROAD | Road | Lat- 28.673303 Long- 77.305155 | Substation and Poles | 1 | GALI NO. 5-6 FCIA R. LINE | 3 | G T Road | FY 2023-24 | Completed |
| 4 | PWD | PWD | PRASOOTI GRAH, PPG ROAD, FINE HOME APARTMENTS AT JEEVAN ANMOL HOSPITAL MAYUR VIHAR PHASE 1, ON PPG ROAD | Road | | Substation | 1 | Prasooti Gran | - | Mayur vihar 1&2 | FY 2022-23 | Completed |
| 5 | LOCAL RESIDENTS NEAR BY THE SUBSTATION THROUGH HONORABLE SPEAKER VIDHAN SABHA DELHI | PWD | J&K PKT ROAD DILSHAD GARDEN | Both road & footpath | Lat- 28.681076 Long- 77.320908 | Substation | 1 | DAAL MILL | - | G T Road | FY 2023-24 | Completed |
| 6 | PWD | PWD | ROAD NO. 56 NEAR VIVEK VIHAR GRID SURYANAGAR | Road | Lat- 28.4011283N Long- 77.1920166E | Substation | 1 | 400 KVA SUBSTATION :- ROAD NO. 56 POLE MOUNTED VIVEK VIHAR | - | Karkardooma | FY 2023-24 | Completed |
| 7 | LOCAL RESIDENTS NEAR BY THE POLE THROUGH HONORABLE MLA SHRI GOPAL RAI | MCD | EAST GORAKH PARK GALI NO. 9 NEAR NALA | Road | Lat- 28.6885835 Long- 77.284532 | Poles | - | - | 1 | G T Road | FY 2023-24 | Completed |
| 8 | LOCAL RESIDENTS NEAR BY THE SUBSTATION THROUGH HONORABLE SPEAKER VIDHAN SABHA DELHI | PWD | CHINTAMANI RED LIGHT GT ROAD | Road | Lat- 28.6766401 Long- 77.316612 | Poles | - | - | 1 | G T Road | FY 2023-24 | Completed |

BYPL 2'ōn' (open complaint)

Vidhan Sabha Q.2 -24.03.2025

Annexure- A

**Details of opened complaints for Pole shifting and substation shifting creating obstruction on roads in BYPL area**

| S.no. | Source of complainant | Road Owning Agency | Location details - Road name/ area name | Obstructing (Road / Footpath along road / Both ) | Longitude Latitude | Network Element creating obstruction | No. of 11 KV Substation pending for shifting | To be shifted 11 KV substation name | No. of poles to be shifted | BYPL Division | Complaint Logged in FY | Work status | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAL RESIDENTS NEAR BY THE SUBSTATION THROUGH MLA AC-57 PATPARGANJ | PWD | NARWANA ROAD INFRONT OF SARASWATI KUNJ SOCIETY | Both road & footpath | Lat- 283726024" N Long-77183225" E | Substation | 1 | C BLOCK WEST VINOD NAGAR (LAXMI NAGAR) | - | LAXMINAGAR | FY 2024-25 | IT IS PENDING DUE TO NON-AVAILABILITY OF NOC FROM NGT & PWD | 3 Months after availability of appropriate alternate land space & Funds |
| 2 | CHIEF SECRETARY GNCTD & RECEIVED FROM Dy SECRETARY POWER | MCD | MANDOLI ROAD RAM NAGAR SHAHDARA | Both road & footpath | Lat- 284041470" N Long-771736534" E | Substation | 1 | MOTI RAM ROAD PEER WALA | - | G.T ROAD | FY 2024-25 | NO ALTERNATE SPACE AVAILABLE FOR 11KV SUBSTATION SHIFTING FROM MCD | 3 Months after availability of appropriate alternate land space & Funds |
| 3 | LOCAL RESIDENTS NEAR BY THE SUBSTATION THROUGH MLA AC-23 KAROL BAGH | PWD | FAIZ ROAD NEAR KALKA DAS CHOWK | Both road & footpath | Lat- 283857139 N Long-771158969" E | Substation | 1 | FAIZ ROAD NO.1 | - | SHANKAR ROAD | FY 2024-25 | NO ALTERNATE SPACE AVAILABLE FOR 11KV SUBSTATION SHIFTING FROM PWD | 2 Months after availability of appropriate alternate land space & Funds |
| 4 | POWER DEPT | PWD | JHEEL KHARENJA SCOOTER MARKET , NEAR BANKEY BIHARI TEMPLE | Road | Lat- 28.3934277N Long- 77.162635E | Substation | 1 | JHEEL P/M NO.1 | - | KRISHNA NAGAR | FY 2023-24 | SUB-STATION COULD NOT BE SHIFTED , DUE TO SPACE NOT PROVIDED BY PWD | 2 Months after availability of appropriate alternate land space & Funds |
| 5 | LOCAL RESIDENTS NEAR BY THE SUBSTATION THROUGH HONORABLE MLA SHRI ABDUL REHMAN | MCD | BRAHMPURI ROAD NEAR GHONDA CHOWK | Road | Lat- 28.4049557N Long- 77.1602005E | Substation and Poles | 1 | RISHI KARDAM MARG | 5 | YAMUNA VIHAR | FY 2023-24 | SUBSTATION SHIFTING ISSUE WAS RAISE BY THE THEN HON'BLE MLA SHRI ABDUL REHMAN , (AC-65 SEELAMPUR) BUT NO ALTERNATE LOCATION WAS PROVIDED TO BYPL . ISSUE IS STILL UNDER DISCUSSION | 1 Month after availability of appropriate alternate land space & Funds |
| 6 | DELHI TRAFFIC POLICE | PWD | NEAR SHIV MANDIR 100 FT. RD, EAST BABARPUR | Both road & footpath | Lat- 28.6895950 Long- 77.2848296 | Substation | 1 | SHIV MANDIR 100 FT. RD PL | - | NAND NAGRI | FY 2019-20 | SITE VISITED ALONGWITH PWD OFFICIALS IN OCT-2019 BUT NO ALTERNATE SPACE PROVIDED BY PWD TO BYPL TILL DATE | 3 Months after availability of appropriate alternate land space & Funds |
| 7 | LOCAL RESIDENTS NEAR BY THE POLE THROUGH HONORABLE MLA SHRI KULDEEP KUMAR | MCD | KONDLI VILLAGE NEAR SHIV MANDIR | Road | Lat- 28.6116909N Long- 77.3239633E | Pole | - | - | 1 | VASUNDHARA ENCLAVE | FY 2022-23 | FUNDS NOT RECEIVED | 1 week after availability of Funds |

OPEN Complaint BRPL 2(ग)

**OBSTRUCTION CAUSED ON ACCOUNT OF PRESENCE OF ELECTRIC POLES/TRANSFORMERS-ACTION TO BE TAKEN BY POWER DEPARTMENT**

Annexure-A

| S.NO | Name of road/ footpath | Name of the road | Length of survey from-to; mention specific landmark | Obstructions noticed In the | | Obstructions noticed In | | Range | Nodal Deptt. | Division | Final Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Type | Latitude/ Longitude | Type | Latitude/ Longitude | | | | |
| 1 | PWD | Main Najafgarh road | 300 Mtrs near Mahindru hospital at Main Najafgarh road uttam nagareast metro stn to dwk more in | electric transformer | 77.049713 / 28.0620716 | Nil | N/A | western range | Power | Uttam Nagar | Letter written to PWD for Joint Visit. |
| 2 | PWD | OLD Kakrola Road | 1.5 KM from TuraMandi to Najafgarh Drain | Transformer and electricty Poles | 28.595594 / 77003186 | Nil | N/A | western range | Power | Najafgarh | Joint Inspection done with PWD official.PWD official informed that Road dosenot belong to PWD.UD is requested for identifying the Road owning Agency |
| 3 | PWD | Aurobindo Marg | 4.8 KM PTS T-Point to AIIMS (Near Adchini Red Lighttowards Adchini Bus stop) | Nil | Nil | electric trransformer on footpath near Adchini Red Light | 28.5374911 / 77.1958976 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted-No Space is available for Shifting the transformer. |
| 4 | PWD | Aurobindo Marg | 4.8 KM PTS T-Point to AIIMS (Near Adchini bus stop) | Nil | Nil | electric trransformer on footpath near Adchini bus stop | 28.536549 / 77.197507 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted-No Space is available for Shifting the transformer. |
| 5 | PWD | SSN Marg ( BhatiMines to 100 Foota Red Light) | Near Rajpur Jat Cut | electricty transformer | 28.495381 / 77.184146 | electricity transformer | 28.495381 / 77.184146 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted-No Space is available for Shifting the transformer. |
| 6 | PWD | SSN Marg | Near Nanda Hospital | electricty transformer | 28.494102 / 77.184316 | electricity transformer | 28.494102 / 77.184316 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted-No Space is available for Shifting the transformer. |
| 7 | PWD | SSN Marg ( 100 Foota Red Light to BhatiMines) | Near Y-Point | Nil | Nil | electricity transformer | 28.502979 / 77.185711 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted-No Space is available for Shifting the transformer. |
| 8 | PWD | SSN Marg ( 100 Foota Red Light to BhatiMines) | Near Y-Point | Nil | Nil | electricity transformer | 28.501493 / 77.185845 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted-No Space is available for Shifting the transformer. |

| S.NO | Name of road/ footpath | Name of the road | Length of survey from- to; mention specific landmark | Obstructions noticed in the | | Obstructions noticed in | | Range | Nodal Deptt. | Division | Final Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Type | Latitude/ Longitude | Type | Latitude/ Longitude | | | | |
| 9 | PWD | SSN Marg ( 100 Foota Red Light to BhatiMines) | Near Y-Point | Nil | Nil | electricity transformer | 28.501142 / | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted- No Space is available for Shifting the transformer. |
| 10 | PWD | | Near Y-Point | Nil | Nil | electricity transformer | 28.501547 / 77.18515 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted- No Space is available for Shifting the transformer. |
| 11 | PWD | | Near Y-Point | Nil | Nil | electricity transformer | 28.500911 / 77.185718 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted- No Space is available for Shifting the transformer. |
| 12 | PWD | | Near Maidan Garhi Cut | Nil | Nil | Electricity Panel | 28.498548 / 77.185047 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted- No Space is available for Shifting the transformer. |
| 13 | PWD | | Near shani Dham Cut | Nil | Nil | electricity transformer | 28.46391 / 77.186324 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted- No Space is available for Shifting the transformer. |
| 14 | PWD | | Near Chandan Holla | electricity transformer | 28.466734 / 77.186489 | electricity transformer | 28.466734 / 77.186489 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted- No Space is available for Shifting the transformer. |
| 15 | PWD | | Near Fatehpur Beri MKT | electricity transformer | 28.459119 / 77.184747 | electricity transformer | 28.459119 / 77.184747 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted- No Space is available for Shifting the transformer. |
| 16 | PWD | | Infront of Radha Swami Satsang Beas Main gate. | Nil | Nil | Permanent structure Electric Pole | 28.439273 / 77.197898 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted- No Space is available for Shifting the transformer. |
| 17 | PWD | | Radha Swami Satsang Beas. | Nil | Nil | electricity transformer | 28.438062 / 77.199401 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted- No Space is available for Shifting the transformer. |
| 18 | PWD | | Radha Swami Satsang Beas. | Nil | Nil | Electricity Panel | 28.438456 / 77.198578 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted- No Space is available for Shifting the transformer. |
| 19 | PWD | | Radha Swami Satsang Beas. | electricity transformer | 28.443988 / 77.18961 | electricity transformer | 28.443988 / 77.18961 | southern range | Power | Saket | Joint Visit with PWD Conducted- No Space is available for Shifting the transformer. |
| 20 | PWD | Main Najafgarh road Uttam Nagar near Metro Pillar NO 675 opposite Dall Mill Road Uttam Nagar, New Delhi | Approx-3 KMS, Metro Pillar No 639 to Metro Pillar No 745 | Eclectic Transformer (Near Pillar No 675) | 28.62237 & N28.37'20.51832 /77.055863E77.3,3 | Nil | Nil | | Power Deptt. | Vikaspuri | Letter written to PWD for Joint Visit. |

| S.NO | Name of road/ footpath | Name of the road | Length of survey from- to; mention specific landmark | Obstructions noticed in the | | Obstructions noticed in | | Range | Nodal Deptt. | Division | Final Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Type | Latitude/ Longitude | Type | Latitude/ Longitude | | | | |
| 21 | PWD | Main Najafgarh road Uttam Nagar near Metro Pillar NO 662 opposite Dall Mill Road Uttam Nagar, New Delhi | Approx 3 Kms, Metro Pilar NO 639 to metro Pillar NO -745 | Eclectic Transformer (Near Pillar No 662) | 28.62357 & N28.37'24.84912 / 77.06174 E-long 77.3,42.25706 | Nil | Nil | | Power Deptt. | Vikaspuri | Letter written to PWD for Joint Visit,Avalability of PWD official awaited for Joint Inspection |
| 22 | PWD | SSN Marg 100 foota roads , red light to bhatti mines | 100 foota road, red light to bhatti mines 13 KM | overflowing of heavy traffic | 28.502979 / 77.185631 | Electric Transformer and koodadan | 28.502979 / 77.185631 | | (i) Power (ii) MCD | SAKET | Joint Visit with PWD Conducted- PWD official to revert on alternative Space |

**Note- BRPL will take up shifting work wherever space and funds are provided subject to completion of all commercial formalities and technical feasibility. There is no other pending cases.**

TPDDL 2(क)

Details of opened complaints for pole shifting and substation shifting creating obstruction on roads in TPDDL area

| S. No. | Source of Complaint | Road Owning Agency | Location Details - Road Name/Area Name | Obstructing (Road/Footpath Along Road/Both) | Google Coordinates (Lat,Long) | Network element creating obstruction | No. of 11kV substations pending for shifting | To be shifted 11kV substation name | No. of poles to be shifted | TPDDL Area/Zone | Complaint logged in FY | Work status | Timeline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supreme Court Monitored 77 Corridor | PWD | Kingsway Camp to Nirankari Sarover | Footpath | NA | Yes | 2 Nos. | | | Kingsway Camp to Nirankari Sarover | Fy19/& wprk Held-Up | work completed-<br>1.Shifting of LT ABC from Pole No 413-22/23 to Pole No 413-22/20 by installing new poles.<br>2.Replacement of existing O/H Bare conductor from Pole No HT413-14/54 to Pole No HT413-14/53 by new HT U/G Cable.<br>3.Replacement of existing LT ABC from Pole No HT413-14/54 to Pole No 414-14/44<br>work pending-<br>4.(Draka Kosk S/Stn.-MCD land is required for relocating the existing S/Stn.<br>5.(RBTB Hospital)-MCD land is required for relocating the existing S/Stn.<br><br>Current status-PWD has to arrange space from MCD and provide it to TPDDL for shifting of transformer at two loaction mentioned at S.No 4 & 5... In case, the space is arrange by PWD, the scheme will also need be be revised as the scheme is framed in 2019 and alternate space arrangement in pending since last 6 years. | The costing of this scheme has to be esclated and scheme need to be reframed once the clarity regarding space requirement is fulfilled. The work will be completed by 4 months from the date of alternate space and payment of addition fund due to revision. |
| 2 | Supreme Court Monitored 77 Corridor | PWD | Removal of EHV line from Rohtak road Punjabi Bagh | Footpath/Road | NA | Yes | | | | Rohatak Road Grid | Completed | Work completed at site in Jan23 | |
| 3 | Supreme Court Monitored 77 Corridor | PWD | Anukampa Chowk to Britannia | Road | NA | Yes | | | | Britania Read Light to Anukampa Chowk | Completed | The work completed at site in March 2020 | |
| 4 | Supreme Court Monitored 77 Corridor | PWD | Gulab Singh Road (WaterTank Chowk) | Footpath | NA | Yes | | | | Ashok Vihar | Completed | The work was completed at site in Apr 2020 | |
| 5 | Supreme Court Monitored 77 Corridor | PWD | Bawana T point to Ishwar Colony | Road | NA | Yes | | | | Bawana | Completed | The work completed at site in Feb 22 | |
| 6&7 | Supreme Court Monitored 77 Corridor | PWD | Badli - Bawana Road & Kanjhawala - Bawana Road(i.e. two scheme) | Road/Footpath | NA | Yes | | | | Bawana | Completed | The work has been completed in Dec 21 | |
| 8 | Supreme Court Monitored 77 Corridor | PWD | Part A. State Transport Authority, Burari to Shalimar palace | Road/Footpath | NA | Yes | | | | Burari | Completed | Part A. Part A: -Scheme PR/D0414/00072-LHS<br>The work is completed at site in Aug 2021. | |
| 9 | Supreme Court Monitored 77 Corridor | PWD | Part B. Shalimar Palace to Hospital to Hiranki | Road/Footpath | NA | Yes | | | | Burari | Completed | Part B: The work was completed at site in July 2020 | |
| 10 | Supreme Court Monitored 77 Corridor | PWD | shifting of electrical services at F Block Mangolpuri | Road | NA | Yes | | | | Mangol Puri | Completed | Work completed at site Dec 22 | |

Q.N. 2'ख'

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**(DEPARTMENT OF POWER)**
**DELHI SECRETARIAT, 8TH LEVEL B-WING**
**NEW DELHI-110002**

No: F.11 (09)/2007/Power/2609-2619 Dated: 03rd August, 2018

**ORDER**

**Sub: Policy on the shifting of HT (11KV, 33KV & 66KV) / LT400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives – Modification of Cabinet decision No.1588 dated 09.11.2009 thereof.**

The Council of Ministers, Govt. of NCT of Delhi vide decision no. 2604 dated 31.07.2018 on the subject cited above has considered and approved the following in respect of the existing policy on shifting of HT/LT Lines:

i. *In case of colonies set up under 20 point programme in the rural area, the shifting of HT/LT lines would be done through the fund of Govt. from the budget of Power Department which would provide for 100% of the cost of shifting.*

ii. In respect of other rural areas, like Lal Dora areas and extended Lal Dora areas, the cost of shifting of HT/LT lines would also be made from the funds of Govt. from the budget of Power Department which would provide for 100% of the cost of shifting.

iii. In respect of farmhouses, the entire cost of shifting will be borne by the affected consumers. In case of farmers other than farmhouse owners, 100% of the cost of shifting is to be borne by Govt. from the budget of Power Department.

iv. In respect of regularized unauthorized colonies including urbanized villages and resettlement colonies, 100% of the cost of shifting is to be borne by Govt. from the budget of Power Department.

v. In case of HT/LT lines passing through Government Institutions, public authority buildings, schools, hospitals, colleges of public nature and

which are owned by the government, 100% of the funding would be met by the concerned department/ agency for shifting of the lines.

vi. In case of private institutions of a public nature like educational and health institutions etc., 100% of the cost of shifting is to be borne by the concerned institution.

vii. Scope of the policy of HT/LT lines will include the HT transmission lines of 11KV, 33KV as well as 66KV and LT lines of 400V.

(Sudhir Sharma)
Dy. Secretary (Power)

Copy to : -

1. Pr. Secretary to Lt. Governor, Delhi.
2. Spl. Secretary to the Chief Minister, Delhi.
3. Council of Ministers, GNCTD
4. All MLAs, GNCTD
5. SO to Chief Secretary, GNCTD
6. Addl. Chief Secretary, GNCTD
7. All Pr. Secretaries / Secretaries, GNCTD
8. Pr. Secretary (UD), GNCTD
9. Secretary, DERC
10. Dir (O), DTL
11. CEOs, BRPL, BYPL & TPDDL

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**(DEPARTMENT OF POWER)**
**DELHI SECRETARIAT 8th LEVEL, B-WING,**
**I.P.ESTATE NEW DELHI - 110002**

No.F.11(26)/2014/Power/575 Dated. 22-3-2023

## ORDER

Sub: Policy on the shifting of HT (11KV, 33KV & 66KV) / LT(400V) Electricity Transmission Lines posing threat to human lives – Modification of Cabinet decision No.2604 dated 31.07.2018 thereof.

The Council of Ministers, Govt. of NCT of Delhi vide Decision No.3105 dated 07.02.2023 has considered and approved the following in respect of the existing policy No. F.11(09)/2007/Power/2609-2619 dated 03.08.2018 on shifting of HT/LT Electricity Transmission Lines posing threat to human lives:

i. The clause-V of existing policy of shifting of HT/LT lines dated 03.08.2018 has been modified to the following extent:

   *v. In case of HT/LT lines passing through Government Institutions, public authority buildings, public schools, public hospitals, colleges of public nature and which are owned by the government, 100% of the funding would be borne by the Power Department GNCTD (under intimation to the land-owning agency concerned) in order to avoid further causalities for shifting of the lines, subject to the condition that 'No Objection Certificate' has been obtained from the concerned land-owning agency for undertaking such work of shifting of lines.*

ii. A new clause in existing policy of shifting of HT/LT line dated 03.08.2018 has been added:

   The Expert Technical Committee (ETC) would assess the proposals of shifting of HT/LT lines and certify that the existing electric line proposed for shifting pose threat to human lives.

22/03/2023
(L.L.Meena)
Dy. Director (Power)

Copy to:

1. The Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi.
2. Addl. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Delhi
3. Council of Ministers, GNCTD.
4. All MLAs, GNCTD
5. OSD to Chief Secretary, Delhi.
6. All Addl. Chief Secretary/ Pr. Secretary/ Secretary, GNCTD
7. Secretary (UD), GNCTD
8. Secretary, DERC
9. Director (Opr.),DTL
10. Chairman, ETC/ G.M. (Planning), DTL
11. CEO-BRPL, CEO-BYPL, CEO-TPDDL

**12. श्री विशेष रवि:** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में 1 अप्रेल 2005 से 31 जनवरी 2025 तक, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों सहित, बनाए गए नए कमरों की वित्त वर्षवार संख्या प्रदान करें; और

(ख) शिक्षा निदेशालय द्वारा 1 अप्रैल 2005 से 31 जनवरी 2025 तक, बनाए गए नए स्कूलों की वित्त वर्षवार संख्या प्रदान करें?

**शिक्षा मंत्री:** (क) मौजूदा जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2005 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 15775 कक्षाओं, 4113 प्रयोगशालाओं, 777 पुस्तकालयों 3311, अन्य कमरे तथा कुल 27841 समकक्ष कमरों का निर्माण कराया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

| वर्ष | कक्षा | प्रयोगशाला | टॉयलेट | पुस्तकालय | अन्य | कुल समकक्ष कमरे |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 61 | 8 | 21 | 2 | 10 | 102 |
| 2006-07 | 98 | 15 | 24 | 03 | 38 | 178 |
| 2007-08 | 124 | 11 | 28 | 1 | 14 | 178 |
| 2008-09 | 406 | 42 | 63 | 16 | 108 | 635 |
| 2009-10 | 487 | 39 | 60 | 9 | 37 | 632 |
| 2010-11 | 385 | 26 | 52 | 16 | 53 | 532 |
| 2011-12 | 481 | 25 | 54 | 15 | 31 | 606 |
| 2012-13 | 847 | 40 | 86 | 13 | 64 | 1050 |
| 2013-14 | 813 | 63 | 128 | 13 | 201 | 1218 |
| Total | | | | | | 5131 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 722 | 32 | 94 | 12 | 64 | 924 |
| 2015-18 | 4912 | 1602 | 1434 | 82 | 1008 | 8910 |
| 2018-23 | 6264 | 2176 | 1785 | 583 | 1760 | 12568 |
| 2023-25 | 175 | 34 | 36 | 12 | 51 | 308 |
| Total | | | | | | 22710 |

(ख) मौजूदा जानकारी के अनुसार, 1 अप्रैल 2005 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 124 स्कूल भवनों का निर्माण किया गया, जिसका वित्त वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

Details of New School Buildings w.e.f. 2005 to 2005

| Year | No. of School Buildings |
|---|---|
| 2005-06 | 2 |
| 2006-07 | 0 |
| 2007-08 | 6 |
| 2008-09 | 6 |
| 2009-10 | 3 |
| 2010-11 | 10 |
| 2011-12 | 13 |

| | |
|---|---|
| 2012-13 | 12 |
| 2013-14 | 18 |
| 2014-15 | 10 |
| 2015-16 | 0 |
| 2016-17 | 5 |
| 2017-18 | 17 |
| 2018-19 | 1 |
| 2019-20 | 4 |
| 2020-21 | 0 |
| 2021-22 | 1 |
| 2022-23 | 6 |
| 2023-24 | 5 |
| 2024 upto 31.01.2025 | 5 |
| Total | 124 |

**13. श्री जितेंद्र महाजनः** क्या माननीय **कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कला और संस्कृति विभाग के अंतर्गत आने वाले विभागों में कोविड के दौरान वर्ष 2020 में कितने लोग कंसल्टेंट तथा एडवाईजर के पदों पर कार्य कर रहे थे,

(ख) उनके द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा किन लोगों द्वारा की गयी, जानकारी प्रदान करें;

(ग) इन विभागों में वर्तमान में कितने लोग कांट्रेक्ट पर लगे हुए हैं तथा कब से लगे हुए हैं;

(घ) इन विभागों की स्थापना कब की गई और इस सबके स्थापना से संबंधित दस्तावेजों सहित पूर्ण जानकारी प्रदान करें;

(ङ) हिंदी, उर्दू, सिंधी व पंजाबी अकादमियों के मेमोरेंडम तथा रूल्स एंड रेगुलेशन की रजिस्ट्रेशन के समय जमा की गयी सत्यापित दस्तावेजों की कापी बोर्ड सदस्यों सहित पूर्ण जानकारी प्रदान करें; और

(च) कोविड के दौरान इन सभी एडवाइजर और कंसल्टेंट की क्या आवश्यकता थी तथा इन्हें कितना भुगतान किया गया, जानकारी उपलब्ध करायें?

**कला एवं संस्कृति मंत्रीः** (क) कला एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत आने वाले विभागों तथा स्वायत संस्थाओं में कोविड के दौरान वर्ष 2020 में 2 कंसल्टेंट तथा 1 एडवाईजर कार्य कर रहे थे।

(ख) उनके द्वारा किये गए कार्य की समीक्षा क्रमशः सचिव, साहित्य कला परिषद तथा एकॉउनट्स ऑफिसर व सचिव उर्दू अकादमी द्वारा की गयी।

(ग) इन विभागों में वर्तमान में 39 लोग कांट्रेक्ट पर तथा 09 लोग दैनिक वेतन पर कार्यरत हैं। इनका संबंधित विवरण अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

(घ) इन विभागों की स्थापना वर्ष का विवरण निम्न प्रकार से है:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | साहित्य कला परिषद् | : वर्ष 1969 (पंजीकरण वर्ष 1975) |
| 2. | दिल्ली अभिलेखागार | : वर्ष 1972 |
| 3. | पुरातत्व विभाग | : वर्ष 1978 |
| 4. | हिंदी अकादमी | : वर्ष 1981 |
| 5. | उर्दू अकादमी | : वर्ष 1981 |
| 6. | पंजाबी अकादमी | : वर्ष 1981 |
| 7. | संस्कृत अकादमी | : वर्ष 1987 |
| 8. | सिंधी अकादमी | : वर्ष 1994 |
| 9. | डॉ गो.गि.ला.शा. प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान | : वर्ष 2003 |
| 10. | मैथिलि भोजपुरी अकादमी | : वर्ष 2008 |
| 11. | कुमाउॅनी गढ़वाली एवं जौनसारी अकादमी | : वर्ष 2019 |

इनके स्थापना से संबंधित दस्तावेज अनुलग्नक-2 पर संलग्न है।

(ङ) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार हिंदी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी अकादमियों के मेमोरेंडम तथा रूल्स एंड रेगुलेशन की सत्यापित कॉपी बोर्ड सदस्यों संबंधी अधिसूचना सहित अनुलग्नक-3 (क, ख, ग, तथा घ) पर संलग्न है।

(च) साहित्य कला परिषद् व उर्दू अकादमी में अनेक वरिष्ठ एवं अनुभवी पदाधिकारियों के सेवानिवृत हो जाने के कारण महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन व सरकारी सूचना आदेशों के अनुवाद आदि कार्यों के लिए सम्बद्ध स्वायत निकाय के सेवानिवृत कर्मचारियों को एडवाइजर और कंसल्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया। इन अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य, स्टाफ के आर.आर. रिवीजन, अनुवाद, प्रकाशन सहित अन्य आवश्यक कार्यों के निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

उपरोक्त सभी को किए गए भुगतान का विवरण अनुलग्नक-4 पर संलग्न है।

**14. श्री वीर सिंह धिगान:** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमापुरी विधानसभा क्षेत्रा में सुंदर नगरी पुनर्वास कॉलोनी में दिल्ली सरकार द्वारा किसी नए स्कूल का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह स्कूल कब तक आरंभ होगा;

(ग) इस स्कूल का शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया था;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि यह स्कूल निर्धारित समयावधि के अंदर बन गया था; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस स्कूल को आरंभ होने में अभी और कितना समय लगेगा?

---

**शिक्षा मंत्रीः** (क) जी हाँ, सुंदर नगरी पुनर्वास कॉलोनी में दिल्ली सरकार द्वारा एक नए स्कूल "एसबीवी/एसकेवी एम–ब्लॉक सुंदर नगरी, दिल्ली–93" का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन 14 नवंबर 2024 को किया गया था। जिसका sanction पत्राांक Sanction group:- 2021000076, No.F16/Estate/ DoE/Const. 16 Rooms/Sunder Nagari, दिनांक 14.09.2021 है। 160 समान कमरे (जी+3) एसपीएस और 1 एमपी हॉल, 1 लिफ्ट, 16 शौचालय ब्लॉक, साइट का विकास, फर्नीचर इत्यादि का भवन में प्रावधान किया गया है। जिसकी Sanction राशि 491540000/- है। (संलग्नक–'क')

(ख) स्कूल में बिजली/सीवर/पानी के कनेक्शन की प्रक्रिया चल रही है। कनेक्शन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। स्कूल के भवन को अभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा शिक्षा विभाग को नहीं सौंपा गया है। भवन निर्माण में कुछ कमियां हैं जैसे कि जगह–जगह पर रेलिंग नहीं लगी हुई है और बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है जैसे ही यह विद्यालय भवन शिक्षा विभाग को सौंप दिया जाएगा वैसे ही नए विद्यालय की कक्षाएं शुरू कर दी जायेगी।

(ग) स्कूल का शिलान्यास दिनांक 09.01.2023 को तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्राी द्वारा किया गया था।

(घ) उपरोक्त नए भवन का निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। इस कार्य के लिए 49.15 करोड़ रुपये का सैंक्शन आर्डर दिनांक 14.09.2021 को जारी किया गया। यह कार्य 15 महीने की अवधि के अंदर पूर्ण होना था, परन्तु यह कार्य 31.08.2024 को पूर्ण हुआ।

(ङ) जैसे ही विद्यालय भवन की कमियां दूर हो जाएंगी वैसे ही विद्यालय में कक्षाएं प्रारंभ कर दी जाएंगी।

Office of DDE (NE-II)
Diary No.......
Date........27/9/21

**GOVT. OF NCT DELHI**
**DIRECTORATE OF EDUCATION**
**(ESTATE BRANCH)**
**LUCKNOW ROAD : DELHI-54**

Sanction Date:14/09/2021
Issue Date:

Sanction Group 2021000076
No. F.16/Estate/DoE/Const.160Rooms/Sunder Nagari/
To

**The, Chief Engineer, Education Project Division, PWD,**
**MSO Building, IP Estate, New Delhi-2**
**East & North East Division, Education Project Division**

**Sub:- Construction of 160 Equ. rooms (G+3) SPS and 1 MP Hall, 1Lift, 16 Toilet Blocks, Development of Site, Furniture etc on vacant land of F1&F2 Block Sunder Nagari.**

Sir,

With reference to letter No.20(Estimate)/Education Division (East & NE)/PWD/297 dated 23.03.2021 of the Executive Engineer, CBMD, PWD, Govt. of Delhi. I am directed to convey the Admn. Approval / sanction of Pr. Secretary(Education), Delhi for incurring an expenditure amounting to Rs.491540000(Forty Nine Crore Fifteen Lac Forty Thousand) out of which Rs. 88477200(Eight Crore Eighty Four Lac Seventy Seven Thousand Two Hundred ) is debitable to the Major Head 4202 01 789 97 00 53-Construction of Additional Class Room in the existing School Buildings(SCSP) and Rs. 403062800 (Forty Crore Thirty Lac Sixty Two Thousand Eight Hundred ) is debitable to the Major Head 4202 01 202 94 00 53-Construction of Additional Class Room in the existing School Buildings in demand no.11 of GNCTD during the year 2021-22 for above mentioned work at **Construction of 160 Equ rooms (G+3) SPS and 1 MP Hall, 1Lift, 16 Toilet Blocks**, Development of Site, **Furniture etc on vacant land of F1&F2 Block Sunder Nagari**, Delhi subject to the following conditions :-

a) That PWD shall observe all codal formalities.
b) That the escalation in cost will not be allowed under any circumstance.
c) In no case additional funds will be provided to PWD.
d) Please ensure timely completion, quality work and no duplication of work.
e) PWD has to submit the status report regarding above mentioned work to Education Department from time to time
f) PWD will ensure that the guidelines to be followed as per norms GFR, technical specification manuals, CVC guidelines and all laws in this regard.

The Executive Engineer, concerned will submit monthly progress report to this office about execution/completion of the work.

This issue with the concurrence of the Pr. Secretary (Education) vide U.O.No. 1274/SE Dated 10/09/2021.

Your's faithfully,

[S.K. Shukla]
S.O. (L&E)

No. F.16/Estate/DoE/Const.160Rooms/Sunder Nagari/ 2091-95 Dated 14/09

**Copy for information and necessary action to:-**

1.PS to Principal Secretary(Finance), Delhi Secretariat, New Delhi
2.PS to Director of Planning, Planning Department, Delhi Secretariat, New Delhi
3.PS to Secretary(Education), Old Secretariat, Delhi 54
4.PS to Director of Education, Old Secretariat, Delhi 54
5.PS to Jt.D.E(IT), Patrachar school Building Timarpur, Delhi 54 (with request to upload the same on MIS)
6.Jt. Director of Education (Planning), Old Patrachaar Vidhyalaya, Timarpur for information please.
7.DDE (North East-II), Dte. of Education, Yamuna Vihar for necessary action please.
8.Executive Engineer (East & North East), Education Project Division, Western Yamuna Bank, Lok Nayak Setu, IP Estate, New Delhi-2 for necessary action please.
9.OS (IT)/Programmer, Dte. of Education, Old Sectt. with request to upload on official website.

[S.K. Shukla]
S.O. (L&E)

Guard file
DDE(Z-6)
04/10/21

HOS,
SSS, Sunder Nagri

**15. श्री कुलदीप कुमारः** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी 2019 से 19 फरवरी 2025 तक कितने 'मेडिको लीगल पीड़ितों' का इलाज योजना के अंतर्गत किया गया;

(ख) योजना के आरंभ से, सरकार ने कितनी राशि का आवंटन, इस योजना के लिए किया है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत किसी दुर्घटना-पीड़ित के लिए खर्च की गई अधिाकतम राशि क्या है?

**स्वास्थ्य मंत्रीः** (क) सड़क दुर्घटना योजना के तहत इलाज किए गए लाभार्थियों की संख्या 30365 (तीस हजार तीन सौ पेंसठ) है।

(ख) दिल्ली आरोग्य कोष को कई सेवाओं अर्थात सर्जरी योजना, डायग्नोस्टिक योजना, डायलिसिस योजना और सड़क दुर्घटना योजना चलाने के लिए अनुदान प्राप्त होता है। सड़क दुर्घटना योजना के लिए कोई अलग से बजट आवंटित नहीं किया जाता है फरवरी 2019 से अब तक सभी योजनाओं के लिए कुल 2,63,25,00,000/- (दो अरब तिरसठ करोड़ पच्चीस लाख) रूपये प्राप्त हुए हैं।

(ग) दिल्ली आरोग्य कोष द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर सड़क दुर्घटना से पीड़ित व्यक्ति के लिए खर्च की ग अधिकतम राशि का लेखा-जोखा तत्काल उपलब्ध नहीं है।

**16. श्री राम सिंह नेताजी:** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्रा के जैतपुर वार्ड में स्थित दिल्ली सरकार का सर्वोदय बाल विद्यालय केवल आठवीं कक्षा तक ही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सत्य है कि इस स्कूल से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को मीठापुर स्थित दिल्ली सरकार के अन्य स्कूल में प्रवेश लेना पड़ता है, जो डेढ़ किलोमीटर दूर है;

(ग) क्या सरकार की जैतपुर के इस स्कूल को 12वीं कक्षा तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो संपूर्ण विवरण दें?

**शिक्षा मंत्री:** (क) जी हाँ, यह सत्य है कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्रा में स्थित दिल्ली सरकार का सर्वोदय विद्यालय (सह-शिक्षा माध्यमिक) जैतपुर विस्तार कक्षा आठवीं तक ही है जो कि सत्रा 2022-2023 से आरंभ हुआ है। 9वीं कक्षा से योजनागत प्रवेश (Plan Admission) के तहत छात्राएं निकटतम विद्यालय मोलरबंद (मीठापुर) स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर-4 मोलरबंद और छात्रा सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर-3 मोलरबंद में जाते हैं।

(ख) 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करके विद्यार्थी योजनागत प्रवेश (Plan Admission) के तहत दिल्ली सरकार के निकटतम विद्यालय मोलरबंद (मीठापुर) स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर-4 मोलरबंद और छात्रा सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर-3 मोलरबंद में जाते हैं।

(ग) जी नहीं, वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।?

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

17. **श्री अरविंदर सिंह लवली:** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 2013 व वर्ष 2024 में सरकारी स्कूलों की कुल संख्या;

(ख) इन स्कूलों में वर्ष 2013 व वर्ष 2024 में नामांकित छात्राों की कुल संख्या;

(ग) वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2024 में दिल्ली की जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(घ) वर्ष 2013 व 2024 में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल व अध्यापकों के भरे हुए तथा रिक्त पदों की संख्या;

(ङ) कक्षा 8, 9 व 11 में वर्ष 2012 में व वर्ष 2024 में क्रमश: कितने छात्रा परीक्षा में बैठे व कितने उत्तीर्ण हुए;

(च) वर्ष 2009-10 और 2023-24 में दिल्ली के स्कूलों में 'ड्रॉपआउट' दर क्या थी;

(छ) वर्ष 2010-11 तथा वर्ष 2023-24 में दसवीं व बारहवीं कक्षा के परिणाम का प्रतिशत क्या रहा; और

(ज) वर्ष 2013 और 2024 में दिल्ली में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा पब्लिक स्कूलों की कुल संख्या?

**शिक्षा मंत्रीः** (क)

| वर्ष | सरकारी स्कूलों की कुल संख्या (डीओई) |
|---|---|
| 2012-2013 | 969 |
| 2023-2024 | 1061 |

(ख) वर्ष 2012-2013 में नामंकित छात्रों की कुल संख्या-1552026

वर्ष 2023-2024 में नामंकित छात्रों की कुल संख्या-1703292

(ग) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा तैयार जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार 01 जुलाई 2013 को दिल्ली की अनुमानित जनसंख्या 17670000 थी और 01 जुलाई, 2024 तक यह 21884000 हो जाने का अनुमान है। इसलिए वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2024 में दिल्ली की जनसंख्या में 23.85 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

(घ)

| | Post | Year | Sanctioned | Filled | Vacant |
|---|---|---|---|---|---|
| | Principal | 2013 | 950 | 679 | 271 |
| | | 2024 | 950 | 728 | 222 |
| Total | Vice | 2013 | 1295 | 1041 | 254 |
| | Principal | 2024 | 1670 | 640 | 1030 |
| | Teachers | 2013 | 53500 | 35614 | 17886 |
| | | 2024 | 59582 | 41614 | 17968 |

(ङ)

| Class | 2011-12 | | 2023-24 | |
|---|---|---|---|---|
| | Appeared | Passed | Appeared | Passed |
| 8th | 183208 | 183208 | 234894 | 188232 |
| 9th | 201265 | 191411 | 277198 | 175867 |
| 11th | 166233 | 126468 | 216857 | 164943 |

(च) वर्ष 2009-10 में ड्रॉपआउट दर:-

| | |
|---|---|
| कक्षा (I-V) | 13.3% |
| कक्षा (I-X) | 2.0% |

स्रोतः Statistics of School Education 2009-10

वर्ष 2023-24 में ड्रॉपआउट दर:-

| | |
|---|---|
| प्राथमिक स्तर | 0% |
| उच्च प्राथमिक स्तर | 0.6% |
| माध्यमिक स्तर | 10.4% |

स्रोतः UDISE 2023-24.

(छ)

| Class | 2010-11 passed % | 2023-24 passed % |
|---|---|---|
| $10^{th}$ | 99.09 | 97.46 |
| $12^{th}$ | 87.54 | 98.04 |

(ज)

| स्कूल का प्रकार | वर्ष | कुल संख्या |
|---|---|---|
| सरकारी स्कूल | 2012-2013 | 969 |
| | 2023-2024 | 1061 |
| सरकारी सहायता | 2012-2013 | 211 |
| प्राप्त स्कूल | 2023-2024 | 199 |
| पब्लिक स्कूल | 2012-2013 | 1468 |
| (UDISE के रिकॉर्ड के अनुसार) | 2023-2024 | 1682 |

18. **श्री अनिल झाः** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार की, किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में नया सरकारी अस्पताल अथवा स्वास्थ्य केंद्र खोलने की कोई योजना है;

(ख) सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में डाक्टरों, नर्सों व अन्य मेडीकल स्टाफ की संख्या क्या है, अस्पताल वार विवरण दें;

(ग) क्या किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में 'मोबाइल हेल्थ क्लीनिक' अथवा 'टेलीमेडीसन' जैसी सुविधाएँ देने का कोई प्रावधान रखा गया है;

(घ) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं का विवरण दें तथा सरकारी अस्पतालों में प्रसूति सुविधाओं की स्थिति से अवगत कराएँ;

(ङ) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में शिशुओं व बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति से अवगत कराएँ; और

(च) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के विकास के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है?

**स्वास्थ्य मंत्री:** (क) दिल्ली सरकार की किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में नया अस्पताल खोलने की योजना थी, हालांकि अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि अस्पताल वहां बनाया जाए या नहीं।

(ख) सरकारी अस्पतालों में:-

| डॉक्टर | नर्स | अन्य मेडिकल स्टाफ |
|---|---|---|
| 1036 | 5557 | 3353 |
| औषधालयों में | | |
| डॉक्टर | नर्स | अन्य मेडिकल स्टाफ |
| 542 | 500 | 1085 |

अस्पतालवार सूचना एकत्रित की जा रही है जिसे कुछ समय बाद भेज दी जाएगी।

(ग) एमएचएस (मोबाइल स्वास्थ्य योजना) को किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में रैनबसेरा या जनता के लिए मोबाइल स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और किसी अन्य प्राधिकरण से कोई मांग नहीं मिली है। अगर हमें भविष्य में कोई मांग या अनुरोध प्राप्त होता है तो मोबाइल क्लीनिक के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा।

टेलीमेडिसिन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए टेलीमेडिसिन ऐप को मोबाईल पर डाउनलोड करके या कम्प्यूटर पर किसी भी ब्राउजर के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। यह सेवा किराड़ी विधानसभा सहित पूरी दिल्ली में कहीं से भी उपयोग की जा सकती है।

(घ) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के सरकारी औषधालय में गर्भवती महिलाओं के लिए एंटी नेटल चेकअप टीकाकरण व दवाईयों की सुविधा उपलब्ध है। सरकार अस्पताल संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी में सभी प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ङ) किराड़ी विधान सभा क्षेत्र के सरकारी औषधालय में शिशुओं का टीकाकरण शत प्रतिशत है।

(च) विधानसभा क्षेत्रवार बजट के आवंटन से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**19. श्री अभय वर्मा:** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मंडावली में पॉलीक्लीनिक बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो यह पॉलीक्लीनिक कब बनाया जाएगा और इसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है;

(ग) दिल्ली में कुल कितने मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं;

(घ) निजी भवनों व सरकारी भवनों में चलने वाले मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या;

(ङ) इन मोहल्ला क्लीनिकों में कितने डॉक्टर, नर्से, फारमासिस्ट व सहायक कार्य कर रहे हैं और इन्हें कितना मानदेय दिया जा रहा है; और

(च) अब तक मोहल्ला क्लीनिकों से कितने रोगी लाभान्वित हुए हैं?

**स्वास्थ्य मंत्रीः** (क) जी हाँ। दिल्ली सरकार औषधालय मंडावली को रीमॉडल करके पॉलीक्लीनिक बनाने की योजना है।

(ख) दिल्ली सरकार औषधालय मंडावली उन 21 औषधालयों में सम्मिलित है जिनको ध्वस्त (Demolish) करके पॉलीक्लीनिकों के लिए नए भवनों का निर्माण किया जाना है। जिसके लिये विभागीय कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान परिस्थिति में समय सीमा बताना संभव नहीं है। दिल्ली सरकार के 94 औषधालयों को रीमॉडल करके पॉलीक्लीनिक बनाने के लिए अनुमानित राशि रू. 168.58 करोड़ (एक सौ अड़स दशमलव अटठावन करोड़) स्वीकृत थी परन्तु लोक निर्माण विभाग में 221.90 करोड़ (दो सौ इक्कीस दशमलव नब्बे करोड़) संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है जिसको स्वीकृत करने के लिए विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(ग) दिल्ली में कुल 553 मोहल्ला क्लीनिक चल रहे हैं।

(घ) कुल 389 मोहल्लों क्लीनिक सरकारी भवनों तथा अन्य में चल रहे हैं। 164 मोहल्ला क्लीनिक किराये के परिसर में चल रहे हैं।

| | | |
|---|---|---|
| (ङ) | डॉक्टर | 529 |
| | फार्मासिस्ट | 538 |
| | मोहल्ला क्लीनिक सहायक | 531 |
| | मल्टीटास्किंग कर्मचारी | 414 |

मानदेय से संबंधित सूची अनुलग्नक 'अ' के रूप में संलग्न है।

(च) अब तक मोहल्ला क्लीनिकों में 10,41,34,819 (दस करोड़ इकतालीस लाख चौतीस हजार आठ सौ उन्नीस) मरीज लाभान्वित हुए हैं।

SQ-19 अनुलग्नक 'अ' 5/c

**DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES**
**GOVT. OF N. C.T. OF DELHI, STATE AAMC CELL 2ND FLOOR,**
**AAM AADMI POLYCLINIC, BINDAPUR, NEW DELHI-110059**
Email: Stateaamccelldelhi3@gmail.com / [illegible]

File No.45/AAMC Proj./8/DHS/AAMC Proj/2017/Part file/6229 Date:19/3/25

To

The Additional Director
SHIB
DGHS, Karkardooma

**Subject:** Reply of Vidhan Sabha Q.No. 19 of Shri. Abhay Sharma

महोदय/महोदया,

श्री अभय शर्मा के विधानसभा प्रश्न संख्या 19 के संदर्भ में, बिंदुवार उत्तर इस प्रकार है: बिंदु

a) और b) राज्य AAMC सेल से संबंधित नहीं है।

c) दिल्ली में कुल 553 मोहल्ला क्लीनिक हैं।

d) कुल 389 मोहल्ला क्लीनिक सरकारी भवनों और अन्य में चल रहे हैं और 164 किराये के परिसर में चल रहे हैं।

e)

| S.No. | Category of Staff | Total No. | Remuneration Drawn |
|---|---|---|---|
| 1 | Empanelled Doctor | 529 | Rs. 40/- per patient registered for OPD with a minimum assured guarantee of 75 patients per day |
| 2 | Empanelled Pharmacist | 538 | Rs. 12/- per patient registered for OPD with a minimum assured guarantee of 75 patients per day |
| 3 | Empanelled MCA | 531 | Rs. 10/- per patient registered for OPD with a minimum assured guarantee of 75 patients per day & Rs. 30/- per ANC Checkup, Rs. 10/- for each blood sample drawn, Rs. 10/- for each injection / immunization done by her. |
| 4 | Empanelled MTW | 414 | Rs. 8/- per patient registered for OPD with a minimum assured guarantee of 75 patients per day & Rs. 10/- for each dressing done by him/her. |

f) अब तक मोहल्ला क्लीनिकों से कुल 10,41,34,819 मरीज लाभान्वित हुए हैं।

(Dr. Shalley Kamra)
State Program Officer
(State AAMC Cell )

**20. श्री गजेन्द्र दराल:** क्या माननीय **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की नहरों/नालों की कुल संख्या क्या है व विगत दस वर्षो में उन्हें कितनी बार सफ़ किया गया व इस पर कितनी लागत आई, संपूर्ण विवरण दें; और

(ख) विभाग द्वारा मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कितनी सड़कें, ड्रेन व पुलियाँ बनाई गई हैं, संपूर्ण विवरण दें?

**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री:** (क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के सात नाले एवं आठ नहरें आती हैं जिनका विवरण सूची 'क' व सूची 'ख' संलग्न है।

विगत दस वर्षो में नालों एवं नहरों में की गई सफाई व लागत का विवरण सूची 'ग' संलग्न में दिया गया है।

(ख) निर्मित सड़कों एवं नालों की कुल लम्बाई

सड़क/गलियों:- 471.8 किमी

नालियाँ:- 886.18 किमी

विवरण सूची 'घ' संलग्न है।

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

## अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

1. **श्री गजेन्द्र दराल:** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के कुल कितने स्कूल हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 साल में सरकार द्वारा नए स्कूल या कमरे बनाए गए हैं, यदि हाँ, तो उनकी लागत सहित विस्तृत ब्यौरा दें;

(ग) उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के स्कूलों में कितने खाली पद हैं, इनका ब्यौरा दिया जाए; और

(घ) उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों के समस्त प्रधानाचार्यो के नाम और मोबाईल नं. सहित पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए?

**शिक्षा मंत्री:** (क) सूची संलग्नक–'क' रूप में संलग्न है।

(ख) वर्ष 2024 में लाडपुर गांव में एक नए स्कूल भवन का निर्माण हुआ है। पीडब्ल्यूडी के अनुसार 34.9419 करोड़ खर्च हुआ है।

मुडका विधानसभा में पिछले 10 साल में सरकार द्वारा 950 समकक्ष कमरों का निर्माण किया गया है जिनकी सूची संलग्नक–'ख' में संलग्न है।

वर्ष 2015 में जोन–17 व जोन–11 और 13 में आने वाले स्कूलों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु 111.93 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए थे। विधानसभा क्षेत्र अनुसार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

वर्ष 2018 में दिल्ली में 12748 अतिरिक्त समकक्ष कमरों के निर्माण हेतु 292.65 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए थे।

(ग)

| S.No. | School Name | School Id | Details of Vacant post (Post Wise) |
|---|---|---|---|
| 1. | Tikri Kalan-GBSSS | 1617001 | i. Vice Principal-1<br>ii. PGT Eng.-1<br>iii. PGT Special ed.-1<br>iv. TGT Comp. Sc.-3<br>v. TGT Drg.-1<br>vi. Section Officer-1<br>vii. Peon-1<br>viii. Sweeper-1<br>ix. Chowkidar-1<br>x. Waterman full time-1 |
| 2. | Hiran Kundna SV (Co-ed) | 1617006 | i. Principal-1<br>ii. Pgt Home Science-1<br>iii. Mali-1<br>iv. Sweeper-1<br>v. Peon-1<br>vi. Waterman-1<br>vii. Aaya-2 (out sourced contractual staff deployed) |
| 3. | Tikri Kalan-SKV | | i. Vice Principal-1<br>ii. Computer Science TGT-2<br>iii. TGT Biology-1<br>iv. TGT Dra wing Teacher-1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | v. Waterwomen-1<br>vi. Peon-1<br>vii. Chowkidar-1<br>viii. Sweeper-1 |
| 4. | Mundka Village-SKV | 1617014 | i. Vice Principal-1<br>ii. TGT Computer Science-4<br>iii. Drawing Teacher-1<br>iv. TGT Maths-2<br>v. Senior Assistant-1 |
| 5. | Mundka Village-GSSS | 1617018 | i. Vice Principal-1<br>ii. PGT English-2<br>iii. TGT English-2<br>iv. TGT Hindi-1<br>v. TGT N.Science-1<br>vi. Drawing Teacher-2 |
| 6. | Nilothi-SKV | 1617026 | i. Principal-1<br>ii. Vice Principal-1<br>iii. Sc. PGT-1<br>iv. TGT CSc.-l |
| 7. | Nangloi, J.J. Colony-GGSSS | 1617035 | i. Vice Principal-1<br>ii. PGT English-1<br>iii. PGT H.Science-2<br>iv. TGT Social Science-1<br>v. TGT Computer Science-3<br>vi. TGT NIOS-1<br>vii. Peon full time-1<br>viii. Waterman Full time-1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ix. Chowkidar Full time-1<br>x. Sweeper full time-1<br>xi. Grade IV(DASS)/LDC-1 |
| 8. | Nangloi, JJ Colony GBSSS | 1617037 | i. Vice Principal-1<br>ii. PGT Eco.-l<br>iii. PGT Maths-1<br>iv. TGT Hindi-1<br>v. TGT Computer Sc.-l |
| 9. | Nilothi-SBV | 1617219 | i. PGT HINDI-1<br>ii. PGT MATHS-1<br>iii. TGT SANSKRIT-1<br>iv. PGT ENGLISH 1<br>v. PGT PHYSICAL EDUCATION-1<br>vi. TGT Drawing-1<br>vii. Lab Assistant-1 |
| 10. | Govt. Co-ed Sr. Sec. School Rani Khera | 1412095 | i. Vice Principal-2<br>ii. PGT CHEMISTRY-1<br>iii. PGT SANSKRIT-l (filled by guest teacher)<br>iv. PGT HOME SCIENCE-1 (filled by guest teacher)<br>v. PRT-1<br>vi. SET (PRT)-l (filled by guest teacher)<br>vii. SET (TGT)-1 (filled by guest teacher)<br>viii. Section Officer-1<br>ix. Junior Assistant-1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | x. Laboratory Assistant-1<br>xi. Peon-1<br>xii. Waterman-1<br>xiii. Chowkidar-1<br>xiv. Sweeper-1<br>xv. Mali full time-1 |
| 11. | SV Ghevra | 1413003 | 1. Vice Principal-1<br>2. TGT (Computer Sc)-1<br>3. Primary Teachers-2<br>4. Lab Asstt.-1 |
| 12. | SBV, B-Block, Sawada Colony Ghevra | 1413323 | 1. Principal-01<br>2. TGT (Computer Sc) - 1<br>3. Asstt Tr-01<br>4. ASO-01<br>5. Sr. Asstt-01<br>6. Peon-01<br>7. Aaya-02<br>8. Sweeper-01 |
| 13. | GBSSS, Ladpur | 1413022 | 1. Music Tr-01<br>2. Mali-01<br>3. Chowkidar-01<br>4. Peon-01<br>5. Jr. Asstt.-01 |
| 14. | GSKV, Kanjhawala | 1413025 | 1. Vice Principal-02<br>2. PGT-2<br>3. PRT-01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | SV, Nizampur, Delhi | 1413009 | 1. Lect (PET)-01<br>2. TGT (Computer Sc)-01<br>3. Lect (SET)-01 |
| 16. | SV, Jaunti School | 1413181 | 1. Principal-1<br>2. Lect (Home Sc)-01<br>3. Lect (History)-01<br>4. Lect (Spl Edu)-01 |
| 17. | SKV, Karala | 1413078 | 1. Vice Principal-1<br>2. Lect (Home Sc.)-3<br>3. Lect (Comm)-1<br>4. Lect (Boi)-l<br>5. Peon-1<br>6. Aaya-1<br>7. Sweeper-1<br>8. Waterman-1<br>9. LDC-1 |
| 18. | GBSSS, Karala | 1413079 | 1. Vice Principal-1<br>2. Lect. (Comm)-1<br>3. Lect. (History)-1<br>4. Lect. (Music)-1<br>5. TGT (Drawing)-02<br>6. Sweeper-1<br>7. Waterman-1<br>8. Mali-1 |
| 19. | SKV, Sawda A-Block (Ghevra) | 1413266 | 1. Vice Principal<br>2. PGT (Home Sc)<br>3. TGT (Urdu) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20. | SV, H-Block<br>Sawada Colony<br>Ghevra | 1413267 | 1. TGT Urdu-01<br>2. TGT (Music)-01<br>3. Lect (Home Sc)-01 |
| 21. | GGSSS, Ladpur | 1413350 | No post is allocated till |

(घ)

| School Name & ID | Name of HOS | Mobile No. |
|---|---|---|
| Tikri Kalan-GBSSS<br>1617001 | Sh. Rishi Raj<br>(Vice Principal) | 9818481518 |
| Hiran Kudna-SV (Co-ed)<br>1617006 | Dr. Laxmi Narayan Joshi<br>(Vice principal) | 9868381213 |
| Tikri Kalan-SKV<br>1617012 | Mrs. Sangita | 9711945286 |
| Mundka Village-SKV<br>1617014 | Saryu (Vice Principal) | 9899064329 |
| Mundka Village-GBSSS<br>1617018 | Sh. Ravindra Kumar | 9868536054 |
| Nilothi-SKV<br>1617026 | Ms. Madu Bala<br>(Vice Principal) | 9990911995 |
| Nangloi, J.J. Colony-GGSSS,<br>1617035 | Mrs. Vijay Lakshmi | 9313847999 |
| Nangloi J.J. Colony GBSSS<br>1617037 | Sh. Om Prakash | 9868130893 |
| Nilothi-SBV<br>1617219 | Sh. Chandan Singh | 8851153875 |
| Govt. Co-ed Sr. Sec. School,<br>Rani Khera<br>1412095 | Ms. Divya Mehta | 9716190039 |

| | | |
|---|---|---|
| SV Ghevra<br>1413003 | Sh. Sanjiv Kumar | 9968275123 |
| SBV, B-Block, Sawada Colony Ghevra<br>1413323 | Sh. Manoj Kumar | 8076091230 |
| GBSSS, Ladpur<br>1413022 | Sh. Sunil Kumar | 9818917506 |
| GSKV, Kanjhawala<br>1413025 | Ms. Sarita Devi | 9711734509 |
| SV, Nizampur, Delhi<br>1413009 | Sh. Manoj Kumar | 9968191940 |
| SV, Jaunti School<br>1413181 | Ms. Seema Rana Hooda | 9418072000 |
| SKV, Karala<br>1413078 | Ms. Sangeeta Khatri | 9999506126 |
| GBSSS, Karala<br>1413079 | Sh. Chater Singh | 7018464726 |
| SKV, Sawda A-Block (Ghevra)<br>1413266 | Ms. Archana Gupta | 9899791797 |
| SV, H-Block Sawada Colony Ghevra<br>1413267 | Dr. Gulab Singh | 9319465711 |
| GGSSS, Ladpur<br>1413350 | Sh. Sunil Kumar<br>Custodian | 9818917506 |

संलग्नक 'क'

**UNSTARRED QUESTION NO. 1**

| School Name & ID | Name of HOS | Mobile No. |
|---|---|---|
| Tikri Kalan-GBSSS 1617001 | Sh. Rishi Raj (Vice Principal) | 9818481518 |
| Hiran Kudna-SV (Co-ed) 1617006 | Dr. Laxmi Narayan Joshi (Vice principal) | 9868381213 |
| Tikri Kalan-SKV 1617012 | Mrs. Sangita | 9711945286 |
| Mundka Village-SKV 1617014 | Saryu (Vice Principal) | 9899064329 |
| Mundka Village-GBSSS 1617018 | Sh. Ravindra Kumar | 9868536054 |
| Nilothi-SKV 1617026 | Ms. Madu Bala (Vice Principal) | 9990911995 |
| Nangloi, J.J. Colony-GGSSS, 1617035 | Mrs. Vijay Lakshmi | 9313847999 |
| Nangloi J.J. Colony GBSSS 1617037 | Sh. Om Prakash | 9868130893 |
| Nilothi-SBV 1617219 | Sh. Chandan Singh | 8851153875 |
| Govt. Co-ed Sr. Sec. School, Rani Khera 1412095 | Ms. Divya Mehta | 9716190039 |
| SV Ghevra 1413003 | Sh. Sanjiv Kumar | 9968275123 |
| SBV, B-Block, Sawada Colony Ghevra 1413323 | Sh. Manoj Kumar | 8076091230 |
| GBSSS, Ladpur 1413022 | Sh. Sunil Kumar | 9818917506 |
| GSKV, Kanjhawala 1413025 | Ms. Sarita Devi | 9711734509 |
| SV, Nizampur, Delhi 1413009 | Sh. Manoj Kumar | 9968191940 |
| SV, Jaunti School 1413181 | Ms. Seema Rana Hooda | 9418072000 |
| SKV, Karala 1413078 | Ms. Sangeeta Khatri | 9999506126 |
| GBSSS, Karala 1413079 | Sh. Chater Singh | 7018464726 |
| SKV, Sawda A-Block (Ghevra) 1413266 | Ms. Archana Gupta | 9899791797 |
| SV, H-Block Sawada Colony Ghevra 1413267 | Dr. Gulab Singh | 9319465711 |
| GGSSS, Ladpur 1413350 | Sh. Sunil Kumar Custodian | 9818917506 |

Mohinder Pal

(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education
Delhi-110054

संलग्नक 'ख'

मुंडका विधानसभा क्षेत्र मे बनाए गए नए कमरो का विवरण।

| Sl. No. | School ID | School Name | Equivalent Rooms | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1412095 | Rani Khera S (Co-ed). V | 96 | Under Priority-II |
| 2 | 1413003 | SV Ghevra, | 100 | Under Priority-II |
| 3 | 1413009 | Govt. Co-ed SSS Nizampur, Delhi | 60 | Under Priority-II |
| 4 | 1413025 | SKV Kanjhawala | 104 | Under Priority-II |
| 5 | 1413181 | SV, Jaunti | 80 | Under Priority-II |
| 6 | 1413323 | SBV Sawada (Ghevra) | 36 | Under Priority-II |
| 7 | 1617006 | SV(Co-ed), Hiran Kudna | 78 | Under Priority-II |
| 8 | 1617026 | SKV, Nilothi | 76 | Under Priority-II |
| 9 | 1617222 | Govt. Sarvodaya Kanya Vidyalaya, Shiv Ram Park, Nangloi | 20 | Under Priority-II |
| 10 | 1413078 | Karala-SKV | 44 | Under Priority-I |
| 11 | 1617001 | Tikri Kalan- GBSSS | 78 | Under Priority-I |
| 12 | 1617012 | Tikri Kalan-SKV | 64 | Under Priority-I |
| 13 | 1617014 | Mundka Village-SKV | 94 | Under Priority-I |
| 14 | 1617035 | Nangloi, J.J. Colony-GGSSS | 20 | Under Priority-I |
| | | **Total** | 950 | |

Mohinder Pal

(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education
Delhi-110054

**2. चौधरी जुबैर अहमदः** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 2005 से 31 जनवरी 2025 तक डीएसएसएसबी के माध्यम से नए नियमित सहायक अध्यापकों, टीजीटी, पीजीटी, विशिष्ट शिक्षा-अध्यापकों व अन्य अध्यापकों की नियुक्ति का वित्तीय वर्षवार विवरण प्रदान करें?

**शिक्षा मंत्रीः** (क)

| पद का नाम वर्षवार | पीजीटी/ शिक्षक | टीजीटी शिक्षक | विशिष्ट शिक्षा-अध्यापक | विविध शिक्षक | सहायक शिक्षक |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 | 28 | 227 | Nil | Nil | Nil |
| 2006-07 | 21 | 206 | Nil | 3 | 4 |
| 2007-08 | 135 | 143 | Nil | 130 | 223 |
| 2008-09 | 241 | 791 | Nil | 263 | 31 |
| 2009-10 | 142 | 1551 | Nil | 72 | 748 |
| 2010-11 | 59 | 234 | Nil | 52 | 1 |
| 2011-12 | 2 | 1260 | Nil | 168 | 1 |
| 2012-13 | 194 | 21 | Nil | 9 | 0 |
| 2013-14 | 89 | 4 | Nil | 0 | 0 |
| 2014-15 | 4 | 165 | 220 | 1 | 273 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 4 | 33 | Nil | 2 | 122 |
| 2016-17 | 231 | 1965 | 224 | 113 | 425 |
| 2017-18 | 449 | 294 | Nil | 917 | 12 |
| 2018-19 | 220 | 36 | Nil | 158 | 23 |
| 2019-20 | 1586 | 2019 | 290 | 974 | 1256 |
| 2020-21 | 117 | 176 | Nil | 248 | 627 |
| 2021-22 | 36 | 133 | 268 | 102 | 133 |
| 2022-2023 | 970 | 7185 | 421 | 1090 | 260 |
| 2023-24 | 117 | 1088 | 06 | 330 | 216 |
| 2024-25 | 83 | 51 | Nil | 281 | 9 |

**3. सुश्री आतिशी**: क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2025-26 में प्राइवेट स्कूलों की कक्षाओं में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के अंतर्गत दाखिले के मानदंडों में कुछ बदलाव किया गया है;

(ख) वर्ष 2025-26 व उसके पूर्ववर्ती वर्ष में दाखिले के लिए कितने स्कूल और कितनी सीटें उपलब्ध हैं;

(ग) वर्ष 2025-26 की लाटरी में दाखिले के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया;

(घ) क्या इस वर्ष लाटरी निकालने की प्रक्रिया में पिछले वर्ष की तुलना में शिक्षा निदेशालय द्वारा कोई बदलाव किए गए हैं, यदि हाँ, तो क्या; और

(ङ) चयनित बच्चों को आवंटित स्कूलों में बिना किसी कठिनाई के दाखिला सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा निदेशालय क्या विशेष कदम उठाने जा रहा है?

**शिक्षा मंत्री:** (क) जी हाँ, ईडब्ल्यूएस श्रेणी की आय सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख सालाना कर दी गई है। कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से सफल उम्मीदवारों के प्रवेश की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए, शिक्षा विभाग 29 क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए निर्धारित दस्तावेज सत्यापन केंद्रों पर सभी सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रहा है।

(ख) शिक्षा निदेशालय के संबंध में स्कूलों का डेटा और निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में सीटों की संख्या:-

| सत्र | कुल निजी स्कूलों ने भाग लिया | ईडब्ल्यूएस/डीजी की प्रारंभिक सीटें |
|---|---|---|
| 2024-25 | 1484 | 28799 |
| 2025-26 | 1481 | 33212 |

(ग) सत्र 2024-26 में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से 33212 छात्रों का चयन किया गया।

(घ) 1. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता) की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की समिति गठित की गई है। जिसमें शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय निदेशक (पूर्व), शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण), शिक्षा विभाग

के उप-शिक्षा निदेशक (परीक्षा), शिक्षा विभाग के उप-निदेशक (सतर्कता), शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक (आईटी), शिक्षा विभाग के अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) और संयुक्त निदेशक (आईटी), आईटी विभाग, जीएनसीटी दिल्ली के लिए वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक शामिल हैं। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के कम्प्यूटरीकृत ड्रा के लिए, कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सर्तकता, आईटी निदेशालय, आईटी से अंतर-विभागीय सदस्यों को शामिल करके इस समिति को और मजबूत किया गया।

2. इसके अलावा, मीडियाकर्मियों और अभिभावकों सहित आम जनता को पूरी प्रक्रिया देखने की सुविधा प्रदान करने के लिए शिक्षा निदेशालय कार्यालय परिसर में लाइव स्ट्रीमिंग के लिए दो बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई।

3. कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ के बारे में सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार भी जोन और जिला स्तर पर मीडिया के माध्यम से किया गया।

(ङ) 1. इस बार शिक्षा विभाग के उप-शिक्षा निदेशक (जिला) द्वारा नामित टीम जिसमें की एक प्रिंसिपल और दो वाइस-प्रिंसिपल शामिल हैं, द्वारा सफल छात्रों के आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन सभी 29 अलग-अलग जोन कर रहा है। नामित टीम दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और अनुशंसा, कमी ज्ञापन और अस्वीकृति का आदेश जारी करेगा। कम्प्यूटरीकृत लॉटरी के बाद, सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन केंद्र के कार्यक्रम और स्थान के बारे में एसएमएस

के माध्यम से जानकारी दी गई। दस्तावेजों के सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम 05.03.2025 के परिपत्र के माध्यम से प्रसारित किया गया है।

2. दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया की देखरेख और अभिभावकों/छात्रों की पता संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए नामित नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नामित क्षेत्रीय टीमों द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन के बाद स्कूल द्वारा दस्तावेजों का कोई और सत्यापन नहीं किया जाएगा।

**4. श्री सुरेन्द्र कुमारः** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र में नया स्कूल जीबीएसएस, जौहरपुर, मदनलाल हलवाई वाली भूमि पर बनाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ तो स्कूल के लिए बजट कब तक दिया जायेगा व स्कूल का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

**शिक्षा मंत्रीः** (क) शिक्षा निदेशालय के स्वामित्व में खाली प्लाट जोकि मदनलाल हलवाई शिव विहार मेट्रो स्टेशन के समीप, जौहरीपुर में स्थित है पर स्कूल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) शिक्षा विभाग द्वारा Capital Head में जिन Project के लिए बजट का अनुरोध किया है उसमें यह विद्यालय भी शामिल है।

**5. श्री प्रेम चौहानः** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय के कितने स्कूलों में वर्ष 2014-15 के सत्र के दौरान कक्षा 11 व 12 में विज्ञान विषय उपलब्ध था और कितने छात्रों ने क्रमशः इन कक्षाओं में विज्ञान का विषय चुना; और

(ख) शिक्षा निदेशालय के कितने स्कूलों में वर्ष 2024-25 के सत्र के दौरान कक्षा 11 व 12 में विज्ञान विषय उपलब्ध था और कितने छात्रों ने क्रमशः इन कक्षाओं में विज्ञान का विषय चुना?

**शिक्षा मंत्रीः** (क) सत्र 2014-15 शिक्षा निदेशालय के 272 स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय उपलब्ध था।

11वीं कक्षा में 9332 छात्रों ने विज्ञान विषय चुना।

12वीं कक्षा में 7994 छात्रों ने विज्ञान विषय चुना

(ख) सत्र 2024-25 शिक्षा निदेशालय के 455 स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान विषय उपलब्ध था।

11वीं कक्षा में 24991 छात्रों ने विज्ञान विषय चुना।

12वीं कक्षा में 22265 छात्रों ने विज्ञान विषय चुना।

**6. श्री सही रामः** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रेल 2005 से 31 जनवरी 2025 के बीच संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त नए प्राचार्यों का वित्तीय वर्षवार विवरण प्रदान करें?

**शिक्षा मंत्रीः** (क)

| क्रम सं. | वर्ष | 1 अप्रैल 2005 से 31 जनवरी 2025 तक यूपीएससी द्वारा अनुशंसित प्रधानाचार्यों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है। |
|---|---|---|
| 1. | 2005-06 | NIL |
| 2. | 2006-07 | 78 |
| 3. | 2007-08 | 12 |
| 4. | 2008-09 | 80=(53+27) |
| 5. | 2009-10 | NIL |
| 6. | 2010-11 | NIL |
| 7. | 2011-12 | NIL |
| 8. | 2012-13 | NIL |
| 9. | 2013-14 | 17 |
| 10. | 2014-15 | 40 |
| 11. | 2015-16 | NIL |
| 12. | 2016-17 | NIL |

| | | |
|---|---|---|
| 13. | 2017-18 | NIL |
| 14. | 2018-19 | NIL |
| 15. | 2019-20 | NIL |
| 16. | 2020-21 | NIL |
| 17. | 2021-22 | NIL |
| 18. | 2022-23 | 334 |
| 19. | 2023-24 | 02 |
| 20. | 2024-25 | NIL |

**7. श्री प्रेम चौहानः** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) वर्ष 2015 से 2024 की अवधि में शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में कितने छात्रों ने कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा दी और उनमें से कितने प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, वर्षवार विवरण प्रदान करें?

**शिक्षा मंत्रीः** (क) वर्ष 2015 से 2024 की अवधि में शिक्षा निदेशालय के स्कूलों में कितने छात्रों ने कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा दी और कितने प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, उनकी वर्षवार जानकारी निम्न प्रकार है**:**–

| Year | Students Appeared | Pass Percentage |
|---|---|---|
| 2014-15 | 140191 | 88.11 |
| 2015-16 | 131354 | 88.91 |
| 2016-17 | 121681 | 88.27 |
| 2017-18 | 112826 | 90.64 |
| 2018-19 | 129917 | 96.53 |
| 2019-20 | 111413 | 99.08 |
| 2020-21 | 161484 | 99.97 |
| 2021-22 | 164641 | 98.21 |
| 2022-23 | 227020 | 94.18 |
| 2023-24 | 151429 | 98.04 |

**8. श्री सही राम:** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय के स्कूलों के कितने विद्यार्थियों ने वर्ष 2014-15 के सत्र हेतु JEE मेन्स तथा NEET की परीक्षा उत्तीर्ण की; और

(ख) शिक्षा निदेशालय के स्कूलों के कितने विद्यार्थियों ने वर्ष 2023-24 के सत्र हेतु JEE मेन्स तथा NEET की परीक्षा उत्तीर्ण की है?

**शिक्षा मंत्रीः** (क) शिक्षा निदेशालय के स्कूलों के विद्यार्थियों का 2014-15 के सत्र हेतु JEE मेन्स तथा NEET की परीक्षा उत्तीर्ण करने का डाटा उपलब्ध नहीं है।

(ख)

| Year | JEE (Mains) | NEET |
|---|---|---|
| 2023-24 | 783 | 1414 |

**9. श्री सही रामः** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रेल 2018 से 31 जनवरी 2025 के दौरान जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अधिकारियों/अध्यापकों आदि ने शिक्षा निदेशालय दिल्ली के स्कूलों का दौरा किया है, उनकी सूची प्रदान करें; और

(ख) 1 अप्रेल 2018 से 31 जनवरी 2025 के दौरान जिन देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने शिक्षा निदेशालय दिल्ली के स्कूलों का दौरा किया है, उन स्कूलों का नाम एवं उन प्रतिनिधि मंडलों के नेताओं के पद एवं नाम सहित सूची प्रदान करें?

**शिक्षा मंत्रीः** (क) जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों/अध्यापकों आदि में शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के स्कूलों का दौरा किया गया उनकी सूची निम्न हैः-

| क्रम संख्या | राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश का नाम |
|---|---|
| 1. | असम |

(ख) सूची संलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है।

संलग्नक 'क'

| क्रमांक. | दिनांक | प्रतिनिधि मण्डल | देश | दौरा किए गए स्कूलों का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.02.2020 | सुश्री मिलानिया ट्रम्प , संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला | संयुक्त राज्य अमेरिका | सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नानकपुरा<br>(हैपीनेस पाठ्यक्रम) |
| 2. | 10.11.2021 | सुश्री फातिहा कम्मूसी, श्री जितेंदर , फ्रांस दूतावास | फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय,पेरिस | आरपीवीवी सेक्टर 10 द्वारका सर्वोदय बाल विद्यालय सेक्टर 13 द्वारका<br>( विद्यालय का दौरा ) |
| 3 | 24.04.2023 | माननीय ग्रेस ग्रेस एमपी, शिक्षा मंत्री, औद्योगिक संबंध मंत्री, और रेसिंग मंत्री क्वींसलैंड से उनका प्रतिनिधिमंडल | ऑस्ट्रेलिया | अम्बेडकर एसओएसई कालकाजी (शैक्षणिक नवाचार ) |
| 4 | 24.08.2023 | सुश्री ली सैटरफील्ड, सहायक सचिव, ईसीए, संयुक्त राज्य अमेरिका। | शैक्षिक और सांस्कृतिक ब्यूरो, संयुक्त राज्य अमेरिका। | सर्वोदय विद्यालय, नंबर 2 नानकपुरा. (रूम टू रीड ,शैक्षणिक नवाचार ) |
| 5 | 29.12.2023 | व्हार्टन, फिलाडेल्फिया से 30 एमबीए छात्र और प्रोफेसर, | संयुक्त राज्य अमेरिका | सर्वोदय विद्यालय, राउज़ एवेन्यू (शैक्षणिक नवाचार ) |
| 6. | 7.10.2023 | H.E Dr. Philip Ackermann German Ambassador to India and Bhutan | Germany | Grand German Festival "Namaste Deutschland" on 7th October 2023 in Thyagaraj Sport complex |
| 7. | February 2023 | Japanese delegation - Mr. Ishikawa Kazuhito , Deputy Director Mr. Imato Hiroyuki, Division Director. Omura Takatoshi, Supervisor. Ms. Yoshida Keiko chief, Regional Division International Affairs bureau | Japan | Japanese delegation visits in Delhi government school<br>In February 2023 delegation from Fukuoka government prefecture education department visited SOSE sector 17, SOSE Sector 11 and SOSE Surajmal Vihar. |

Mohinder Pal
(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education
Delhi-110054

**10. श्री जरनैल सिंह:** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) शिक्षा निदेशालय के उन स्कूलों की वर्षवार सूची प्रदान करें, जिनमें दिनांक 1 अप्रेल 2005 से 31 जनवरी 2025 तक की अवधि के दौरान तैराकी, हॉकी, फुटबॉल, एथलैटिक ट्रैक, तीरंदाज़ी व शाूटिंगरेंज की सुविधाएँ चालू हो गई हैं?

**शिक्षा मंत्री:** (क) रिकॉर्ड के अनुसार, अप्रैल 2005 से 31 जनवरी 2025 की अवधि के दौरान, शिक्षा निदेशालय ने निम्नलिखित विद्यालयों में तैराकी, हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, तीरंदाजी और शूटिंग रेंज जैसी खेल सुविधाओं का निर्माण किया है। स्कूल की वर्षवार सूची संलग्नक-'क' के रूप में संलग्न है।

संलग्नक 'क'

यहाँ प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के रूप में जानकारी दी गई है:

रिकॉर्ड के अनुसार, अप्रैल 2005 से 31 जनवरी 2025 की अवधि के दौरान, शिक्षा निदेशालय (DoE) ने निम्नलिखित विद्यालयों में तैराकी, हॉकी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, तीरंदाजी और शूटिंग रेंज जैसी खेल सुविधाओं का निर्माण किया है:

**तैराकी सुविधा वाले विद्यालयों की सूची:**

1. सर्वोदय को-एड सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, सी-ब्लॉक, मंगोलपुरी स्कूल आईडी: 1412022 (2007)
2. सरकारी को-एड सर्वोदय विद्यालय, डीचाऊ कलां स्कूल आईडी: 1822262 (2013)
3. सरकारी बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हस्तसाल स्कूल आईडी: 1618278 (2015)
4. राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, फेज I, पॉकेट IV, मयूर विहार स्कूल आईडी: 1002036 (2017)
5. सरकारी को-एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रानी बाग स्कूल आईडी: 1411043 (2018)
6. राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय, वेस्ट विनोद नगर स्कूल आईडी: 1002032 (2018)
7. मयूर विहार फेज II स्कूल आईडी: 1002029 (2020)
8. शाहपुर जाट स्कूल आईडी: 1925333 (2021)
9. कौटिल्य सरकारी सर्वोदय को-एड विद्यालय, चिराग एनक्लेव स्कूल आईडी: 1925003 (2022)
10. जीबीएसएसएस, बख्तावरपुर स्कूल आईडी: 1309266 (2023)

**हॉकी सुविधा वाले विद्यालयों की सूची:**

1. खेरा कलां स्कूल आईडी: 1310039 (2005)
2. सरकारी बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, घुम्मनहेड़ा स्कूल आईडी: 1822010 (2017)
3. UCS गढ़वाली एसबीवी, जे-ब्लॉक, साकेत (मई 2018)
4. जीजीएसएसएस हॉकी सेंटर, झिलमिल (2019)
5. सर्वोदय बाल विद्यालय, अशोक नगर, सुभाष नगर स्कूल आईडी: 1515002 (2020)

**एथलेटिक्स सुविधा वाले विद्यालयों की सूची:**

1. एसवी, दौलतपुर स्पोर्ट्स सेंटर (स्कूल आईडी: 1822006) (2013)
2. सीएसई, सेक्टर 10, द्वारका (200 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक) स्कूल आईडी: 1821137 (2014)
3. एसवी, ईस्ट पंजाबी बाग स्कूल आईडी: 1515004 (2018)
4. सीएसई, झरोड़ा कलां स्कूल आईडी: 1822304 (2018)
5. एससीडीएन, सेक्टर 9, रोहिणी (मई 2018)
6. जीजीएसएसएस, वेस्ट पटेल नगर (2022-23)
7. सर्वोदय को-एड विद्यालय, ईस्ट पंजाबी बाग (2022-23)

S. SUNIL
Dy. Director
Sports & Physi... ...ucation
Sports Branch, Chhatr... Stadium
Mod... Town, Delhi-110009

फुटबॉल सुविधा वाले विद्यालयों की सूची:

1. एसकेवी, एंड्रयू गंज स्कूल आईडी: 1924033 (2016)
2. सोएसई, झरोडा कलां स्कूल आईडी: 1822304 (2016)
3. एसकेवी, एंड्रयू गंज (मई 2018)
4. सरकारी को-एड एसएसएस, सेक्टर 22, द्वारका (मई 2018)
5. कौटिल्य राजकीय सर्वोदय को-एड स्कूल, चिराग एनक्लेव स्कूल आईडी: 1925003 (2019)
6. एस (को-एड) एसएसएस, आरके पुरम सेक्टर 6 (2022-23)
7. एसकेवी, प्लॉट नंबर 5, जहांगीरपुरी (2022-23)
8. एसवी, सेक्टर 07, रोहिणी (2022-23)
9. शहीद कैप्टन संजीव दहिया, सेक्टर 9, रोहिणी (2022-23)
10. एसकेवी, शाहबाद मोहम्मदपुर (2022-23)

शूटिंग सुविधा वाले विद्यालयों की सूची:

1. राजकीय सर्वोदय को-एड स्कूल (2025) स्कूल आईडी: 1925039

तीरंदाजी सुविधा वाले विद्यालयों की सूची:

वर्तमान में किसी भी विद्यालय में तीरंदाजी सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, निम्नलिखित केंद्रों में तीरंदाजी सुविधाएं उपलब्ध हैं:

1. राजीव गांधी स्टेडियम, बवाना (2010)
2. प्रहलादपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (2021-22)

S. SUNIL
Dy. Director
Sports & Physical Education
Sports Branch, Ch. ..trasal Stadium
Model Town, Delhi-110009

**11. श्री विशेष रविः** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा करोलबाग विधानसभा की शिक्षा संबंधी व अन्य विषयों के संबंध में लिखित पत्र संख्या 124363 दिनांक 02/06/2023 पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं और संबंधित अधिकारियों के नाम का विवरण; और

(ग) उपर्युक्त संबंध में कार्यवाही कब तक होगी?

**शिक्षा मंत्रीः** (क) माननीय विधायक श्री विशेष रवि द्वारा डीटीईए स्कूल और अन्य स्कूल के संदर्भ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:-

| S.No. | Complaint details | Reply |
|---|---|---|
| 1. | Action taken report on DTEA linguistic minority schools on taking donations and in addition, monthly fees from the students. Submit the report of the committe to be | डीटीईए स्कूल पूसा रोड़, स्कूल को लेकर दान तथा मासिक शुल्क के विषय में अभिभावकों की ओर से हाल ही में कोई शिकायत नहीं मिली है।<br>हालांकि, वर्ष 2023 में एक ऑनलाइन शिकायत श्री आर झा द्वारा PMOPG पर दायर की गई थी, जिसका आईडी नंबर PMOPG/D/2023/0137743 था। शिकायत में श्री आर झा ने डीटीईए स्कूल, पूसा रोड में प्रवेश के बदले दान की मांग को लेकर चिंता जताई। उन्होंने |

| | |
|---|---|
| constituted for the same matter and cheek minority status of school through NCMEI or other source and submit the report | यह भी कहा कि वे अपनी आगामी पत्राचार में इस संबंध में सहायक दस्तावेज प्रदान करेंगे। उनके द्वारा प्रदत् दस्तावेजों में कथित रूप से एक अभिभावक के बैंक स्टेटमेंट्स शामिल थे, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अभिभावक ने बैंक से 'नकद' निकाला और उसे स्कूल में जमा किया।<br>शिकायत की जांच एक Inquiry टीम को सौंपी गई, जिसमें जोन-28 के दो अधिकारी शामिल थे। टीम ने स्कूल का दौरा किया और शिकायतकर्ता से संपर्क करने का प्रयास किया। इस जांच दल ने 28.07.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि शिकायत छमम नाम से (pseudonymous) थी।<br>सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट में यह पाया गया कि (pseudonymous) होने के कारण शिकायत पर आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। स्कूल प्रशासन का उत्तर संलग्नक-'क' के रूप में संलग्न है।<br>जहां तक इस विद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान होने की जांच का प्रश्न है, विदित है कि डीटीईए स्कूल पूसा रोड को शिक्षा निदेशालय द्वारा 'भाषाई अल्पसंख्यक संस्थान' के रूप में मान्यता दी गई है। संदर्भ के लिए संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपि रूप में संलग्न है। |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Construction of MP hall in SKV (Baba Ramadev) Senior sec. school, Prasad nagar and Rani Jhasi Road School | रानी झांसी स्कूल में एमपी हॉल के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने दिनांक 23.10.2023 के पत्र में कहा है कि इस क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों अस्वीकार्य हैं।<br>बाबा रामदेव स्कूल में एमपी हॉल के लिए निदेशालय की भूमि एवं संपदा शाखा ने मूल स्वामित्व के कागजात मांगे हैं। प्रस्ताव को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। |
| 3. | Handover of 8 locked rooms in GBS school Dev Nagar by MCD. | जहां तक देव नगर विद्यालय का प्रश्न है, संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य ने औपचारिक रूप से एमसीडी से अनेकों बार संपर्क किया है। लेकिन दिल्ली नगर निगम से अभी तक सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले को तत्परता से आगे बढ़ाया जा रहा है और स्कूल के प्रधानाचार्य इस पर कार्यवाई कर रहे हैं। पत्राचार की प्रतिलिपि संलग्नक-'क' रूप में संलग्न है। |

(ख) संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जिसके कारण अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई उचित नहीं है।

(ग) जैसा कि बिंदु संख्या 1 और 2 में उल्लेख किया गया है।

संलग्नक 'क'

தில்லித் தமிழ்க் கல்விக் கழகம் (பதி.)
DELHI TAMIL EDUCATION ASSOCIATION (Regd.)
LODI ESTATE, NEW DELHI - 110 003

In 1923
1923 - 2023
100 Years
of Excellence

No.15/01/DTEA/2023/07-126 Dated: 24.07.2023

To

The Principal
Govt. Sarvodaya Bal Vidalaya
Rani Jhansi Road,
New Delhi-110055

**Sub:- Reply in respect to complaint regarding School admission by the complainant Sh. R. Jha against DTEA Sr. Sec. School, Pusa Road.**

Sir,

With reference to your letter GSBV/RJR/2023/4380 dated 20.07.2023 on the subject cited above, this is to inform you that as per instructions/guidelines issued vide Central Vigilance Commission Circular No. 03/03/16 dated 07.03.2016 (copy enclosed at **Annexure-1**) and Govt. of India, Ministry of personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training, Office Memorandum F.No. 104/76/2011-AVD-1 dated 08.10.2018, (copy enclosed at **Annexure-2**) no action is required to be taken on anonymous/pseudonymous complaints, irrespective of the nature of the allegations and such complaints need to be simply filed, since the complaint does not carry the name and address of the complainant.

It is not understood that why above said complaint in respect of DTEA School is being entertaining by Sh. Ashok Kumar Sharma, HoS, GSBV (DE Nominee) while Directorate of Education nominate its nominee for the purpose of attending School Management Committee Meeting. It seems that Sh. Ashok Kumar Sharma, DE Nominee has enough time to interfere in DTEA School matters.

(R.RAJU)
Honorary Secretary

Encl:- As stated above Annexure-1 & 2.
Copy to: Principal, Pusa Road.

PRINCIPAL
GSBV RANI JHANSI ROAD.
NEW DELHI-55

9.1C

(1)

59/C

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION
( ACT BRANCH )

No. 3789

Dated: 12/7/2000

To

The Secretary,
D.T.E.A.,
Lodhi Road,
New Delhi.

Sub: SCHEME OF MANAGEMENT.

Sir,

With reference to your letter dt.03/08/2K on the above noted subjt, I am directed to convey you the approval of Director of Education to accord minority status (Linguistic Minority) in respect of following 04 schools:

1. D.T.E.A., Lodhi Estate, New Delhi
2. D.T.E.A., R.K.Puram, New Delhi
3. D.T.E.A., Pusa Road, New Delhi
4. D.T.E.A., Moti Bagh, New Delhi.

The "sample" draft scheme of management submitted by you vide your letter dt.11/03/2K is also approved. You are, therefore, requested to submit separate scheme of management for each of these school on the same pattern within 10 days of receipt of this letter.

Yours faithfully,

( N. S. TOLIA )
ADDL. DIRECTOR OF EDN(ACT)

Principal
D.T.E.A. Senior Secondary School
Lodi Estate, New Delhi-110003

PRINCIPAL INCHARGE
DTEA Senior Secondary School
Lodi Estate, New Delhi - 110003

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

संलग्नक 'ख'

**GOVERNMENT BOYS SEC. SCHOOL**
NEW ROTHAK ROAD, 22-B, DEV NAGAR, NEW DELHI-110005
SCHOOL I.D. 2128006 PH.: 011-28711536

दिल्ली सरकार

Ref. No. :- GBSS/NRR/22-B/Dev Nagar/2025/35 Date.19/03/2025

To
Deputy Comissioner MCD
Karol Bagh Zone
New Delhi-110005

**Subject: Regarding Handing Over the 08 Locked Rooms.**

Sir/Madam

It is to inform you that there are 08 rooms in this premises, which are locked by the MCD. from the past around 15 – 20 years. It is pertinent to mention here that, there was running primary school which has been merged with one another nearby primary school and these rooms are unused and locked by MCD. These rooms are in a dilapidated condition. These rooms have become breeding ground for snakes and mongoose which is a potential safety hazard for students and staff of the school. The ground in front of these rooms is very slippery (particularly during rainy season) and every now and then there is an incident of somebody falling. There is a lot of dirt in these rooms and rain water can be seen seeping inside these rooms.

The enrollment of the students is increasing day by day now we have the latest enrollment are 372 and we have only 08 class rooms in which the classes are running and the size of the class rooms are below standard level. Therefore, you are requested to hand over 08 locked rooms which are under the control of MCD. So that the students may sit properly in the class rooms.

I shall be thankfull to you.

19/03/2025
(HOS)
HOS
G.B.S. School 22B Dev Nagar
New Rohtak Road, New Delhi-5
SCHOOL ID-2128006

**12. श्री अभय वर्मा:** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2013 से लेकर 2025 के दौरान में कितने नये स्कूल बनवाये गये, नाम सहित विवरण दें;

(ख) पुराने स्कूल में कुल कितने नये कमरे बनाये गये और उस पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ग) नये कमरों में आरसीसी की छत है या टैम्परेरी छत है, पूर्ण विवरण दें;

(घ) पिछले 2013 से 2025 तक कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं में ड्राप आउट बच्चों की संख्या कितनी रही है, वर्षवार पूर्ण विवरण दें; और

(ङ) 2024-25 में शिक्षा पर कितना बजट था और साल के अंत तक कितना खर्च हुआ है?

**शिक्षा मंत्री:** (क) उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 2014 से दिल्ली में 44 नये स्कूल भवनों का निर्माण किया गया है। जिनकी सूची संलग्नक-'क' के रूप में संलग्न है।

(ख) मौजूदा जानकारी रिकॉर्ड के अनुसार, 1 अप्रैल 2013 से 31 जनवरी 2025 तक कुल 23928 समकक्ष कमरों का निर्माण कराया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

| वर्ष | कक्षा | प्रयोगशाला | टॉयलेट | पुस्तकालय | अन्य कमरे | कुल समकक्ष कमरे |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 813 | 63 | 128 | 13 | 201 | 1218 |
| 2014-15 | 722 | 32 | 94 | 12 | 64 | 924 |
| 2015-18 | 4912 | 1602 | 1434 | 82 | 1008 | 8910 |
| 2018-23 | 6264 | 2176 | 1785 | 583 | 1760 | 12568 |
| 2023-25 | 175 | 34 | 36 | 12 | 51 | 308 |

वर्ष 2015-18 तक-समकक्ष कमरों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा 141 विद्यालयों में कराया गया। इनके निर्माण हेतु 1137.30 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गए हैं और 173.01 करोड़ रूपये की मंजूरी अभी विचाराधीन है।

इसके अलावा डीटीटीसी द्वारा 1773 समकक्ष कमरों का निर्माण कराया गया। जिनकी कुल लागत 496.51 करोड़ रूपये है।

वर्ष 2018-2019 से 2022-23 तक-12568 समकक्ष कमरों का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा 241 विद्यालयों में कराया गया। इनके निर्माण हेतु 2892.65 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए हैं।

वर्ष 2023-24 से 2024-25 तक-308 समकक्ष कमरों का निर्माण भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार इनके निर्माण हेतु 88.3647 करोड़ रूपये अब तक खर्च किये गए हैं।

(ग) पुराने विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण एसपीएस (Semi Pucca Structure) या एलजीएसएफ के रूप में लोक निर्माण विभाग/डीटीटीडीसी द्वारा किया गया है।

(घ)

| वर्ष | माध्यमिक स्तर | |
|---|---|---|
| | 9वीं कक्षा | 10वीं कक्षा |
| 2013–14 | 29906 | 0 |
| 2014–15 | 39905 | 7250 |
| 2015–16 | 73086 | 1816 |
| 2016–17 | 64953 | 3306 |
| 2017–18 | 116054 | 4975 |
| 2018–19 | 76564 | 12593 |
| 2019–20 | 76713 | 6625 |
| 2020–21 | 42139 | 0 |
| 2021–22 | 32146 | 0 |
| 2022–23 | 41107 | 2254 |
| 2023–24 | 53159 | 6696 |

स्रोत: UDISE 2023-24

- 12वीं कक्षा में ड्राप आउट बच्चों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ङ) योजना: वित्तवर्ष 2024–25 के लिए शिक्षा विभाग योजना/कार्यक्रम/परियोजना बजट (बीई/आरई) 4846.41 करोड़ रूपये है और वित्त वर्ष 2024–25 के लिए दिनांक 28.02.2025 तक व्यय 3535.39 करोड़ रूपये है।

गैर–योजना: वित्त वर्ष 2024–25 के लिए शिक्षा विभाग का गैर–योजना बजट (बीई/आरई) 10,468 करोड़ रूपये है और वित्त वर्ष 2024–25 के दिनांक 31.01.2025 तक व्यय 8931 करोड़ रूपये है।

संलग्नक 'क'

Details of New school building constructed by PWD.

| Sl. No. | Name of School |
|---|---|
| 1 | Govt. Co-ed Sarvodaya Vidyalaya, Dwarka Sec-17, New Delhi. |
| 2 | Dwarka School of Excellence, Sec-22, New Delhi. |
| 3 | Madanpur Khader School of Excellence, J.J. Colony, Phase-II, Delhi. |
| 4 | Madanpur Khader Extn., Phase-III, Co-ed Sarvodaya, Vidyalaya, Delhi. |
| 5 | HASTAL - SKV, New Delhi. |
| 6 | HASTAL - GGSSS, New Delhi. |
| 7 | Rohini, Sector-1, SKV, Delhi. |
| 8 | Rohini, Sector-3, SV School, Delhi. |
| 9 | Rohini, Sector-4, Govt. Co-ed Sarvodaya Vidyalaya, Delhi. |
| 10 | Rohini, Sector-6, SV, Delhi. |
| 11 | Rohini, School of Excellence, Sector-17, Delhi. |
| 12 | Rohini, Phase-III, Sec-21, Govt Co-ed Sarvodaya Vidyalaya, Delhi. |
| 13 | Rohini, Phase-II, Sector-21, RPVV, Delhi. |
| 14 | Rohini, Sec-22, Govt. Co-ed Sarvodaya Vidyalaya, Delhi. |
| 15 | Kalkaji School of Excellence, Delhi. |
| 16 | Dwarka, Sector-III (II Site)- G(Co-ed) SSS, Delhi. |
| 17 | Dwarka, Sec-5, RPVV, Delhi. |
| 18 | Dwarka, Sec-13, Govt. Co-ed Sarvodaya Vidyalaya, Delhi. |
| 19 | Dwarka, Sec-19, RPVV, Delhi. |
| 20 | Khichipur School of Excellence East Delhi. |
| 21 | Rohini School of Excellence, Sector-23, Delhi. |
| 22 | I.P. Extension RPVV, Delhi. |
| 23 | Vipin Garden Govt. Co-ed SS, Delhi. |
| 24 | Shahbad Dairy-GGSSS, Delhi. |
| 25 | Baprola-GGSSS, Delhi. |
| 26 | Gautam Puri-RPVV, Distt., North East, Delhi. |
| 27 | GGSS, Bhalswa Dairy, Delhi. |
| 28 | Veer Savarkar Complex, Karawal Nagar |
| 29 | ASOSE, Janak Puri, Desu Colony, Delhi |
| 30 | Rana Pratap Bagh, Delhi |
| 31 | ASOSE, Sector- 18, Rohini |
| 32 | Dariyapur Kalan, Delhi. |
| 33 | Libaspur, Delhi. |
| 34 | Sector 05, Rohini, Delhi |
| 35 | Uttam Nagar, Delhi |
| 36 | ASoSE, Kohat Enclave, Delhi |
| 37 | A-6 Paschim Vihar, Delhi |
| 38 | SKV, Sri Ram Colony, Kajoori Khas, Sonia Vihar |
| 39 | Dovli Pahadi, Sangam Vihar, Delhi |
| 40 | Govt. school Nasoorpur (Dwarka) |
| 41 | F1 & F2 Block Sunder Nagari. |
| 42 | Sector 27, Rohini |
| 43 | PSP-10, Industrail Area, Phase-V, Kirari, Rohini |
| 44 | Ladpur, Delhi |

Mohinder Pal

(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education
Delhi-110054

**13. श्री जितेन्द्र महाजनः** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीबीएसई बोर्ड (दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजूकेशन) कितने छात्रों की परीक्षा ले रहा है;

(ख) सत्र 2024-25 में डीबीएसई बोर्ड को अब तक कितनी राशि दी गई;

(ग) डीबीएसई बोर्ड चलता रहेगा या इसे बंद किया जायेगा;

(घ) मेंटर टीचर के संबंध में सरकार की क्या योजना है;

(ङ) देश भक्ति, हैप्पीनेस, ईएमसी जैसे विषय जारी रहेंगे या इस सत्र से बंद कर दिये जायेंगे;

(च) क्या गेस्ट टीचरों का वेतन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(छ) पिछले 5 वर्षों में स्कूली छात्रों की छात्रवृत्ति पर कितनी राशि खर्च की गई है तथा पिछले पांच वर्षों में कितने छात्रों को वर्दी और स्टेशनरी उपलब्ध करवाई गई व ऐसे कितने छात्र हैं जिनको वर्दी व स्टेशनरी उपलब्ध नहीं करवाई गई है, कारण सहित पूर्ण विवरण दें; और

(ज) निजी स्कूलों के रिकॉग्नेशन की मौजूदा स्थिति क्या है तथा क्या निजी स्कूलों को मान्यता एक निश्चित समय के लिए अथवा हमेशा के लिए दी जाती है?

**शिक्षा मंत्रीः** (क) डीबीएसई (दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन) वर्ष 2024-25 में 23994 छात्रों की परीक्षा ले रहा है।

(ख) सत्र 2024–25 में डीबीएसई बोर्ड को अब तक शून्य धनराशि दी गई है।

(ग) वर्तमान सत्र में चल रहा है।

(घ) वर्तमान सत्र में चल रहे हैं।

(ङ) वर्तमान सत्र में चल रहे हैं।

(च) जी हाँ, फाइल प्रक्रियाधीन है।

(छ) योजना/कार्यक्रम/परियोजना का नाम और निधि की स्थिति

| वित्तीय वर्ष<br>योजना का नाम | 2020–21<br>व्यय | 2021–22<br>व्यय | 2022–23<br>व्यय | 2023–24<br>व्यय | 2024–25<br>व्यय |
|---|---|---|---|---|---|
| शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक छात्रों का कल्याण | 0 | 1814.84 लाख | 1912.44 लाख | 1890.46 लाख | भुगतान प्रक्रियाधीन है |
| मेधावी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति | 0 | 0 | 583.43 लाख | 1031.89 लाख | 747.73 लाख |
| समावेशी शिक्षा छात्रवृत्ति (इंक्लूसिव एजुकेशन स्कालरशिप) | 0 | 58.57 लाख | 99.32 लाख | 131.48 लाख | 140.00 लाख |

सरकारी स्कूल में नकद/वस्तु के रूप में वर्दी/स्टेशनरी प्रदान किए गए छात्र की संख्या का विवरण:–

| वित्तीय वर्ष | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| स्कूल की वर्दी | कोविड-19 की आपदा के कारण स्कूल बंद थे | 1635136 | 1664962 | 1660105 | 1641030 |
| पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री | 1546955 | 1609146 | 1630313 | 1659070 | 1681756 |

- 1 से 8वीं कक्षा तक पाठ्यपुस्तकें सीधे बच्चों को वितरित की गई है। (Textbook in Kind)
- 1 से 8वीं कक्षा तक लेखन सामग्री सीधा बच्चों को वितरित की गयी है। (Writing Material in Kind w.e.f. 2023-24)
- 9 से 12वीं कक्षा तक पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए पैसा सीधा बच्चों के खाते में डीबीटी के द्वारा वितरण (Textbook in cash through DBT).
- नर्सरी से 12वीं तक स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसा सीधा बच्चों के खाते में डीबीटी के द्वारा वितरण (School uniform in cash through DBT).
- शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्कूलों के वैध बैंक खाता रखने वाले सभी विद्यार्थियों को नकद सब्सिडी वितरण।

छात्रों की संख्या जिनको वर्दी/स्टेशनरी प्रदान नहीं की गयी व कारण

| वित्तीय वर्ष | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 भुगतान प्रक्रियाधीन है |
|---|---|---|---|---|---|
| स्कूल की वर्दी | कोविड-19 की आपदा के कारण स्कूल बंद थे | 147157* | 133861* | 477354* | 69481 |
| पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री | 59815* | 146684* | 131672* | 21655* | 7580 |

- बैंक विवरण का सटीक नहीं होने के कारण, माता-पिता का बैंक विवरण देने से इंकार करना, लम्बे समय से अनुपस्थिति, बैंक खाते का विवरण ना होना (Name, IFSC Etc.)।

(ज) दिल्ली में निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को अनंतिम मान्यता के साथ-साथ निश्चित अवधि के लिए स्थायी मान्यता भी प्रदान की जाती है, बशर्ते कि यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल भवन उप-नियमों, दिल्ली मास्टर प्लान के प्रावधानों, अग्नि सुरक्षा के लिए वैधानिक आवश्यकताओं, संरचनात्मक सुरक्षा/स्थिरता और मामले में निर्धारित अन्य मानदंडों का अनुपालन करता है।

**14. श्री अजय महावर:** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अन्तर्गत घोंडा विधानसभा में जनकल्याण स्कूल भजनपुरा (आरडीजेके (जी) को-एड सीनियर

सेकेण्डरी स्कूल/आरडीजेके (जी) बाल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल) के कक्षा 9, 11 और 12 के बच्चों को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया है परन्तु बिल्डिंग में कमरों की क्षमता न होने के कारण कक्षा 6, 7, 8 और 10 तक के बच्चे अब तक पोर्टा केबिन में पढ़ रहे थे जो अब बी-1 स्कूल यमुना विहार में स्थानांतरित कर दिये गये हैं, जहां पहले से ही काफी बच्चे हैं;

(ख) क्या आरडीजेके (जी) को-एड सीनियर सेकेण्डरी स्कूल/आरडीजेके (जी) बाल सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के बराबर में दिल्ली नगर निगम की खाली पड़ी जगह को लेकर नई बिल्डिंग के निर्माण की सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो कब तक यह कार्य किया जायेगा;

(घ) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितने प्रिंसिपल, वाईस प्रिंसिपल और शिक्षकों की कमी है व उन रिक्तियों को कब तक भरा जायेगा, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) घोंडा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में सीवर व स्कूल के रख-रखाव के लिये कौन-सा विभाग कार्य करता है और क्या नियमित योजना के अन्तर्गत स्कूलों के सीवरों की स्फाई की जाती है, इसके संदर्भ में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाये; और

(च) दिल्ली सरकार के कितने स्कूलों में प्रात:कालीन पाली में महिला शिक्षिकाओं के स्थान पर पुरूष शिक्षक कार्यरत हैं और यह किस आदेश के अन्तर्गत लगाये गये हैं, सूची प्रदान करें?

**शिक्षा मंत्री:** (क) जी हाँ। यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत घोंडा विधानसभा में जन कल्याण स्कूल भजनपुरा, आरडीजेके (जी) को-ऐड सीनियर सेकेंडरी स्कूल/आरडीजेके (जी) बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा

11 और 12 के बच्चों को इसी विद्यालय की नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है परंतु दिन शैड/पोर्टा केबिन की बिल्डिंग होने के कारण, आरडीजेके (जी) स्कूल को जीजीएसएसएस यमुना विहार बी–1 स्कूल में एक अलग ब्लॉक आवंटित किया गया है, जिसमें कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 तक के बच्चों का पठन–पाठन सुचारू रूप से चल रहा है।

जीजीएसएसएस बी–1, यमुना विहार स्कूल में पर्याप्त कमरे हैं और दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों के पठन–पाठन के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना है।

(ख) ऐसी कोई योजना नहीं है, क्योंकि यह खाली जगह दिल्ली नगर निगम की है।

(ग) लागू नहीं।

(घ) स्थाई पद

| | प्रधानाचार्य | उप–प्रधानाचार्य | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| कुल रिक्त पद | 281 | 1039 | 19080 |

प्रिंसिपल: सीधी भर्ती कोटा के तहत प्रिंसिपल की आवश्यकता के लिए एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है और इसे जल्द से जल्द यूपीएससी को प्रस्तुत किया जाएगा।

वाइस प्रिंसिपल: उप–प्रधानाचार्य के 819 पदों को फीडर ग्रेड यानी पीजीटी से भरने का प्रस्ताव शुरू किया जा चुका है।

पदोन्नति के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे एसीआर/एपीएआर, आईसी, पिछले 10 वर्षों का दंड विवरण और सतर्कता मंजूरी संबंधित जिला अधिकारियों/कार्यालयों से दिनांक 16.08.2024, 09.10.2024 और 04.12.2024 के पत्रों के माध्यम से मांगी गए हैं। अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद उप–प्रधानाचार्य के पद पर

पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने का प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

पीजीटी-एमआईएस के अनुसार शिक्षा निदेशालय में पीजीटी शिक्षकों के 3705 पद रिक्त हैं। पीजीटी शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए समय-समय पर भर्ती प्रक्रिया की जाती है। फिलहाल 01.01.2025 तक की सभी रिक्तियों के विज्ञापन के लिए डीएसएसएसबी को भेज दिया गया है।

टीजीटी/टीजीटी (एमआईएल): वर्तमान में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय में टीजीटी/टीजीटी (एमआईएल) के 9857 पद (अतिथि शिक्षक को छोड़कर) रिक्त हैं एवं 4536 रिक्त पदों को भरने के लिए 29.03.2023 को भर्ती बोर्ड यानी डीएसएसएसबी को अधियाचना भेजी गई और इसे डीएसएसएसबी द्वारा विज्ञापन संख्या 02/2024 के तहत विज्ञापित किया गया और 4433 पदों को भरने के लिए 12.06.2024 को डीएसएसएसबी को अधियाचना भेजी गई और पदान्नति कोटे के 818 पदों को पदोन्नति से भरा जाना है और 70 पद अदालती मामलों में बरकरार हैं।

विविध शिक्षक: 3494 रिक्त पदों को भरने के लिए डीएसएसएसबी को अधियाचना वर्ष 2024 में भेजी जा चुकी है।

(ङ) दिल्ली सरकार के स्कूल के रख-रखाव से संबंधित कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

(च) दिल्ली के 111 स्कूलों में प्रात: कालीन पाली में 185 पुरूष शिक्षक कार्यरत हैं।

स्कूलों में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग, ट्रांसफर पालिसी दिनांक 15.06.2017 के अंतर्गत की जाती है।

सूची संलग्नक-'क' के रूप में संलग्न है।

संलग्नक 'क'

Details of New school building constructed by PWD.

| Sl. No. | Name of School |
|---|---|
| 1 | Govt. Co-ed Sarvodaya Vidyalaya, Dwarka Sec-17, New Delhi. |
| 2 | Dwarka School of Excellence, Sec-22, New Delhi. |
| 3 | Madanpur Khader School of Excellence, J.J. Colony, Phase-II, Delhi. |
| 4 | Madanpur Khader Extn., Phase-III, Co-ed Sarvodaya, Vidyalaya, Delhi. |
| 5 | HASTAL - SKV, New Delhi. |
| 6 | HASTAL - GGSSS, New Delhi. |
| 7 | Rohini, Sector-1, SKV, Delhi. |
| 8 | Rohini, Sector-3, SV School, Delhi. |
| 9 | Rohini, Sector-4, Govt. Co-ed Sarvodaya Vidyalaya, Delhi. |
| 10 | Rohini, Sector-6, SV, Delhi. |
| 11 | Rohini, School of Excellence, Sector-17, Delhi. |
| 12 | Rohini, Phase-III, Sec-21, Govt Co-ed Sarvodaya Vidyalaya, Delhi. |
| 13 | Rohini, Phase-II, Sector-21, RPVV, Delhi. |
| 14 | Rohini, Sec-22, Govt. Co-ed Sarvodaya Vidyalaya, Delhi. |
| 15 | Kalkaji School of Excellence, Delhi. |
| 16 | Dwarka, Sector-III (II Site)- G(Co-ed) SSS, Delhi. |
| 17 | Dwarka, Sec-5, RPVV, Delhi. |
| 18 | Dwarka, Sec-13, Govt. Co-ed Sarvodaya Vidyalaya, Delhi. |
| 19 | Dwarka, Sec-19, RPVV, Delhi. |
| 20 | Khichipur School of Excellence East Delhi. |
| 21 | Rohini School of Excellence, Sector-23, Delhi. |
| 22 | I.P. Extension RPVV, Delhi. |
| 23 | Vipin Garden Govt. Co-ed SS, Delhi. |
| 24 | Shahbad Dairy-GGSSS, Delhi. |
| 25 | Baprola-GGSSS, Delhi. |
| 26 | Gautam Puri-RPVV, Distt., North East, Delhi. |
| 27 | GGSS, Bhalswa Dairy, Delhi. |
| 28 | Veer Savarkar Complex, Karawal Nagar |
| 29 | ASOSE, Janak Puri, Desu Colony, Delhi |
| 30 | Rana Pratap Bagh, Delhi |
| 31 | ASOSE, Sector- 18, Rohini |
| 32 | Dariyapur Kalan, Delhi. |
| 33 | Libaspur, Delhi. |
| 34 | Sector 05, Rohini, Delhi |
| 35 | Uttam Nagar, Delhi |
| 36 | ASoSE, Kohat Enclave, Delhi |
| 37 | A-6 Paschim Vihar, Delhi |
| 38 | SKV, Sri Ram Colony, Kajoori Khas, Sonia Vihar |
| 39 | Dovli Pahadi, Sangam Vihar, Delhi |
| 40 | Govt. school Nasoorpur (Dwarka) |
| 41 | F1 & F2 Block Sunder Nagari. |
| 42 | Sector 27, Rohini |
| 43 | PSP-10, Industrail Area, Phase-V, Kirari, Rohini |
| 44 | Ladpur, Delhi |

Mohinder Pal

(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education
Delhi-110054

| | | |
|---|---|---|
| 41 | 1412133 | Mubarikpur Dabas-GGSSS |
| 42 | 1412258 | Nithari Village- GGSSS |
| 43 | 1514013 | Khyala, No.2-SKV |
| 44 | 1515021 | Rajouri Garden Extn.-SKV |
| 45 | 1515024 | Madipur, No.2-SKV |
| 46 | 1516021 | Ranjit Nagar-SKV |
| 47 | 1516022 | Shadi Khampur-SKV |
| 48 | 1516025 | Kirti Nagar-GGSSS |
| 49 | 1516141 | West Patel Nagar-GGSSS |
| 50 | 1617011 | Paschim Vihar, B 3-SKV |
| 51 | 1617014 | Mundka Village-SKV |
| 52 | 1617030 | Baprola-GGSSS |
| 53 | 1720014 | Janak Puri, Block D, No.1-SKV |
| 54 | 1720017 | Pusa, IARI-SKV |
| 55 | 1720022 | Naraina-SKV |
| 56 | 1923031 | Neb Sarai-Govt. Girls Secondary School |
| 57 | 1923047 | Dr. Ambedkar Nagar, Sector V-GGSSS |
| 58 | 1923050 | Dr. Ambedkar Nagar, Sector V, No.2-GGSSS |
| 59 | 1923078 | Dr. Ambedkar Nagar, Sector V, No.1-GGSS |
| 60 | 1924032 | East of Kailash, No.1-GGSSS |
| 61 | 1924037 | Jungpura-SKV (Kamla Nehru) |
| 62 | 1925042 | Badarpur, No.1-GGSSS |
| 63 | 1925053 | Molar Band, No.2- GGSSS |
| 64 | 1925054 | Badarpur, No.2-GGSSS |
| 65 | 1925190 | Molar Band-GGSSS No. 3 |
| 66 | 1925401 | Molar Band, No.1- GGSSS |
| 67 | 1925404 | Madanpur Khadar- GGSSS |
| 68 | 2026004 | Pandara Road-SKV |
| 69 | 2127021 | Bulbuli Khana-SKV |
| 70 | 2127025 | Chashma Building(Urdu Medium)-SKV |
| 71 | 2128019 | Old Rajinder Nagar-SKV (Swami Daya Nand) |
| 72 | 2128023 | New Rohtak Road-GGSSS |
| 73 | 2128025 | East Park Road-GGSSS |
| 74 | 1104491 | Shri Ram Colony, Khajoori Khas Chowk - SKV |
| 75 | 1207112 | Magazine Road-SKV |
| 76 | 1208015 | Sarai Rohilla-SKV-1208015 (Nursery to XII) |
| 77 | 1720033 | Ghitorni-SKV |
| 78 | 1105018 | Jafrabad, Zeenat Mahal(Urdu Medium)-SKV |

Parveen Mohinder Pal

(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education
Delhi-110054

| Sr.no. | School id | School Name |
|---|---|---|
| 79. | 1719073 | Moti Bagh I-SKV |
| 80. | 1104018 | Yamuna Vihar, Block C, No.1-SKV |
| 81. | 1923026 | Govt. Girls Senior Secondary school, Sanjay Colony Bhati Mines |
| 82. | 1104142 | Karawal Nagar-GGSSS |
| 83. | 1104419 | Tukhmirpur, No.2-GGSSS |
| 84. | 1104486 | Village Karawal Nagar, Veer Savarkar Complex-GGSSS |
| 85. | 1208023 | Kinari Bazar, Gali Barf Wali-GGSSS |
| 86. | 1104020 | Gokalpuri-SKV |
| 87. | 1104024 | Yamuna Vihar, Block C, No.-2, SKV |
| 88. | 1309026 | Model Town, No-1, SKV |
| 89. | 1309030 | Shalimar Bagh, Block BL-SKV |
| 90. | 1822050 | Dichaon Kalan-GGSSS |
| 91. | 1207041 | Roop Nagar, No-3-GGSSS |
| 92. | 1821035 | Bijwasan, Bharthal Road, GGSSS |
| 93. | 1925061 | Tughlakabad Extn. No. 1 SKV (Aruna Asif Ali) |
| 94. | 1104400 | Loni Road, East Gokalpur-GGSSS |
| 95. | 1309258 | Jahangirpuri, Block E-GGSSS |
| 96. | 1923051 | Lado Sarai-GGSS |
| 97. | 1002022 | Kalyanpuri-SKV (Mother Teresa) |
| 98. | 1106259 | Mandoli Extension-GGSSS |
| 99. | 1104022 | Khajoori Khas-SKV |
| 100. | 1104153 | Khajoori Khas-GGSSS |
| 101. | 1925341 | Harkesh Nagar GGSSS |
| 102. | 2127026 | Bela Road-GGSSS |
| 103. | 1105229 | Brahmpuri, GGSSS Block-X |
| 104. | 1207034 | Timar Pur-SKV |
| 105. | 1618063 | Mohan Garden-SKV |
| 106. | 1925400 | Molar Band, No. 4-GGSSS |
| 107. | 1002360 | Khichari Pur Village, J.J Colony-SKV |
| 108. | 1104491 | Shri Ram Colony, Khajoori Khas Chowk-SKV |
| 109. | 1105112 | Chauhan Bangar, Jafrabad-GGMS |
| 110. | 1309265 | Qadipur-GGSSS |
| 111. | 1516027 | Ramesh Nagar-SKV |

Mohinder Pal

(MOHINDER PAL)
Additional Director of Education
Directorate of Education
Delhi-110054

**15. श्री मोहन सिंह बिष्टः** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/मध्य/प्राथमिक विद्यालय हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर राजस्व विभाग/डीडीए की जमीन उपलब्ध है;

(ग) यदि हां, तो घनी आबादी को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा भविष्य में कितने विद्यालय प्रारंभ करने की योजना है तथा इसकी समय सीमा क्या है; और

(घ) क्या उपरोक्त जगहों पर जमीनों का डी–मार्केशन (चिन्हीकरण) कर लिया गया है, पूर्ण विवरण दें?

**शिक्षा मंत्रीः** (क) उच्च माध्यमिक विद्यालय (12वीं कक्षा तक सरकारी विद्यालय):–6

प्राथमिक (सरकारी विद्यालय):–0

मध्य (सरकारी विद्यालय):–0

माध्यमिक (सरकारी विद्यालय):–2

उपरोक्त विद्यालय का विवरण निम्न प्रकार है:–

| विद्यालय की आईडी | विद्यालय का नाम | विद्यालय का प्रकार |
|---|---|---|
| 1104014 | राजकीय माध्यमिक बाल विद्यालय, मुस्तफाबाद | माध्यमिक |
| 1104028 | राजकीय माध्यमिक कन्या विद्यालय, मुस्तफाबाद | माध्यमिक |
| 1104261 | राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय, तुखमीरपुर | उच्च माध्यमिक |
| 1104262 | राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय, तुखमीरपुर | उच्च माध्यमिक |
| 1104419 | राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय, नं. 2, तुखमीरपुर | उच्च माध्यमिक |
| 1104420 | राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय, नं. 2, तुखमीरपुर | उच्च माध्यमिक |
| 1104486 | वीर सावरकर राजकीय उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय गांव करावर नगर | उच्च माध्यमिक |
| 1104487 | वीर सावरकर राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय गांव करावल नगर | उच्च माध्यमिक |

(ख) शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, मुस्तफाबाद विधानसभा के अंतर्गत दो भूखंड हैं, जिनका क्षेत्र 362 वर्ग मीटर व 1018 वर्ग गज है। जो कि करावल नगर के शिव विहार क्षेत्र में स्थित है। भूमि खण्ड 1018 वर्ग गज दो स्थानों में

बंटा हुआ है। जिसमें अत्यधिक वृक्ष हैं व इस भूमि से संबंधित विवाद न्यायालय में लंबित हैं। शिक्षा विभाग ने हाल ही में दण्डाधिकारी (उत्तर-पूर्व) को 12.03.2025 को प्रार्थना पत्र भेजा है व अनुरोध किया है कि मुस्तफाबाद विधानसभा में अन्य भूखण्ड को आबंटित कर दिया जाए। चूंकि इस क्षेत्र में घनी आबादी है अतएव विद्यालय खोलने की अत्यंत आवश्यकता है।

(ग) भविष्य में जमीन शिक्षा विभाग को आवंटित होने पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

(घ) आबंटित दोनों भूखण्डों का डी-मार्केशन (चिन्हीकरण) हो चुका है हालांकि शिक्षा विभाग ने हाल ही में दंडाधिकारी (उत्तर-पूर्व) को 12.03.2025 को प्रार्थना पत्र भेजा है व अनुरोध किया है की मुस्तफावाद विधानसभा में अन्य भूखण्ड को आवंटित कर दिया जाए चूंकि इस क्षेत्र में घनी आबादी है अतः विद्यालय खोलने की अत्यंत आवश्यकता है।

16. **श्री गजेन्द्र सिंह यादवः** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मेहरौली विधानसभा क्षेत्र में स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय नं0-1 में साईस और कॉमर्स विषय नहीं है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में स्थित जीबीएसएस-3 केवल दसवीं कक्षा तक है, जो कि टिन शैड्स में चलता है;

(घ) यदि हाँ, तो सरकार की उपरोक्त स्कूल को पक्का करने की कोई योजना है;

(ङ) कुतुब स्कूल का ग्राउंड पूर्व क्रिकेटर को प्राइवेट प्रेक्टिस हेतु दिये जाने के क्या कारण हैं;

(च) उपरोक्त कदम से मेहरौली देहात के कितने खिलाड़ियों को लाभ मिला, नाम, दूरभाष नंबर और पते सहित पूर्ण विवरण दें;

(छ) क्या यह सत्य है कि मेहरौली में किसी भी स्कूल में खेलने का ग्राउंड नहीं है; और

(झ) यदि हाँ तो इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**शिक्षा मंत्रीः** (क) यह सत्य है कि महरौली विधानसभा क्षेत्र में स्थिति सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर-1 में वाणिज्य विषय है परंतु इस विद्यालय में विज्ञान विषय नहीं है।

(ख) जी हाँ। विज्ञान विषय पढ़ने के लिए के छात्रों की संख्या बहुत कम है। यद्यपि निकटवर्ती विद्यालयों में विज्ञान संकाय है जोकि निम्नलिखित है:-

5. महरौली कुतुब, सर्वोदय (सह-शिक्षा) सीनियर सकेंडरी विद्यालय

6. जीजीएसएसएस बी-1 वसंत कुंज

7. आरपीवीवी बी-1 वसंत कुंज

8. जीबीएसएसएस बी-1 वसंत कुंज

(ग) जी हाँ सत्य है। लेकिन जीबीएसएस नंबर-3 स्कूल में 17 कमरे का टिन शेड है, 3 पोर्टा केबिन है, 10 कमरे आधा कच्चा पक्का संरचना के हैं।

(घ) टिन शैड में चलने का कारण है क्योंकि भारतीय पुरातात्विक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ना मिलने के कारण यह स्कूल टिन शेड में चल रहा है। पत्र संख्या एफ.सं. 12/571/2019-सीए/दिल्ली/यूआईडी: 1988-328 दिनांक 30.12.2020 भारतीय पुरातात्विक विभाग ने मरम्मत कार्य के लिए अनुमति दी थी जिसमें 3 पोर्टा केबिन और सभी टिन शैड में चलने वाले कमरों का मरम्मत का कार्य पूरा किया जा चुका है। भारतीय पुरातात्विक विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्नक-'क' के रूप में संलग्न है।

(ङ) सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुतुब महरौली का मैदान, मंत्रिमंडल के निर्णय संख्या 2276 दिनांक 23.12.2015 के अनुसार, विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण एवं कोचिंग में खेल अकादमियों/क्लबों/व्यक्तिगत प्रशिक्षकों को शामिल करने की योजना के अंतर्गत क्रिकेट अकादमी चलाने के लिए आवंटित किया गया था।

(च) सूची संलग्नक-'ख' के रूप में संलग्न है।

(छ) असत्य है। जीबीएसएसएस नं. 2 स्कूल महरौली में एक खेल का मैदान है, जिसमें हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन और क्रिकेट खेल खिलाये जाते हैं, जीबीएसएस नंबर-3 में खेलने का मैदान है जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन खेल खिलाये जाते हैं। रामानुजन सर्वोदय कन्या विद्यालय में खेलने का ग्राउंड है जिसमें खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन खेल खिलाये जाते हैं। कुतुब एस को-एड महरौली स्कूल में क्रिकेट कबड्डी वॉलीबॉल के खेल खिलाये जाते हैं।

(झ) लागू नहीं है।

संलग्नक 'क'

COMPETENT AUTHORITY
NCT of Delhi
Puratatva Bhawan,
Block D, 1st floor,
INA, New Delhi - 110 023
(UNDER SECTIONS 20C AND 20D OF AMASR ACT, 1958)

**Form III**

(see rule 1?)

GRANT OF PERMISSION FOR UNDERTAKING REPAIRS AND RENOVATION OF BUILDING STRUCTURE LOCATED IN THE PROHIBITED AREA OF THE PROTECTED MONUMENT OR ARCHAEOLOGICAL SITE AND REMAINS DECLARED AS OF NATIONAL IMPORTANCE UNDER THE ANCIENT MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1958

Whereas, Shri Shri V.Selvarasu, H.O.S., Govt. Boys. Sec. School *No. 3, Mehrauli*, applicant has applied for permission for repair/renovation in respect of Govt. *Boys.* Sec. *School No. 3*, Mehrauli, New Delhi in the prohibited area near or adjoining Tomb Adam Khan a Centrally *Protected Monument* of South Delhi, NCT of Delhi and has undertaken to observe the provisions of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958(24 of 1958), AMASR (A & V) Act 2010 and rules made thereunder, I, N.K. Pathak, Competent Authority, do hereby grant this permission under *Rule-8 (1) of* the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-laws and Other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011 to the said Shri Shri V.Selvarasu, H.O.S., Govt Boys. Sec. School No. 3, Mehrauli for undertaking repair/renovation of (re-flooring re-plastering, white washing or painting; replacement of doors and windows, minor electrical and plumbing works, water proofing treatment on the terrace of Block-D, repair or replacement of existing AC Sheeted roofs with the same material.) of the **existing buildings** i.e. Block-A,B,C,D,E,F and Existing Toiled blocks (as marked in the approved plan) of Govt. Boys. Sec. School No. 3, Ward No. 01, Old Desu Road, Mehrauli, New Delhi which falls in prohibited area of CPM i.e. Wall of Lal Kot and Rai Pithora's Fort from Sohan Gate to Adham Khan's Tomb including the ditch where there is an outer wall. a centrally Protected Monument at a distance of approx. 30.00 mtrs. The permission is only for repair/renovation *without changing exterior limits of the existing structures, both vertically and horizontally* as per building plan & elevation submitted by the H.O.S. Govt. Boys. Sec. School No. 3, Mehrauli of in the area indicated in red outline on the plan attached hereto. Kindly note that no new construction is allowed. Further, no permission is accorded to demolish any structure since it does not fall in the mandate of the Competent Authority. However, you are requested to seek advice/ permission of civic agencies for demolition of existing structures or any portion of the same, keeping in view safety and security aspects. Further, it is to inform you that this permission is neither for regularization of any unauthorized construction made and nor for any new construction.

The permission is granted subject to the provisions of the Act and the Rules stated above and is further subject to the following conditions, namely, that the applicant shall:

(i) New Construction in Prohibited area is not allowed.

(ii) Incorporate elements of art & architecture of the nearest protected monument near the " Wall of Lal Kot and Rai Pithora's Fort from Sohan Gate to Adham Khan's Tomb including the ditch where there is an outer wall" in the façade of the building.

(iii) Design the roof in such a manner that water tanks and pipes are not unaesthetically exposed.

(iv) Use the colour and building materials on the exterior of the building, which are aesthetically pleasing.

(v) Use the premises for purposes as per the approval of local authorities concerned and no negative trade or usages shall be allowed which may affect adversely the ambience around the site. No cell tower shall be allowed.

(vi) Fix a small stone plaque of 2' x 4' size on the boundary wall of the house depicting location, name, time period of the nearest protected monument for creating its awareness among the public.

(vii) Obtain requisite permission/sanctions from concerned departments as per the provisions of various rules, prior to carrying out proposed repairs as per provisions of MCD Act, MPD 2021 and other Act, if any. Change in the exterior limits of the existing buildings/structures both vertically and horizontally is strictly prohibited.

(viii) Any deviation made during the course of repair/renovation in violation of approved plan and violation of terms and condition shall not be regularized by the Competent Authority NMA. Appropriate action for any such activity shall be initiated [illegible].

(ix) Submit a certificate to the Competent Authority, on completion of [illegible] repair/renovation that all conditions of the permission have been complied with.

(x) Support, cooperate and participate in all activities and programs of ASI, GNCTD, RWA which are helpful in the preservation, conservation, security, upkeep and maintenance of the protected monument(s) of the locality and also undertake such activities individually or through RWA and Trade Associations in coordination with ASI or GNCTD.

(xi) Comply with the Heritage Bye-Laws of the protected monuments of the locality when approved and comes into force.

(xii) Permit the officers/officials of ASI, Delhi Circle/Competent Authority/NMA to inspect the site during repairs/renovation work as the case may be.

The permission is not transferable and it shall be valid for a period of three years commencing with 30/12/2020.

(N. K. Pathak)
RD (North) & Competent Authority
NCT of Delhi

Station: New Delhi
Date: 30-12-2020
F No. 12/571/2019-CA/Delhi/UID: 1988 – 328

Shri V.Selvarasu,
HOS,
Govt. Boys Sec. School No. 3
Ward No. 01, Old Desu Road,
Mehrauli, New Delhi - 110030

Govt. Boys Sec. School No.3, Mehrauli New Delhi
Diary No. 18
Date 06/01/2021
School ID [illegible]

F. No. 12/571/2019-CA/Delhi/UID: 1988 – 328

COMPETENT AUTHORITY
NCT of Delhi
Puratatva Bhawan,
Block D, I floor,
INA, New Delhi – 110023

Dated. 30.12.2020

Shri V.Selvarasu,
HOS,
Govt. Boys. Sec. School No. 3
Ward No. 01, Old Desu Road,
Mehrauli, New Delhi - 110030

Sub: Grant of Permission for repair/renovation in respect of Govt. Boys. Sec. School No. 3, Ward No. 01, Old Desu Road, Mehrauli, New Delhi -regarding.

Sir,

Please refer to your application in Form - I under Rule 5 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-laws and Other Functions of the Competent Authority) Rules, 2011, please find enclosed the Grant of permission in Form-III for undertaking **repair/renovation of** (re-flooring re-plastering, white washing or painting, replacement of doors and windows, minor electrical and plumbing works, water proofing treatment on the terrace of Block-D, repair or replacement of existing AC Sheeted roofs with the same material.) of **the existing buildings i.e. Block-A,B,C,D,E,F and Existing Toiled blocks (as marked in the approved plan) of Govt. Boys. Sec. School No. 3, Ward No. 01, Old Desu Road, Mehrauli, New Delhi** which **falls in prohibited area of CPM i.e. Wall of Lal Kot and Rai Pithora's Fort from Sohan Gate to Adham Khan's Tomb including the ditch where there is an outer wall**, a centrally Protected Monument at a distance of approx. 30.00 mtrs. **The permission is only for repair/ renovation *without changing exterior limits of the existing structures, both vertically and horizontally*** as per building plan & elevation submitted by the H.O.S. Govt. Boys. Sec. School **No. 3, Mehrauli of** in the area indicated in red outline on the plan attached hereto. **Kindly note that no new construction is allowed. Further, no permission is accorded to demolish any structure since it does not fall in the mandate of the Competent Authority. However, you are requested to seek advice. permission of civic agencies for demolition of existing structures or any portion of the same, keeping in view safety and security aspects. Further, it is to inform you that this permission is neither for regularization of any unauthorized construction made and nor for any new construction.**

Your attention is also drawn to the Section 30A of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act. 1958 which reads as follows:

*"30A. Punishment for construction, etc., in prohibited area. - Whoever raises, on and after the date on which the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment and Validation) Bill, 2010, receives the assent of the President (29th March, 2010) any construction in the prohibited area, shall be punishable with imprisonment not exceeding two years or with fine which may extend to one lakh rupees or with both*

Yours faithfully,

30.12.20

(N. K. Pathak)
RD (North) & Competent Authority
NCT of Delhi

-4- U. Q. N. 16

संलग्नक 'ख'

## Dahiya Cricket Center of Excellence
## Mehrauli
### List of Trainees

| S.no | Name | Phone no. |
|---|---|---|
| 1 | Yash Panchal | |
| 2 | Ashwin Kant | |
| 3 | Krishna Sahani | |
| 4 | Lucky | 8447985537 |
| 5 | Bharat Lal | |
| 6 | Kunal | |
| 7 | Harsh Kumar | |
| 8 | Prabhat Singh | |
| 9 | Raj | |
| 10 | Aman | 9315610214 |
| 11 | Ashutosh | 8860663198 |
| 12 | Dilshad | 9234124958 |
| 13 | Ankush | 9599745138 |
| 14 | Azhar | 9643571620 |
| 15 | Prince | 8076393415 |
| 16 | Yash | 7988708008 |
| 17 | Yatharth | 9810136576 |
| 18 | Piyush | 9899271262 |
| 19 | Bhavesh | 9910165386 |
| 20 | Himanshu | 9761452543 |
| 21 | Mohit Singh | 9810297424 |
| 22 | Pushkar | 9205747079 |
| 23 | Yogesh | 9891059322 |
| 24 | Waiz | |
| 25 | Krishna | 8851114225 |
| 26 | Alok | 9318321223 |
| 27 | Satyam Thakur | 9667929661 |
| 28 | Shivansh | 7532076504 |
| 29 | Divyanshi | 7532076504 |
| 30 | Unnat | 9990178886 |
| 31 | Abhimanyu | 9650470168 |
| 32 | Mayank | 9818219344 |
| 33 | Govind | 7070944168 |
| 34 | Ansh | 9899986744 |
| 35 | Sahil Kumar | 9818738654 |
| 36 | Aarish | |
| 37 | Anurag | 8373917324 |
| 38 | Aditya Raj | |
| 39 | Lakshaya Sharma | 9958785995 |
| 40 | Suraj Singh | 8826276292 |
| 41 | Sanjay | 7048984244 |
| 42 | Naitik | 9625153096 |

Section Officer (Sports/Administration)
Chhatrasal Stadium, Model Town
Delhi-110009

Dahiya Cricket Center of Excellence
Mehrauli
List of Trainees

| | | |
|---|---|---|
| 43 | Sahil Kumar Yadav | |
| 44 | Naman Kumar Paswan | |
| 45 | Aakash | |
| 46 | Daksh Kumar | |
| 47 | Nishant Kumar | |
| 48 | Ansh Kumar Jha | |
| 49 | Samar Khan | |
| 50 | Sohaan | |
| 51 | Roshan | |
| 52 | Mandeep Kumar | |
| 53 | Manan Kapahi | 9664664818 |
| 54 | Md. Gufran | |
| 55 | Anurag Yadav | 8373917324 |
| 56 | Uday | |
| 57 | Anand Kumar | |
| 58 | Ansuman Chaurasiya | 9563333339 |
| 59 | Anurag Kumar | |
| 60 | Imran | |
| 61 | Deepak | |
| 62 | Inderjeet | |
| 63 | Pushkar Tomar | 9582174028 |
| 64 | Lakshay Sharma | 9958785995 |
| 65 | Ashad Raza | |
| 66 | Ayaan | |
| 67 | Abrar | |
| 68 | Anas | |
| 69 | MD. Faiz | |
| 70 | Javed Alam | |
| 71 | Anand Kumar | |
| 72 | Megh Kumar | |
| 73 | Akshit Bhatt | |
| 74 | MD. Azaan | |
| 75 | MD. Aadil | |
| 76 | Devendre | |
| 77 | Shivam Mishra | |
| 78 | Aakash | |
| 79 | Maharashi Dwivedi | |
| 80 | Manish Kumar | |
| 81 | Mohit Singh | |
| 82 | Yogesh | |
| 83 | MD. Faishal | |
| 84 | Rahul | |
| 85 | Yuvraj Singh | |

Section Officer (Sports/Administration)
Chhatrasal Stadium, Model Town
Delhi-110009

Dahiya Cricket Center of Excellence
Mehrauli
List of Trainees

| | | |
|---|---|---|
| 86 | Gunand Pandit | |
| 87 | Mukesh | |
| 88 | Noor Islam Hayat | 9999469707 |
| 89 | MD. Noman Hayat | 9999469707 |
| 90 | Shad Hussain | |
| 91 | MD. Ahkaf | |
| 92 | Asad Hussain Usmani | |
| 93 | Aryan Raj | |
| 94 | Dev Kumar Sharma | |
| 95 | Kishan Kumar | |
| 96 | Bilal Hussain Usmani | |
| 97 | Aarish Ahmed | |
| 98 | Tahir Saifi | 9811965324 |
| 99 | Himanshu Yadav | 7011811002 |
| 100 | Sajan Kumar | |
| 101 | Prabhat | |
| 102 | Partik Singh | |
| 103 | MD. Affan | |
| 104 | Harsh Kumar | 999115178 |
| 105 | Aryan | |
| 106 | Harsh Kumar | 9990044426 |
| 107 | Kunal Kaushal | |
| 108 | Nazzaruddin | |
| 109 | Nitesh | 9990044426 |
| 110 | Kunal | |
| 111 | Ajit Kumar | |
| 112 | Umashankar | 9990044426 |
| 113 | Vaibhav | 9999004426 |
| 114 | Suraj | 9315408931 |
| 115 | Vivek Prajapati | |
| 116 | Raj | |

Section Officer (Sports/Administration)
Chhatrasal Stadium, Model Town
Delhi-110009

**17. श्री गजेन्द्र सिंह यादवः** क्या माननीय **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर-2 में विज्ञान व कॉमर्स विषय नहीं हैं तथा यह स्कूल सुबह की पाली में केवल लड़कियों के लिए है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि जीबीएसएस नंबर-2 ब्वायज स्कूल (द्वितीय पाली) केवल लड़कों के लिए है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि जीबीएसएस नंबर-3 डेसु (DESU) रोड़ स्कूल केवल 10वीं कक्षा तक है तथा यह टीन शेड में चलता है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि आजादी के 78 साल बाद भी उपरोक्त किसी भी स्कूल में खेलने का मैदान नहीं है; और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि कुतब स्कूल का ग्राउंड श्री विजय दहिया को दिया था?

**शिक्षा मंत्रीः** (क) जी हाँ सत्य है। लेकिन विज्ञान एवं कॉमर्स विषय पढ़ने के लिए छात्रों के लिए निकटवर्ती विद्यालयों में उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो कि निम्नलिखित है:-

1. महरौली कुतुब, सर्वोदय (सह-शिक्षा) सीनियर सकेंडरी विद्यालय
2. जीजीएसएसएस बी-1 वसंत कुंज
3. आरपीवीवी बी-1 वसंत कुंज
4. जीबीएसएसएस बी-1 वसंत कुंज

5. आएसकेवी महरौली

6. जीबीएसएसएस नंबर-2 महरौली

(ख) जी हाँ सत्य है। क्योंकि सर्वोदय कन्या विद्यालय नं. 2 एवं जीबीएसएस नं. 2 स्कूल का एक ही भवन है जिस वजह से प्रथम पाली में लड़कियों एवं द्वितीय पाली में लड़कों का स्कूल चलता है।

(ग) जी हाँ यह भी सत्य है। जीबीएसएस नं. 3 दसवीं कक्षा तक है जो कि टिन शैड्स में चलता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ना मिलने के कारण पक्का निर्माण की प्रक्रिया नहीं हो पाई।

(घ) असत्य है। जीबीएसएसएस नं. 2 स्कूल महरौली में एक खेल का मैदान है। जिसमें हॉकी, कबड्डी, बैडमिंट क्रिकेट खेल कराए जा सकते हैं। जीबीएसएस नंबर-3 में खेलने का मैदान है जिसमें वॉलीबाल, कबड्डी, बैडमिंटन खेल कराए जाते हैं।

(ङ) सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुतुब महरौली का मैदान, मंत्रिमंडल के निर्णय संख्या 2276 दिनांक 23.12.2015 के अनुसार, विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण एवं कोचिंग में खेल अकादमियों/क्लबों/व्यक्तिगत प्रशिक्षकों को शामिल करने की योजना के अंतर्गत क्रिकेट अकादमी चलाने के लिए आवंटित किया गया था।

**18. श्री संजीव झाः** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार ने किराए पर चल रहे मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उस आदेश की प्रति प्रदान की जाए;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ऐसा कोई निर्णय लेने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) आदेश जारी होने के बाद, कितने मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जाएंगे, उनके पते सहित विधानसभा क्षेत्रवार सूची प्रदान की जाए; और

(ङ) इन बंद किए जाने वाले क्लिनिकों में प्रतिदिन औसतन कितने मरीज इलाज करवाते थे, पूर्ण विवरण उपलब्ध कराया जाए?

**स्वास्थ्य मंत्री:** (क) इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली में PM-ABHIM (Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission) योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का प्रावधान है, जो उन्नत सेवाएं प्रदान करेगा। किराए पर चल रहे मोहल्ला क्लीनिकों को निकटवर्ती सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाना है और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(ख) किराए पर चल रहे मोहल्ला क्लीनिक स्थलों के लिए निकटवर्ती सरकारी भवनों की खोज के संबंध में आधिकारिक आदेश 10 मार्च 2025 को जारी किया जा चुका है।

(ग) सभी जिलों के संबंधित जिलाधिकारियों और सी.डी.एम.ओ. (Chief District Medical Officer) द्वारा उपयुक्त सरकारी परिसर खोजने का काम पहले ही शुरू कर दिया गया है।

(घ) जिन किराए पर चल रहे मोहल्ला क्लीनिकों को सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा उनकी सूची संलग्न है।

(ङ) किराए पर चल रहे मोहल्ला क्लीनिकों की औसत दैनिक ओपीडी प्रतिदिन 50 से 150 रोगियों तक होती है।

**19. श्री वीर सिंह धिंगानः** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकार की नई डिस्पेंसरियां खोलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कुल कितनी डिस्पेंसरियां कहां-कहां खोलने की योजना है, पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र की पुनर्वास कालोनी नई सीमापुरी के सी-ब्लॉक में भी नई डिस्पेंसरी खोलने की सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

**स्वास्थ्य मंत्रीः** (क) से (घ) भारत सरकार की PM-ABHIM (Pradhan Mentri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission) योजना के अंतर्गत "आयुष्मान आरोग्य मंदिर" बनाने का प्रावधान है, जिसे दिल्ली सरकार जल्द ही कार्यान्वित करेगी। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों (DMs) और CDMOs (Chief District Medical Officers) को "आयुष्मान आरोग्य मंदिर" के कार्यान्वयन

---

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

के लिए स्थल चयन करने के आदेश दे दिये गए हैं। स्थल चयन और आवश्यक वित्तीय मंजूरी के बाद ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किये जायेंगे। जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) की सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र की डिस्पेंसरियों को भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अपग्रेड किया जाएगा और अगर नये स्थल चयन का विवरण प्राप्त होता है तो वहां भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने की प्रक्रिया का कार्यान्वयन किया जायेगा।

**20. श्री वीर सिंह धिंगान:** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जीटीबी अस्पताल में कुल कितने बेड है तथा ओपीडी मरीजों की कुल कितनी संख्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त अस्पताल में ट्रामा सेंटर भी है;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि मरीजों की संख्या को देखते हुए इसमें एमआरआई मशीन की सख्त जरूरत है; और

(घ) यदि हां, तो जीटीबी अस्पताल में एमआरआई मशीन लगवाने की सरकार की क्या योजना है और इस अस्पताल में यह मशीन कब तक लगवा दी जायेगी?

**स्वास्थ्य मंत्री:** (क) 1400 स्थायी बिस्तर, 157 फोल्डिंग बिस्तर है। जनवरी से दिसम्बर 2024 तक 603596 (छः लाख तीन हजार पांच सौ छियानवे) मरीजों ने ओपीडी में जांच करायी है।

(ख) नहीं। यह सत्य नहीं है।

(ग) नहीं। परन्तु सक्षम अधिकारी के पास एमआरआई मशीन की मांग की गयी है।

(घ) दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड (पी.पी.पी.) पर एमआरआई मशीन लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

**21. श्री अरविन्दर सिंह लवली:** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पिछले 10 सालों में नये अस्पतालों को खोलने की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण दीजिये;

(ग) यमुनापार में पिछले 10 सालों में कितने नये अस्पताल खुले हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि कोविड के समय यह योजना बनायी गयी थी कि सभी अस्पतालों में पाईप के जरिये ऑक्सीजन की व्यवस्था की जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो वो कौन-कौन से अस्पताल हैं जिनमें यह योजना शुरू हो गयी है व कौन-कौन से अस्पताल ऐसे हैं जिसमें ये योजना शुरू नहीं हो पाई है?

**स्वास्थ्य मंत्री:** (क) हाँ।

(ख)

| क्र.सं. | अस्पताल का नाम | बेड सं. |
|---|---|---|
| 1. | सीरसपुर अस्पताल | 1164 |
| 2. | मादीपुर अस्पताल | 691 |
| 3. | ज्वालापुरी अस्पताल | 691 |
| 4. | हस्तसाल अस्पताल | 691 |
| | आईसीयू बिस्तर वाले अस्पताल | |
| 1. | शालीमार बाग अस्पताल | 1430 |
| 2. | किरारी अस्पताल | 458 |
| 3. | सुल्तानपुरी अस्पताल | 525 |
| 4. | चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय | 610 |
| 5. | गुरू तेग बहादुर अस्पताल | 1912 |
| 6. | सरिता विहार अस्पताल | 336 |
| 7. | रघुबीर नगर अस्पताल | 1565 |

(ग) कोई नहीं।

(घ) उपलब्ध अभिलेख के अनुसार इस प्रकार की योजना से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

**22. श्री गजेन्द्र दरालः** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले दिल्ली सरकार के अस्पताल व डिस्पेंसरी की कुल संख्या कितनी है, पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों में कोई नया अस्पताल व डिस्पेंसरी का निर्माण किया गया है;

(ग) यदि, हां तो उनका व उन पर लगने वाली लागत का संपूर्ण ब्यौरा दिया जाये; और

(घ) उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाये गये, पूर्ण विवरण दें?

**स्वास्थ्य मंत्रीः** (क) मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कुल 09 दिल्ली सरकार के औषधालय एवं 02 सीड पी.यू.एच.सी. (Primary Urban Health Centre) कार्यरत हैं जिनका विवरण संलग्न है।

(ख) नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(घ) उपलब्ध अभिलेख के अनुसार मुंडका विधानसभा क्षेत्र में कोरोना काल के दौरान कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया गया।

6/6

## LIST OF DELHI GOVT. ALLOPATHIC DISPENSARIES,SEED PUHC'S IN MUNDKA ASSEMBLY CONSTITUENCY

| DISTRICT | S. No. | Type of health facility DGD/Seed PUHC/Polyclinic | Full Address |
|---|---|---|---|
| North-West | 1 | DGD | DGD Jaunti: Village, Jaunti |
| North-West | 2 | DGD | DGD Savda Ghevra: Savda Ghevra |
| North-West | 3 | DGD | DGD Rani Khera: Vill. Rani Khera, Delhi |
| North-West | 4 | DGD | DGD Nizampur: Village Nizampur |
| North-West | 5 | DGD | DGD Madan Pur Dabas: Madan Pur Dabas Village |
| West | 6 | DGD | DGD Tikri Kalan: Khadi Gram Building, V& PO Tikri Kalan,New Delhi-110041 |
| West | 7 | DGD | DGD Mundka: Multipurpose Community centre,Mundka village,New Delhi-110041 |
| West | 8 | DGD | DGD Hiran Kudna: Village & P.O Hiran Kudna New Delhi-110041 |
| West | 9 | DGD | DGD Nangloi: C-II/8145 Camp No.-2 J J Colony nangloi New Delhi-41 |
| West | 10 | Seed PUHC | Seed PUHC Kamruddin Nagar: A-38, Yadav Park, Kamruddin Nagar, Rohtak Road, Nangloi, Delhi-110041 |
| West | 11 | Seed PUHC | Seed PUHC Nilothi: HNo. 83, Nilothi, New Delhi-110041 |

**23. श्री कुलदीप कुमार:** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 फरवरी, 2025 को हुई दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने को लेकर क्या निर्णय हुआ, इसका नोटिफिकेशन साझा करें;

(ख) दिल्ली में इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कब शुरु होगा;

(ग) क्या कैबिनेट बैठक में दिल्ली में इस योजना के कवर की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया; और

(घ) दिल्ली में इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरकार की क्या योजना है?

**स्वास्थ्य मंत्री:** (क) 20 फरवरी 2025 को हुइ दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) प्रति परिवार अतिरिक्त पांच लाख रूपये कवर के साथ दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा यह निर्णय लिया गया था। प्रासंगिक कैबिनेट के निर्णय की प्रति संलग्न है।

(ख) दिल्ली में इस योजना का पंजीकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन होने के बाद शुरू होगा।

(ग) हाँ, प्रासंगिक कैबिनेट के निर्णय की प्रति संलग्न है।

(घ) दिल्ली में इस योजना को लेकर ट्रस्ट के माध्यम से क्रियान्वयन करने की योजना है।

6/c

7/c

CONFIDENTIAL
CABINET MATTER

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT**
**(CO-ORDINATION BRANCH)**
**DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI**

**CABINET MEETING No.1**
**CIRCULATED ITEM**

**CABINET DECISION NO. 3174 DATED 20.02.2025**

**Subject: Implementation of Ayushman Bharat Health Schemes in Government of National Capital Territory of Delhi.**

**Decision**: The Council of Ministers considered and approved the proposal for the implementation of following Ayushman Bharat Health Schemes in Delhi:-

i) Health and Wellness Centres (HWCs)/Ayushman Arogya Mandirs (AAMs)

ii) Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) with additional Rs.5.00 Lakh cover per family to be funded by Govt. of NCT of Delhi.

iii) PM Ayushman Bharat Infrastructure Mission Scheme (PM-ABHIM)

iv) Ayushman Bharat Digital Mission (ABDM)

The Council of Ministers further directed that the schemes should be implemented at the earliest possible.

-Sd/-

**(Dharmendra)**
**Secretary to the Cabinet**

No.F.53/724/GAD/CN/2025/dsgadiii/412-421 Dated: 21.02.2025

1. Pr. Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
2. Addl. Secretary to Chief Minister, Delhi Secretariat, New Delhi.
3. Secretary to Minister (PWD), Govt. of NCT of Delhi.
4. Secretary to Minister (Home), Govt. of NCT of Delhi.
5. Secretary to Minister (Industries), Govt. of NCT of Delhi.
6. Secretary to Minister (Social Welfare), Govt. of NCT of Delhi.
7. Secretary to Minister (Law & Justice), Govt. of NCT of Delhi
8. Secretary to Minister (Health & Family Welfare), GNCT of Delhi
9. Secretary, H&FW Department, GNCT of Delhi.
10. Staff Officer to Chief Secretary, GNCT of Delhi, Delhi Sectt., New Delhi.

21.2.25

**(Navin Kumar Choudhary)**
**Addl. Chief Secretary (GAD)**

**24. चौधरी ज़ुबैर अहमदः** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 तक दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बिस्तरों की कुल संख्या क्या थी;

(ख) 14 फरवरी, 2015 से 20 फरवरी, 2025 के बीच कितने नए बिस्तर जोड़े गए;

(ग) वर्तमान में कितने सरकारी अस्पताल निर्माणाधीन हैं;

(घ) इन अस्पतालों का निर्माण पूरा हो जाने के बाद कितने नए बिस्तर और जुड़ जाएँगे, अस्पतालवार विवरण उपलब्ध कराएँ; और

(ङ) इन अस्पतालों का कितने प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है?

**स्वास्थ्य मंत्रीः** (क) 10921 बिस्तर।

(ख) 3421 बिस्तर।

(ग) कुल 11 (ग्यारह) अस्पताल निर्माणाधीन हैं।

(घ)

| क्र. सं. | अस्पताल का नाम | बेड संख्या | भौतिक प्रगति |
|---|---|---|---|
| 1. | सीरसपुर अस्पताल | 1164 | 77% |
| 2. | मादीपुर अस्पताल | 691 | 81% |
| 3. | ज्वालापुरी अस्पताल | 691 | 80% |
| 4. | हस्तसाल अस्पताल | 691 | 51% |
| | कुल बिस्तरों की संख्या | 3237 | |

आई सीयू बिस्तर वाले अस्पताल

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | शालीमार बाग अस्पताल | 1430 | 63% |
| 2. | किरारी अस्पताल | 458 | 0% |
| 3. | सुल्तानपुरी अस्पताल | 525 | 63% |
| 4. | चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय | 610 | 52% |
| 5. | गुरू तेग बहादुर अस्पताल | 1912 | 52% |
| 6. | सरिता विहार | 336 | 58% |
| 7. | रघुबीर नगर | 1565 | 40% |
| | कुल बिस्तरों की संख्या | 6836 | |

(ङ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

**25. श्री मुकेश कुमार अहलावतः** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सुल्तानपुरी में मोहल्ला क्लीनिक शुरू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो उक्त मोहल्ला क्लीनिक अब तक क्यों नहीं बन पाया है; और

(ग) यह मोहल्ला क्लीनिक कब तक बन जाएगा, पूर्ण विवरण दें?

**स्वास्थ्य मंत्रीः** (क) हाँ, यह सत्य है। डी-2, सामुदायिक केन्द्र, डी-2/492 के सामने सुल्तानपुरी (निर्माणाधीन)।

(ख) निर्माण कार्य के लिए 02.07.2019 को साईट लोक निर्माण विभाग (पी.डब्लू.डी.) को सौंप दी गई थी।

(ग) लोक निर्माण विभाग (पी.डब्लू.डी.) के द्वारा साइट सौंपी जाने के पश्चात आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके लिए सी.डी.एम.ओ. पश्चिम द्वारा कई बार लोक निर्माण विभाग (पी.डब्लू.डी.) से पत्राचार किया जा चुका है।

इसके अलावा यह भी उल्लेख करना उचित है कि दिल्ली सरकार ने PM-ABHIM (Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission) योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है जिसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे और यह प्रस्तावित है कि मौजूदा स्वास्थ्य केंद्र को PM-ABHIM (Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission) योजना के अनुसार अपग्रेड किया जायेगा।

**26. श्री सोम दत्तः** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में कुल कितने क्लीनिक, पॉली क्लिनिक अपग्रेड किये गये, पते सहित पूर्ण विवरण दें;

(ख) इन कार्यों पर कुल कितना पैसा खर्च किया गया;

(ग) भविष्य में इनकी देखरेख के लिये क्या प्रावधान है; और

(घ) इनकी देखरेख के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के नाम व दूरभाष नम्बर क्या हैं?

**स्वास्थ्य मंत्रीः** (क) सदर बाजार विधान सभा क्षेत्र में 01 दिल्ली सरकार औषधालय को रिमोडल किया गया है, जिसका पता निम्नलिखित है:-

दिल्ली सरकार औषधालय शहजादा बाग, टैंट वाली मस्जिद के नजदीक, शहजादा बाग, दिल्ली-110035।

(ख) दिल्ली सरकार के 94 औषधालयों को रिमॉडल करके पॉलिक्लीनिक बनाने के लिये रूपये 168.58 करोड़ (एक सौ अड़सठ दशमलव अटठावन करोड़) राशि स्वीकृत थी परन्तु लोक निर्माण विभाग ने 221.90 करोड़ (दो सौ इक्कीस दशमलव नब्बे करोड़) संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है जिसको स्वीकृत करने के लिये विभागीय कार्यवाही की जा रही है। उन 94 औषधालयों में दिल्ली सरकार औषधालय शहजादा बाग भी सम्मिलित है।

(ग) दिल्ली सरकार के सभी औषधालय भवनों की देखरेख लोक निर्माण विभाग के द्वारा की जाती है।

(घ) उपरोक्त 'ग' के अनुसार।

**27. सुश्री आतिशी:** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या कितनी है;

(ख) मोहल्ला क्लीनिकों में प्रतिमाह कितने रोगियों का इलाज किया जाता है;

(ग) 1 जनवरी 2020 से अब तक मोहल्ला क्लीनिकों में कितने रोगियों का इलाज किया गया है, प्रत्येक मोहल्ला क्लीनिक में इलाज किए गए रोगियों की संख्या की सूची प्रदान करें;

(घ) मोहल्ला क्लीनिकों में कौन-से नैदानिक जाँचें उपलब्ध हैं, विस्तृत सूची प्रदान करें;

(ङ) मोहल्ला क्लीनिकों में कौन-सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, विस्तृत सूची प्रदान करें;

(च) मोहल्ला क्लीनिकों में दवाइयों तथा जाँचों के लिए रोगियों द्वारा कितना शुल्क दिया जाता है; और

(छ) पोर्टा केबिन तथा किराए के स्थानों पर चल रहे मोहल्ला क्लीनिकों की संख्या बताएँ व उनकी सूची प्रदान करें?

**स्वास्थ्य मंत्रीः** (क) दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिकों की कुल संख्या 553 है।

(ख) मोहल्ला क्लीनिकों में हर महीने औसतन 11,62,860 (ग्यारह लाख बासठ हजार आठ सौ साठ) मरीजों का इलाज किया जाता है।

(ग) 1 जनवरी 2020 से मोहल्ला क्लीनिकों में कुल 8,30,39,961 (आठ करोड़ तीस लाख उनतालीस हजार नो सौ इकसठ) मरीजों का इलाज किया गया है। प्रत्येक मोहल्ला क्लीनिक में प्रतिदिन औसतन 105 मरीजों का इलाज किया जाता है।

(घ) परियोजना निदेशक लैब, महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा कार्यान्वित की जा रही दो आउटसोर्स प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रत्येक मोहल्ला क्लीनिक में 90 परीक्षण उपलब्ध है। (परीक्षणों की सूची संलग्न है 'क')

(ङ) मोहल्ला क्लीनिकों के लिए ईडीएल (आवश्यक दवा सूची) के अनुसार कुल 165 दवाईयों की सूची है। (आवश्यक दवा सूची संलग्न है 'ख')। जो सीपीए (केंद्रीय खरीद एजेंसी) द्वारा खरीदी जाती है।

(च) मोहल्ला क्लीनिकों में दवाइयां और लैब टेस्ट पूरी तरह से मुफ्त हैं।

(छ) पोर्टा कैबिन और अन्य में चलने वाले मोहल्ला क्लीनिक–389

किराए पर चलने वाले मोहल्ला क्लीनिक–164 (सूची संलग्न 'ग')

**28. श्री सुरेन्द्र कुमारः** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्तमान में कितने जन–औषधि केन्द्र हैं;

(ख) 20 फरवरी 2025 के बाद से दिल्ली में कितने नए जन–औषधि केंद्र खोले गये हैं;

(ग) दिल्ली में मौजूद जन–औषधि केंद्रों में कौन कौन सी दवाइयां उपलब्ध हैं, सूची प्रदान करें;

(घ) क्या जन–औषधि केंद्रों पर दवाइयां फ्री में उपलब्ध हैं या फिर इसका शुल्क देना होता है;

(ङ) यदि दवाइयों का शुल्क देना होता है तो दवाइयों की क्रमवार सूची प्रदान करें; और

(च) क्या दिल्ली में 500 नए जन–औषधि केंद्र खोलने की दिल्ली सरकार की कोई योजना है?

**स्वास्थ्य मंत्रीः** (क) औषध विभाग, रसायन औार उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट https://janaushadhi.gov.in/locatekendra के अनुसार दिल्ली में कुछ 503 जन औषधि केन्द्र हैं।

---

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(ख) औषधि नियंत्रक विभाग दिल्ली सरकार के द्वारा 11 लाइसेंस (प्राईवेट) प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्र के नाम पर जारी किये गये हैं।

(ग) से (च) संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह योजना भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग से संबंधित है।

**29. श्री इमरान हुसैन:** क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 फरवरी, 2025 के बाद से डेंगू व मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) एतद् संबंधी 'टास्क फोर्स' ने 20 फरवरी 2025 के बाद से कितनी बैठकें की हैं; और

(ग) इस संबंध में किन सुरक्षात्मक/निवारक उपायों को कार्यान्वित किया गया है?

**स्वास्थ्य मंत्री:** (क) इस संबंध में किये गए कार्यों की रिपोर्ट अनुलग्नक 'क' एवं अनुलग्नक 'ख' के अनुसार संलग्न है।

(ख) इस संबंध में किये गए कार्यों की रिपोर्ट अनुलग्नक 'ख' के अनुसार संलग्न है।

(ग) इस संबंध में किये गए कार्यों की रिपोर्ट अनुलग्नक 'क' के अनुसार संलग्न है।

8/c

अनुलग्नक 'क'

**PREPAREDNESS FOR DENGUE AND OTHER VECTOR BORNE DISEASES, GNCT OF DELHI - 2025**

Vector Borne Diseases (VBDs) usually have increased incidence during monsoon and post-monsoon season. The National Vector Borne Diseases Control Programme (NVBDCP) is implemented for prevention and control of Six Vector Borne Diseases (VBDs) namely Dengue, Chikungunya, Malaria, Lymphatic Filariasis, Japanese Encephalitis and Kala-Azar. In Delhi, the programme mainly focuses on: Dengue, Malaria & Chikungunya; other three diseases are not endemic in Delhi.

Local bodies (Municipal Corporation of Delhi, New Delhi Municipal Council, Delhi Cantonment Board) are the implementing agencies for prevention and control of VBDs in Delhi.

A. **Surveillance of Dengue and other Vector Borne diseases:**

- Review of the Dengue and other VBDs situation is being done regularly to monitor the trend, and for implementing timely preventive & control measures.
- Real time reporting of lab confirmed Vector Borne Disease cases by Hospitals and laboratories on Integrated Health Information Platform (IHIP)
- Daily monitoring of cases reported on IHIP is being done and the line list is being shared with MCD for further epidemiological investigation and preventive action at field level
- **Current Scenario of VBDs in Delhi till the week ending on 15.03.2025** (as per **the weekly report shared by MCD), is as under:**

| Month | Dengue | Malaria | Chikungunya |
|---|---|---|---|
| Jan | 38 | 09 | 01 |
| Feb | 31 | 06 | 01 |
| March* | 14 | 03 | 01 |
| TOTAL | 83 | 18 | 03 |

*Data as per MCD report on week ending 15.03.2025

- Reporting of VBDs is strengthened over time resulting in better surveillance from more number of reporting units resulting in more number of cases.

[signature]

B. Advisories

Advisories are being prepared for all the stakeholder departments indicating their roles and responsibilities with reference to Prevention and control of Dengue and other Vector Borne diseases. All the stakeholder departments are requested to designate a nodal officer for their respective premises, as was being done during previous years, who is responsible for taking preventive measures for prevention and control of VBDs.

Various Stakeholders are Local Bodies, DMRC, Department of education, District Magistrates, PWD, GNCTD, Delhi Development Authority, Transport Department, GNCTD, Northern Railways, Department of Urban development, Delhi Police, Flood Control and Irrigation Department, Delhi Jal Board, Delhi Police, Sports complexes, Private Hospitals, National Zoological Park, Various Universities, Archaeological Survey of India, DUSIB, DSIIDC etc. Regular advisories are issued to all stakeholders on monthly basis.

IgM ELISA kits for Dengue and Chikungunya are being supplied to all the Identified Sentinel Surveillance Hospitals (SSHs) by NIV Pune in coordination with National Centre For Vector Borne Disease Control.

Instructions have been issued to all the hospitals (Govt. & Pvt.)/ laboratories performing diagnostic tests for Dengue and other Vector Borne Diseases for timely & complete reporting of cases

Hospitals are zero tolerance zone for mosquitoes and they are sharing "mosquito free campuses" certificate on weekly basis

A 24x7 Dengue Control Room is functional at Dte. GHS HQ – 01122307145, 01122300012.

C. Review meetings & trainings

- A review meeting was held under the Chairpersonship of Director NCVBDC for review of Dengue and other VBD situation in Delhi on 10.03.2025. MHO from MCD also attended the meeting.
- A meeting with Local bodies was held on 24.02.2025 to review the Action Plan on Malaria Elimination.
- Trainings of Medical and paramedical staff are being conducted at district level by district VBD officers.
- Training of 8 officials from districts and MCD on integrated health information platform (IHIP) implementation at NCVBDC
- Training of lab technicians at NCVBDC on malaria Microscopy.
- Planning for World Malaria Day, observed on 25th April every year focusing on community awareness for prevention and control of Malaria and ensuring prompt and complete treatment to each confirmed Malaria case.

(क) 6/c

- Planning for National Dengue Day, observed on 14th May focusing on awareness and involvement of community for prevention and control of Dengue.

**D. Paln for Awareness campaign for Dengue and other VBDs**

- Awareness through Print and Electronic media
- Display of banners in Govt. Hospitals & Dispensaries.
- Recorded audio messages on Metro Stations by DMRC.
- Sharing of messages through whatsapp with ASHAs (6000) and further in their beneficiaries (app 25 lac houses) groups.
- Advisory for prevention and control of Dengue and other VBDs uploaded on Website of Department of Health and Family Welfare.
- Recorded audio messages will be circulated to various departments (Delhi Police, DTC, Transport Department, Education Department etc.) for broadcasting through their Public Address System.
- Distribution of IEC for prevention & control of Dengue & other VBDs in community through ASHAs.
- IEC activities at district level for creating awareness in the community during transmission season:
  - a. Inspection of offices, schools, police stations, hospitals etc. by District teams.
  - b. Heath Talk, Interpersonal Communication
  - c. Display of IEC material in health facilities, schools and other public places
  - d. Slogan/ Drawing/poster/quiz competition at School level
  - e. A video film for training on prevention & control of Dengue for school children is circulated to all schools through Directorate of Education for display in schools.
  - f. Circulation of short videos and messages through Whatsapp on various groups (including ASHA groups).
  - g. Health talk to school children by school health teams posted for the examination of school children.

A task force was constituted as per the direction of Hon'ble High Court under the Chairmanship of Commissioner North Delhi Municipal Corporation for preparing a common Action Plan w.r.t to Prevention and Control of Vector Borne Diseases in GNCT of Delhi.

5/c

अनुलग्नक 'ख'

दिल्ली नगर निगम
जन–स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय)
12वां तल सिविक सेन्टर, नई दिल्ली –110002

विषय:– श्री इमरान हुसैन जी द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर।

| क्र.सं. | प्रश्न | उत्तर |
|---|---|---|
| क | 20 फरवरी, 2025 के बाद से डेंगू व मलेरिया को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? | दिल्ली नगर निगम द्वारा मलेरिया व डेंगू की रोकथाम एवं जागरूकता हेतु<br>1. दिल्ली नगर निगम जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 20 फरवरी 2025 से अब तक 32,05,756 घरों की जांच की गई, 6469 घरों में स्प्रे किया गया, 2671 लोगों को नोटिस जारी किये, 325 चालान, 1248 RWA Meeting, 24395 स्टीकर्स चिपकाये गये व 467 जन जागरूकता रैलियां निकाली गई।<br>2. सरकारी व निजी अस्पतालों एवं निर्माणाधीन जगहा मे विशेष अभियान चलाये गये।<br>3. पुनः उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (NCDC, भारत सरकार) में दिल्ली नगर निगम में कार्यरत 05 एन्टोमोलोजिस्ट का "Vector Biology and Disease Control" के तहत विशेष प्रशिक्षण कराया गया।<br>4. राष्ट्रीय रोग नियन्त्रण केन्द्र आई.एच.आई.पी पोर्टल में 01 उप. स्वास्थ्य अधिकारी व 01 महामारीविद (Epidemiologist) का "Vector Biology and Disease Control" के तहत विशेष प्रशिक्षण कराया गया।<br>5. AMO/MI/AMI/MTS(PH) का क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कराया गया। |
| ख | एतद् संबंधी टास्क फोर्स ने 20 फरवरी 2025 के बाद से कितनी बैठकें की है; और | एतद् संबंधी टास्क फोर्स ने 20 फरवरी 2025 अभी तक कोई बैठक नही की है परंतु आगामी महीनों में अंतरक्षेत्रीय (Intersectoral) बैठक की जायेगी। |
| ग | इस संबंध में किन सुरक्षात्मक/निवारक उपायों को कार्यान्वित किया गया है? | इस संबंध मे दिल्ली नगर निगम जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निम्न सुरक्षात्मक/निवारक उपाये किये जा रहें हैं, जैसे–<br>1. लार्वारोधी संचालन (Anti Larval Operation):– विभाग ने मच्छर प्रजनन की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा MTS (PH) के माध्यम से क्षेत्र के सभी छोटे–बड़े नालों एवं अन्य स्थानों पर जमा पानी में मच्छर मारक दवाई/कीटनाशक (इंसेक्टीसाईड) का छिड़काव किया जाता है।<br>2. समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा घरों की जांच की जाती है और मच्छर उत्पत्ति संभावित जगहों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है।<br>3. जनता को जागरूक किया जा रहा है कि अपने आस–पास साफ पानी आदि जमा न होने दे जिससे डेंगू मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की उत्पत्ति न हो सके। कर्मचारियों द्वारा घरों में जाकर लोगों को मच्छर की उत्पत्ति न होने देने के विषय में जानकारी दी जाती है तथा कूलर एवं ओवर हेड टैंक में दवाई डलवाई जाती है।<br>4. सप्ताह में एक बार अलग–अलग जगहों पर मच्छरों की उत्पत्ति को रोकने हेतु विशेष अभियान चलाये जाते हैं।<br>5. आर.डब्ल्यु.ए. के साथ मिलकर जनता को जागरूक किया जाता है कि वह घरों में पडे खाली बर्तन, टायर, हौदी, पानी की टंकी आदि जहॉ साफ पानी जमा हो सकता है |

**30. श्री विशेष रविः** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एनसी जोशी अस्पताल में न्यू ओपीडी ब्लॉक काफी दिन से बनकर तैयार है और पब्लिक के लिए अभी तक चालू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कारण बताएं तथा यह ओपीडी ब्लॉक कब तक चालू कर दिया जाएगा;

(ग) क्या यह सत्य है कि एनसी जोशी अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन नहीं लगाया जाता;

(घ) यदि हां, तो कृप्या कारण बताएं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम बताएं; और

(ङ) यह सुविधा अस्पताल में कब तक उपलब्ध हो जाएगी?

**स्वास्थ्य मंत्रीः (क)** नहीं यह सत्य नहीं है। डॉ. एन.सी. जोशी मैमोरियल हॉस्पिटल में किसी तरह के न्यू ओपीडी ब्लॉक का निर्माण नहीं हुआ है, यद्यपि एनसी जोशी अस्पताल के अंतर्गत पॉलीक्लीनिक का नवीनीकरण हुआ है जो कि अस्पताल से 60 से 70 मीटर की दूरी पर है, उसका नवीनीकरण कार्य पूर्ण हो गया है और नया इलेक्ट्रिक मीटर लगाने की कार्रवाई चल रही है जो कि जल्द ही पूरी कर ली जाएगी।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) नहीं, यह सत्य नहीं है। एन.सी. जोशी अस्पताल में रेबीज इंजेक्शन (ए.आर.वी.) लगाया जाता है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

**31. श्री विशेष रविः** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आयुर्वेदिक एवं युनानी तिब्बिया कॉलेज एंव अस्पताल करोल बाग में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बंद पड़ा है;

(ख) उक्त अस्पताल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक्स-रे एवं अन्य कौन-कौन से टेस्ट नहीं हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम बताएं;

(घ) रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली सभी सुविधाएं अस्पताल में कब तक शुरू हो जाएगी; और

(ङ) दिनांक 17 फरवरी, 2025 को क्षेत्रीय विधायक और अस्पताल के मेडिकल सुपरीटेंडेंट के द्वारा किए गए दौरे में आईपीडी वार्ड में भर्ती मरीजों द्वारा खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी की शिकायत के संबंध में अस्पताल प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

**स्वास्थ्य मंत्रीः** (क) नहीं यह सत्य नहीं हैं। यह आयुष अस्पताल है तथा अलग से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है तथा एक्सरे की सुविधा थी जो अब बंद है।

(ख) एक्स–रे नहीं हो रहे हैं।

(ग) एक्स–रे मशीन खरीदने की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी किंतु सरकार द्वारा पी.पी.पी. मोड (Public Private Partnership) पर एक्सरे चलाने के लिए प्रस्ताव रखा गया था इसलिए एक्स–रे मशीन खरीदी नहीं गई तथा सरकार द्वारा निर्देश की प्रतिक्षा कर रहे हैं।

(घ) पी.पी.पी. मोड (Public Private Partnership) पर व्यवस्था शुरू करने के बाद तथा मशीन खरीदने का निर्देश प्राप्त होने के बाद।

(ङ) मरीजों की उस दिन की शिकायत के बाद किचन सुपरवाइजर को निर्देश दिए गए तथा रोज सुबह शाम का क्वालिटी पहले डयूटी पर उपस्थित स्टाफ द्वारा (नर्सिंग ऑफिसर) स्वयं चेक करके ही रोगियों को खाना दिया जाता है।

**32. श्री जरनैल सिंहः** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में 20 फरवरी 2025 के बाद कई मोहल्ला क्लिनिक बंद किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा कितने और मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने की योजना है;

(घ) जिन मोहल्ला क्लीनिकों को बंद किया गया है या फिर जिन्हें बंद करने की तैयारी है, उनमें प्रतिमाह कितने मरीजों का उपचार किया जाता है, पिछले 5 सालों की सूची प्रदान करें; और

(ङ) इन मोहल्ला क्लिनिकों को किस आधार पर बंद किया गया?

**स्वास्थ्य मंत्री** (क) नहीं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दिल्ली सरकार PM-ABHIM (Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission) योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जहां आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का प्रावधान है, जो उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) किराये पर दिए गए मोहल्ला क्लीनिकों को पास के सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाना है और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

(घ) किराये पर दिए गए मोहल्ला क्लीनिकों की औसत दैनिक ओपीडी प्रतिदिन 50 से 150 रोगियों तक होती है। पिछले 5 सालों में उपचार किये गये मरीजों की सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण पेन ड्राव में सॉफ्ट कॉपी भेजी जा रही है।

(ङ) स्थल मालिक की अनिच्छा के कारण परिसर को बंद कर दिया गया क्योंकि किराया समझौता 23.03.2023 को पहले ही समाप्त हो चुका था। यह साइट मुफ्त में दी गई थी और 16.12.2024 को कानूनी नोटिस मिलने के बाद, मोहल्ला क्लीनिक को सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट द्वारा बंद कर दिया गया था।

**33. श्री मोहन सिंह बिष्टः** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में कहां-कहां पर सरकारी अस्पताल बनाए गए उनका पूर्ण विवरण उपलब्ध कराएं;

---

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

(ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक अस्पताल का निर्माण किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि 2020 के दंगे में उपरोक्त अस्पताल को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो इस अस्पताल को आज तक नहीं बनाए जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक इसका पुर्ननिर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, विवरण उपलब्ध कराएं?

**स्वास्थ्य मंत्रीः** (क) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार का कोई अस्पताल नहीं है और किसी नये अस्पताल के निर्माण की योजना लम्बित नहीं है।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) दंगों के दौरान मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार के अधिनस्थ किसी भी अस्पताल के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

**34. श्री संजीव झाः** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीडीए की एनओसी के कारण लंबित बिजली कनेक्शनों की संख्या क्या है;

(ख) यदि उपराज्यपाल ने एनओसी की अनिवार्यता समाप्त करने का आदेश दिया है, तो उसकी आधिकारिक प्रति उपलब्ध करवाई जाए;

(ग) इस आदेश के बाद अब तक जारी किए गए नए कनेक्शनों की संख्या क्या है;

(घ) जो कनेक्शन अभी भी लंबित हैं, उनका विवरण और लंबित रहने का कारण; और

(ङ) विभाग द्वारा इन कनेक्शनों को जारी करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दें?

**ऊर्जा मंत्रीः** (क) बिजली वितरण कंपनियों ने सूचित किया है कि डीडीए की एनओसी के कारण कोई भी बिजली कनेक्शन लंबित नहीं है।

(ख) लैण्ड पूलिंग क्षेत्र के संबंध में डीडीए के द्वारा जारी कार्यालय आदेशों दिनांक 16.10.2024 और 05.08.2024 की प्रति संलग्न है (संलग्नक 'क')

(ग) डीडीए के उपरोक्त कार्यालय आदेशों के बाद विभिन्न बिजली वितरण कंपनियों द्वारा 30296 बिजली कनेक्शन जारी किये गये हैं।

(घ) बिजली वितरण कंपनियों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार टीपीडीडीएल के क्षेत्र में 66 और बीआरपीएल के क्षेत्र में 366 बिजली कनेक्शन अभी भी लंबित हैं जोकि डीडीए द्वारा जारी उपरोक्त कार्यालय आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, जिनका विवरण संलग्न है।

(ङ) ऊर्जा विभाग ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों का सही मायने में अनुपालन करने का निर्देश सभी बिजली वितरण कंपनियों को दिया है।

---

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

**35. श्री सही राम:** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20.02.2025 से बिजली के 'ओवरहेड' लाइनों को 'अंडरग्राउंड केबल्स' में परिवर्तित किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या 20.02.2025 से इसके लिए किसी खर्चे की स्वीकृति दी गई है?

**ऊर्जा मंत्री:** (क) 20.02.2025 से बिजली के 'ओवरहैड' लाइनों को 'अंडरग्राउन्ड केबल्स' में परिवर्तित करने हेतु बजट 2025-26 (अनुमानित बजट) 41 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ करने के लिए प्रस्तावित है।

(ख) उपरोक्त प्रस्तावित बजट स्वीकृति के लिए प्रक्रिया में है।

**36. श्री कुलदीप कुमार:** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना कब लागू की गई थी; और

(ख) विगत पाँच वर्षों में कितने उपभोक्ताओं को बिजली का 'शून्य' बिल प्राप्त हुआ है, महीनेवार विवरण प्रदान करें?

**ऊर्जा मंत्री:** (क) 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना ऊर्जा विभाग के आदेश दिनांक 07.08.2019 के द्वारा 01.08.2019 से लागू की गई थी। प्रति संलग्न है (संलग्नक 'क')।

(ख) बिजली वितरण कंपनियों द्वारा दिया गया विवरण संलग्न है। (संलग्नक 'ख')।

Q.No.36 (क)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**(DEPARTMENT OF POWER)**
**DELHI SECRETARIAT, 8TH LEVEL, B-WING**
**NEW DELHI – 110002**

F.11(111)/2012/Power/Vol-II/ 2098 Dated : Aug 07, 2019

## ORDER

In exercise of the powers conferred by Section 65 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Council of Ministers of the National Capital Territory of Delhi vide Decision No.2724 dated 01.08.2019 has approved the following regarding electricity subsidy to domestic consumers of BSES Rajdhani Power Limited, BSES Yamuna Power Limited, Tata Power Delhi Distribution Limited and New Delhi Municipal Council, consuming upto 400 units (kWh) per month for the financial year 2019-20:-

(i) To extend the electricity subsidy to domestic consumers, @ Rs 2/- per unit on energy charges for the consumption in the slab of 0-400 units and additional subsidy of Rs 100 per connection per month to domestic consumers, having consumption upto 100 units/month, of BSES Rajdhani Power Limited, BSES Yamuna Power Limited, Tata Power Delhi Distribution Limited and New Delhi Municipal Council, for the period from 1st April 2019 to 31st July 2019, in terms of Cabinet decision No. 2567 dated 09.05.2018.

(ii) To extend electricity subsidy, irrespective of the load, of entire bill amount comprising of fixed charges, energy charges, PPAC, all surcharges and electricity tax of domestic consumers of BSES Rajdhani Power Limited, BSES Yamuna Power Limited, Tata Power Delhi Distribution Limited and New Delhi Municipal Council, utilizing upto 200 units in a month during the period from 1st August 2019 to 31st March 2020.

(iii) To extend electricity subsidy of upto Rs 800 per month to the domestic consumers of BSES Rajdhani Power Limited, BSES Yamuna Power Limited, Tata Power Delhi Distribution Limited and New Delhi Municipal Council, utilizing 201 units to 400 units per month during the period from 1st August 2019 to 31st March, 2020. This category of consumers will not get subsidy at (ii) above.

(iv) DERC to provide trued up figures of subsidy released by GNCTD to the DISCOMs for the purpose.

(v) DERC to see the fact through DISCOMs that electricity connections are not getting splitted by the consumers in the same premises owner just to avail the benefit of subsidy. Appropriate administrative check and balances be put in place to see that genuine consumers are getting the benefits of subsidy.

(vi) DERC to conduct special audit through external auditor of subsidy released to DISCOMs vis-a-vis actually passed on to the account.

Continue - 2

(vii) No subsidy shall be provided to domestic consumers consuming more than 400 units per month.

(viii) The DISCOMs have not made payment of their outstanding dues of GNCTD owned utilities viz. DTL and IPGCL-PPCL. The cumulative outstanding amount from DISCOMs as on 12.06.2019 is Rs. 13401 Crores (approx). The entire amount of subsidy to be released to DISCOMs shall be credited to account of IPGCL, PPCL and DTL to the extent of outstanding dues of DISCOMs to these companies.

This issues with the approval of the Hon'ble Minister of Power.

(J.S. Rana)
Dy. Secretary (Power)

No. F.11(111 )/2012/Power/Vol-II/2098 Dated:- 07/08/2019

To,

The Secretary,
Delhi Electricity Regulatory Commission,
Viniyamak Bhawan, C-Block,
Shivalik, Malviya Nagar,
New Delhi-11007

Copy to:-

1. Pr. Secretary to Hon'ble Lt. Governor, Delhi
2. OSD to Hon'ble Minister of Power, GNCTD
3. OSD to the Chief Secretary, GNCTD
4. PS to Pr. Secretary (Finance), GNCTD
5. PS to Secretary (Power), GNCTD
6. PS to Spl. Secretary (Power), GNCTD
7. Secretary, NDMC
8. C.E.O, BRPL
9. C.E.O, BYPL
10. C.E.O, TPDDL

(J.S. Rana)
Dy. Secretary (Power)

BRPL 36 'ख'

| BRPL Subsidized Zero Bill Consumers Count (0-200 Units) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY | April | May | June | July | August | September | October | November | December | January | February | March |
| 2019-2020 | | | | | 6,90,743 | 6,69,553 | 9,73,385 | 14,90,066 | 16,23,839 | 13,64,412 | 14,86,679 | 16,55,070 |
| 2020-2021 | 13,12,015 | 9,51,043 | 7,79,081 | 7,03,016 | 7,25,155 | 7,82,119 | 9,40,761 | 15,87,964 | 16,50,318 | 14,35,128 | 15,86,669 | 16,13,276 |
| 2021-2022 | 11,45,879 | 10,13,461 | 8,10,155 | 6,54,832 | 7,77,282 | 9,18,911 | 10,65,937 | 17,79,307 | 22,45,372 | 15,22,715 | 16,21,999 | 17,32,836 |
| 2022-2023 | 11,22,967 | 8,30,119 | 8,03,338 | 7,33,638 | 8,17,810 | 8,37,334 | 13,57,181 | 12,89,463 | 14,32,048 | 13,47,754 | 17,41,273 | 17,30,872 |
| 2023-2024 | 16,03,895 | 12,07,362 | 9,16,970 | 7,72,245 | 7,09,805 | 7,68,939 | 10,42,591 | 17,07,034 | 18,70,044 | 15,55,437 | 31,70,047 | 18,85,873 |
| 2024-2025 | 15,51,684 | 10,41,921 | 7,18,785 | 7,22,990 | 7,36,911 | 9,43,250 | 10,88,820 | 16,41,157 | 19,62,696 | 16,83,558 | 18,88,480 | |

BRPL 36 'ख'

Statement of consumer count availing subsidy benefit on account of zero bill

| FY 2020-2021 | Consumer Count | FY 2021-2022 | Consumer Count | FY 2022-2023 | Consumer Count | FY 2023-2024 | Consumer Count | FY 2024-2025 | Consumer Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr-20 | 831782 | Apr-21 | 803643 | Apr-22 | 615685 | Apr 23 | 818209 | Apr-24 | 999695 |
| May-20 | 604812 | May-21 | 599364 | May-22 | 486866 | May-23 | 625826 | May-24 | 667793 |
| Jun-20 | 482032 | Jun-21 | 216936 | Jun-22 | 447249 | Jun-23 | 462524 | Jun-24 | 440902 |
| Jul-20 | 414082 | Jul-21 | 344274 | Jul-22 | 413611 | Jul-23 | 382757 | Jul-24 | 435408 |
| Aug-20 | 421095 | Aug-21 | 424542 | Aug-22 | 437664 | Aug-23 | 361010 | Aug-24 | 443809 |
| Sep-20 | 450295 | Sep-21 | 482767 | Sep-22 | 466044 | Sep-23 | 358520 | Sep-24 | 561275 |
| Oct-20 | 517369 | Oct-21 | 586332 | Oct-22 | 369116 | Oct-23 | 541825 | Oct-24 | 643983 |
| Nov-20 | 925389 | Nov-21 | 1006051 | Nov-22 | 687463 | Nov-23 | 945646 | Nov-24 | 975228 |
| Dec-20 | 1040370 | Dec-21 | 1096351 | Dec-22 | 816759 | Dec-23 | 1086184 | Dec-24 | 1235327 |
| Jan-21 | 924700 | Jan-22 | 957451 | Jan-23 | 719868 | Jan-24 | 933230 | Jan-25 | 1098230 |
| Feb-21 | 990601 | Feb-22 | 1012291 | Feb-23 | 849970 | Feb-24 | 935831 | Feb-25 | 1198627 |
| Mar-21 | 1024426 | Mar-22 | 1007122 | Mar-23 | 850285 | Mar-24 | 1097897 | Mar-25 | |

*Please note*

TPDDL Q.No. 36 'ख'

| Month-Year | Numer of Consumers |
|---|---|
| Feb 20 | 9,73,911 |
| Mar 20 | 6,74,044 |
| Apr 20 | 10,74,585 |
| May 20 | 9,74,341 |
| Jun 20 | 4,81,610 |
| Jul 20 | 5,06,682 |
| Aug 20 | 4,95,753 |
| Sep 20 | 5,26,074 |
| Oct 20 | 6,27,559 |
| Nov-20 | 9,62,156 |
| Dec-20 | 11,34,765 |
| Jan-21 | 9,70,990 |
| Feb-21 | 8,97,145 |
| Mar-21 | 11,49,598 |
| Apr-21 | 9,35,240 |
| May-21 | 7,21,563 |
| Jun 21 | 6,06,410 |
| Jul-21 | 5,02,435 |
| Aug-21 | 5,13,898 |
| Sep-21 | 5,62,405 |
| Oct 21 | 6,44,756 |
| Nov 21 | 9,36,919 |
| Dec 21 | 11,90,893 |
| Jan 22 | 9,80,515 |
| Feb-22 | 9,32,978 |
| Mar 22 | 11,00,974 |
| Apr-22 | 8,04,727 |
| May 22 | 6,17,848 |
| Jun-22 | 5,01,543 |
| Jul 22 | 4,95,384 |
| Aug-22 | 5,05,243 |

| Month-Year | Numer of Consumers |
|---|---|
| Sep 22 | 4,46,339 |
| Oct-22 | 4,66,658 |
| Nov-22 | 7,31,746 |
| Dec-22 | 6,04,608 |
| Jan-23 | 8,45,361 |
| Feb-23 | 7,95,903 |
| Mar-23 | 7,73,706 |
| Apr 23 | 8,51,340 |
| May-23 | 7,60,062 |
| Jun-23 | 5,63,488 |
| Jul-23 | 4,46,588 |
| Aug-23 | 4,10,405 |
| Sep-23 | 3,99,877 |
| Oct-23 | 5,74,731 |
| Nov-23 | 7,83,737 |
| Dec-23 | 10,34,861 |
| Jan-24 | 10,30,680 |
| Feb-24 | 9,52,058 |
| Mar-24 | 9,11,326 |
| Apr-24 | 10,47,215 |
| May-24 | 8,07,601 |
| Jun 24 | 5,24,172 |
| Jul-24 | 5,08,090 |
| Aug-24 | 4,94,922 |
| Sep-24 | 5,92,843 |
| Oct-24 | 7,08,895 |
| Nov-24 | 10,19,258 |
| Dec-24 | 12,86,348 |
| Jan-25 | 11,41,827 |
| Feb-25 | 11,73,758 |

**37. श्री सोम दत्त:** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'स्टेट सोलर पोर्टल' का आरंभ किस तिथि को किया गया था;

(ख) स्टेट सोलर पोर्टल के आरंभ होने के बाद से 'रूलटॉप सोलर पैनल' लगाए जाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) स्टेट सोलर पोर्टल के आरंभ के बाद से कितने आवेदनों को 'अनुदान आवंटन' हेतु स्वीकृत किया गया है; और

(घ) दिनांक 20.02.2025 के बाद से पूँजी अनुदान एवं उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि (जीबीआई) का आवंटन किया गया है?

**ऊर्जा मंत्री:** (क) दिल्ली स्टेट सोलर पोर्टल का आरम्भ 20.11.2024 को किया गया था।

(ख) स्टेट सोलर पोर्टल के शुभारम्भ के बाद से रूफटॉप सोलर पैनल की स्थापना के लिए कुल 1608 नेट मीटरिंग आवेदन प्राप्त हुए हैं:

| कंपनी | आवेदनों की संख्या |
|---|---|
| टीपीडीडीएल | 795 |
| बीआरपीएल | 755 |
| बीवाईपीएल | 58 |

(ग) राज्य सौर पोर्टल के शुभारम्भ के बाद से सब्सिडी आवंटन के लिए कुल 420 आवेदनों की मंजूरी दी गई है:

| कंपनी | अनुदान आवंटन हेतु स्वीकृत |
|---|---|
| टीपीडीडीएल | 191 |
| बीआरपीएल | 185 |
| बीवाईपीएल | 44 |

(घ) संशोधित बजट 2024–25 में पूंजी सब्सिडी और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) निम्नानुसार आवंटित किया गया है :

- पूजी सब्सिडी : 10 करोड़ रूपये।

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन 16.97 करोड़ रूपये।

**38. सुश्री आतिशीः** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 08.02.2025 के बाद से बिजली जाने की घटनाएँ हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो बीवाईपीएल, बीआरपीएल तथा टीपीडीडीएल के अंतर्गत 0–30 मिनट, 30–60 मिनट व 60 मिनट से अधिक की अवधि के लिए बिजली जाने की घटनाओं की संख्या क्रमशः क्या है;

(ग) इन बिजली जाने की घटनाओं के कारण भी बताएँ;

(घ) क्या एसएलडीसी बिजली जाने की घटनाओं का विवरण रखता है;

(ङ) यदि हाँ, तो दिनांक 08.02.2025 के बाद का एतद् संबंधी विवरण प्रदान करें; और

(च) क्या डिस्कॉम बिजली जाने की घटनाओं का विवरण रखते हैं, यदि हाँ तो 08.02.025 के बाद से एतद् संबंधी विवरण प्रदान करें?

**ऊर्जा मंत्रीः** (क) जी हाँ।

(ख) बिजली विवरण कंपनियों द्वारा सभी श्रेणियों के अन्तर्गत 09.02.2025 से 16.03.2025 तक बिजली जाने की घटनाओं का विवरण इस प्रकार है :

| कंपनी | 0–30 मिनट | 30–60 मिनट | 60 मिनट से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|---|
| बीआरपीएल | 79 | 303 | 1000 | 1382 |
| बीवाईपीएल | 86 | 151 | 407 | 644 |
| टीपीडीडीएल | 107 | 147 | 685 | 939 |

बिजली वितरण कंपनियों द्वारा सभी श्रेणियों के अन्तर्गत 09.02.2024 से 16. 03.2024 तक बिजली जाने की घटनाओं का विवरण इस प्रकार है :

| कंपनी | 0–30 मिनट | 30–60 मिनट | 60 मिनट से अधिक | कुल |
|---|---|---|---|---|
| बीआरपीएल | 98 | 294 | 1813 | 2205 |
| बीवाईपीएल | 82 | 311 | 788 | 1181 |
| टीपीडीडीएल | 98 | 128 | 1280 | 1506 |

(ग) बिजली वितरण कंपनियों द्वारा सूचित किया गया है कि बिजली जाने की घटनाएं मुख्यता योजना गत रख–रखाव की वजह से है। हालांकि कुछ घटनाएं ट्रिपिंग एवं ब्रेकडाउन की वजह से हुई है।

(घ) जी हाँ, बिजली वितरण कंपनियों के द्वारा एसएलडीसी को Intelligent Outage Monitoring System (IOMS) का लिंक दिया गया है जिससे एसएलडीसी को बिजली जाने की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है और एसएलडीसी घटनाओं को कंपायल (Compile) करता है।

(ङ) विवरण संलग्न है। (सलग्नक–'क')

(च) बिजली वितरण कंपनियों के अन्तर्गत बिजली जाने की घटनाओं का विवरण उपरोक्त उत्तर (ख) के अनुसार है।

V SC-38 38 (क)
on 24/3/25

**09.02.2025 to 16.03.2025**

**BRPL**

| Sub-category | 0-30 min | 30-60 min | > 60 min | Total |
|---|---|---|---|---|
| Planned Shutdown | 15 | 21 | 908 | 944 |
| Emergency Shutdowns | 15 | 40 | 79 | 134 |
| Breakdowns/Tripping | 49 | 242 | 13 | 304 |
| **Total** | **79** | **303** | **1000** | **1382** |

**BYPL**

| Sub-category | 0-30 min | 30-60 min | > 60 min | Total |
|---|---|---|---|---|
| Planned Shutdown | 6 | 11 | 383 | 400 |
| Emergency Shutdowns | 51 | 20 | 4 | 75 |
| Breakdowns/Tripping | 29 | 120 | 20 | 169 |
| Total | 86 | 151 | 407 | 644 |

**TPDDL**

| Sub-category | 0-30 min | 30-60 min | > 60 min | Total |
|---|---|---|---|---|
| Planned Shutdown | 6 | 30 | 665 | 701 |
| Emergency Shutdowns | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breakdowns/Tripping | 101 | 117 | 20 | 238 |
| Total | 107 | 147 | 685 | 939 |

**09.02.2024 to 16.03.2024**

**BRPL**

| Sub-category | 0-30 min | 30-60 min | > 60 min | Total |
|---|---|---|---|---|
| Planned Shutdown | 28 | 49 | 1762 | 1839 |
| Emergency Shutdowns | 11 | 11 | 35 | 57 |
| Breakdowns/Tripping | 59 | 234 | 16 | 309 |
| Total | 98 | 294 | 1813 | 2205 |

**BYPL**

| Sub-category | 0-30 min | 30-60 min | > 60 min | Total |
|---|---|---|---|---|
| Planned Shutdown | 17 | 36 | 769 | 822 |
| Emergency Shutdowns | 44 | 150 | 17 | 211 |
| Breakdowns/Tripping | 21 | 125 | 2 | 148 |
| Total | 82 | 311 | 788 | 1181 |

**TPDDL**

| Sub-category | 0-30 min | 30-60 min | > 60 min | Total |
|---|---|---|---|---|
| Planned Shutdown | 3 | 39 | 1259 | 1301 |
| Emergency Shutdowns | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breakdowns/Tripping | 95 | 89 | 21 | 205 |
| Total | 98 | 128 | 1280 | 1506 |

Vikas Pandey

VIKAS PANDEY
Dy. Secretary
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

**39. सुश्री आतिशी:** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2025-26 के दौरान अनुमानित अधिकतम ऊर्जा माँग कितनी है;

(ख) वर्ष 2025-26 में ग्रीष्मकाल में अधिकतम ऊर्जा माँग को पूरा करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) अनुमानित अधिकतम माँग में से कितने की पूर्ति वर्तमान ऊर्जा खरीद अनुबंधों (PPAs) के अंतर्गत किए जाने की योजना है;

(घ) अनुमानित अधिकतम माँग में से कितने की पूर्ति लघु अवधि ऊर्जा खरीद (ST) के अंतर्गत किए जाने की योजना है; और

(ङ) लघु अवधि की खरीद कहाँ से की जाएगी?

**ऊर्जा मंत्री:** (क) वर्ष 2025-26 के दौरान अनुमानित अधिकतम ऊर्जा माँग 9000 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है।

(ख) से (घ) वर्ष 2025-26 में ग्रीष्मकाल में अधिकतम ऊर्जा माँग को पूरा करने के लिए डिस्कॉम के पास कई संयंत्रों के साथ दीर्घकालिक पीपीए एवं अल्पकालिक व्यवस्था है जो प्रमुख मांग को पूरा करेंगे।

डिस्कॉम के पास 8126 मेगावॉट के दीर्घकालिक पीपीए है जिनसे अधिकतम मांग के समय 6234 मेगावॉट ऊर्जा की उपलब्धता की संभावना है।

इसके अतिरिक्त अधिकतम ऊर्जा मांग की पूर्ति के लिए 2869 मेगावॉट की लघु अवधि व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा बवाना पावर प्लांट का 600 मेगावॉट का एक मॉड्यूल जरूरत के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ङ) लघु अवधि के लिए बिजली की व्यवस्था बिजली वितरण कंपनियों के द्वारा बैकिंग, द्विवपक्षीय समझौते एवं पॉवर एक्सचेंज (Day Ahead Market, Real Time Market) के द्वारा की जाएगी।

**40. श्री कुलदीप कुमार:** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली कनेक्शन देने के लिए बीएसईएस, बीवाईपीएल, टीपीडीडीएल द्वारा मकान की कोई उंचाई सीमा तय की गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी जानकारी उपलब्ध करायें;

(ग) अगर किसी भवन, मकान को एमसीडी द्वारा बुक किया जाता है तो क्या उसे बिजली कनेक्शन मिल सकता है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने मकान व भवन हैं जो एमसीडी द्वारा बुक हैं और उन्हें बिजली कनेक्शन दिये गये हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) यदि नहीं, तो कितने ऐसे मकान व भवन हैं जिन्हें एमसीडी द्वारा बुक किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार की भविष्य में ऐसे एमसीडी द्वारा बुक मकानों को बिजली कनेक्शन देने की कोई योजना है?

**ऊर्जा मंत्री:** (क) बिजली कनेक्शन देने के लिए डीईआरसी द्वारा मकानों की उंचाई सीमा तक की गयी है।

(ख) डीईआरसी के आदेश की प्रति संलग्न है (संलग्नक 'क')

(ग) बिजली वितरण कंपनियों ने सूचित किया है कि अगर किसी भवन, मकान को एमसीडी द्वारा बुक किया जाता है और मकान के कागजों पर एमसीडी बुक मोहर लगी है तो बिजली कनेक्शन जारी नहीं किया जाता है। अगर लैंड आवनिंग ऐजेन्सी (Land owning agency)/एमसीडी से Clearance मिल जाता है तो बिजली कनेक्शन दिया जा सकता है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

(ङ) बिजली वितरण कंपनियों ने सूचित किया है कि 2024 से आज तक निम्नलिखित नये कनेक्शनों के आवेदन एमसीडी द्वारा बुक किये जाने के कारण अस्वीकृत किये गये हैं :

| कंपनी | अस्वीकृत आवेदन |
|---|---|
| बीवाईपीएल | 11372 |
| बीआरपीएल | 22841 |
| टीडीडीपीएल | 74 |

(च) जी नहीं

DERC 40'ch'

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

**Delhi Electricity Regulatory Commission**

विनियामक भवन, सी-ब्लॉक, शिवालिक,
मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
Viniyamak Bhawan, C-Block, Shivalik,
Malviya Nagar, New Delhi-110017

D E R C

F.17 (85)/Engg./DERC/2016-17/5403/ 1487 31.5.2019

To

The Secretary,
New Delhi Municipal Council,
Palika Kendra, Sansad Marg,
New Delhi-110001.

The Chief Executive Officer,
Tata Power Delhi Distribution Ltd.,
33 KV Grid Sub-station, Hudson Lane,
Kingsway Camp, Delhi – 110 009.

The Chief Executive Officer,
M/s BSES Rajdhani Power Ltd.,
BSES Bhawan, Nehru Place,
New Delhi – 110019.

The Chief Executive Officer,
M/s BSES Yamuna Power Ltd.,
Shakti Kiran Building, Karkardooma,
New Delhi – 110 092.

**Subject: Request for resolution of various issues relating to grant of new electricity to a building having total height upto 17.5 meters.**

Sir,

This has reference to letter No. (i) RA/2019-20/A/01/59 dated 13.05.2019 & (ii) No. RA/BYPL/2019-20/41 dated 25.05.2019 received from BRPL and BYPL respectively, related to the issue of grant of new electricity connection to a building of height upto 17.5 meters and methodology for measurement of the height of the building.

2. DISCOMs have stated that they insist upon fire clearance certificate from the applicant for release of electricity connection based on the application format prescribed by DERC which inter alia states that in case the total height of the building is more than 15 meters, fire clearance certificate has to be obtained by the applicant and is available.

3. DISCOMs further informed that Delhi Jal Board has clarified that individual water connections may be sanctioned to those dwelling units of the buildings having height of 15 meter without stilt parking and 17.50 meter with stilt parking.

4. DISCOMs have also informed that the buildings are being constructed in Delhi with stilt parking. Clause 4.4.3 of the MPD 2021, the maximum height of a building in a residential plot- plotted housing is mandated is as under:

Vikas Pandey
VIKAS PANDEY
Dy. Secretary
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

*"Height: Maximum height of the building shall be 15M in plots without stilt parking and 17.5M in plots with stilt parking. Such residential building shall not be considered as high rise building. For purpose of fire and life safety requirements, clearance of Fire Department will be obtained by the individual plot owner."*

5. Hon'ble High Court of Delhi in its judgement dated 29.5.2003 in CWP 2710/1998 and CM 4780/2003 in the matter of Dr. B.L. Wadhera vs. Govt. of NCT of Delhi & Ors. has directed that in all high rise buildings in Delhi and New Delhi, fire safety measures are to be adhered to.

6. Discoms have submitted that there are several instances where the applicants do not agree with the results of the building height as measured by DISCOM official during the field inspection process. In this regard, it is informed that the Unified Building Bye-laws for Delhi stipulate the provision for building height as under:

*"**1.4.16 Building Height**:*

*a. The vertical distance in the case of flat roofs is measured from the highest surrounding road level/ ground level up to the top of structural slab, excluding machine room, irrespective of location of entry level.*

*b. In the case of pitched roofs, up to the point where the external surface of the outer wall intersect the finished surface of the sloping roof, and in case of gable facing the road, the mid-point between the eaves level and the ridge.*

*c. Architectural features serving no other function except that of decoration and other building components mentioned in clause no 7.19 shall be excluded for the purpose of taking height.*

*d. If the building does not abut on a street, the height shall be measured from the highest level of the ground immediately adjacent to the building."*

*"**7.19 Height Exemptions:***

*The following structures shall not be included in the height of building covered under Building Bye-Laws.*

*i. Roof tanks and their supports not exceeding 1.8 m.*

VIKAS PANDEY
Dy. Secretary
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

*ii. Ventilating apparatus, air conditioning equipments and lift machine room(s) if required as per the specification of lift manufacturer and similar service equipments,*

*iii. Stair covered with mumty not exceeding 3.0 m in height.*

*iv. Chimneys and parapet wall not exceeding 1.5 m in height*

*v. Screen wall upto the height of 1.8 m.*

*vi. Solar panel fixed on terrace as per 7.17.2 (p)."*

7 Based on the above, it is clarified that the distribution licensee for release of electricity connection shall not insist for fire clearance certificate for the residential buildings having height upto 15 meters without stilt parking and 17.5 meters with stilt parking. The measurement of the height of the building shall be made in accordance with clause 1.4.16 and 7.19 of Unified Building Bye-Laws for Delhi 2016.

8. This issues with the approval of the Commission.

Yours faithfully

(Mahender Singh)
Secretary

VIKAS PANDEY
Dy. Secretary
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

DERC 40 कि

# दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
# Delhi Electricity Regulatory Commission

सत्यमेव जयते

दि 19 19 आ

D E R C

F.17(85)/Engg./DERC/2020-21/6908/2280 21.02.2023

To,

The Secretary,
New Delhi Municipal Council,
Palika Kendra, Sansad Marg,
New Delhi-110001.

The Chief Executive Officer,
Tata Power Delhi Distribution Ltd.,
33 KV Grid Sub-station, Hudson Lane,
Kingsway Camp, Delhi – 110 009.

The Chief Executive Officer,
M/s BSES Rajdhani Power Ltd.,
BSES Bhawan, Nehru Place,
New Delhi – 110019.

The Chief Executive Officer,
M/s BSES Yamuna Power Ltd.,
Shakti Kiran Building, Karkardooma,
New Delhi – 110 092.

**Sub: Acceptance of Certificate from an Empanelled Architects for Building Height for Processing of Application for Electricity Connection**

Sir,

Reference is invited to DERC Letter No.F.17(85)/Engg./DERC/2016-17/5403/487 dated 31/05/2019 whereby it was stated that "the distribution licensee for release of electricity connection shall not insist for fire clearance certificate for residential buildings having height up to 15 meters without stilt parking and 17.5 meters with stilt parking. The measurement of the height of the building shall be made in accordance with the clause 1.4.16 and 7.19 of Unified Building Bye-Laws for Delhi, 2016."

2. The Commission is in recept of represenations that many applicants are disputing the building height measured by the distribution licensees for processing of application for electricity connection. These disputes are being observed mainly in the buildings which are on the threshold limit of 15 meters without stilt parking and 17.5 meters with stilt parking. The distribution licensees have also requested to provide necessary guidance on the same issues.

3. In view of the above, it is clarified that the distribution licensee shall accept the certificate from an empaneled architect of Government Land Owning Agency in whose jurisdiction the subject premises is located such as Delhi Development Authority or Municipal Corporation of Delhi or NDMC etc. certifying the total height of the building for processing of application for electricity connection.

This issues with the approval of the Commission.

Sh. Sanjay Gupta
Sh. Rajiv Agarwal
Sh. Raj Arora
Sh. Dipankar Majumdar
Sh. Ashok Chand
File
Sh. Amal Sinha
cc – Sh. Vineet Sikka

Yours faithfully,

(Anil Jain)
Executive Director (Engg.)

VIKAS PANDEY
Dy. Secretary
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

विनियामक भवन, सी–ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017
Viniyamak Bhawan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi-110017
Phone: 26601675, Fax: 26673608, Email: direngg@derc.gov.in Website: www.derc.gov.in

DERC 40 'क'

**Delhi Electricity Regulatory Commission**
Viniyamak Bhavan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi-110017

F.17(85)/Engg./DERC/2020-21/6908

**Schedule of Charges and the Procedure (Sixth Amendment) Order, 2021**
**(Date of Order: 15.04.2021)**

The Delhi Electricity Regulatory Commission in exercise of the powers vested under Regulation 84 and Regulation 87 of Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017, hereby makes the following amendment in its Order dated 31.08.2017 (hereinafter referred to as "the Principal Order").

**1.0 Short title and commencement:**

This Order may be called as Schedule of Charges and the Procedure (Sixth Amendment) Order, 2021 and shall be effective from the date of its issue.

**2.0 Amendment in Clause 2 of the Principal Order:**

Sub-clause (3) and sub clause (4) shall be inserted at the end of Sub-clause (2) of Clause 2 of the Principal Order namely;

*(3) In case of residential buildings, for release of electricity connection the Distribution Licensee shall not insist for Fire Clearance Certificate for the residential building having height upto 15 meters without stilt parking and upto 17.5 meters with stilt parking:*

*4(1) In case the total height of such building is more than 15 meters without stilt parking and more than 17.5 meters with stilt parking, the distribution licensee shall:*

*(i) release the electricity connection in the dwelling units which are within the height of 15 meters without stilt parking and within the height of 17.5 meters with stilt parking of the building, without insisting for Fire Clearance Certificate:*

*(ii) in the dwelling units which are above the height of 15 meters without stilt parking and which are above the height of 17.5 meters with stilt parking of the building, the electricity connection shall not be provided unless the fire clearance certificate has been obtained:*

*Provided that in case such dwelling units above 15 meters without stilt parking and above 17.5 meters with stilt parking of the building indulge in unauthorized connection from the system of licensee or from the live connection of any other consumer, the licensee may initiate an action as per provisions of Section 126, Section 135 , Section 138 or any other section as may be applicable of the Electricity Act, 2003 and the electricity connection of such consumer who has provided the supply unauthorisedly, shall be disconnected immediately;*

*4(2) The Distribution Licensee shall inspect such premises periodically.*

VIKAS PANDEY
Dy. Secretary
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

**3.0 Amendment in Annexure of the Principal Order:**

(i) The entry No. 3(b) in the Annexure I 'format for application form of new connection' shall be substituted and read as under:

| | | |
|---|---|---|
| *(b)* | *Where supply is required* | ***Unique Property Identification Code (UPIC)*** |
| | | *House/plot/premise no.* |
| | | *Street* |
| | | *Area/colony* |
| | | *Pin Code* |
| | | *Telephone No.:*<br>*Mobile:*<br>*E-mail:* |

(ii) The clause 5 of the Declaration of Annexure-I shall be substituted and read as under:

*5. That the building has been constructed as per prevalent building Bye-Laws and the fire clearance certificate, if required, is available with the applicant.*

(iii) The clause 7B(ii) of the Declaration of Annexure-I shall be deleted and clause 7B shall be read as under:

***B. Agricultural Consumers***

*i. Certificate of Residence from Block Development Officer;*

(iv) The modified Annexure-I 'format for application form of new connection' is enclosed herewith.

**Sd/-**
**(Dr. A. K. Ambasht)**
**Member**

**Sd/-**
**(Justice S. S. Chauhan)**
**Chairperson**

Dy. Secretary
Department of Power
Govt. of NCT of Delhi
Delhi Secretariat, New Delhi-02

**41. श्री सुरेन्द्र कुमारः** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आईपीजीसीएल, पीपीसीएल व डीटीएल का कितना भुगतान बीएसईएस पर शेष है;

(ख) आईपीजीसीएल, पीपीसीएल व डीटीएल को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 20.02.2025 के बाद से क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे केस के सिलसिले में 20.02.2025 के बाद से क्या कोई निवेदन दिया गया है, यदि हाँ तो क्या?

**ऊर्जा मंत्रीः** (क) आईपीजीसीएल, पीपीसीएल व डीटीएल के बीएसईएस पर शेष भुगतान का वर्ष 2015 से 2025 तक विवरण निम्ननुसार है: (करोड़ रूपये में)

| डिस्कॉम | आईपीजीसीएल | पीपीसीएल | डीटीएल | कुल |
|---|---|---|---|---|
| बीआरपीएल | 3471.32 | 8912.77 | 2900.13 | 15284.22 |
| बीवाईपीएल | 2014.36 | 7863.23 | 2164.44 | 12042.03 |
| कुल | 5485.68 | 16776.00 | 5064.57 | 27326.25 |

(ख) आईपीजीसीएल, पीपीसीएल व डीटीएल को भुगतान सुनिश्चित करने के संबंध में मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय दिनांक 20.02.2025 के आदेश की प्रति संलग्न है (संलग्नक 'क')

(ग) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आईपीजीसीएल, पीपीसीएल व डीटीएल के द्वारा जबाव दे दिया गया है जोकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

41 'क'

ITEM NO.301 COURT NO.11 SECTION XVII

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 4906/2015

BSES RAJDHANI POWER LTD. Appellant(s)

VERSUS

DELHI ELECTRICITY REGULATORY, COMMISSION Respondent(s)

[ PART HEARD BY : HON'BLE MR. JUSTICE PAMIDIGHANTAM SRI NARASIMHA AND HON'BLE MR. JUSTICE SANDEEP MEHTA ]

IA No. 1/2015 - additional documents
IA No. 10595/2022 - EXEMPTION FROM FILING AFFIDAVIT
IA No. 137927/2023 - INTERLOCUTARY APPLICATION
IA No. 10593/2022 - PERMISSION TO FILE ADDITIONAL DOCUMENTS/FACTS/ANNEXURES

WITH
W.P.(C) No. 104/2014 (X)
IA No. 145037/2022 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS

C.A. No. 4013/2014 (XVII)
IA No. 1/2014 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT

C.A. No. 4010/2014 (XVII)
IA No. 1/2014 - EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT

W.P.(C) No. 1005/2021 (X)
IA No. 164759/2022 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS

W.P.(C) No. 105/2014 (X)
IA No. 145051/2022 - APPROPRIATE ORDERS/DIRECTIONS

Date : 20-02-2025 These matters were called on for hearing today.

CORAM :

HON'BLE MR. JUSTICE PAMIDIGHANTAM SRI NARASIMHA
HON'BLE MR. JUSTICE SANDEEP MEHTA

41 'क'

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

1. Heard the learned counsel for the parties.

2. Judgment on the issue relating to creation and continuation of the Regulatory Asset by Electricity Regulatory Commission is reserved.

3. Written submissions, if any, shall be filed within two weeks from today.

(INDU MARWAH)
AR-CUM-PS

(VINOD KUMAR)
COURT MASTER (NSH)

**42. श्री प्रेम चौहानः** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित 1731 अनधिकृत कालोनियों में मकानों में लगने वाले बिजली के मीटर के

संबंध में विभन्न विभागों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को पूर्ण रूप से समाप्त करने के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा क्या कोई आदेश जारी किये गये थे;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विषय के संबंध में आदेश पत्र जारी किये जाने के बावजूद वर्तमान में भी उक्त विषय के संबंध में डिस्कॉम द्वारा आज तक विभिन्न बिजली कंपनियों को कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) माननीय उपराज्यपाल महोदय द्वारा 5 जुलाई 2023 को बिजली सेवा को आवश्यक सेवा के रूप में मान्यता दिए जाने के बावजूद अनापत्ति प्रमाण पत्र के अभाव में दिल्ली की जनता को बिजली मिलने में हो रही असुविधा को देखते हुए इस संबंध में उर्जा मंत्रालय द्वारा विभिन्न विभागों को उचित दिशा-निर्देश जारी न करने के क्या कारण हैं?

**ऊर्जा मंत्री:** (क) पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया था, यद्यपि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त विषय के संबंध में आदेश पत्र दिनांक 05.08.2024 और दिनांक 16.10.2024 जारी किये गये हैं। जिसकी प्रति संलग्न है (संलग्नक 'क')

(ख) ऊर्जा विभाग ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशों का सही मायने में अनुपालन करने का निर्देश सभी बिजली वितरण कंपनियों को दिया है। जिसकी प्रति संलग्न है (संलग्नक 'ख')

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

Q. No. 42 'क'

# Delhi Development Authority

O/o Commissioner (LP)

First Floor, A-Block, Vikas Sadan, DDA

F.No.LPCR/F17/002/2023/PLDA/O/Odd(Land Pooling)-Pt(I)/ ९३ Date: 16.10.2024

**OFFICE ORDER**

The urbanizable areas of Delhi as identified under Master Plan for Delhi-2021 have been declared as Land Pooling areas. Resultantly, all development in these areas is permitted through the Land Pooling Policy, 2018. No development, other than that permitted under the Master Plan, is allowed within these development areas as declared under section 12 of DD Act, 1957 barring the exclusions provided in the said Land Pooling Regulations of 2018.

2. In order to stop the mushrooming growth of unauthorized constructions in land pooling area and to ensure effective implementation of the Land Pooling Policy in the urbanized villages of Delhi, various preventive measures have been taken by DDA. One such step taken was regarding non issuance of new electricity connections in the development area under land pooling except for area in village Lal Dora, extended Lal Dora and PM-UDAY colonies, as communicated vide DDA's letter dated 26.06.2023.

3. Further, representations were received over a period of time from the public regarding problems being faced in getting fresh electricity connections in certain other areas. Therefore, exemption was given for issuance of new electricity connections were given in the following areas/categories vide letter dated 05.08.2024:

I. Colonies regularized by MCD prior to issuance of notification of Land pooling regulations
II. Land allotted to landless persons under 20 point programme
III. Land Rights given in Allotted land/ Govt land / JJ colonies
IV. Industry/ godown situated in non-conforming area regularized by GNCTD prior to issuance of notification of land pooling regulations.

4. Representations are still being received with regard to fresh electricity connections in areas within PM UDAY colonies and extended lal dora.

5. Clause 3(I) b of the Land Pooling Regulations, 2018 states that the policy will be applicable in the urbanizable areas as notified by DDA/Government from time to time, except the:

a. land/villages notified under Low Density Residential Area (LDRA), green belt;
b. land under unauthorized colonies (which are yet to be regularized);

c. built up Lal Dora areas (abadi), notified extended Lal Dora of villages;
d. lands under litigation including lands under acquisition proceedings, till the case is settled;
e. land where DDA or any other government agency has issued NOC or where the plan stands approved for development by any other government agency at the time of notification of these regulations;
f. land under notified forests/government land (use undetermined) and any other scheme of Government of NCT of Delhi for which change of land use is under process under Section 11(A) of the Act at the time of notification of these regulations;
g. pre-existing institutions which have been considered for regularization or are still under examination by the Government;
h. land under natural drains, natural water bodies, heritage sites, flood and irrigation department, railways and airport.

In this regard, in supersession of all previous orders issued, it is hereby clarified that

1. DISCOMs may issue fresh electricity connections suo- moto for constructions within the notified PM-UDAY colonies, lal dora and extended lal dora areas by referring to the list of such areas.
2. For vacant patches of private land completely encircled by PM-UDAY colonies and not situated at the periphery of the boundary of PM-UDAY colonies, the DISCOMS may issue fresh electricity connections suo-moto.
3. Cases where pre-existing permanent electricity connections were surrendered in lieu of reconstruction, renovation or change of ownership, the DISCOMS may issue fresh electricity connections suo-moto.
4. Further, the DISCOMs may follow their existing protocol prior to 26.06.2023 in issuing fresh electricity connections in respect of the following:
   i. MCD regularized colonies
   ii. Plots allotted under 20 points programme
   iii. Industry/godown situated in non-conforming areas regularized by GNCTD prior to issuance of notification of land pooling regulations
   iv. JJ clusters where land rights have been given by DDA or any other government agency prior to issuance of notification of land pooling regulations,
   v. Government establishments,
   vi. Cases where vertical and horizontal extension were added to the existing construction

Hence, in all the above instances, the DSICOMS may provide new/ renew old connections at their own level suo moto and there shall be no necessity of seeking any clarification / NOC of any kind from DDA.

**Dr. Vikram Singhal**

**Director (Land Pooling)**

**Copy to:**

**i. PS to OSD to VC**

**DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**
**OFFICE OF COMMISSIONER (LAND POOLING)**
**OPP. TV TOWER, PITAM PURA, DELHI 110088**

**F.No. LPCR/F17/0002/2023/PLDA/O/o DD(Land Pooling)- Pt(I)/D- 561 Date: 05/08/2024**

To

(1) The Manager,
TPDDL, Delhi

(2) The Manager
BSES Rajdhani Po Delhi

**Subject: Clarification of new electricity connection in areas other than Lal Dora/extended Lal Dora areas and PM UDAY colonies under land pooling areas.**

Please find enclosed herewith **an Office Order** ( LPCR/F17/0002/2023/ PLDA/O/o DD (Land Pooling)- Part(1)/I/4087/2024 on the above-mentioned subject matter for your perusal and necessary action

05/8/2024.
( Chandan Kumar)
Dy. Director
Land Pooling, Pitampura

Encl.- As stated above,

Copy for information to-

a. OSD to Worthy VC,
b. PS to Pr. Commissioner (Land Pooling)
c. PS to Commissioner , Land Pooling
d. Director, Land Pooling

LPCR/F17/0002/2023/PLDA/-O/o DD(LAND POOLING)-Part(1)

I/4087/2024

**OFFICE ORDER**

A significant number of grievances have been received through various fora, in public hearings, from MP/MLA representatives and other grievance portals of DDA and the Government of India regarding new electricity connections in Land pooling areas after the implementation of the decision taken vide MOM dated 26.06.2023. Exemption was given to Lal Dora, extended Lal Dora, PM UDAY Colonies within Land pooling areas where DISCOM were to continue to follow there existing protocol for new connections. For new connections in other areas falling within development area of 105 urbanized villages, no new connections were to be issued since authorization for new constructions in these area were to be issued by DDA subsequent to notification of the sectors. These decisions were taken in order to prevent further unauthorized constructions in such area.

As per the provisions contained in 3 (I) (e) of theRegulations for Operationalization Of Land Policy, 2018 notified with the prior approval of the Central Government, vide SRO No. 5384 (E) dated 24.10.2018, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 *"land where DDA or any other government agency has issued NOC or where the plan stands approved for development by any other government agency at the time of notification of these regulations"* is exempted from the said Policy.

Certain areas within development area have been reported which have sanction/ prior approval of various govt bodies. These areas are enumerated hereunder:

1. Colonies regularized by MCD prior to issuance of notification of land pooling Regulations,2018.

2. Land allotted to landless person (falling within Land pooling area) under 20 point Programme by Revenue department, GNCTD.

3. Industry / Godown situated in Non-conforming industrial area as area notified in MPD -2021.

4. Govt land / allotted land/J.J colonies wherein DDA has allotted the land rights etc.

In continuation of the decision taken vide MOM dated 26.06.2023, in due consideration of the issues pertaining to aforesaid areas, the following clarifications are hereby issued for providing new electricity connections.

a. **Colonies regularized by MCD prior to issuance of notification of land pooling regulations,2018.**

MCD has regularized 567 colonies in Delhi, prior to notification of Land pooling. Some of the colonies are falling in the land pooling area. These colonies were regularized by the MCD prior to the declaration of the notification of the development area. However, **all such colonies which have been regularized by MCD prior to 24.10.2018 (date of notification of the Regulations of 2018) would be cover under above mentioned Para 3 (I) (e) Regulations of 2018.**

...tricity connection in the following areas.

LPCR/F17/0002/2023/PLDA/-O/o DD(LAND POOLING)-Part(1)

I/4087/2024

b. **Land allotted to landless person (falling within Land pooling area) under 20 point Programme by the concerned Departments of GNCTD. Such land allotted prior to 24.10.2018 by the GNCTD are also covered under Para 3 (I) (e) Regulations of 2018.** In such cases the concerned DISCOM may take up the matter with the concerned Departments of GNCTD, for any clarification.

c. **Industry / Godown situated in Non-conforming Industrial area as area notified in MPD -2021. Such areas regularised prior to 24.10.2018 by the GNCTD are also covered under Para 3 (I) (e) Regulations of 2018.** In such cases the concerned DISCOM may take up the matter with the concerned Departments of GNCTD, for any clarification.

d. **Govt land / allotted land/J.J colonies wherein DDA has allotted the land rights etc.** Allotments made by by the Housing Department of DDA **prior to 24.10.2018 are also covered under Para 3 (I) (e) Regulations of 2018.** Housing department shall provide consolidated data of such cases to Land Pooling department, which shall then be shared with the DISCOMS.

In the aforesaid four categories of areas, the DISCOMS may follow their existing protocol for new electricity connections without making any further reference to DDA.

Q. No. 42 'ख'

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**(DEPARTMENT OF POWER)**
**DELHI SECRETARIAT, 8TH LEVEL, B-WING**
**I.P. ESTATE, NEW DELHI – 110002**

F.6/87/Power/2024/8964-8968 Dated: 28/10/2024

To,

1. The CEO, TPDDL, Hudson Lanes, Kingsway Camp, Delhi-110007.
2. The CEO, BSES (RPL), BSES Bhawan, Nehru Place, Delhi-110019.
3. The CEO, BSES (YPL), Shakti Kiran Building, Karkardooma, Delhi-92.

**Subject: Clarification of New Electricity Connection in PM-UDAY colonies, Lal Dora and Extended Lal Dora etc.**

Sir,

Please refer the following enclosed Office Orders of DDA:

i. F.No. LPCR/F17/002/2023/PLDA/O/Odd(Land Pooling)-Pt(i)/83 dated 16.10.2024 of Director (Land Pooling) DDA

ii. F.No. LPCR/F17/002/2023/PLDA/O/o DD (Land Pooling)-Pt(i)/561 dated 05.08.2024 of Deputy Director (Land Pooling) Pitampura, DDA.

In this regard, it is directed to comply the above orders of DDA in true letter and spirit.

This issues with the approval of Competent Authority.

Yours faithfully,

Vikas Pandey
28/10/24

(Vikas Pandey)
Dy. Secretary (Power)

Encl.: As above

Copy for kind information to:

1. PS to Secretary (Power), GNCTD
2. PS to Special Secretary (Power), GNCTD

O/C

**43. श्री सही राम:** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संपूर्ण राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता क्या है, व विगत दस वर्षों में इसमें कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) पीपीए (ऊर्जा खरीद अनुबंध) के माध्यम से डिस्कॉम द्वारा कितनी नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद की गई;

(ग) खरीदी गई नवीकरणीय ऊर्जा में विगत दस वर्षों में कितनी वृद्धि हुई; और

(घ) राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के लिए दिनांक 20. 02.025 के बाद से क्या कदम उठाए गए हैं?

**ऊर्जा मंत्री:** (क) दिल्ली में जनवरी 2025 तक अक्षर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 390 मेगावॉट (सौर 306 मेगावॉट और अपशिष्ट से ऊर्जा 84 मेगावॉट है)। मार्च 2025 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता 22.39 मेगावॉट (सौर 6.39 मेगावॉट और अपशिष्ट सक ऊर्जा 16 मेगावॉट) थी। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 367.61 मेगावॉट की वृद्धि हुई है।

(ख) पीपीए (ऊर्जा खरीद अनुबंध) के माध्यम से डिस्कॉम द्वारा 2023-24 में 8779 एमयू नवीकरण ऊर्जा खरीदी गई है।

(ग) 2014-15 से 2023-24 तक खरीदी गई नवीकरण ऊर्जा में 8639.6 एमयू की वृद्धि हुई है।

(घ) राज्य में नवीकरण ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने के लिए 20.02.2025 से उठाये गए कदम निम्ननुसार है:

(क) दिल्ली में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन की निगरानी और समीक्षा के लिए 05 मार्च 2025 को मुख्य सचिव जीएनसीटीडी की

अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय बैठक (एसएलसीसी) आयोजित की गई है।

(ख) दिल्ली में रूफटॉप सोलर फुटप्रिंट बढ़ाने के कदमों पर चर्चा करने के लिए 11 और 12 मार्च 2025 को संबंधित डिस्कॉम में सोलर पैनल वाले विक्रेताओं साथ बैक की गई।

(ग) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने डिस्कॉम और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ रूफटॉप सोलर के कार्यान्वयन की समीक्षा की। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए डिस्कॉम के रूप में आरईएससीओ प्लेयर पर भी चर्चा हुई।

(घ) डीईआरसी से नेट मीटिरिंग विनियमन 2014 में पंजीकरण शुल्क और आवेदन शुल्क माफ करने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) डिस्कॉम आरटीएस प्रणाली के बारे में जागरुकता के लिए आरडब्ल्यूए के साथ बैठक कर रहे हैं।

**44. श्री जरनैल सिंह:** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या वर्तमान में डिस्कॉम (डीवीबी) के पेंशन प्राप्तकर्ताओं को 'कैशलैस' इलाज की सुविधा प्राप्त है;

(ख) यदि हाँ, तो कैशलेस इलाज प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो दिनांक 20.02.2025 के बाद डीवीबी पेंशनरों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**ऊर्जा मंत्री:** (क) वर्तमान में डिस्कॉम (डीवीबी) के पेंशनरों को सिर्फ 06 अस्पतालों में केवल 04 गम्भीर बीमारियों के लिए कैशलैस सुविधा देते हैं।

(ख) कैशलैस इलाज प्राप्त करने के लिए जिस अस्पताल में पेंशनर उपरोक्त बीमारियों के ईलाज हेतु भर्ती होता है, अस्पताल एक सूचना-पत्र के माध्यम से सीएमओ, डीटीएल को सूचित करता है जिसके बाद सीएमओ डीटीएल एक क्रेडिट पत्र संबंधित अस्पताल को प्रेषित करता है जिसके बाद कैसलेश प्रक्रिया के तहत ईलाज शुरू हो जाता है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

**45. श्री अभय वर्मा:** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2023-24 और 2024-25 के बीच लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में बिजली विभाग से क्या-क्या काम कराए गए और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) बिजली विभाग के खम्भों पर गैर कानूनी तरीके से लटकाए गए तारों के संबंध में क्या कानूनी प्रावधान है तथा विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) आए दिन खम्भों पर आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) बुक प्रोपर्टी में मीटर ना लगाने के प्रावधान के बावजूद अवैध रूप से मीटर लगाने पर उसके खिलाफ क्या कार्यवाही का प्रावधान है और अब तक ऐसी कितनी संपत्तियों पर कार्यवाही की गई है?

**ऊर्जा मंत्री:** (क) संबंधित बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 में लक्ष्मी नगर विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री सड़क पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत 1200 स्ट्रीट लाईट लगाई गई है। जिन पर लगभग 35.6 लाख रूपये खर्च किये गये हैं।

(ख) बिजली वितरण कम्पनी ने सूचित किया है कि वे इंटरनेट सर्विस प्रोवाडर के साथ एग्रीमेंट करते हैं। अनअर्थोराइज सर्विस प्रोवाडर की पिछले 2 वर्षों में लक्ष्मी नगर निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 618 खम्भों से गैर कानूनी/अनाधिकृत इंटरनेट और केबल टीवी के तारों को माननीय विधायक, पार्षदों, आर.डब्लू.ए. और निवासियों के अनुरोध पर हटाया गया है।

(ग) बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि खम्भों पर आस लगने की घटनाओं को रोकने के लिए लोड संतुलन और निवारक रखरखाव के साथ-साथ वितरण बक्सों के तापमान की निगरानी के लिए थर्मोग्राफी करता है। अनाधिकृत इंटरनेट और केबल टीवी के तारों को नियमित रूप से हटाया जाता है। इसके अतिरिक्त कई सर्विस केबल को कम करने के लिए 3 फेस बसबार बॉक्स लगाया जाता है।

(घ) बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि ऐसे मामलों में जहां मीटर अवैध रूप से लगाये गये हैं, जानकारी मिलते ही बिजली आपूर्ति को काटने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। बीवाईपीएल द्वारा कुल 26 कनेक्शन काटे गये हैं।

**46. श्री जितेन्द्र महाजन:** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा वर्तमान में जो भी रेगुलेशन सदन में रखे गये उनके बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायें; और

(ख) इन सब रेगुलेशन से संबंधित सदन द्वारा चर्चा के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायें?

**ऊर्जा मंत्री:** (क) और (ख) दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के वर्तमान में जो भी रेगुलेशन सदन में रखे गये उनकी जानकारी संलग्न है। ((संलग्नक 'क')

46'क'

**DEPARTMENT OF POWER,**
**GOVERNMENT of NCT DELHI**
**8TH LEVEL, B-WING DELHI SECRETARIAT,**
**I.P.ESTATE, NEW DELHI- 110002**

| Sr. No. | Annual Reports / Annual Accounts Reports / Regulations |
|---|---|
| 1. | Annual Report of Delhi Electricity Regulatory Commission for the year 2020-2021 |
| 2. | Annual Report of Delhi Electricity Regulatory Commission for the year 2021-2022 |
| 3. | Annual Report of Delhi Electricity Regulatory Commission for the year 2022-2023 |
| 4. | Annual Accounts Report of Delhi Electricity Regulatory Commission for the year 2022-2023 |
| 5. | Delhi Electricity Regulatory Commission (forum for redressal of grievances of the consumers and ombudsman) (First Amendment) Regulations,2022 |
| 6. | Delhi Electricity Regulatory Commission (forum for redressal of grievances of the consumers and ombudsman) (Second Amendment) Regulations,2023 |
| 7. | Corrigendum to Delhi Electricity Regulatory Commission (forum for redressal of grievances of the consumers and ombudsman) (Second Amendment) Regulations,2023 |
| 8. | Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) Regulations,2023 |
| 9. | Delhi Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business for Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations,2023 |
| 10. | Delhi Electricity Regulatory Commission (Net Metering for Renewable Energy) (First Amendment) Regulations,2024 |
| 11. | Delhi Electricity Regulatory Commission (Compensation to Victims of Electrical Accidents) Regulations,2024 |
| 12. | Delhi Electricity Regulatory Commission (Guidelines for establishment of the forum and the Ombudsman for redressal of grievances of Electricity Consumers) Regulations,2024 |
| 13. | Corrigendum to Delhi Electricity Regulatory Commission (Guidelines for establishment of the forum and the Ombudsman for redressal of grievances of Electricity Consumers) Regulations,2024 |

**47. श्री अजय महावर:** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सघन आबादी होते हुए भी विधानसभा क्षेत्र घोंडा के अंतर्गत आने वाले पुराना गांव गढ़ी मेंडू और पुराना गांव उस्मानपुर में ओ-जोन की वजह से बिजली नहीं दी जाती;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन दोनों गांव में पहले मीटर लगे हुए है परन्तु वर्तमान में नहीं लग रहे;

(ग) क्या इन दोनों गांव में सरकार द्वारा मीटर देने की कोई योजना है;

(घ) अगर हॉं तो कब तक दोनों गांव में मीटर उपलब्ध कराये जायेंगे;

(ङ) क्या यह सत्य है कि विधानसभा घोंडा में सी-1 ब्लॉक से सी-12 ब्लॉक यमुना विहार तक फीडर पिलर की ऊंचाई काफी नीची होने के कारण बरसात के मौसम में आपूर्ति काट दी जाती है;

(च) क्या इन सभी फीडर पिलरों को ऊंचा करने की सरकार की कोई योजना है;

(छ) इन फीडर पिलरों को कब तक ऊंचा कर दिया जाएगा; और

(ज) घोंडा विधानसभा क्षेत्र में लोड वृद्धि के कारण नये विद्युत उप-स्टेशन लगाने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गए हैं?

**ऊर्जा मंत्री:** (क) जी हाँ। संबंधित बिजली वितरण कंपनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि एनजीटी के निर्देशानुसार गांव गढ़ी मेंडू और पुराना उस्मानपुर

ओ-जोन में आते हैं जिसकी वजह से वहाँ कोई भी कनेक्शन नहीं लगाये जा रहे हैं।

(ख) बिजली वितरण कंपनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि सितम्बर 2017 में एनजीटी के आदेश मिलने के बाद कोई भी कनेक्शन नहीं लगाये जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ङ) जी हाँ।

(च) जी नहीं।

(छ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ज) बिजली वितरण कंपनी बीवाईपीएल द्वारा दिया गया विवरण इस प्रकार है:

| क्र.स. | सिस्टम इम्परूमेंट और लोड ग्रोथ वर्क | यूनिट | वर्ष 22-23 | वर्ष 23-24 | वर्ष 24-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 Kv Feeders | Km | 3.9 | 0.28 | 2.63 |
| 2. | 11 Kv Substation | MVA | 2.24 | 2.41 | 7.94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | LT Feeders/ Circuit | Km | 5.2 | 4.1 | 5.8 |
| 4. | Expenditure Cost (Rs.) | Crs | 5.7 | 5.11 | 7.16 |

**48. श्री मोहन सिंह बिष्टः** क्या माननीय **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति हेतु कहां-कहां ग्रिड बनाए गए थे उसका विवरण दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त ग्रिडों के माध्यम से पूर्ण बिजली आपूर्ति में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां तो क्या उपरोक्त आपूर्ति को पूरा करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो पूर्ण विवरण दें;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि उक्त विधानसभा क्षेत्र में जगह उपलब्धता होने के कारण भविष्य में सरकार द्वारा नये ग्रिडों की स्थापना की कोई योजना है; और

(च) यदि हां तो उसका विवरण दें?

**ऊर्जा मंत्रीः** (क) बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएलने सूचित किया है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति निम्न ग्रिड करते हैं:

1. सोनिया विहार (66/11 केवी)

2. भागीरथी (66/11 केवी)

3. करावल नगर (66/11 केवी)

(ख) से (घ) बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि ग्रिड क्षमता के कारण लोगों को बिजल आपूर्ति में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अनुमानित ग्रीष्म कालीन पीक लोड को पूरा करने के लिए भागीरथी ग्रिड में क्षमता वृद्धि का कार्य 31 मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा।

(ङ) और (च) बिजली वितरण कम्पनी बीवाईपीएल ने सूचित किया है कि नये ग्रिड स्थापना के लिए आवश्यक भूमि के आवंटन हेतु विद्युत विभाग के माध्यम से डीडीए को भूमि आवंटन हेतु अनुरोध किया गया है।

**49. श्री अनिल झा:** क्या माननीय **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी कार्यों पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए आवंटित कुल बजट में से अब तक कितनी राशि बची हुई है;

(ग) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में चल रही परियोजनाओं की स्थिति क्या है और इनकी संभावित पूर्णता की समय-सीमा क्या है;

(घ) किराड़ी में केएसएन ड्रेन पर अब तक कितनी निधि खर्च की गई है, और वर्तमान में इसकी क्या कार्य प्रगति है; और

(ङ) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में जल निकासी की क्या व्यवस्था की गई है तथा इस समस्या के समाधान हेतू सरकार द्वारा क्या कोई नई योजना बनाई गई है जिससे जलभराव को पूरी तरह से रोका जा सके, पूर्ण विवरण दें?

**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रीः** (क) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी कार्यों पर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 75.30 लाख रूपये खर्च हुए हैं विवरण सूची 'क' संलग्न है।

(ख) विधानसभा वार बजट जारी नहीं होता है।

(ग) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में माध्यमिक नालों के निर्माण की दो परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं जिनकी समाप्ति की संभावित तिथि 30 जून 2025 है।

इसके अलावा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत किराड़ी क्षेत्र की 46 कॉलोनियों में से 48 कॉलोनियों का विकास कार्य पूरा हो चुका है, 7 कॉलोनियों में विकास कार्य प्रगति पर है। इनकी पूर्ण होने की संभावित अवधि जुलाई 2025 है।

(घ) वर्ष 2024-25 में किराड़ी सुलेमान नगर ड्रेन की सफाई एवं गाद निष्कादन हेतु 46.73 लाख रूपये खर्च हुए हैं। वर्ष 2025-26 में किराड़ी सुलेमान नगर ड्रेन की सफाई एवं गाद निष्कासन हेतु टेंडर प्रक्रिया प्रगति पर है।

(ङ) विवरण सूची 'ख' संलग्न है।

सूची 'क'

कार्यालय मुख्य अभियंता सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 49 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री अनिल झा

**Expenditure in Kirari AC**

| S. No. | Name of work | Expenditure (Rs. In Lacs) |
|---|---|---|
| 1 | Desilting of drain by deploying pocklain machine and labour for removal of floating material and polythene bags etc. complete from RD 4150 m to RD 7850 m of KSN drain from March 2024 to December 2024. | 46.73 |
| 2 | Deployment of 82 HP diesel pumps at various locations on KSN drain in Kirari AC. | 28.57 |
| | Total | 75.30 |

शिव कुमार
(शिव कुमार)
नोडल अधिकारी
नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार

सूची 'ख'

अतारांकित प्रशनसंख्या :49
दिनांक :24.03.2025
प्रशनकर्ताकानाम :श्री अनिल झा
क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) **माध्यमिक (सेकेंडरी) नाले**

| क्रमांक संख्या | मुख्य सड़क का नाम | कार्य निष्पादन एजेंसी | वर्तमान स्थिति | पूरा होने की संभावित तिथि |
|---|---|---|---|---|
| १. | सुखी नहर रोड | सिंचाई एव बाढ़ नियंत्रण विभाग | कार्य प्रगति पर है | 30 जून 2025 |
| २. | मुबारकपुर रोड | सिंचाई एव बाढ़ नियंत्रण विभाग | मुबारकपुर गांव से मीर विहार तक का 900 मीटर का कार्य स्थानीय विवाद के कारण लंबित है शेष कार्य पूर्ण हो चुका है | - |
| ३. | निठारी रोड | सिंचाई एव बाढ़ नियंत्रण विभाग | कार्य प्रगति पर है | 30 जून 2025 |
| ४. | 40 फूटा रोड | सिंचाई एव बाढ़ नियंत्रण विभाग | कार्य पूर्ण | - |
| ५. | लखनऊ रोड | सिंचाई एव बाढ़ नियंत्रण विभाग | कार्य पूर्ण | - |
| ६ | 70 फूटा रोड | लोक निर्माण विभाग | कार्य पूर्ण | - |

(ख) **ट्रंक ड्रेन**

| क्रमांक संख्या | ट्रंक ड्रेन | कार्य निष्पादन एजेंसी | वर्तमान स्थिति | समयसीमा |
|---|---|---|---|---|
| १. | डी. डी. ए. ड्रेन | डी. डी. ए. | कार्य प्रगति पर है | – |
| २. | उत्तर रेलवे दिल्ली बतिंडा रेलवे लाइन के साथ ड्रेन | सिंचाई एव बाढ़ नियंत्रण विभाग | प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति की प्रतीक्षित है | कार्य अवधि अठारह माह |
| ३. | रोहतक रोड के साथ की ड्रेन दायी तरफ (IFCD) | सिंचाई एव बाढ़ नियंत्रण विभाग | कार्य प्रगति पर है | 30 जून 2025 |
| ४. | रोहतक रोड के साथ की ड्रेन बायीं तरफ (लोक निर्माण विभाग) | लोक निर्माण विभाग | कार्य प्रगति पर है | – |
| ५. | किसरी सुलेमान नगर ड्रेन का पुनर्निर्माण | सिंचाई एव बाढ़ नियंत्रण विभाग | प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति प्रतीक्षित है | कार्य अवधि पंद्रह माह |

शिव कुमार

(शिव कुमार)
नोडल अधिकारी

**नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक**
**कार्यालय मुख्य अभियन्ता**
**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग**
**रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार**

**50. श्री सुरेन्द्र कुमारः** क्या माननीय **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र गोकलपुर गांव से राम विहार तक, गंगा विहार से भागीरथ विहार बृजपुरी रोड तक दीवार बनाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हाँ तो इसके लिए बजट कब तक आवंटित कर दिया जाएगा व इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा; और

(ग) अब तक निर्माण कार्य शुरू न होने के क्या कारण है?

**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रीः** (क) जी हां।

(ख) कार्य के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में बजट आबंटित करने का प्रस्ताव है। तदुपरांत सभी Codal Formalities पूरा करने के उपरांत अवॉर्ड किया जाएगा। कार्य अभी शुरू करने की कोई समय सीमा प्रस्तावित नहीं है।

(ग) बजट की कमी होने के कारण, निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है।

**51. श्री अभय वर्माः** क्या माननीय **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2020-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 वर्ष के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य करवाए गए और उस पर कितना पैसा खर्च किया गया;

(ख) अनाधिकृत कॉलोनी फंड के अंतर्गत कितना बजट आबंटित हुआ और उसमें से कितना बजट खर्च हुआ; और

(ग) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा शाहदरा लिंक ड्रेन की साफ-सफाई व पेड़ की कटाई-छटाई के कितने व क्या-क्या कार्य किए गए और उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री:** (क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में कराये गये कार्यों का पूरा विवरण सूची 'क' संलग्न है।

(ख) अनाधिकृत कॉलोनी फंड/बजट आवंटित एवं खर्च का पूरा विवरा सूची 'ख' संलग्न है।

(ग) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के द्वारा शाहदरा लिंक ड्रेन की साफ-सफाई व पेड़ की कटाई-छटाई के व किए गए कार्य एवं खर्च की गई धनराशि खर्च का पूरा विवरण सूची 'ग' संलग्न है।

**52. श्री अजय महावर:** क्या माननीय **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत आने वाले ट्रंक ड्रेन नंबर-1 जो गोकलपुर और बाबरपुर से होते हुए निकलता है इस ड्रेन की गहराई कितनी है, इसकी अंतिम बार सफाई कब हुई थी और उसमें से कितनी शिल्ट निकली थी, सूची प्रदान करें; और

(ख) इस ड्रेन में सफाई कब की जाएगी?

**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री:** (क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत ट्रंक ड्रेन नं. 1 के विषय में मांगी गई जानकारी सूची 'क' में संलग्न है।

(ख) इस ड्रेन की सफाई की कार्य प्रगति पर है तथा डिस्लिटिंग के कार्य के लिए परियोजना बनाई गई है जोकि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद कराई जाएगी।

---

सभी अनुलग्नक http://delhiassembly.delhi.gov.in पर उपलब्ध।

सूची 'क'

कार्यालय मुख्य अभियंता सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 52 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री अजय महावर

| क्रम सं० | नाले का नाम | भाग | स्थान | लंबाई (मीटर में) | गहराई (मीटर में) | गाद हटाने की स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trunk Drain No. I | RD 5260m to 6690m | Kanti Nagar to G.T. Road Bridge Seelampur | 1430m | Average 3 metre | वित्तीय वर्ष 2024–25 में सफाई के दौरान 230790 metric tonne गाद की कुल मात्रा निकाली गई। |
| 2 | | RD 6690m to 10330m | G.T. Road Bridge Seelampur to Arterial Highway Bridge Gokalpur | 3640m | | |
| 3 | | RD 10330m to 13387m | Arterial Highway Bridge Gokalpur to Delhi-UP Border. | 3054m | | |

शिव कुमार
(शिव कुमार)
नोडल अधिकारी
नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक
कार्यालय मुख्य अभियन्ता
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
रा.रा. दिल्ली सरकार

**53. श्री मोहन सिंह बिष्टः** क्या माननीय **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अंतर्गत कुल कितने नाले आते हैं, उसका पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या यह भी सत्य कि पहले इन्हीं नालों के माध्यम से खेतों की सिंचाई की जाती थी;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त नालों की लम्बाई और चौड़ाई बताएं;

(घ) उपरोक्त विभाग के नालों के पास कौन-कौन सी कॉलोनियां बसी हैं, उनका भी विवरण दें;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त नालों में किस-किस अनाधिकृत कॉलोनियों के पानी का ऑउटफोल सिस्टम है, उसका पूर्ण विवरण दें;

(च) क्या अधिकतर नाले कॉलोनियों के बीचों-बीच है; और

(छ) यदि हां, तो इन नालों को बहुत अधिक चौड़ा होने के कारण भविष्य में सरकार की ऐसी कोई योजना है जिसमें उपरोक्त नालों की जमीन का प्रयोग जनहित में किया जा सके?

**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रीः** (क) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के आने वाले नालों का विवरण सूची 'क' संलग्न है।

(ख) ऐसी कोई जानकारी इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(ग) उपरोक्त।

(घ) नालों के पास बसी कॉलोनियों का विवरण सूची 'क' संलग्न है।

(ङ) विवरण सूची 'क' संलग्न में बताई गई सभी अनाधिकृत कॉलोनियों की सड़कों/गलियों में बनी नालियाँ का पानी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की Escape Drain No. 1 एवम Karawal Nagar Drain में आता है।

(च) जी हाँ। उपरोक्त नाले कॉलोनियों की बीचों-बीच है।

(छ) लोक निर्माण विभाग के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का ड्रैनिज मास्टर प्लान बनाने के लिए यमुनापार के सभी नालों के परामर्श सेवाएं का कार्य मेसर्स ग्रीन डिजाइन एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। परामर्श सेवाएं के द्वारा दिए गए सुझावों को संज्ञान में लेते हुए नालों में आवश्यक कार्यों को कार्य स्थल की उपलब्धतानुसार कराया जायेगा।

सूची 'क'

कार्यालय मुख्य अभियंता सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
दिल्ली सरकार एल.एम.बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली।

अतारांकित प्रश्न संख्या : 53 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री मोहन सिंह बिष्ट

मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में नालों का विवरण एवं नालों के पास बसी कॉलोनियों का विवरण

| S.No. | Civil Division | Name of Drain | Reach | Drain Area Passing through Unauthorized Colony |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IV | Escape Drain No. I | RD 980m Brijpuri Culvert to RD 2400m Chand Bagh Pulia | Brijpuri Colony Regn No. 736, Rajiv Gandhi Nagar Regn No. 1349, Mustfabad Extension Regn No. 995, Moonga Nagar Regn No. 509, Chanderpuri Chand Bagh Regn No. 1512 |
| 2 | | Karawal Nagar Drain | RD 0m Johripur Culvert to RD 1700m Sardar Patel School Road | Shiv Vihar Phase 7 Regn No. 550, Janki Panchal Vihar Regn No. 715, Harijan Basti Patel Vihar Regn No. 195A, Amar Vihar Regn No. 1384, Kamal Vihar Regn No. 1275, Ankur Enclave Regn No. 120 |

शिव कुमार
**नोडल अधिकारी/कार्यसर्वेक्षक**
**कार्यालय मुख्य अभियन्ता**
**सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग**
**रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार**

**54. श्री अनिल झाः** क्या माननीय **उच्च शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में अब तक उच्च शिक्षा एवं विद्यालयों के विकास के लिए कितनी राशि खर्च की गई है, वर्तमान में उच्च शिक्षा के लिए कितनी निधि शेष है तथा किन मुख्य परियोजनाओं को इस निधि से पूरा किया गया है या किया जा रहा है;

(ख) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु चल रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और उनकी संभावित पूर्णता की समय सीमा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा नए कॉलेज या उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना हेतु क्या कोई योजना प्रस्तावित है;

(घ) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**उच्च शिक्षा मंत्रीः** (क) वर्तमान में किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु विभाग में कोई परियोजना विचाराधीन नहीं है। विभाग में विधानसभा क्षेत्रानुसार बजट का कोई विशेष प्रावधान नहीं है।

किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एक विद्यालय के निर्माण हेतु 20.36 करोड़ रूपये की स्वीकृति पीडब्ल्यूडी को दी गयी थी जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

इस भवन का हैडिंग ओवर अभी बाकी है। पीडब्ल्यूडी द्वारा 28.02.2025 तक कुल 20.05 करोड़ रूपये खर्च किये गए हैं।

(ख) लागू नहीं।

(ग) वर्तमान में किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा हेतु विभाग में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(घ) लागू नहीं।

(ङ) विद्यालयों के बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु विद्यालय प्रमुख की अनुशंसा पर आवश्यकता अनुसार रखरखाव/मरम्मत व सुधार कार्य किये जाते हैं।

किराड़ी क्षेत्र में 10 स्कूल अभी चल रहे हैं जिसमें सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध है, 1 नई स्कूल बिल्डिंग तैयार है जिनमें 2 पालियों में स्कूल सत्र 2025-26 में प्रारंभ हो जाएंगे।

**55. श्री कुलदीप कुमारः** क्या माननीय **उच्च शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी का गठन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितने कॉलेज में गवर्निंग बॉडी का गठन हुआ है, सूची प्रदान करें;

(ग) यदि नहीं, तो इसके गठन न होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रिंसिपल की नियुक्ति बिना स्थाई गवर्निंग बॉडी के हो सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने कॉलेज हैं जहां पर प्रिंसिपल की नियुक्ति हो चुकी है?

**उच्च शिक्षा मंत्री:** (क) वर्तमान में दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी का पूर्णरूप से गठन नहीं हुआ है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) मई 2023 से सरकार द्वारा विचाराधीन होने के कारण कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी का पूर्णरूप से गठन नहीं हो पाया।

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमानुसार कॉलेजों में प्रिंसिपल की नियुक्ति दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा जारी अध्यादेश-XVIII में वर्णित नियमों के अनुसार कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है।

(ङ) दो कॉलेजों में नियुक्ति हो चुकी है।

**56. श्री संजीव झा:** क्या माननीय **उच्च शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के कुल कितने कॉलेज हैं, प्रत्येक कॉलेज की सूची एवं उनकी विस्तृत जानकारी सहित उपलब्ध करवाई जाये;

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग-अलग कॉलेजों में कुल कितने स्वीकृत पद हैं, प्रत्येक कॉलेज में उपलब्ध स्वीकृत पदों की संख्या का विस्तृत विवरण व सूची प्रदान करें;

(ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के कितने कॉलेजों में बिना स्वीकृत पद के प्रोफेसर कार्यरत हैं, ऐसे सभी प्रोफेसरों का नाम, पद, कॉलेज का नाम और उनकी नियुक्ति का विवरण दिया जाये; और

(घ) वर्षवार 2015 से 2025 तक दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के इन कॉलेजों को कितनी राशि प्रदान की गयी है, प्रत्येक वर्ष के लिए कॉलेजवार आवंटित राशि का विस्तृत विवरण प्रदान किया जाये?

**उच्च शिक्षा मंत्री:** (क) दिल्ली सरकार द्वारा वित पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के निम्नलिखित कॉलेज हैं:-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 100% | वित्त पोषित | - | 12 कॉलेज |
| 2. | 2 | वित्त पोषित | - | 16 कॉलेज |
| | | कुल | - | 28 कॉलेज |

जिनकी सूची संलग्न है। (अनुसंलग्नक-1)

(ख) सूची संलग्न है। (अनुसंलग्नक-2)

(ग) कॉलेज में गवर्निंग बॉडी द्वारा स्वीकृत पदों पर प्रोफैसर कार्यरत हैं।

(घ) सूची संलग्न है। (अनुसंलग्नक-3)

अ-1

दिल्ली सरकार द्वारा 100 % वित्तपोषित 12 **(दिल्ली विश्वविद्यालय)** कॉलेजों की सूची

| क्र.सं. | कॉलेज नाम | पता | स्थापना का वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज | गोविंदपुरी, कालकाजी, नई दिल्ली -११००१९ | 1991 |
| 2. | अदिति महाविद्यालय | दिल्ली - औचंदी रोड, बवाना, दिल्ली - ११००३९ | 1994 |
| 3. | भगिनी निवेदिता कॉलेज | कैर , नजफगढ़, दिल्ली - ११००४३ | 1993 |
| 4. | भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ़ एप्लाइड साइंसेज | सेक्टर -२, फेज -।, द्वारका -११००७५ | 1995 |
| 5. | दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज | सेक्टर -३, द्वारका, नई दिल्ली -११००७५ . | 1990 |
| 6. | डॉ. बी. आर . आंबेडकर कॉलेज | मैन वज़ीराबाद रोड, यमुना विहार, दिल्ली - ११००३१ | 1991 |
| 7. | इंदिरा गाँधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन & स्पोर्ट्स साइंसेज | बी -ब्लॉक, विकासपुरी, नई दिल्ली -११००१८ | 1987 |
| 8. | केशव महाविद्यालय | एच -४५ जोन ,पीतमपुरा , दिल्ली -११००३४ | 1994 |
| 9. | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली – ११००९६ | 1994 |
| 10. | महर्षि वालमीकि कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन | गीता कॉलोनी, दिल्ली - ११००३१ | 1995 |
| 11. | शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ़ एप्लाइड साइंसेज फॉर वीमेन | वसुंधरा एन्क्लेव, नई दिल्ली -११००९६ | 1989 |
| 12. | शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ़ बिज़नेस स्टडीज | सेक्टर -१६, पीसपी एरिया, रोहिणी, दिल्ली - ११००८५ | 1987 |

अ-1

दिल्ली सरकार द्वारा 5% वित्तपोषित 16 **(दिल्ली विश्वविद्यालय)** कॉलेजों की सूची

| क्र.सं. | कॉलेज का नाम | पता | **स्थापना का वर्ष** |
|---|---|---|---|
| 1 | गार्गी कॉलेज | सिरी फोर्ट रोड, नई दिल्ली-49 | 1967 |
| 2 | शिवाजी कॉलेज | राजा गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली-110027 | 1961 |
| 3 | दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स | नेताजी नगर, नई दिल्ली-110023 | 1987 |
| 4 | राजधानी कॉलेज | राजा गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली-110027 | 1964 |
| 5 | श्री अरबिंदो कॉलेज | मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017 | 1972 |
| 6 | श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज | पंजाबी बाग (पश्चिम),नई दिल्ली-110026 | 1969 |
| 7 | कमला नेहरू कॉलेज | खेल गाँव मार्ग, धौला कुआँ, नई दिल्ली-21 | 1964 |
| 8 | लक्ष्मीबाई कॉलेज | अशोक विहार, फेज़-III, दिल्ली-110052 | 1965 |
| 9 | मोती लाल नेहरू कॉलेज | बेनिटो जुआरेज़ मार्ग, धौला कुआँ, नई दिल्ली | 1964 |
| 10 | शहीद भगत सिंह कॉलेज | त्रिवेणी शेख सराय, पीएच-III, नई दिल्ली-110 017 | 1967 |
| 11 | सत्यवती कॉलेज | अशोक विहार, फेज़-III, दिल्ली-110052 | 1972 |
| 12 | स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज | अलीपुर, दिल्ली -110036 | 1967 |
| 13 | विवेकानन्द कॉलेज | विवेक विहार, दिल्ली - 110 095 | 1970 |
| 14 | मैत्रेयी कॉलेज | बापू धाम परिसर, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21 | 1967 |
| 15 | कालिंदी कॉलेज | ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110 008 | 1967 |
| 16 | भारती कॉलेज | सी-4, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 | 1971 |

दिल्ली सरकार द्वारा 100 फीसदी वित पोषित 12 कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) में स्वीकृत पदों की जानकारी

| क्र.सं. | कॉलेज नाम | दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत शिक्षण पदों की संख्या | दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत गैर–शिक्षण पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज | 33 | 56 |
| 2 | अदिति महाविद्यालय | 41 | 18 |
| 3 | भगिनी निवेदिता कॉलेज | 31 | 15 |
| 4 | भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ़ एप्लाइड साइंसेज | 83 | 46 |
| 5 | दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज | 45 | 10 |
| 6 | डॉ० बी. आर. आंबेडकर कॉलेज | 60 | 03 |
| 7 | इंदिरा गाँधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ फिजिकल एजुकेशन – स्पोर्ट्स साइंसेज | 11 | 10 |
| 8 | केशव महाविद्यालय | 66 | 22 |
| 9 | महाराजा अग्रसेन कॉलेज | 36 | 05 |
| 10 | महर्षि वालमीकि कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन | 13 | 05 |
| 11 | शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ़ एप्लाइड साइंसेज फॉर वीमेन | 21 | 25 |
| 12 | शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ़ बिज़नेस स्टडीज | 18 | 06 |
| | **कुल** | 458 | 221 |

| S. No. | Name of college | 2013-14(Rs. in Lakh) | | | | 2014-15(Rs. in Crore) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Salary | General | Capital | Total | Salary | General | Capital | Total |
| 1 | Acharya Narendra Dev College | 1769 | 135.4 | 85 | 1989.4 | 16.7465 | 0.55 | 0 | 17.2965 |
| 2 | Aditi Mahavidyalaya | 1374 | 142 | 16 | 1532 | 11.4025 | 0.67 | 0 | 12.0725 |
| 3 | Bhagini Nivedita College | 884 | 96.3 | 21 | 1001.3 | 7.7068 | 1.02 | 0 | 8.7288 |
| 4 | BHASKARACHARYA College | 1066 | 66.3 | 45 | 1177.3 | 8.7345 | 1.15 | 0 | 9.8845 |
| 5 | Deen Dayal Upadhyay College | 1704 | 43.7 | 15 | 1762.7 | 19.8265 | 0 | 0 | 19.8265 |
| 6 | Dr. Bhim Rao Ambedkar College | 1539 | 89.6 | 45 | 1673.6 | 16.1056 | 0.88 | 0 | 16.9856 |
| 7 | Indira Gandhi Institute of Physical Education and Sports Sciences | 585 | 74.1 | 13 | 672.1 | 9.1615 | 0.88 | 0 | 10.0415 |
| 8 | KESHAV Mahavidyalaya | 942 | 81 | 10 | 1033 | 9.9259 | 0.7 | 0 | 10.6259 |
| 9 | Maharja Agrasen College | 1174 | 206.4 | 25 | 1405.4 | 16.2798 | 1.3 | 0 | 17.5798 |
| 10 | Maharshi Valmiki College of Education | 420 | 29 | 5 | 454 | 3.2 | 0.2 | 0 | 3.4 |
| 11 | Shaheed Rajguru College | 649 | 113.5 | 32 | 794.5 | 7.8384 | 1.65 | 0 | 9.4884 |
| 12 | Shaheed Sukhdev College of Business Studies | 594 | 68.5 | 13 | 675.5 | 5.99 | 0.47 | 0 | 6.46 |
| | Total | 12700 | 1145.8 | 325 | 14170.8 | 132.92 | 9.47 | 0 | 142.39 |

| S. No. | Name of college | 2015-16(Rs. in Crore) | | | | 2016-17(Rs. in Crore) | | | | 2017-18(Rs. in Crore) | | | | 2018-19(Rs. in Crore) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Salary | General | Capital | Total | Salary | General | Capital | Total | Salary | General | Capital | Total | Salary | General | Capital | Total |
| 1 | Acharya Narendra Dev College | 21.75 | 0.9 | 0 | 22.65 | 23.76 | 0.65 | 0.5 | 24.91 | 25.9 | 1.2 | 0 | 27.1 | 32.4 | 0.65 | 0.5 | 33.57 |
| 2 | Aditi Mahavidyalaya | 16.67 | 0.08 | 0 | 16.75 | 15.25 | 0 | 0 | 15.25 | 13.92 | 0 | 0 | 13.92 | 21.8 | 0.7 | 0.4 | 22.88 |
| 3 | Bhagini Nivedita College | 12.44 | 0.08 | 0.05 | 12.57 | 14.29 | 0.3 | 0 | 14.59 | 13.9 | 0.6 | 0 | 14.5 | 12.2 | 0.3 | 0.4 | 12.88 |
| 4 | BHASKARACHARYA College | 13.83 | 0.63 | 0.95 | 15.41 | 13.27 | 1.3 | 0.7 | 15.27 | 13.8 | 1 | 0 | 14.8 | 14.5 | 1.8 | 0.4 | 16.73 |
| 5 | Deen Dayal Upadhyay College | 22.58 | 0.15 | 0 | 22.73 | 24.52 | 0.25 | 0.85 | 25.62 | 27.2 | 1.2 | 0 | 28.4 | 27.2 | 1.4 | 0.4 | 29.02 |
| 6 | Dr. Bhim Rao Ambedkar College | 19.84 | 0.55 | 0 | 20.39 | 20.17 | 1.05 | 0 | 21.22 | 24.58 | 1 | 0 | 25.58 | 22.6 | 0.55 | 0.5 | 23.64 |
| 7 | Indira Gandhi Institute of Physical Education and Sports Sciences | 10.78 | 0.35 | 0 | 11.13 | 11.49 | 0.5 | 0.5 | 12.49 | 13.1 | 0.6 | 0 | 13.7 | 8.88 | 0.2 | 0.4 | 9.48 |
| 8 | KESHAV Mahavidyalaya | 13.85 | 0.53 | 0 | 14.38 | 12.89 | 0.6 | 0.5 | 13.99 | 16.32 | 0.96 | 0 | 17.28 | 15.2 | 0.15 | 0.4 | 15.76 |
| 9 | Maharja Agrasen College | 19.34 | 0.5 | 0 | 19.84 | 18.86 | 1.06 | 0 | 19.92 | 21.64 | 1.2 | 0 | 22.84 | 22.5 | 0.4 | 0.5 | 23.44 |
| 10 | Maharshi Valmiki College of Education | 4.6 | 0.1 | 0 | 4.7 | 5.58 | 0.19 | 0 | 5.77 | 7.42 | 0.24 | 0 | 7.66 | 1.85 | 0.15 | 0.3 | 2.3 |
| 11 | Shaheed Rajguru College | 9.62 | 0.85 | 0 | 10.47 | 10.95 | 0.9 | 0.7 | 12.55 | 10.72 | 1.4 | 0 | 12.12 | 14.9 | 0.55 | 0.4 | 15.88 |
| 12 | Shaheed Sukhdev College of Business Studies | 8.7 | 0.6 | 0 | 9.3 | 8.97 | 0.7 | 0.25 | 9.92 | 11.5 | 0.6 | 0 | 12.1 | 5.87 | 2.1 | 0.4 | 8.37 |
| | Total | 174 | 5.32 | 1 | 180.32 | 180 | 7.5 | 4 | 191.5 | 200 | 10 | 0 | 210 | 200 | 8.95 | 5 | 213.95 |

| Sl No. | Name of college | Actuals in 2019-20(Rs. in Crore) | | | Actuals in 2020-21(Rs. in Crore) | | | Actuals in 2021-22(Rs. in Crore) | | | Actuals in 2022-23(Rs. in Crore) | | | Actuals in 2023-24(Rs. in Crore) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Salary | General | Total | Salary | General | Total | Salary | General | Total | Salary | General | Total | Salary | General | Total |
| 1 | Acharya Narendra Dev College | 25.50 | 0.65 | 26.15 | 32.01 | 1.22 | 33.23 | 41.50 | 1.50 | 43.00 | 45.96 | 1.69 | 47.65 | 46.00 | 1.70 | 47.70 |
| 2 | Aditi Mahavidyalaya | 18.90 | 0.30 | 19.20 | 21.98 | 0.73 | 22.71 | 25.00 | 0.38 | 25.38 | 35.00 | 0.59 | 35.59 | 30.66 | 0.72 | 31.38 |
| 3 | Bhagini Nivedita College | 17.00 | 0.35 | 17.35 | 13.86 | 0.25 | 14.11 | 19.00 | 1.10 | 20.10 | 22.00 | 0.85 | 22.85 | 26.00 | 0.30 | 26.30 |
| 4 | BHASKARACHARYA College | 18.86 | 1.55 | 20.41 | 18.14 | 1.65 | 19.79 | 23.00 | 1.83 | 24.83 | 30.00 | 0.58 | 30.58 | 32.00 | 0.46 | 32.46 |
| 5 | Deen Dayal Upadhyay College | 31.75 | 1.50 | 33.25 | 34.21 | 6.60 | 40.81 | 37.00 | 1.73 | 38.73 | 39.00 | 3.00 | 42.00 | 45.00 | 3.00 | 48.00 |
| 6 | Dr. Bhim Rao Ambedkar College | 20.10 | 0.85 | 20.95 | 31.91 | 1.70 | 33.61 | 35.17 | 0.45 | 35.62 | 41.35 | 0.28 | 41.63 | 44.53 | 0.13 | 44.66 |
| 7 | Indira Gandhi Institute of Physical Education and Sports Sciences | 11.48 | 0.80 | 12.28 | 13.02 | 0.97 | 13.99 | 16.46 | 0.79 | 17.25 | 17.62 | 0.58 | 18.20 | 19.00 | 0.97 | 19.97 |
| 8 | KESHAV Mahavidyalaya | 17.70 | 0.85 | 18.55 | 20.97 | 0.85 | 21.82 | 21.63 | 0.79 | 22.42 | 30.05 | 1.20 | 31.25 | 30.00 | 1.15 | 31.15 |
| 9 | Maharja Agrasen College | 26.41 | 0.15 | 26.56 | 26.99 | 0.16 | 27.15 | 29.48 | 0.78 | 30.26 | 35.00 | 0.90 | 35.90 | 40.00 | 0.63 | 40.63 |
| 10 | Maharshi Valmiki College of Education | 6.60 | 0.20 | 6.80 | 6.13 | 0.15 | 6.28 | 4.62 | 0.16 | 4.78 | 9.77 | 0.30 | 10.07 | 9.88 | 0.27 | 10.15 |
| 11 | Shaheed Rajguru College | 18.50 | 0.50 | 19.00 | 19.35 | 0.50 | 19.85 | 27.26 | 1.66 | 28.92 | 28.05 | 1.07 | 29.12 | 24.44 | 1.25 | 25.69 |
| 12 | Shaheed Sukhdev College of Business Studies | 12.2 | 2.3 | 14.5 | 10.93 | 1.48 | 12.41 | 15.91 | 0.89 | 16.8 | 16.49 | 1.43 | 17.92 | 16.97 | 1.38 | 18.35 |
| | Total | 225.00 | 10.00 | 235.00 | 249.50 | 16.26 | 265.76 | 296.03 | 12.06 | 308.09 | 350.29 | 12.47 | 362.76 | 364.48 | 11.96 | 376.44 |

17/03/25

AAO(HE)

Sr. AO (DHE)

**57. श्री प्रेम चौहानः** क्या माननीय **उच्च शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों व आईटीआई में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व डिग्री पाठ्यक्रमों में कितने विद्यार्थियों का नामांकन किया गया;

(ख) 2014-15 के सत्र में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कुल कितने विश्वविद्यालय व संस्थान थे और किसी भी नियमित अंडरग्रेजुएट एवं पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में इस दौरान कितने विद्यार्थियों का नामांकन किया गया; और

(ग) 2024-25 के सत्र में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के कुल कितने विश्वविद्यालय व संस्थान थे और किसी भी नियमित अंडरग्रेजुएट एवं पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में इस दौरान कितने विद्यार्थियों का नामांकन किया गया?

**उच्च शिक्षा मंत्रीः** (क) रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों व आईटीआई में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा व डिग्री पाठ्यक्रमों (सत्र 2024-25) में कुल 74606 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया।

(ख) 2014-15 के सत्र में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अन्तर्गत कुल विश्वविद्यालय व संस्थान निम्न है।

1. विश्वविद्यालय - 07
2. कॉलेज - 20 (दिल्ली सरकार के द्वारा 100% वित पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज सहित)

इन विश्वविद्यालयों व संस्थानों में नियमित अंडरग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में इस दौरान कुल 33358 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया।

(ग) 2024-25 के सत्र में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के अन्तर्गत कुल विश्वविद्यालय व संस्थान निम्न है।

1. विश्वविद्यालय - 11
2. कॉलेज - 13 (दिल्ली सरकार के द्वारा 100% वित पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज सहित)

इन विश्वविद्यालयों व संस्थानों में नियमित अंडरग्रेजुएट एवं पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में इस दौरान कुल 64602 विद्यार्थियों का नामांकन किया गया।

**58. सुश्री आतिशीः** क्या माननीय **उच्च शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल 2015 से 31 जनवरी 2025 की अवधि में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कितने नए विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया गया;

(ख) 1 अप्रेल 2015 से 31 जनवरी 2025 की अवधि में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा कितने मौजूदा विश्वविद्यालयों के नए कैंपसों का उद्घाटन किया गया; और

(ग) क्या अप्रेल 2015 से मार्च 2020 की अवधि में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा किसी संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका नाम बताएं?

**उच्च शिक्षा मंत्रीः** (क) 1 अप्रैल 2015 से 31 जनवरी 2025 की अवधि में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा निम्न चार नए विश्वविद्यालयों का उद्घाटन किया गया:-

1. दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2022 में हुई थी। वर्तमान में यह अस्थायी रूप से आउटरम लेन, जीटीबी नगर के सरकारी विद्यालय परिसर से संचालित है। अभी विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
2. दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2020 में हुई थी। वर्तमान में यह अस्थायी रूप से लुडलो स्पोर्टस कॉम्पलैक्स, 4 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली से संचालित है। अभी विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।
3. वर्ष 2018 में नेताजी सुभाष प्रोद्योगिकी संस्थान का उन्नयन करके नेताजी सुभाष प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
4. वर्ष 2021 में 10 पॉलिटेक्निक संस्थानों का विलय करके दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वर्तमान में यह अस्थायी रूप से इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी परिसर, द्वारका, सैक्टर-9 से संचालित है। अभी विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

(ख) 1 अप्रैल 2015 से 31 जनवरी 2025 की अवधि में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा मौजूदा विश्वविद्यालयों के दो ए कैम्पसों का उद्घाटन किया गया।

1. गुरू गोबिंद सिंह इन्द्रपस्थ विश्वविद्यालय के पूर्वी परिसर का उद्घाटन 08 जून, 2023 का सूरजमल विहार, शाहदरा, दिल्ली में किया गया।
2. दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्वी परिसर का उद्घाटन 18 जून, 2017 को शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, विवेक विहार, फेज-2, दिल्ली के पुराने परिसर में किया गया।

(ग) जी, हाँ।

(घ) वर्ष 2018 में नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान का उन्नयन करके नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।

**59. श्री मुकेश कुमार अहलावत:** क्या माननीय **प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सुल्तानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र में डीडीए से स्किल एंटरप्रेन्योरशिप कालेज के नाम से जमीन एलाट हुई थी;

(ख) यदि हां तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) सरकार इस योजना पर कब तक काम शुरू करेगी; और

(घ) इस योजना हेतू कितना बजट पास हुआ था, पूर्ण विवरण दें?

**प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री:** (क) यह भूमि 13.04.2021 को प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (DSEU) में कालेज खोलने के लिए आवंटित की गई।

दिनांक 06.08.2021 को DDA को Rs. 34,27,96,535.00 का भुगतान इस विभाग ने प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत (under major head) "स्वायत्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों की बुनियादी ढांचा परियोजना/4202 02 105 82 00 53 (demand no 06) किया था।

हस्तांतरण एवं अधिग्रहण DSEU को 14.12.2022 को किया गया।

(ख) दिल्ली कौशल उद्यमिता विश्वविद्यालय (DSEU) और लोक निर्माण विभाग (PWD) के बीच आगे की निर्माण गतिविधियों के लिए प्रक्रियाधीन।

(ग) प्रक्रिया के तहत।

(घ) वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए सुल्तानपुर माजरा परिसर के निर्माण के लिए कोई बजट आवंटित नहीं किया गया।

**60. श्री जरनैल सिंहः** क्या माननीय **प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के विश्वविद्यालयों में 'बिजनेस ब्लास्टर स्कीम' में दाखिला हेतु दिशा-निर्देशों के लिए जारी परिपत्र के संदर्भ में कितने विश्वविद्यालयों और आईटीआई में इस योजना को आरंभ किया गया है;

(ख) क्या सभी 1000 टीमों को 'सीड मनी' मिल गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कितनी टीमों को 'सीड मनी' मिल गया है और शेष टीमों को यह कब तक मिल जाएगा?

**प्रशिक्षण व तकनीकी शिक्षा मंत्रीः** (क) इस योजना का उद्घाटन 10.12.2024 को किया गया था। तत्पश्चात आदर्श आचार संहिता विधानसभा चुनाव लागू होने के कारण आगे की कार्यवाही नहीं हो सकी।

(ख) और (ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

**61. चौधरी ज़ुबैर अहमदः** क्या माननीय **विधि एवं न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के अंतर्गत क्या सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ख) इस योजना के अंतर्गत 'टर्म इंश्योरेंस' के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं को कितना वार्षिक 'स्वास्थ्य बीमा' प्रदान किया जाता है; और

(घ) 'टर्म' तथा 'स्वास्थ्य बीमा' सहित इस योजना के अंतर्गत लाभान्वितों की प्रतिवर्ष संख्या क्या है?

**विधि एवं न्याय मंत्री:** (क) मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत अधिवक्ताओं को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:

(i) अधिवक्ताओं के लिए समूह (अवधि) बीमा, जिसमें प्रति अधिवक्ता 10,00,000/- (दस लाख रूपये) का Life Cover (जीवन बीमा) प्रदान किया जाता है।

(ii) अधिवक्ताओं, उनके पति/पत्नी और 25 वर्ष की आयु तक के दो आश्रित बच्चों के लिए ग्रुप मेडी-क्लेम कवरेज, जिसमें 5,00,000/- (5 लाख रूपये) की पारिवारिक फ्लोटर (family floter) बीमा राशि प्रदान किया जाता है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत प्रति अधिवक्ता 10,00,000/- (दस लाख रूपये) का Life Cover (जीवन बमा) प्रदान किया जाता है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत अधिवक्ताओं, उनके पति/पत्नी और 25 वर्ष की आयु तक के दो आश्रित बच्चों के लिए ग्रुप मेडी-क्लेम कवरेज, जिसमें 5,00,000/- (5 लाख रूपये) की पारिवारिक फ्लोटर (Family floter) बीमा राशि प्रदान किया जाता है।

(घ) इस योजना से लाभान्वित अधिवक्ताओं की प्रतिवर्ष संख्या (पॉलिसी की अवधि के अनुसार) इस प्रकार से है:-

(i) समूह (अवधि) बीमा पॉलिसी

| पॉलिसी की अवधि | लाभान्वित अधिवक्ताओं की संख्या |
|---|---|
| 20.11.2020 से 19.10.2022 | 23661 |
| 20.10.2022 से 19.10.2023 | 29674 |
| 20.10.2023 से 19.10.2024 | 27378 |
| 20.10.2024 से 19.10.2025 | 30344 |

(ii) ग्रुप मेडी-क्लेम पॉलिसी

| पॉलिसी की अवधि | लाभान्वित अधिवक्ताओं की संख्या |
|---|---|
| 10.12.2020 से 15.05.2022 | 24033 |
| 16.05.2022 से 15.05.2023 | 30483 |
| 16.05.2023 से 15.05.2024 | 27746 |
| 16.05.2024 से 15.05.2025 | 30379 |

**62. चौधरी ज़ुबैर अहमद:** क्या माननीय **विधि एवं न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) क्या मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का बजटीय अंशदान 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं?

**विधि एवं न्याय मंत्रीः** (क) इस तरह का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्त।

(ग) नहीं। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

**63. श्री इमरान हुसैनः** क्या माननीय **विधि एवं न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा तीस हज़ारी न्यायालय परिसर का नवीकरण अथवा पुनर्विकास विचाराधीन है;

(ख) क्या तीस हजारी के पुनर्विकास के किसी डिजाइन को बीएमसीसी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) इसके पुनर्विकास के लिए क्या समय सीमा तय की गई है; और

(घ) क्या तीस हज़ारी न्यायालय परिसर का पुनर्विकास 2025-26 वित्त वर्ष में आरंभ होगा?

**विधि एवं न्याय मंत्रीः** (क) जी हाँ।

(ख) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, "माननीय भवन रख-रखाव और निर्माण समिति, तीस हजारी कोर्ट ने दिनांक 22.05.2019 को

एक बैठक में, पत्र सं. 12175/DHC/General-II/BMCC (तीस हजारी कोर्ट) दिनांक 31.05.2019 द्वारा जारी अनुमोदन प्रदान किया है।"

(ग) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, "प्रस्तुत प्रारंभिक अनुमान के अनुसार परियोजना में 84 महीने लगने की उम्मीद है, जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति के बाद विस्तृत योजना के लिए 6 माह शामिल है। कार्य चार चरणों में चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा।"

(घ) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार "तीस हजारी कोर्ट के पुनर्विकास का कार्य प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त होने के 6 महीने बाद शुरू होगा।"

**64. श्री इमरान हुसैन:** क्या माननीय **विधि एवं न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में कितने नए ज़िला न्यायालय निर्माणाधीन हैं व इनमें से प्रत्येक में कितने-कितने 'कोर्टरूम' व वकीलों के चेंबर बनाए जा रहे हैं;

(ख) इन न्यायालयों का शिलान्यास किस तिथि को किया गया था;

(ग) दिनांक 20.02.2025 के बाद से माननीय लोक निर्माण मंत्री ने इन ज़िला न्यायालयों के निर्माणस्थलों का दौरा किया है;

(घ) दिनांक 20.02.2025 के बाद से माननीय विधि एवं न्याय मंत्री ने इन ज़िला न्यायालयों के निर्माण स्थलों का दौरा किया है; और

(ङ) क्या माननीय विधि एवं न्याय मंत्री या लोक निर्माण विभाग मंत्री ने इन न्यायालयों के निर्माण के संबंध में दिनांक 20.02.2025 के बाद कोई समीक्षा बैठक की है?

**विधि एवं न्याय मंत्री:** (क) वर्तमान में 03 नए जिला न्यायालय निर्माणाधीन हैं:-

1. कड़कडडूमा न्यायालय परिसर:- 50 न्यायकक्ष।

2. शास्त्री पार्क न्यायालय परिसर:- 48 न्यायकक्ष एवं 250 अधिवक्ता कक्ष।

3. रोहिणी सेक्टर-26:- 100 न्यायकक्ष एवं 270 अधिवक्ता कक्ष।

(ख) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, "कड़कडडूमा न्यायालय परिसर, शास्त्री पार्क न्यायालय परिसर, रोहिणी सेक्टर-26 को शिलान्यास 02.07.2024 को हुआ था"।

(ग) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उस विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(घ) माननीय मंत्री के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस तरह का कोई दौरा नहीं किया गया है।

(ङ) जी हाँ।

**65. श्री सोम दत्त:** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में विभाग द्वारा पिछले एक साल में कुल कितने इन्स्पैक्शन किये हैं;

(ख) इन सभी जगहों/दुकानों के नाम व एड्रेस क्या-क्या हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ग) इनमें क्या-क्या कमियां पाई गई और इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र के लिये विभाग द्वारा नियुक्त जिम्मेदार अधिकारियों के नाम व फोन नंबर सहित पूर्ण विवरण दें?

**स्वास्थ्य मंत्री:** (क) पिछले वर्ष 01.01.2024-31.12.2024 में 34 इन्स्पैक्शन किये गये हैं।

(ख) निरीक्षण किये गये परिसरों की सूची और पता संलग्न 'क' है।

(ग) उक्त 34 प्रतिष्ठिानों से 42 नमूने लिए गए, जिनमें से 8 नमूने एफएसएस अधिनियम, 2006 के नियमों और विनियमों के अनुसार असुरक्षित पाये गये और असुरक्षित नमनों की केस फाईलों की जांच की जा रही है ताकि क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों में दोषियों के विरूद्ध मुकदमा चलाया जा सके।

(घ) नामित अधिकारी-

श्री रंजीत सिंह,<br>
खाद्य सुरक्षा अधिकारी-

1. श्रीमती अंजली

2. श्री कुलदीप सिंह संमन

खाद्य सुरक्षा विभाग, दिल्ली सरकार

कार्यालय पता:

8वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

011-23413494, 1800-11-3921

संलग्न : 'क'

# Annexure-1

| S No. | Food Establishment Name | Address |
|---|---|---|
| 1 | M/s T. K. Sons | 3694, Baraf Khana, Sabzi Mandi, Delhi 110007 |
| 2 | M/s Bikanervala Private Limited | Shop No G-12, G-14=19, & G-24-44, Ground Floor, Devika Bazaar, Qutab Road, Narain Market, Sadar Bazaar, Delhi 110006 |
| 3 | M/s Kunji Lal Jagdish Prashad Jindal | 4643, Roshanara Road, Kotwali, Delhi |
| 4 | M/s Om Parkash Rajendra Kumar | 3773 Bara Tooti Sadar Bazar Delhi-06 |
| 5 | M/s Uday Masala | T-24 railway colony sadar bazar naya bazar delhi |
| 6 | M/s Arun Masala | T 26, Railway Colony, Near Naya Bazar, Delhi 110006 |
| 7 | M/s Goyal Store | 5231, chowk 12 tooti Sadar Thana Road, Delhi |
| 8 | M/s Kishor Kumar Anil Kumar | 2942, Deputy Ganj, Bahdur Garh Road, Sadar Bazar, Delhi |
| 9 | M/s Bhim Singh & Sons | 4613/1 Deputy Ganj, Bahdur Garh Road, Sadar Bazar, Delhi |
| 10 | M/s Standard Namkeeen | 7710, Dharampur lodge, Main Subzi Mandi, Ghantaghar Chowk, Delhi |
| 11 | M/s Kunji Lal Jagdish Prashad Jindal | 4643, Roshanara Road, Delhi |
| 12 | M/s BTW India Pvt Ltd | 6926-33, Jaipuria Mills, G. T. Karnal Road, Subzi Mandi, Near Ghanta Ghar, Kamla Nagar, Delhi 110007 |
| 13 | M/s Classic Sweet & Snacks | B-1139, Main Bazar, Shastri Nagar, Delhi 110052 |
| 14 | M/s Hukum Chand & Sons | Shop No 317, Sabzi Mandi, Main Bazar, Delhi 110007 |
| 15 | M/s Haryana Sweets | B-1242, Ground Floor, Shastri Nagar, Delhi |
| 16 | M/s Haryana General Store | B-1106, Shastri Nagar, Near Shastri Statue, Delhi 110052 |
| 17 | M/s Veer ji Malai Chap | Shop No 927/1, Main Bazar, Subzi Mandi, Ghanta Ghar(Clock Tower), Delhi-110007 |
| 18 | M/s Multani Di Hatti | Shop no 28, Govind Market, Old Sabzi Mandi,Kamla Nagar, Clock Tower, Delhi 110007 |
| 19 | M/s Aashirwad Inc | 1511-12, Subzi Mandi, Clock Tower, Civil Lines, Central Delhi 110007 |
| 20 | M/s Vinayak Milk Products | B1580 shastri nagar delhi |
| 21 | M/s Haryana Sweets | B-1242 Ground floor Shastri Nagar Kotwali Central Delhi |
| 22 | M/s Anita & Sons | 5145, Qusub Pura, Sadar Bazar, Delhi-110006 |
| 23 | M/s Aashirwad Inc | 1512, Ghanta Ghar, Subzi Mandi, Delhi |
| 24 | M/s BTW India Pvt Ltd | 6926-33/131A, Jaipuriya Mill Ghanta Ghar Chowk, Delhi |

21/03/2025

R.K. BHASKAR
Designated Officer/Licensing Authority
Deptt. of Food Safety
(Govt. of N.C.T. of Delhi)
8th Floor, Mayur Bhawan,
Connaught Place, New Delhi-110001

| | | |
|---|---|---|
| 25 | M/s Pandit Ji Nasta Bhandar | shop no. 4525, Sadar Bazar, Deputy Ganj, Delhi |
| 26 | M/s Kali Charan Brij Mohan | 4615, Deputy Ganj, Bahadur Garh Road, Sadar Bazar, Delhi |
| 27 | M/s Chandu Lal & Sons | 4613, GF, Deputy Ganj, Sadar Bazar, Delhi |
| 28 | M/s Anaisha International | Shop no 188 2 nd floor tilak bazar Delhi |
| 29 | M/s Raju general Store | shop no. P 61, Pratap Nagar, Delhi |
| 30 | M/s Harbans Lal Halwai | K-7 pratap nagar delhi |
| 31 | M/s Chawla Provision Store | P-7 pratap nagar delhi |
| 32 | M/s Prabhu Dayal Rameshchand | 321/2, main bazar, old Suzi Mandi, Delhi |
| 33 | M/s Nanak Paneer Bhandar | 5108 harphool singh building old subzi Mandi ghantaghar delhi |
| 34 | M/s Chopra Store | Shop no 5111 main bazar old subzi Mandi ghanta ghar Delhi |

21/03/2025
R.K. BHASKAR
Designated Officer/Licensing Authority
Deptt of Food Safety
(Govt. of N.C.T. of Delhi)
8th Floor, Mayur Bhawan,
Connaught Place, New Delhi-110001

**66. श्री मोहन सिंह बिष्ट:** क्या माननीय **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा विगत वर्षो में खाद्य पदार्थो में मिलावट की रोकथाम के लिए क्या कोई स्पेशल ड्राइव चलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण दें;

(ग) उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र के खाद्य पदार्थो से संबंधित दुकानों में क्या कभी कोई सेम्पल का नमूना लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या वो नमूने सही थे; और

(ङ) यदि नहीं तो क्या उपरोक्त दुकानों पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई, पूर्ण विवरण दें?

**स्वास्थ्य मंत्रीः** (क) हां, खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा पूरे दिल्ली क्षेत्र को 11 राजस्व जिले में बांटा गया है और मुस्ताफावाद विधानसभा क्षेत्र जिला उत्तर-पूर्वी के करावल नगर तहसील के अन्तर्गत आता है। विभाग द्वारा समय समय पर खाद्य पदार्थों की जांच के लिए नमूने लिये जाते हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों में (01.01.2022 से 18.03.2025) तक उठाये गये खाद्य पदार्थों के नमूनों का ब्यौरा इस प्रकार हैः-

| कुल नमूनों की संख्या | परिणाम लम्बित | ठीक पाये गये | मिसब्रांडेड | अवमानक | असुरक्षित |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 38 | 182 | 1 | 5 | 6 |

(ग) जी, हाँ।

(घ) उपरोक्त 'ख' के अनुसार।

(ङ) विगत तीन वर्षों में करावल नगर तहसील से 232 नमूने जांच के लिए उठाये गये। जांच के बाद 12 नमूने खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 के मानक के अनुसार सही नहीं पाये गये और दोषियों के खिलाफ खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत सम्बन्धित न्यायालयों में मुकदमे दर्ज किये।

**माननीय अध्यक्षः** अब निम्नलिखित सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगे। श्री गजेन्द्र यादव।

## विशेष उल्लेख (नियम-280)

**श्री गजेन्द्र सिंह यादवः** धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी मैं अनुरोध करता हूं कि हमारा क्षेत्र का जो राजोकरी बीएसएस कैम्प है, कुसुमपुर पहाड़ी और मोती लाल नेहरू कैम्प इन तीनों ही स्थानों पर वहां नाले भरे हुए है। बारिश का समय आने वाला है। स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। जब अलग-अलग अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कोई दूसरे विभाग पर डालते हैं बात कोई तीसरे विभाग पर डालते हैं और स्थानीय जो जनता है वो त्रहिमाम करती रहती है। मोती लाल नेहरू कैम्प में ऐसी स्थिति है कि बारिश में वहां की झुग्गीयों के जो बर्तन हैं वे भी गंदे पानी में तैरने शुरू हो जाते हैं। बहुत ऊचांई तक पानी भर जाता है। जानकारी मिली है कि पिछले लगभग-लगभग बीस वर्षो से उन नालों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कोई सफाई वहां पर नहीं हुई और इन्हीं क्षेत्रों में जो डूसिब के टॉयलेट्स हैं। मैने खुद जाकर वहां दौरा किया है। विधायक बनने से पहले भी और विधायक बनने के बाद भी। हालात बहुत खराब है। वे परेशान है और हमारी सरकार गरीब, कुचले और मजदूर लोगों के लिए समर्पित सरकार है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि कुसुम पुर पहाडी, राजोकरी बीएसएस कैम्प और मोती लाल नेहरू कैम्प इन तीनों ही क्षेत्रों में जो नाले हैं उनकी सफाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। धन्यवाद, सर।

**माननीय अध्यक्षः** श्री विशेष रवि।

**श्री विशेष रविः** अध्यक्ष जी, नियम 280 के अंदर मैने पहले एक क्वेश्चन लगाया था लेकिन उसके बाद मैने सचिवालय को रिक्वेस्ट की थी कि इसको

बदल दिया जाये। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने उसी पहले वाले प्रश्न को भेज दिया है।

**माननीय अध्यक्ष:** वो 280 को।

**श्री विशेष रवि:** हॉ जी। अगर आपकी अनुमति हो तो जो मैने बाद में भेजा है जिसको मैने उठाना था उसको उठा सकता हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** नहीं अभी तो जो यहां जो मेरे समक्ष है और मैने उसी के लिए आपको अलाऊ किया है।

**श्री विशेष रवि:** ठीक है।

**माननीय अध्यक्ष:** संक्षिप्त में उसकी बात करिये। कल फिर लगा दीजिए उसको।

**श्री विशेष रवि:** जो आज उसको उठाना था वो दिल्ली में महिला समृद्धि योजना है उसके तहत उठाना था।

**माननीय अध्यक्ष:** अभी तो जो आपने यहां है वो ही मैं आपको अलाऊ करूंगा।

**श्री विशेष रवि:** चलिए।

**माननीय अध्यक्ष:** और एक विषय पर एक सदस्य विषय रखेगा। सेम विषय पर दूसरे सदस्यों को मैं अलाऊ नहीं करूंगा। विशेष उल्लेख का अर्थ ये होता है कि हर सदस्य अपना एक विषय रखेगा।

**श्री विशेष रविः** सर अब मैं जो मुझे उठाना था वो रखूं या जो आज आया है वो रखूं।

**माननीय अध्यक्षः** अभी ये जो आया है ये ही उठाईये आप। जो आपने लिखकर मेरे सामने जो रखा है दिल्ली जल बोर्ड से सम्बन्धित है।

**श्री विशेष रविः** ठीक है सर।

**माननीय अध्यक्षः** और पढ़ना सभी को पढ़ना है सिर्फ। कोई भाषण नहीं है ये। जो लिखकर आपने दिया है वो ही आपको पढ़ना है।

**श्री विशेष रविः** अध्यक्ष जी मैं आपके आगे दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिलों से परेशान जनता की पुकार रखना चाहता हूं। पिछले दस-ग्यारह वर्ष पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो हमने लोगों की जरूरतों को समझते हुए दिल्ली के हर परिवार को 20 हजार लीटर पानी फ्री किया था।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** उनको अपनी बात कहने दीजिए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट आप उनको अपनी बात कहने दीजिए। आगे आप जारी रखें।

**श्री विशेष रविः** सर ग्यारह वर्ष पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो हमने दिल्ली के लोगों की जरूरतों को समझते हुए दिल्ली के हर परिवार को 20 हजार लीटर पानी फ्री किया था। इस के बाद लम्बे समय तक लोगों का पानी का बिल जीरो आता रहा। लोग इस योजना से बहुत

खुश थे। मगर पिछले समय जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को जेल में डाला गया उसके बाद से दिल्ली की जनता को अनाप शनाप पानी के बिल जो है भेजने शुरू किये गए। जिन लोगों को कभी बिल नहीं आते थे अचानक उनके मोटे–मोटे बिल जाने शुरू हो गए हैं। पानी के बिल जिनके जीरो आते थे उनके पास बिल आना शुरू हो गए हैं। जब ये बिल आने शुरू हुए तो लोग इस उम्मीद थे कि दोबारा दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये सारे बिल जो है ठीक कर दिये जायेंगे। लेकिन...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** तो आप अपने कार्यकाल में ठीक कर देते ना। अपने कार्यकाल में ठीक कर देते।

**श्री विशेष रविः** सर।

**माननीय अध्यक्षः** अपने कार्यकाल में ठीक कर देते। इंतजार किस बात का था। आगे–आगे। एक मिनट आप कोई ना बोले। चलिए पूरी करिये बात। एक मिनट, एक मिनट। विशेश रवि जी।

**श्री विशेष रविः** सर मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए।

**माननीय अध्यक्षः** विपक्ष की नहीं साधारण सी बात है।

**श्री विशेष रविः** आप विपक्ष का रोल मत निभाईये।

**माननीय अध्यक्षः** ये तो कॉमन सेंस की बात है।

**श्री विशेष रविः** उनको भी बोलने दीजिए।

**माननीय अध्यक्षः** ये तो कॉमन सेंस बात। मैने जो बोला है कॉमन सेंस की बात बोली है।

**श्री विशेष रविः** आपने कहा कि तुम करा लेते। आप तो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं।

**माननीय अध्यक्षः** कमाल है। आपकी कॉमन सेंस की बात।

**श्री विशेष रविः** आप स्पीकर है हमारे। आप जैसे उनके हैं वैसे भी हमारे भी है।

**माननीय अध्यक्षः** मैं जैसे स्पीकर हूं सदस्य भी हूं सदन का। ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कॉमन सेंस की बात आपसे कह रहा हूं कि आपकी सरकार थी तो इंतजार क्यों किया।

**श्री विशेष रविः** नहीं नहीं वो तो विपक्ष की भाशा बोल रहे है।

**माननीय अध्यक्षः** चलिए आगे बढिये।

...(व्यवधान)

**श्री विशेष रविः** वो स्पीकर है वो विपक्ष की बात नहीं बोल सकते।

**माननीय अध्यक्षः** चलिए आगे बढिये। आगे बढिये। हॉ बताईये, आगे बढिये।

**श्री विशेष रविः** मैं माननीय जल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर लोग जो पानी के जो बिल बढ़कर आ रहे हैं लगातार उनसे बहुत परेशान हैं। तो अगर वो चाहें तो सदन के आगे जानकारी रख सकते हैं कि क्या उनकी सरकार कोई योजना लेकर आ रही है, अगर नहीं लेकर आ रही है

तो जो पानी के बिल जो बढकर आ रहे हैं लोगों के वो कैसे ठीक होंगे वो बताने की कृपा कर सकते हैं। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्षः** जितेन्द्र महाजन। माननीय सदस्य श्री जितेन्द्र महाजन।

**श्री जितेन्द्र महाजनः** धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछली केजरीवाल सरकार ने अनेकों बार ऐसे काम किये जिससे बहुसंख्यक हिन्दू समाज की भावनाओं को ठेस पहूंची। इस सरकार ने दीपावली के अवसर पर प्रदूषण के नाम पर पटाखों के ऊपर बैन लगाया जबकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण के बहुत सारे कारण थे। सरकार ने माननीय कोर्ट के अंदर हलफनामा दिया जिसके अंदर पूरे वर्षभर पटाखों पर बैन लगाने की बात की गई। पूरे देश के अंदर ग्रीन हरित पटाखे चालू हैं। मगर दिल्ली के अंदर 365 दिन आप लोगों ने पटाखों पर बैन लगाने का आवाह्न किया। मान्यवर हमारे ऐसे बहुत सारे त्यौहार हैं जो पटाखों से जुड़े हुए हैं। दीपावली के ऊपर इन लोगों ने पटाखों पर बैन लगाया। मगर दिल्ली की जनता ने ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा लगाकर ग्रीन हरित पटाखे हो है वो छोड़े। ऐसे लाखों लोगों को इन लोगों ने बेरोजगार किया। मेरा आपसे अनुरोध है कि जब पूरे देश के अंदर ग्रीन हरित पटाखे चालू है तो दिल्ली के अंदर भी त्यौहारों पर हिन्दुओं के त्यौहारों पर ग्रीन हरित पटाखों को चालू करना चाहिए। मैं इस सदन से ये मांग करता हूं।

**माननीय अध्यक्षः** श्री गजेन्द्र दराल।

**श्री गजेन्द्र दरालः** आदरणीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे 280 के तहत अपनी मुंडका विधान सभा का कुछ किसानों से सम्बन्धित विषय रखने का

मौका मिला। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि पिछले दस बारह सालों में जो आप सरकार ने किसानों के साथ सौतेला व्यवहार किया। किसानों की बातें करके दिल्ली के किसानों को किसानों का दर्जा नहीं दिया। मैं पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जिनको हमारे कैविनेट के मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक स्पेशल निवेदन करके बुलाया कि मैं दिल्ली के किसानों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, उनको कुछ सुविधा देना चाहता हूँ। लेकिन इनको उनकी ये बातें भी अच्छी नहीं लगीं और इन्होंने उनको भी एक नई उपाधि देने की कोशिश की। लेकिन आज दिल्ली के अंदर जो एक परिवर्तन की सरकार आई है, तो मैं अपनी बात के माध्यम से कहना चाहूंगा कि दिल्ली के किसानों की अगर भूमि अधिग्रहण होती है तो पिछले दस सालों में इन्होंने अल्टर्नेटिव प्लॉटों को बंद कर रखा था। कोई भी अल्टर्नेटिव प्लॉट उनको नहीं दिया गया। उसके बाद जितने भी किसानों के भूमि के यंत्र हैं उनके ऊपर सभी सब्सिडी इन्होंने बंद कर रखी थी। कोई सब्सिडी इस सरकार ने नहीं दी और तीसरी बात मैं चाहूंगा कि दिल्ली के किसानों के साथ अब हमारी बारी है कि हम उनके साथ न्याय करें। उनको किसानों का दर्जा दें। जितने भी यंत्र उनपे सब्सिडी मिले। उनको डीएपी और यूरिया पर भी सब्सिडी देके हम उन किसानों का भला कर सकें।

**माननीय अध्यक्ष:** श्री ओमप्रकाश शर्मा जी।

**श्री ओम प्रकाश शर्मा:** धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे 280 में बोलने का मौका दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय जल मंत्री महोदय का ध्यान अपने विश्वास नगर विधानसभा क्षेत्र की उन कॉलोनियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ जहां दिल्ली जल बोर्ड की पाइप लाईन, सीवर

लाईन मिश्रित जलापूर्ति की शिकायत अथवा पाइप लाईन से पानी ना आने की शिकायत लगातार बनी हुई है। 10-12 साल के कुशासन और भ्रष्टाचार से पिछली सरकार ने हजारों करोड़ का फंड का घोटाला और जो दुरूपयोग किया उसकी वजह से पानी और सीवर का इन्फ्रास्ट्रैक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और बार-बार लगातार इस सदन में हम इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारी सरकार इस सदन में है और मैं ये समझता हूँ 72 हजार करोड़ का जो इन्होंने घोटाला किया उनको सजा भी मिलेगी और दिल्ली का पानी और सीवर का जो इन्फ्रास्ट्रैक्चर है उसमें भी बेहतरी होगी। योजना विहार मकान नंम्बर 259 से 272, सी ब्लॉक 329 से 364, सी ब्लॉक 401 से 416, सी ब्लॉक 222 से 434 ये योजना विहार के मकान हैं जहां गंदा पानी आ रहा है। जागृति इन्क्लेव में भी इसी प्रकार अनेकों-अनेक मकान में गंदा पानी आ रहा है। राम विहार के मकान नंबर 108, 18 से 32 तक मानक विहार, आनन्द विहार बी ब्लॉक 36 से 42, श्रेष्ठ विहार, विवेक विहार अपार्टमेंट, एजीसीआर, न्यू संजय अमर कॉलोनी, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर और विवेक विहार डी ब्लॉक यहां पानी का जो पम्प है वो गाद से भरा होने के कारण नाले के पानी का निकास नहीं हो रहा है। बार-बार जलबोर्ड के चीफ इंजीनियर से बात करने के बाद भी पिछले 2 महीने से मैं उनके लगातार सम्पर्क में हूँ। उसकी गाद नहीं निकालने की वजह से नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। दूसरी बात पिछले 6 महीने से अनेकों निवासियों ने आरडब्लुए दिल्ली जल बोर्ड को अनेक शिकायतें की हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठा पाया, बल्कि दिल्ली जल बोर्ड हमेशा ये बहाना बनाता है पानी की पर्याप्त सप्लाई नहीं है। महोदय मेरे माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से विन्रम निवेदन है। मेरी क्षेत्र की उपरोक्त

कॉलोनी में तुरन्त स्वच्छ पानी व सीवर की व्यवस्था उचित करना सुनिश्चित किया जाए। जहां कहीं भी सीवर जल मिश्रित पानी प्राप्त होने की शिकायत है उसका तुरन्त निवारण किया जाए। जय हिन्द, जय भारत।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** कोरम पूरा है, कोरम पूरा है गिन लीजिए। चौधरी जुबेर अहमद।

**चौधरी जुबेर अहमदः** धन्यवाद अध्यक्ष जी मुझे 280 पर बोलने का।

**माननीय अध्यक्षः** आतिशी जी कोरम पूरा है। आप मैथ मैटिक्स। हाँ जी।

**चौधरी जुबेर अहमदः** धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे 280।

**माननीय अध्यक्षः** अब जुबेर जी।

**चौधरी जुबेर अहमदः** जी।

**माननीय अध्यक्षः** आपके बोलने पर नेता, विपक्ष कोरम की बात उठा रहे हैं तो शायद उनको पसन्द नहीं है जो आप बोलना चाह रहे हैं।

**चौधरी जुबेर अहमदः** मैं नया सदस्य हूँ मुझे आपसे बहुत उम्मीद है अध्यक्ष जी।

**माननीय अध्यक्षः** आतिशी जी को शायद पसन्द नहीं है जो जुबेर जी बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनके बोलने के समय पे कोरम की बात उठाई है।

**चौधरी जुबेर अहमदः** अध्यक्ष जी 8 मार्च, 2025 को आयोजित कैबिनेट बैठक में महिला समृद्धि योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को लेकर आवश्यक निर्णय लिये जाने की अपेक्षा थी। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के नेताओं द्वारा एवं स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा किये गए वादे के अनुसार इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2500 की पहली किस्त अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदान करने की बात कही गयी थी लेकिन अब तक किसी भी लाभार्थी के खाते में ये राशि नहीं पहुंची। यह स्थिति महिलाओं के लिए असमंजस और निराशा उत्पन्न कर रही है। इसके अतिरिक्त पंजीकरण प्रक्रिया और उसकी अंतिम तिथि को लेकर भी अभी स्पश्ट दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गए जिससे इस योजना से जुड़े इच्छुक महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं में इस योजना को लेकर कई तरह की शंकायें बनी है। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ बिना किसी देरी के मिले और उन्हें आर्थिक सहयोग समय पर प्राप्त हो। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने के इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। साथ ही मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की महिलायें ये पूछ रही हैं 2500 कब आयेंगे। ये तो प्रधानमंत्री जी का वादा था और इसी वादे पे तो सरकार बनी है अध्यक्ष जी।

**माननीय अध्यक्षः** चलिए धन्यवाद, चलिए श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत, प्रद्यूम्न सिंह राजपूत जी।

**श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूतः** अध्यक्ष जी मुझे आपने बोलने का मौका दिया आपका धन्यवाद। अध्यक्ष जी और माननीय जल मंत्री जी का ध्यान मैं अपनी

द्वारिका विधान सभा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे यहां तीन वार्ड हैं डाबड़ी, सागरपुर और मंगलापुरी और अनॉथराइज कॉलोनियां भी काफी हैं। अध्यक्ष जी मेरे यहां इस समय सीवर की बड़ी परेशानी है और रोज लगभग 50-60 कम्पलेंट्स आती हैं। पानी जो सीवर का है वो बैक मार रहा है लोगों के घरों में पानी जाता है। 50 गज के मकान हैं 75 गज के मकान हैं। आप कल्पना करिये जिस तरह से सीवर का गंदा पानी जब आये तो हमारी मातायें बहनें जब कीचन में खाना बना रही हों और जो ऑफिस में जाने की तैयारी कर रहा हो तो उस समय कैसी उन पर बीतती है। लगभग 50-60 कम्पलेंट रोज आती हैं और जब अधिकारियों को बुलाकर के मैंने मीटिंग की और उनसे बात की कि समस्यायें क्यों इतनी हो रही हैं। उन्होंने ये कहा अध्यक्ष जी आपको सुनकर के हैरानी होगी कि हमने तो पिछले 2 साल से कोई काम ही नहीं किया। मैंने कहा क्यों, कहते हैं कर्मचारी कम हैं। हमारे पास मशीने नहीं हैं और उसके बाद ठेकेदार काम नहीं करते। मैंने कहा ठेकेदार काम क्यों नहीं करते। कहते हैं जी हमारी पेमेंट नहीं होती। तो पिछली केजरीवाल सरकार ने और आतिशी जी यहां बैठी हैं मुख्यमंत्री रही हैं इन्होंने दिल्ली के लोगों का जीवन नारकीय बना दिया है। पिछले दिनों भी सदन के अंदर मेरे और माननीय साथियों ने ये ही चर्चा उठाई कि सब जगह सीवर की समस्या हैं। मेरा क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। तो मैं माननीय जल मंत्री जी से ये कहूंगा कि लेवर बढ़ाई जाए। लगभग 25 लेबर विधान सभा के अंदर बढ़े जो डिसिल्टिंग की लेबर हो। साथ में जो ऑटो-डिसिल्टिंग की ऑटो मशीन बढ़ाई जायें, ताकि सीवर की समस्या खत्म हो। मेरे यहां एक नसीरपुर नाला है, ड्रेन है। उसके अंदर पिछले कई सालों से सफाई नहीं हुई उसका बुरा हाल है उसकी भी सफाई कराई जाए। अध्यक्ष जी आपने बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्षः** इससे अगले सदस्य को मैं इसलिए नहीं बुलवाउंगा क्योंकि 280 का नियम है कि एक विषय पर ही बात करेगा एक सदस्य रिपीट नहीं होगी, तो इसलिए मैं अनिल कुमार शर्मा जी को बुलावा रहा हूँ।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** श्री अनिल कुमार शर्मा। अनिल कुमार शर्मा। अनिल कुमार शर्मा शुरू करें। शुरू करें। अनिल कुमार शर्मा जी शुरू करें।

...(व्यवधान)

श्री अनिल कुमार आदरणीय स्पीकर साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। आज दिल्ली के अंदर।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** मेरा सदस्यों से अनुरोध है सदन की कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलने दें। इसको आप, मैंने अपनी रूलिंग दे दी है। अगला विषय अनिल कुमार शर्मा जी उठायेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया था 280 में कि विषय का रिपिटिशन नहीं होना चाहिए, सदन का समय खराब मत करिये। करिये जी। मुझे तो मालूम है ना। करिये। ये सदन की रूलिंग है कि एक विषय पर उसके अलावा आप प्रश्न काल में पूछिये आप किसी और चर्चा में भाग लीजिए, लेकिन विधिवत रूप से आप अगर वैल प्लान करके सदन में 280 के जो महत्व को कम करेंगे तो वो अलॉउ नहीं होगा। करिये जी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** अनिल कुमार शर्मा।

**श्री अनिल कुमार शर्माः** आदरणीय स्पीकर साहब मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। वैसे तो पूरी दिल्ली की हालत पिछले केजरीवाल जब यहां पर मुख्यमंत्री रहे और आम आदमी पार्टी की सरकार रही।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** स्ट्रैटेजिक डिसरप्शन अलाउ नहीं है, स्ट्रैटेजिक डिसरप्शन अलाउ नहीं है। आप पिछले सदन में भी इस सदन में भी स्ट्रैटेजिक डिसरप्शन कर रहे हैं ये अलाउड नहीं है। आप कार्यवाही के लिए मजबूर ना करें, मेरा आपसे अनुरोध हैं बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** मेरी आप सभी को स्पश्ट रूप से। आप कल-कल लगाइये, कल आपका आयेगा, आपको जरूर देंगे। लेकिन आज, नहीं... ये आर्गेनाइज्ड डिसरप्शन है, मैं बता रहा हूँ, आर्गेनाइज्ड डिसरप्शन है ये अलाउड नहीं है।

**श्री अनिल कुमार शर्माः** मैं ये कहना चाहता हूँ ये सदन को दोबारा अभी जो मुद्दा मैं बोलने वाला हूँ उस मुद्दे के लिए आप सुनना नहीं चाहते वो मुद्दा। वो मुद्दा दिल्ली के झुग्गी-बस्ती लोगों के लिए है। जहां झुग्गीबस्ती के अंदर आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। जहां झुग्गीबस्ती के अंदर दिल्ली की जनता जिस को आपने 10 साल से बेवकूफ बनाया कि हम झुग्गी में काम करेंगे। कहीं झुग्गी में काम नहीं किया आप लोगों ने मैं उस मुद्दे को रखना चाहता हूँ और

आप झुग्गी के मुद्दे को रखने देना नहीं चाह रहे हैं यहां पर। मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी आपके माध्यम से आरकेपुरम के अंदर 22 कैम्प हैं। अध्यक्ष जी।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** मैं चेतावनी दे रहा हूँ मुझे कार्यवाही के लिए... चलो जी।

...(व्यवधान)

**श्री अनिल कुमार शर्माः** आपको झुग्गीबस्ती की बात नहीं सुननी आपको झुग्गीबस्ती के बारे में सुनना नहीं है। अगर झुग्गी के अंदर कोई काम नहीं किया आपने, आपके मंत्रियों ने, आपके विधायकों ने। आज झुग्गी का मुद्दा आया तो आप झुग्गी के मुद्दे के चक्कर में वॉकऑउट करना चाह रहे हैं। अरे झुग्गी का मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है। झुग्गियों के अंदर ना पानी है, ना सीवर लाईन है। ना झुग्गी के अंदर कोई व्यवस्था नहीं करी 11 साल में आप लोगों ने। अच्छा यार जाओ, कोई बात नहीं जाओ-जाओ।

*(विपक्ष के सदस्यों ने विरोध स्वरूप सदन से वॉक आउट किया।)*

**माननीय अध्यक्षः** अभी सीएजी की रिपोर्ट आने वाली है शायद विपक्ष को वो पसंद नहीं है।

**श्री अनिल कुमार शर्माः** माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो मुझे आपने 280 पर बोलने का मौका दिया। एक ऐसा मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं आपके समक्ष, वैसे तो पूरी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों की हालत ऐसी है पर मैं आर के पुरम की खासकर बात करना चाहता हूं। मेरे यहां पर 22 झुग्गी क्लस्टर हैं और 22 के 22 झुग्गी क्लस्टरों के अंदर वहां टॉयलेट की व्यवस्था

सही नहीं है और जो टॉयलेट हैं भी, उनमें भी पैसा देकर जाना पड़ता है और वहां टाईमिंग का भी बड़ी असुविधा है कि अगर 10 बजे वो टॉयलेट बंद कर दिये जाते हैं तो हमारी माताएं, बहनें उसके बाद कहां टॉयलेट में जाएगीं। उसकी व्यवस्था यहां पर ठीक करनी चाहिए। पुराने जो विधायक यहां पर रहे हैं, पुराने जो मंत्री रहे हैं, पुरानी खासकर मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कभी-भी कोई झुग्गी बस्ती की तरफ ध्यान नहीं दिया हैं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं, झुग्गियों के अंदर पानी की भारी कमी है। खासकर वहां जलबोर्ड का पानी तो न के बराबर है, किसी किसी बस्ती में आता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां बोरिंग की व्यवस्था की जाये कम से कम उनको पानी आने वाली गर्मी जो आ रही है उसमें उनको कोई दिक्कत न आये। वहां नालियां और सीवर की व्यवस्था भी बहुत ज्यादा खराब है। साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण मुददा है झुग्गियों में, वो गरीब लोग हैं, वो शादी करने कहां जायें, बड़े बड़े कहीं फार्म हाउस में या और जगह वो कर नहीं सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि झुग्गी बस्ती के अंदर सामुदायिक केंद्र बारात घर वहां उनके बनाये जायें जिससे कि उनकी शादियां वहां आराम से हो सकें और साथ ही झुग्गियों के बच्चों के लिये लायब्रेरी भी खोली जाये कि उनको वहीं बस्ती के अंदर उसके लिये खर्चा भी कोई नहीं होगा, स्कूल नजदीक हैं, वहां हमारे बस्ती विकास केंद्र कुछ बने होते हैं, हमारे पास झुग्गियों में कुछ जगह है और वहीं उनकी लायब्रेरी खुलेगी, बच्चों को पढ़ने के लिये तो सुविधा मिलेगी। मुझे आपने बोलने का मौका दिया एक लाईन कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा अभी कुछ टाईम पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहां झुग्गी में आई थीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वादा किया और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किये हैं वो दिल्ली की जनता जरूर उसको हमारी मांग पूरी होगी और आर.के. पुरम ही नहीं,

पूरी दिल्ली की झुग्गियों में विकास होगा, पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी ने कोई भी झुग्गी में काम नहीं किया है, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

**माननीय अध्यक्षः** श्री अजय महावर।

**श्री अजय महावरः** धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने 280 में हमें बोलने का मौका दिया। अभी इस विषय को रखने से पहले मैं देख रहा था कि ये सीएजी की रिपोर्ट इस सदन पर पेश होनी है। उससे इतने भयभीत हैं अपने गुनाहों से, जो चोर होता है न अपनी परछाई से, वो अपनी परछाई से भी डरता है। तो पहले कोरम का बहाना ले रहे थे, जब कोरम पूरा हुआ तो आपने जो रूलिंग दी रिपीटिशन आफ सब्जेक्ट की, उसका बहाना लेकर के वो सदन से बाहर चले गये क्योंकि उन्हें सीएजी रिपोर्ट के पटल को फेस नहीं करना था ये है विपक्ष की असली कहानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एक ऐसे विषय पर दिलाना चाहता हूं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बातें हुई हैं, हम लोगों ने पिछले सदन में रखी आज प्रद्युम्न राजपूत जी ने और अन्य सदस्यों ने भी रखी हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा ही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बेहतर करने के लिये काम करने वाले हैं इस बजट में। दिल्ली में इस समय आवारा कुत्तों और बंदरों की बाईटिंग की बढ़ती समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हाल में ही तुगलक लेन में अभी धोबी घाट इलाके में एक दुखद घटना घटी है वहां आवारा कुत्तों के झुंडों ने एक दो वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया और उसे डेढ सौ मीटर तक घसीट कर नोच नोच कर मार डाला। बड़ी विदारक घटना और वीडियो भी देश के सामने आई है। इसके अतिरिक्त अभी कविता गुप्ता 17 वर्षीय हैं, 8 मार्च 2025 को अभी नवादा मेट्रो स्टेशन पर उत्तम नगर में वेस्ट में बंदरों ने एक बच्ची को काटा और वो बड़ी

जख्मी हालत में हॉस्पिटलाईज हो गयी। दिल्ली के अलीपुर में दिसम्बर में बुढपुर गांव में बंदरों ने आतंक मचा रखा है। इसमें से अभी 10 से 12 बच्चे और बुजुर्ग घायल हो गये और वो हॉस्पिटलाईज हैं, बंदरों के डर से लोग घरों से बाहर निकलने या छतों पर जाने में भी डर रहे हैं। इसी प्रकार नवंबर 2024 में लुटियन जोन के दिल्ली के तिलक मार्ग, सरदार पटेल मार्ग, उद्योग भवन, शास्त्री भवन आदि क्षेत्रें में बंदरों का आतंक देखा गया और वो काटते भी हैं, फाईलें छीनकर ले जाते हैं। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि आवारा कुत्तों और बंदरों की बढ़ती समस्या एक गंभीर समस्या के रूप में बन गयी है जो नागरिक सुरक्षा की दृष्टि से खतरा उत्पन्न कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये भी देखा गया है कि कुत्ते के टीकाकरण और नसबंदी के बावजूद उनकी जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अब इसमें क्या गोलमाल है ये तो मुझे पता नहीं। यह स्थिति जी गोलमाल है भई बहुत कुछ गोलमाल है। पिछली सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, यह स्थिति संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों की कार्यशैली पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है अध्यक्ष महोदय। और जब कुत्तों को नसबंदी के लिए उठाया जाता है तो उन्हें रखने के लिये भी अगर डॉग शेल्टर्स अगर उनके आश्रय स्थल बन जायें, उसका निर्माण अगर किया जा सकता हो, तो उसको करना चाहिये, इसी तरह बंदरों को पकड़ने के लिये भी उनके पुनर्वास के लिये कोई ठोस नीति प्रभावी रूप से जो लागू नहीं हो पाई है उस पर भी कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। पहले भाटी माईस में भेजा जाता था अब वो व्यवस्था कैसे बंद हुई है, उसको दोबारा से पुनर्विचार करके कुत्तों और बंदरों का जो भयंकर आतंक दिल्ली में इस वक्त फैला हुआ है जिससे अनेक जानें गयी हैं, अनेक लोग घायल हुए हैं उस पर सरकार और मंत्री महोदय गंभीरता से विचार कर कर एक प्रभावी रोड मैप बनायें जिससे दिल्ली की जनता को और

छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को विशेष रूप से उनसे सुरक्षित किया जा सके, बहुत बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण मैं 280 के मामले में स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। ''280- ऐसा विषय उठाना जो व्यवस्था का प्रश्न न हो", रूल बुक जो कहती है। जो सदन सदस्य की मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने के बाद इसकी व्याख्या भी करूंगा और रूलिंग भी दे दूंगा। ''जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो व्यवस्था का प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप से में सूचना देंगे जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेंगे जिसे वह सदन में उठाना चाहते हों तथा साथ में कारण भी बतायेंगे कि वह उसे क्यों उठाना चाहते हैं और उन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।" इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं "raising of a matter which is not a point of order. A member who whishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with the reasons for wishing to raise it and he shall be permitted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix". ये जो 280 है ये सदस्यों को एक विशेष सुविधा दी गयी है जिसमें बहुत सारे इफ एंड बट हैं। चेयर की रूलिंग ये है कि अगर 280 को ऑर्गेनाइज्ड डिसरप्शन के लिये इस्तेमाल किया जायेगा और अगर एक ही विषय को अगर कई सदस्य एक साथ लिख कर के 280 के माध्यम से उठाना चाहते हैं तो इसकी स्क्रूटनी होगी और किसी एक सदस्य का उस विषय पर जो पहले आया होगा नोटिस सिर्फ वही एक्सेप्ट

होगा। ये पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए है इसलिये बिना स्पीकर की कंसेट के किसी प्रश्न को यहां पर रेज करना और वो भी उसके पीछे की मानसिकता ये हो कि सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब करना है तो मुझे लगता है कि ये सदन के समय का दुरूप्योग होगा। मैं ऐसा कहना चाहता हूं और 280 जो है वो वास्तविकता में जो विषय सदन के समक्ष लाया जाना चाहिये, ध्यानाकर्षित करने का है विषय और जिससे ज्यादा से ज्यादा विषय आयें, ये चेयर की रूलिंग है कि ज्यादा से ज्यादा विषयों पर सभी सदस्य अपनी अपनी बात कहेंगे तो सदन के समय का सही सदुपयोग होगा। अभी मैं श्री अशोक गोयल जी को बुला रहा हूं 280 में । 280 में मैं अभी देखिये जिनके नंबर हैं पहले वो पूरे होने दीजिये।

**श्री तरविंदर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी, उसमें टाईम भी लिखना पड़ेगा 280 में आपने कहा न?

**माननीय अध्यक्षः** नहीं आपको नहीं लिखना पड़ेगा जब किसी भी...।

**श्री तरविंदर सिंह मारवाहः** नहीं नहीं पहले आपने कहा न कि पहले जिसका आया।

**माननीय अध्यक्षः** हां वो रिसीविंग जब आप रिसीविंग कराते हैं तो उसी समय टाईम नोट होता है। जैसे आपने रिसीव कराया 10 बज कर 30 मिनट पर, उसके बाद सतीश उपाध्याय जी ने कराया 10 बजकर 31 मिनट पर, अगर दोनों के सेम विषय हैं तो 10 बजकर 30 मिनट वाले को समय दिया जायेगा। इसमें हमारा ये ध्येय है क्योंकि 280 में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, माफी चाहूंगा माननीय सदस्यों की रिकवेस्ट आ रही है और उसमें क्या है कि सभी विषय आ जायें और चूंकि ये अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि प्रश्न को

एक्सेप्ट करना 280 को एक्सेप्ट करना, कंसेंट देना सदन में उठाने की तो ये हमारा मोडस ऑपरेंडी इस पूरे मामले में है।

**श्री जितेंद्र महाजनः** ...exempt हो गया वो उसको नहीं दिया मौका तो क्या वो अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है।

**माननीय अध्यक्षः** हां सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। ये उसको मौका दिया जायेगा।

**श्री जितेंद्र महाजनः** ये मौका उसको दिया जाये कि वो अपना सब्जेक्ट चेंज।

**माननीय अध्यक्षः** उसको इंफार्म किया जायेगा, उसको तुरंत इंफार्म किया जायेगा कि ये विषय जो है।

**श्री जितेंद्र महाजनः** रिपीटिशन में नहीं आकर के वो अपना विषय।

**माननीय अध्यक्षः** हां रिपीटिशन नहीं होना चाहिये।

**श्री जितेंद्र महाजनः** जी थैंक्यू।

**श्री कुलवंत राणाः** ...विधान सभा में वो विषय है, समस्या है तो मैं अपना विषय नहीं रखूंगा।

**माननीय अध्यक्षः** नहीं आप बिल्कुल अलग अलग हो गये न। जैसे मान लीजिये आब्जेक्टिव जो विषय का है उसकी जो सैंकटिटी है जो उसमें ध्यानाकर्षण सदन का एक प्रकार से किया जा रहा है उल्लेख करके वो अलाउड है।

**श्री कुलवंत राणा:** नहीं माननीय अध्यक्ष जी एक विधान सभा में उसकी एक समस्या है वो उसका उल्लेख कर रहा है। मेरी विधान सभा में वो समस्या है मैं भी उसका उल्लेख कर रहा हूं।

**माननीय अध्यक्ष:** हां इसमें विधान सभा से संबंधित समस्या उठाने का सबसे अच्छा मौका है ये। आपके यहां पानी की कमी है, आपके यहां पानी की कमी है, आपके यहां पानी की कमी है तो आप अपनी अपनी विधान सभा के उदाहरण के तौर पे आप अपनी समस्या का जिक्र कर सकते हैं वो विषय नहीं है। बैठिये। श्री अशोक गोयल। अपनी विधान सभा से संबंधित कोई भी विषय उसपे रिपीटिशन का कोई विषय नहीं बनता। श्री अशोक गोयल। श्री संजय गोयल।

**श्री संजय गोयल:** माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद और मेरी विधान सभा के अन्तर्गत जो पीडब्ल्यूडी रोड हैं या एमसीडी के पार्क हैं जो बड़े बड़े पेड़ हैं जिनमें न तो एमसीडी के मालियों को पेड़ की छटाई करना 12 फुट से उपर अलाउ नहीं है और 12 फुट से उपर वो चढ़ भी नहीं सकते। और पेड़ की छटाई अत्यंत आवश्यक है क्योंकि वो पेड़ सभी घरों में झुकने के कारण घर की दीवार टूटने का भी खतरा रहता है और उसकी वजह से घरों में बंदर भी आ जाते हैं और जोकि बंदर आने के बाद में वहां बैठे हुए सभी जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिये परेशानी का कारण बनते हैं और इससे एक्सीडेंट भी होते हैं और पूर्व में भी कई एक्सीडेंट इसकी वजह से हो चुके हैं और साथ में जो पीडब्ल्यूडी की रोड्स हैं और जो लाईट्स हैं उसमें बड़े पेड होने की वजह से वो लाईट्स भी छुप जाती हैं और पोल को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि न तो दिल्ली सरकार जो पिछली सरकार इन बातों पर ध्यान दे पाई और पिछले 10 वर्शों के अंदर वो ऐसे इक्विपमेंट नहीं खरीद पाये या व्यवस्था कर पाये जिससे

कि इन पेड़ों की छटाई संभव हो पाये। आज जगह जगह पूरी विधान सभा के अंदर सभी जो हमारे वहां के सम्मानित नागरिक हैं उन सबको बहुत परेशानी इसकी वजह से हो रही है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि इन सब इक्विपमेंटस की व्यवस्था की जाये और जो बड़े पेड़ हैं क्योंकि बड़े पेड़ों की अनुमति छटाई की अनुमति भी वन विभाग देता है और वन विभाग इन अनुमति को देता नहीं है क्योंकि वो इंडिविडुअल पेड़ की अनुमति देता है दूसरे यदि हम ग्रुप में यदि सौ की संख्या दो सौ की संख्या यदि कहा जाये तो वो अनुमति नहीं देता और इंडिविडुअल व्यक्ति को इस अनुमति को लगाना पड़ता है क्योंकि यहां के ई-फॉरेस्ट एक एप है उसमें उसको अलग से अप्लाई करना होता है तो ये असंभव है ये आम नागरिक के लिये। तो इसमें भी एक सुविधा दी जाये एक इसका सिंपलीफिकेशन किया जाये जिससे कि आने वाले समय में जो पेड डेंजरस हैं उन पेडों की छटाई नियमित रूप से हो सके ये मैं माननीय मंत्री महोदय से जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य श्रीमती नीलम पहलवान।

**श्रीमती नीलम पहलवान:** आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से लोक निर्माण विभाग के माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने नजफगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जल भराव की भीशण समस्याओं की ओर आकर्षित करवाना चाहती हूं। मेरी विधान सभा क्षेत्र की जनता बारिश के मौसम में जल भराव की भीषण समस्या से परेशान रहती है। जल भराव के कारण कई दुघर्टनाएं भी होती हैं। जल भराव के कारण कई स्थानों पर बिजली की तारों में करंट आ जाता है जिससे कई मौतें हो चुकी हैं। सड़कों पर पानी तीन चार फुट तक पानी भर जाता है जिससे चलती हुई गाड़ियां बंद हो जाती हैं और रास्तों पर जाम लग जाता है।

घरों और दुकानों में पानी अंदर तक भर जाता है जिससे व्यापारी वर्ग का बहुत नुकसान हो जाता है, अंत तक-केबी इस नुकसान से उबरने का उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के अंदर सोम बाजार, मेन बाजार, नवादा बाजार, राम बाजार, जवाहर चौक, पुरानी अनाज मंडी, ढासा बस स्टेंड से बहादुरगढ़ बस स्टेंड तक, बहादुरगढ़ बस स्टेंड से नांगलोई स्टेंड तक, नांगलोई स्टेंड से गऊशाला नंबर 2 तक, दिचाऊ स्टेंड से डी ब्लॉक शिव एंकलेव तक, बहादुरगढ़ बस स्टेंड से सीआरपीएफ कैम्प तक, सूरज सिनेमा ढासा रोड से खोवाल धर्मकांटा गोपाल नगर तक, तुड़ा मंडी चौक से हनुमान मंदिर तक, छावला बस स्टेंड से गऊशाला नंबर 1 नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन तक, छावला बस स्टेंड से बीडीओ ऑफिस नजफगढ़ तक बारिश के दिनों में भारी जलभराव हो जाता है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि इन सड़कों को जल भराव की समस्या से मुक्ति दिलाई जाए और इसके लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द आवश्यक निर्देश दिये जाएं।

**माननीय अध्यक्ष:** माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार शौकिन (अनुपस्थित)। माननीय सदस्य श्री सूर्य प्रकाश खत्री।

**श्री सूर्य प्रकाश खत्री:** आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा के अंदर गोपालपुर गांव में जिसका पीछे मैंने निरीक्षण किया, अधिकारी भी बुलाये। वहां पर गांव में गंदे पानी की निकासी की भारी समस्या है मतलब कि पूरा का पूरा गांव है लेकिन गांव का पानी का बाहर निकलने कोई सूत्र ही नहीं है। बारिश की निकासी के लिए पीडब्लूडी के नाले का निर्माण नहीं हुआ है, काफी समय से काम बंद पड़ा हैं। मानसून आने वाला है, डिसील्टिंग का काम भी पूरे क्षेत्र में

नहीं हुआ है। नेहरू विहार की एक सड़क है जोकि 108 बस स्टेंड से, बस स्टेंड है 108 नंबर जिसका ठेकेदार पिछले डेढ़ साल से काम छोड़कर भागा हुआ है उसको जेई ने भी बात कर ली, एई ने भी बात कर ली, एक्सईएन ने भी बात कर ली, मैं इवन दो बारी सिविक सेंटर में जाकर ईएनसी से भी बात करके आ गया हूं और वो ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है और वो नियर-अबाउट 400 मीटर की एक सड़क है जिसमें कि स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, बड़े-बुजुर्गो को भी जाना होता है और वहां पर डीटीसी की बस भी चलती है, वो पिछले डेढ़ साल से व्यवस्था ठप है और वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है और इसी ठेकेदार ने मेरे इलाके में और भी कांट्रेक्ट लिये हुए हैं। मैं सदन से ये कहना चाहता हूं कि इस ठेकेदार को आइडेंटीफाई कराके और मंत्री जी से मैं कहता हूं कि इसको जो मेरे इलाके में उसने कई करोड़ के और भी काम लिये हुए हैं इसको ब्लैक लिस्ट किया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

संगम विहार गली 1 से, पूरी 1 नंबर से लेकर 10 तक पूरा का पूरा पीडब्लूडी का एक नाला है जोकि पूरा का पूरा नाला कूड़े से भरा हुआ है, पानी नहीं चलता उसमें, उसमें पूरे के पूरे नाले के अंदर सिल्ट भरा हुआ है। मैं ये सारी बातें आपके ध्यान में लाना चाहता था और इसके निवारण का मैं सदन के माध्यम से चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसका हल हो। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्षः** माननीय उपाध्यक्ष, श्री मोहन सिंह बिष्ट जी।

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपनी विधान सभा-मुस्तफाबाद की एक बहुत स्वास्थ्य संबंधित समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा मुस्तफाबाद में लगभग 5 से 6 लाख के लोगों की आबादी वाला क्षेत्र है परंतु मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़

रहा है कि दिल्ली सरकार का एक भी अस्पताल इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। सर, वर्श 2008 से लेकर 2010 में शिव विहार तिराहा के पास एक डिस्पेंसरी/अस्पताल का निर्माण किया गया था परंतु 2015 के अंतर्गत आम आदमी पार्टी की सरकार के पश्चात उसे खत्म करके वहां पर मोहल्ला क्लिनिक बनाया गया। सर, जहां न तो डॉक्टर थे, न ही दवाइयां थी, उपरोक्त मोहल्ला क्लिनिक में केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया। अध्यक्ष महोदय, बद से बदतर हालत तो तब हो गई जब वर्ष 2020 के दंगे की भेंट यह हॉस्पिटल चढ़ गया। क्षतिग्रस्त भवन के लिए दिल्ली की सरकार द्वारा बजट का प्रावधान तो किया गया परंतु आज दिन तक यहां अस्पताल नहीं बनाया गया और इसकी स्थिति ये हो गई अध्यक्ष महोदय ये खंडहर बन चुका है। मेरा आपके माध्यम से और यह निवेदन है कि मुस्तफाबाद क्षेत्र की समस्याओं को अविलंब सरकारी अस्पताल बनाकरके जनता को इसका तो लाभ दें लेकिन मैं आपके माध्यम से एक मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी इसमें यदि आप अपना वो रख लेंगे तो शायद मुस्तफाबाद की जनता आपकी सदा आभारी रहेगी और ये हॉस्पिटल बनाने में मेरी मदद कर दें। यदि आप अपनी बात रखना चाहते तो रख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बोलना चाहें, बोलिए न।

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट, एक मिनट। मंत्री जी, नहीं आप क्या चाह रहे हैं।

**श्री मोहन सिंह बिष्टः** मैं ये चाहता हूं मंत्री जी आपके माध्यम से आश्वासन देवे कि जो खंडहर वो हॉस्पिटल बन चुका है उसके निर्माण का आश्वासन दे दें, बस इतना ही तो निवेदन है और बाकी तो मैं चाह भी क्या सकता हूं।

**माननीय अध्यक्षः** मंत्री जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे मतलब आपकी अपनी वो है।

**माननीय स्वास्थ्य मंत्री (डा. पंकज कुमार सिंह):** मैं माननीय विधायक जी के साथ बैठकर, आदरणीय, इनके साथ बैठकर कर लूंगा जी।

**माननीय अध्यक्षः** ठीक-ठीक। धन्यवाद। जो ये 280 है इसमें मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि पूर्व सूचना जो पद्धति है उसके माध्यम से ही चलने से हम सबका इसमें हित है क्योंकि 280 हम रोज अलाउ कर रहे हैं। मैं फिर भी एक सदस्य हमारे जो बहुत आग्रह से अपनी बात कहना चाह रहे हैं कि मुझे, उनको और उनके क्षेत्र से संबंधित एक विषय है, मुझे उस विषय की भी सीरियसनेस, संवेदनशीलता, गंभीरता दिखाई दे रही है तो मैं कुलवंत राणा जी को अलाउ करता हूं, ये अंतिम वो है।

**श्री कुलवंत राणाः** धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मुझे समय दिया। ये सत्य है कि मैंने आपसे अभी आग्रह किया था और अभी किया था, सुबह भी नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के द्वारा अपनी विधान सभा क्षेत्र, जो गंदे पानी की आपूर्ति हुई है उसकी तरफ मैं ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। मेरे यहां बुद्ध विहार- फेज-1, फेज-2, विजय विहार-फेज-1, फेज-2, अवंतिका, सेक्टर-5, 6, 11, 16, 17, पूरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। मैं सीईओ- जल बोर्ड से भी मिला, मैंने उनसे भी आग्रह किया और मैडम ये पूर्ववर्ती सरकार के काल में ये समस्या बहुत गंभीर हुई। पूरे 11 साल के अंदर पूरी विधान सभा में एक वर्ष भी सीवर साफ नहीं कराये गये, पूरे 11 साल में और सीवर साफ न कराने के कारण मेन-हाल जाम रहते हैं, पानी ओवर फ्लो हो रहा है गलियों में, रोडो पर, उसके कारण

कहीं न कहीं वो सीवर और वाटर लाइन्स कनेक्ट हो रही हैं आपस में, उसके कारण से गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है और कम्प्लेंट्स आती हैं, जेई जाता है, छोटो-मोटा करके आता है। मैंने कहा भैया इसको धरातल पर जाइये, समस्या का समाधान ढूढ़िए, समस्या है कहां, इस को डायग्नोज करिए, डायग्नोज करके इसका पक्का समाधान करिए। उनके पास स्टाफ की भी कमी है और सिविल और वाटर का जेई भी एक है, स्टाफ भी कम है और एक एक्सईएन के पास 3-3, 4-4 विधान सभा हैं, वाटर का खाली एक्सईएन पहले एक विधान सभा पर एक होता था, वो कितना काम देखेगा, और स्टाफ की कमी है। और गंदा लोग पानी पीकरके बीमार हो रहे हैं, पीलिया से ग्रस्त हुए, लोग मरे हैं पीलिया के कारण से। किडनियां खराब हो रही हैं। उनके लिवर हो रहे हैं। गरीब लोग हैं, इलाज भी नहीं करा सकते वो। अस्पताल में जाए तो वहां बड़ी लाइने हैं बड़ी-बड़ी। तो गरीब आदमी तो मुश्किल में है सर। और मैं अध्यक्ष जी क्या जवाब दूं, मेरे पास क्या निदान है, क्या समाधान है। हर रोज ये ही समस्या से में घिरा रहता हूं। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी और सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पैदा की गई समस्या का समाधान ठीक से हल हो। रोज-रोज हम इस पर ही काम करते रहेंगे बाकि काम भी हमको करने हैं। तो एक सही ढंग से प्लान बनाया जाए। पूरे सीवर की सफाई हो विधान सभा स्तर पर और जलापूर्ति जहां से हो रही है और उनकी लाइनों में कमी हैं या लाइनें डैमेज हो गई, जिनकी आयु 30 वर्श हो गई, 32 वर्ष हो गई और जल बोर्ड में ये प्रावधान है कि जिसकी आयु 30 वर्ष हो जाती है, 25-30 उसके बाद लाइन बदलनी होती है। तो लाइन अगर बदलने का हो सकता है तो लाइन बदली जाए, जैसे प्लान्ड एरिया, सेक्टर- 1, 5, 6, 11, 16, 17, उनकी लाइन बदलवाए ताकि फिर हम सड़कें भी बनवा ले, सड़कें भी जर्जर हैं। तो पहले लाइन डल

जाएंगी तो उसके बाद सड़क भी बन जाएगी। अगर आपने पहले लाइन डलवा दी और बाद में सड़क बनेगी, फिर टुटेगी। तो पहले लाइन डल जाए उसके बाद सड़क बन जाए, इस प्रकार की कोई योजना बन जाए कंकरीट जिससे कि इस समस्या का समाधान हो, ऐसा आग्रह आपसे था मेरा। और आपने मुझे सच में समय दिया उसके लिए मैं आत्मीय रूप से आभारी हूं और मैं चाहूंगा इस समस्या का समाधान भी हो। धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्षः** जो कुलवंत जी ने, माननीय सदस्य ने बात की है मैं चाहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसको अधिकारी जो हैं इसका संज्ञान लें और इनकी समस्या का लिखित रिप्लाई स्पीकर कार्यालय को भेजे, हम लिखकरके भी भेजेगे इसको। और भी जो-जो इस तरह की समस्याएं हैं, जो यहां उठाई जाती हैं उस पर, हां जी।

**श्री अभय वर्माः** अध्यक्ष जी, आज से तीन साल पहले जब कोविड चल रहा था तो हमारे यहां एक डिस्पेंसरी था जिसमें गरीब लोग जाते थे।

**माननीय अध्यक्षः** विषय उठाना है क्या?

**श्री अभय वर्माः** हैं।

**माननीय अध्यक्षः** कोई विषय ले रहे हैं।

**श्री अभय वर्माः** हां, विषय है।

**माननीय अध्यक्षः** अभी, अब कल देंगे मौका आपको। आप 280 में डालिए। माननीय सदस्यगण मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार के बजट से संबंधित सभी दस्तावेज दिल्ली बजट ऐप पर उपलब्ध करवाये जाएंगे। सभी

सदस्यों को इसके लिए आई–पैड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। सदस्य एम.एल.ए. लॉन्ज नंबर–1 से अपने आई–पैड लंच ब्रेक के दौरान आज ही प्राप्त कर लें। माननीय सदस्य दिल्ली बजट ऐप आइकॉन को क्लिक करके बजट के दस्तावेज देख सकते हैं। इसके अलावा गुगल प्ले–स्टोर में भी ये ऐप्प उपलब्ध है और माननीय सदस्य अपने मोबाइल या लैपटॉप में ऐप्प को डाउनलोड करके भी बजट के दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं।

सदन पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात–अब दिल्ली की मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री के रूप में श्रीमती रेखा गुप्ता कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 3 में दर्शाए गए निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या–चार।

## सीएजी रिपोर्ट (डी.टी.सी.) का प्रस्तुतिकरण

**माननीया मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री (श्रीमती रेखा गुप्ता):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या–04) की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं।[5]

**माननीय अध्यक्ष:** सभी सदस्यों को सीएजी की ये रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाए। इस पर बातचीत के लिए भोजन का जो अवकाश है, 2.00 बजे सदन उसके बाद दुबारा जब समवेत होगा तो इस पर बातचीत की जाएगी। अभी कॉपी जो है वो सबको सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाए।

5. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर–23378 पर उपलब्ध।

**सुश्री आतिशी (माननीया नेता-प्रतिपक्ष):** अध्यक्ष महोदय, मेरा एक आग्रह है...

**माननीय अध्यक्षः** अभी इस पर बातचीत हम...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** सब लेंगे।

**सुश्री आतिशीः** और साथ साथ ही ये भी दिसंबर के महीने से 14 की 14...

**माननीय अध्यक्षः** हम आपको मौका देंगे अभी, लंच के बाद आप बोलिएगा। आप जो भी कहेंगे, हम आपकी बात कर लेंगे।

...(व्यवधान)

**सुश्री आतिशीः** ...14 की 14 क्यों नहीं रख रहे?

**माननीय अध्यक्षः** हम आपसे बात करेंगे तब। सदन की कार्यवाही 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

*(सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)*

**सदन अपराहन् 2.06 बजे पुनः समवेत हुआ।**

माननीय अध्यक्ष **(श्री विजेन्द्र गुप्ता)** पीठासीन हुए।

## सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा

**माननीय अध्यक्षः** माननीय सदस्यों, सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गयी है, मैं चाहूंगा श्री हरीश खुराना।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** अभी करेंगे बात। पहले एक बार ये हो जाये फिर वो भी कर लेंगे। श्री हरीश खुराना जी।

**श्री हरीश खुरानाः** आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि जो उन्होंने वादा किया था कि हम सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पे रखेंगे, उसकी कड़ी में आज हम लोगों ने रेखा गुप्ता जी की सरकार ने डीटीसी की रिपोर्ट सदन के पटल पे रखी है। जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था अध्यक्ष जी, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई जो पिछली सरकार की फाईनेंशियल इरेगुलेरिटीज और फाईनेंशियल मिसमैनेजमेंट का जीता जागता उदाहरण इस सीएजी की रिपोर्ट में है अध्यक्ष जी। ये सरकार जो पिछली आई थी जब 2015 के अंदर 2013 और 2015 के अंदर इन्होंने अपने मेनिफेस्टो में लाए थे कि हम दिल्ली के अंदर लगभग 11-12 हजार बसिज़ लेके आयेंगे लेकिन हालत ये थी, फाईनेंशियल मिसमैनेजमेंट का आलम ये था कि डीटीसी की बसिज़ जो इनको अपने बेड़े में शामिल करनी चाहिये थी वो बसिज़ तो शामिल की नहीं, और जो क्लस्टर बसिज़ को प्राईवेट ऑपरेटर्स को ये बढ़ावा देते हुए उसको ये प्रमोट कर रहे थे, ये सीएजी की रिपोर्ट उसके अंदर चीख चीख के कहती है। अध्यक्ष जी, 2015 के अंदर जब ये सता में आये थे मेरे सामने वाले आज की डेट में जो विपक्ष में बैठे हुए हैं तब दिल्ली के अंदर डीटीसी बसिज़ के अंदर 4344 बसिज़ चल रही थी। 2022 तक की ये रिपोर्ट है 22-23 तक की रिपोर्ट है। सात साल, आठ साल

के अंदर दिल्ली की आबादी तो बढ़ी और मैं अगर ये अनुमान लगाउं तो कम से कम 20 लाख तो आबादी बढ़ी होगी लेकिन उस हिसाब से डीटीसी बसिज़ भी बढ़नी चाहिये लेकिन आलम ये था कि 2015 के अंदर 4344 बसिज़ थी जो घट के 3937 बसिज़ रह गयी 2022 आते आते। दावे बड़े बड़े किये गये सामने वालों ने यहीं पे कई बार बयान दिया गया कि हम डीटीसी को हम ऑपरेटिंग एक लाभकारी वो बना के देंगे और मुझे याद है जब हमारे पिताजी इस सदन में आये थे मुख्यमंत्री के रूप में, साहिब सिंह वर्मा जी थे मुख्यमंत्री के रूप में। जब हमको डीटीसी मिला था तो अध्यक्ष जी जो लॉस था वो जीरो था। यहां लवली जी बैठे हैं उनको मालूम है कि जब डीटीसी दिल्ली सरकार को ट्रांसफर हुई थी तो जीरो लॉस था। लेकिन आज हालत ये हो गयी अध्यक्ष जी 2021-22 तक का जो लॉस दिखाया गया है डीटीसी डीटीसी का अध्यक्ष जी, वो है 8498 करोड़ 35 लाख रूपये अध्यक्ष जी। ये हालत है। और ये कोई अध्यक्ष जी एक साल में नहीं हुआ, अगर मैं 2015 का आंकड़ा देखूं इस सीएजी की रिपोर्ट के अंदर तो 3411 करोड़ का लॉस था अध्यक्ष जी। 2016 के अंदर 3843 करोड़ का हो गया, 2017 के अंदर 4329 करोड़ का हो गया, 18-19 के अंदर 5280 करोड़ का हो गया, 2019 के अंदर 6147 करोड़ का हो गया और 20-21 के अंदर 7342 करोड़ का हो गया। और जैसे कि अभी मैंने बताया अध्यक्ष जी 21-22 की रिपोर्ट कहती है 8498 करोड़ रूपया। अध्यक्ष जी, सवाल आज ये उठता है डीटीसी की बसिज़ तो बढ़ी नहीं, लेकिन लॉसिज इनकी सरकार के अंदर जो सामने हमारे मित्र बैठे हुए हैं 5 हजार करोड़ का लॉस बढ़ गया ये फाईनेंशियल इरेगुलेरिटीज और फाईनेंशियल मिसमैनेजमेंट का जीता जागता उदाहरण नहीं है तो और क्या है अध्यक्ष जी। ये सदन के सामने इनको जवाब देना चाहिये अध्यक्ष जी।...

...(व्यवधान)

**श्री हरीश खुराना:** अरे सुनिये, सब्र रखिये अभी बोलने दीजिये अभी तो मैं शुरू हुआ हूं जी, आतिशी जी अभी तो बोलने दीजिये। हालत ये थी ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो इनका था। मैडम आपको जानकारी दे रहा हूं मैं आप को शायद जानकारी नहीं होगी आतिशी जी, एलओपी जी, जब सदन के अंदर मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूं आपकी जानकारी दुरूस्त कर रहा हूं डीटीसी जब हमारे को हैंडओवर हुई थी न जीरो लॉस में हुई थी, जीरो लॉस पे। इसलिये आपने जो आज 8498 करोड़ है उसके बाद तो मैं आपको जो आरटीआई आई है उसमें 11 हजार करोड़ रूपया आया हुआ है। उसपे नहीं आ रहा अभी मैं। तो इसलिये उसका जो फाईनेंशियल मिसमैनेजमेंट है उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की पार्टी की सरकार है ये तय है।

...(व्यवधान)

**श्री हरीश खुराना:** यैस, मैं उसी पे आ रहा था, मैं उसी पे आ रहा हूं। इनकी जानकारी एक्चुअली इनको सारा टाईम अरविंदर जी इनको सारा टाईम कमाने से फुर्सत मिले तो न, जब नंबर दो की कमाई जेब में जाने से फुर्सत मिले तो पता लगेगा न। खैर मैं उसपे नहीं आ रहा। ऑपरेटिंग रेवेन्यू हालत ये है... आ रहा हूं ऑपरेटिंग रेवेन्यू पे हालत ये थी हालत ये थी ऑपरेटिंग रेवेन्यू की कि जब ये सता में आये थे...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष:** आपको मौका मिलेगा आप अपनी बात कहियेगा।

**श्री हरीश खुराना:** अभी तो पोल खुलनी शुरू हुई है।

**माननीय अध्यक्षः** तभी आप अपनी बात कहियेगा।

...(व्यवधान)

**श्री हरीश खुरानाः** कुलदीप जी अभी तो पोल खुलनी शुरू हुई है अभी तो शांत हो के बैठो। खोलेंगे अभी खोलेंगे अभी, अरे बैठो मेरे प्रभु, बैठो बैठो। हालत ये थी अध्यक्ष जी फाईनेंशियल मिसमैनेजमेंट की हालत ये है ऑपरेटिंग रेवेन्यू जब ये लोग आये थे तो 914 करोड़ रूपये का था ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो घट के इनकी सरकार के अंदर जब ये 2021-22 की ये जो रिपोर्ट कहती है 558 करोड़ का रह गया अध्यक्ष जी। अब वो जो रेवेन्यू है वो कहां जा रहा था वो तो सामने वाले मेरे सरकार में जो लोग व्यक्ति पहले थे वो बतायेंगे लेकिन हालत ये थी कि जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की हालत थी वो इस रिपोर्ट में चीख-चीखकर आ रही है आतिशी जी। लॉस की बात मैंने आपको कर दी। हालत ये थी कॉरपारेशन, जो डीटीसी कॉरपोरेशन में,... सुनिए, सुनिए, आतिशी जी सुनिए, डीटीसी कॉरपोरेशन के पास 3.18, सुनिएगा जरा, आप जरा आराम से सुनिएगा, आपको सुनना चाहिए, 3 लाख 18 हजार स्क्वायर मीटर प्रॉपर्टी आपने क्लस्टर बसिस को दे दी, आपने किराया तक नहीं लिया, किसकी जेब में गया वो बताना पड़ेगा आपको आतिशी जी। 3 लाख 18 हजार स्क्वायर मीटर कम नहीं होता, आपने क्लस्टर को दे दिया, आपने उसके साथ रेंट एग्रीमेंट कर लिया, 225 करोड़ रुपये बकाया 2021 के अंदर थे, एक चिट्ठी नहीं लिखी, एक चिट्ठी कि भई आप उनको दे दीजिए। लॉस में है डीटीसी अध्यक्ष जी लेकिन उनसे पैसा रिकवर नहीं करना क्योंकि वो प्राइवेट प्लेयर थे, इन लोगों की भागीदारी थी, मैं आरोप लगा रहा हूं इसकी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों की मिलीभगत की वजह से आज डीटीसी नुकसान के अंदर है अध्यक्ष जी, नुकसान के अंदर है।

225 करोड़ रुपया बकाया रेंट का ये लोग वसूल नहीं रहे थे, ये इसके अंदर सीएजी ने साफ-साफ लिखा है अध्यक्ष जी।

इसके अलावा जो ऑडिट ने रिपोर्ट में कहा, ऑब्जर्व किया, 236 करोड़ 82 लाख रुपये एवेलेबल थे इनके पास फंड में डीटीसी की नई बसिस खरीदने पर 2015 के अंदर अध्यक्ष जी, 2022 के अंदर 233 करोड़ रुपये थे, इनके पास फंड एवेलेबल था। लेकिन जानबूझकर, मैं आरोप लगा रहा हूं जानबूझकर इन्होंने डीटीसी की बसिस नहीं खरीदी। और बसिस कितनी आई, टोटल बसिस जो आई वो आई 2 इलेक्ट्रिकल बसिस, अध्यक्ष जी, 2 इलेक्ट्रिकल बसिस। ये तो धन्य हों, धन्यवाद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने फेम के तहत हम लोगों को इलेक्ट्रिक की बसिस दिल्ली के अंदर दी, उसमें भी क्रेडिट ये लोग लेना चाहते हैं कि हमने लेकर आए। पैसा फेम ने दिया, पैसा सेंट्रल गवर्मेंट ने दिया, क्लेम क्या है हमने डीटीसी बसिस खरीद ली। गजब मॉडल था आप लोगों का, गजब मॉडल था।...

...(व्यवधान)

**श्री हरीश खुराना:** आइयेगा, अपनी बारी में बोलियेगा। कुलदीप जी, अपनी बारी में बोलियेगा।

...(व्यवधान)

**श्री हरीश खुराना:** अरे अभी तो तुम्हारी पोलें खुलनी शुरू हुई हैं, अभी तो शुरू हुई हैं, कुलदीप जी सब्र, सब्र। हालत ये थी अध्यक्ष जी, एक तरफ तो डीटीसी बसिस कम हो रही थी लेकिन इनके मित्रों की बसिस बढ़ रही थी, क्यों, उनके लिए बसिस थी, डीटीसी के लिए बसिस नहीं खरीदी जा सकती थी,

कारण, दिल्ली की जनता पूछेगी। हालत ये थी 1770 सीएनजी बसिस ओवर-ऐज हो चुकी थी, उसके बावजूद आपने नहीं खरीदी अध्यक्ष जी, 2025-2023 तक, 2023 तक। और हालत ये है, यहां मेरे साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं इस वक्त कि जो इन्होंने बसिस नहीं खरीदी उसकी ओवर-ऐज की वजह से आज दिल्ली में जब संकट आने वाला है वो उसका हालत की जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सामने बैठे हुए मेरे ये जो, पुराने जो ये यहां की सरकार थी वो थी।

...(व्यवधान)

**श्री हरीश खुराना:** अरे अभी रूको, रूको, भाई रूको।

*(अपराह्न 2.18 बजे माननीय उपाध्यक्ष- श्री मोहन सिंह बिष्ट पीठासीन हुए।)*

**श्री हरीश खुराना:** माननीय उपाध्यक्ष जी, जब मैं ये कह रहा हूं कि...

...(व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष:** बोलिए, बोलिए, बोलिए।

**श्री हरीश खुराना:** फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट...

...(व्यवधान)

**श्री हरीश खुराना:** अच्छा माननीय अध्यक्ष जी, सॉरी, पहली बार, माननीय अध्यक्ष जी, मान ली गलती सर।

...(व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्षः** थैंक यू।

**श्री हरीश खुरानाः** माननीय अध्यक्ष जी,...

...(व्यवधान)

**श्री राज कुमार चौहानः** मैं 13 साल मिनिस्टर, 20 साल एम.एल.ए. भी रहें, कभी हाउस सुबह 11.00 बजे नहीं चलता था। अब नए हमारे उपाध्यक्ष आए हैं, आप ऑर्डर करके जाए कि 2.00 बजे चले।

**माननीय उपाध्यक्षः** मैं बता करूंगा, आपस में बात करके, स्पीकर साहब से बात करने के बाद ही डिसीजन लेंगे। कोई नहीं।

...(व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्षः** ठीक है। बोलिए, बोलिए, कंटिन्यू कीजिए।

**श्री हरीश खुरानाः** माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग गठबंधन की बात करते हैं, अपने दोस्तों को किस प्रकार से फायदा पहुंचाया इसका उदाहरण इस सीएजी रिपोर्ट के अंदर भी है। डिम्ट्स में एक तरफ तो बसिस, इनको डीटीसी बसिस नहीं मिल रही थी लेकिन इनके दोस्तों को बसिस मिल रही थी अध्यक्ष जी। हालत ये थी जब डिम्ट्स की बसिस, क्लस्टर बसिस 2015 के अंदर 1293 बसिस थी लेकिन 2021 के आते-आते 3239 बसें तो डिम्ट्स की इनके दोस्तों की हो गई, डीटीसी बसिस नहीं आई, क्यों नही आई, ये मेरे सामने ही बैठी हैं एल.ओ.पी., हमारी आतिशी की सरकार जो पुरानी सरकार थी वो बतायेंगी। लेकिन... अब कैसे हुआ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ये तो ये ही बतायेंगी।... लेकिन हालत ये है डिम्ट्स का ऑपरेटिंग जो खर्चा था वो 54 रुपये था पर किलोमीटर लेकिन इनका

भ्रष्टाचार, मैं आरोप लगा रहा हूं भ्रष्टाचार था इन लोगों का, उसका जो डीटीसी का जो खर्चा पर किलोमीटर आता था वो 544 रुपये आता था, अध्यक्ष जी, 544 रुपये आता था। एक तरफ डिम्ट्स का खर्चा 54 रुपये और इनका 544 रुपये, भ्रष्टाचार का खुला उदाहरण इस सीएजी की रिपोर्ट के अंदर है। न इन्होंने सीसीटीवी इंस्टॉल किए, न इन्होंने पेनिक बटन इंस्टाल किया, बातें बड़ी-बड़ी थी और कुछ नहीं था। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा, इस रिपोर्ट को जब हमने पढ़ा है, निश्चित तौर के ऊपर भ्रष्टाचार की बहुत सारी चीजें इंगित हो रही हैं, मैं निवेदन करूंगा पीएसी इसकी जांच करे और तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

**माननीय उपाध्यक्षः** तरविन्दर सिंह मारवाह जी।

**सुश्री आतिशी ( माननीया नेता-प्रतिपक्ष ):** अध्यक्ष जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है...

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी, समय तो पढ़ने का कम है लेकिन फिर भी बोलेंगे हम।

...(व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्षः** एक मिनट मारवाह जी। बोलने दीजिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को, बोलिए।

**सुश्री आतिशीः** अभी ये रिपोर्ट एक घंटा हुआ है कि ये पेश हुई है सदन पटल पर।

...(व्यवधान)

*(अपराह्न 02.21 बजे माननीय अध्यक्ष **श्री विजेन्द्र गुप्ता** पुनः पीठासीन हुए।)*

...(व्यवधान)

**सुश्री आतिशीः** अरे विजेन्द्र जी,...

**माननीय अध्यक्षः** अब इसमें, एक मिनट,

...(व्यवधान)

**सुश्री आतिशीः** अध्यक्ष जी, कुछ देर तो उनको बैठने देते।

**माननीय अध्यक्षः** आप बोलना चाहेंगे क्या, आप इस पर बोलना चाहते हैं क्या?

**सुश्री आतिशीः** मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रही हूं अध्यक्ष जी कि अभी एक घंटा हुआ है...

**माननीय अध्यक्षः** मैं आपको एक मिनट, मैं आपको बुलवाता हूं उससे पहले...

...(व्यवधान)

**सुश्री आतिशीः** नहीं-नहीं, मैं बस ये कह रही हूं, इस पर चर्चा कल की जाए, कल बजट के बाद परसों की जाए,

**माननीय अध्यक्षः** चर्चा परसों ही है।

**सुश्री आतिशीः** पर अभी किसी को भी, मैं तो हरीश खुराना जी की स्पीड़ रिडिंग की तारीफ करती हूं कि एक घंटे में खाना भी इन्होंने खा लिया, रिपोर्ट भी पढ़ ली, उस पर अपना भाषण भी बना लिया,

**माननीय अध्यक्षः** खाना नहीं खाया इन्होंने।

...(व्यवधान)

**सुश्री आतिशीः** तो ये, मुझे लगता है कि ये आप, देखिए अगर हमें सीरियस चर्चा करनी है,

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट, मैं आपको बताता हूं, एक मिनट आप बैठें, एक मिनट बैठेंगे आप।

**सुश्री आतिशीः** जी।

**माननीय अध्यक्षः** देखिए ऐसा है इस पर चर्चा परसों ही होगी लेकिन क्योंकि रिपोर्ट आज आई है और इस पर कुछ सदस्यों ने कहा कि हम एक टिप्पणी करना चाहते हैं, जैसे आपने भी मुझे, आपकी तरफ से भी किसी, उन्होंने भी कहा था, तो सबको तो नहीं बुलवा पायेंगे आज हम, मारवाह जी शायद आपने भी बोला था। अच्छा, आपने बोला था, तो चीफ व्हिप जी के पास आया होगा उन्होंने अभी, भेज दिया आपने, कहां पर भेजा, मेरे पास नहीं पहुंचा कागज। खैर चलिए अब फिर मैं आतिशी जी को भी बुलवाऊंगा।

**सुश्री आतिशीः** अध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति अभी एक घंटे में ये 200-300 पन्ने की रिपोर्ट है तो कोई भी व्यक्ति इसे डिटेल में पढ़कर, देखिये ये सदन की गरिमा भी है। अगर हमने रिपोर्ट ठीक से पढ़ी नहीं है, फुर्सत से पढ़ी

नहीं है, हम उस पर कोई टिप्पणी करे, कोई भी चाहे, वो पक्ष के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, अभी एक घंटे पहले ये सबके हाथ में आई है,

**माननीय अध्यक्ष:** अभी तो आपने कहा था रिपोर्ट आ क्यों नहीं रही, जब रिपोर्ट आई है तो आप कह रहे हैं कि इस पर बात मत करो।

**सुश्री आतिशी:** तो मेरा ये मानना है चर्चा, ये चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए पर पहले सब लोग रिपोर्ट पढ़ तो ले।

**माननीय अध्यक्ष:** नहीं-नहीं, रिपोर्ट पर बातचीत का...

...(व्यवधान)

**सुश्री आतिशी:** तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये चर्चा आज के बजाय बजट के बाद अगर परसों करी जाए। क्योंकि ये लिस्ट ऑफ बिजनेस में तो थी भी नहीं कि इस पर डिस्कसन होगी। लिस्ट ऑफ बिजनेस जो रिवाइज लिस्ट ऑफ बिजनेस भी आई उसमें सिर्फ लिखा था कि ये रिपोर्ट हाउस में पेश होगी।

**माननीय अध्यक्ष:** चलिए विपक्ष नहीं चाहता इस पर बात आज हो।

**सुश्री आतिशी:** नहीं परसों बात हो, एक बारी इसको पढ़ लिया जाए अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी पूर्वक बात होनी चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष:** ठीक है।

**सुश्री आतिशी:** पक्ष के द्वारा भी विपक्ष के द्वारा भी।

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है आपकी बात सुन ली है। अभी विपक्ष ने दो विषय उठाए हैं, एक तो ये विषय उठाया है कि भई रिपोर्ट एक-एक करके आ रही हैं और दूसरा विषय उठाया कि भई आज रिपोर्ट पर बात ना की जाए।

**सुश्री आतिशीः** परसों की जाए।

**माननीय अध्यक्षः** हॉ। तो बिल्कुल सही बात है कि चर्चा जो है परसों जारी रहेगी। लेकिन अगर सदस्य कोई विषय रखना चाहते है तो हम संक्षिप्त में इस पर....

...(व्यवधान)

**श्री अभय वर्माः** सदस्यों से बात किया था और 3 लोगों ने अपनी सहमति जाहिर की है।

**माननीय अध्यक्षः** जी।

**श्री अभय वर्माः** तो मेरा ये कहना है कि ये तीन लोग से आप बुलवा लीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री अभय वर्माः** और एलओपी। नहीं तीन लोग हमारे तैयार हैं।

**माननीय अध्यक्षः** मेरे पास यहां पर्ची पहुंची नहीं है।

**श्री अभय वर्माः** मैं अभी दुबारा भेज देता हूं।

**माननीय अध्यक्षः** भिजवा दो।

**श्री अभय वर्माः** पर्ची मैंने भेजा था न।

**माननीय अध्यक्षः** मुझे लगता है आतिशी जी आपको रिपोर्ट की चर्चा में खुले दिल से सहयोग करना चाहिए और ये सदस्यों का अपना विवेक है कि वो उसपर क्या बात कर रहे है, वो क्या कह रहे है आप अपनी तरफ से नाम दीजिए मुझे। मैं तो चाहता हूं आप अपनी तरफ से नाम दें।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** चलिए फिर आपकी तरफ से कोई सदस्य अगर नहीं बात करना चाहता तो वो परसों कर लेगा।

**श्री अभय वर्माः** हां, इधर से मैं आपको अभी तरविंदर जी...

**माननीय अध्यक्षः** मैं अब मंत्री जी को, सिरसा जी को वो अपनी बात शुरू करें।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** सीएजी पर तो पूरी खुलके बातचीत होगी, चर्चा होगी दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि सीएजी का सच क्या है।

**सुश्री आतिशीः** अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल हमें पढ़ने का मौका तो दीजिए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** बिल्कुल। ये जारी रहेगी चर्चा, चर्चा जारी रहेगी। आज जो सदस्य अपने...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** चलिए।

...(व्यवधान)

**माननीय उद्योग मंत्री ( श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ):** धन्यवाद अध्यक्ष जी आपने मेरे को जो...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** वैसे आतिशी जी के पास कई साल रही है रिपोर्ट।

**माननीय उद्योग मंत्री ( श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ):** कैग रिपोर्ट जो आई है, ये बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसको पिछले लम्बे समय से दबाकर रखा गया। अब मुझे तो इस बात की हैरानगी हो रही है कि आज हमारी विपक्ष की नेत्री कह रही हैं कि हमें पता ही नहीं हमने पढ़ा ही नहीं, तो इतनी देर से जब दबा के कमरों में रखी हुई थी, तो पढ़ लेते हमने कौन-सा आपको रोका था हमारे हाथ में तो अभी आई हैं। चलिए।

...(व्यवधान)

**माननीय उद्योग मंत्रीः** मेरा आपसे कहना है अध्यक्ष जी,

...(व्यवधान)

**माननीय उद्योग मंत्री ( श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ):** हम मेहनत करते हैं, आतिशी जी हम कमरे में बैठकर मेहनतें करते हैं। ठीक है, हो गया।

**सुश्री आतिशीः** ये कह रहे हैं कि सील तोड़ लेनी चाहिए थी।...

**माननीय उद्योग मंत्री ( श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ):** अच्छा जी, ओ हो ओ हो। रखिये बड़ी एनर्जी की जरूरत है अभी आपको।

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट जरा, शुरू करें। सिरसा जी।

...(व्यवधान)

**माननीय उद्योग मंत्री ( श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ):** अध्यक्ष जी जो कैग की रिपोर्ट पिछले।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** सिरसा जी आप शुरू करिये।

...(व्यवधान)

**माननीय उद्योग मंत्री ( श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ):** अच्छा लगता है आप झूठी बातें बोलते हैं, आपको अच्छा लगता है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** सिरसा जी अपनी बात शुरू करिये। सदन का समय...

...(व्यवधान)

**माननीय उद्योग मंत्री ( श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ):** अध्यक्ष जी ये कैग की रिपोर्ट आज स्पष्ट बताती है, आतिशी जी क्यों गुस्से में है। आतिशी जी का गुस्सा जायज है। देखिये कभी किसी का भी...

...(व्यवधान)

**माननीय उद्योग मंत्री ( श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ):** खुराना जी एक मिनट ठहरिये।

**माननीय अध्यक्ष:** आप बैठ जाइये हरीश खुराना जी।

**माननीय उद्योग मंत्री ( श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ):** देखिये जब भी विपक्ष को ऐसा लगता है कि उनके पिछले किये हुए पाप सामने आ रहे हैं उनकी करप्शन सामने आ रही है तो वो जल्दी से कूदना शुरू कर देते हैं। कैग की रिपोर्ट हम सब लोग चाहते थे, आप भी चाहते थे उसपर चर्चा हो। देखिये मैंने बैठकर आतिशी जी मेहनत की, जब आप खाना खा रहे थे आतिशी जी तब मैं ये तैयारी कर रहा था। जब आप खाना खा रहे थे मैं सीएम महोदया आपके आदेश हुआ हम काम करते हैं, हम यहां पे खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए नहीं आते, हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा काम क्या है जो हमें काम मिला है, लोगों ने मौका दिया है हम उसका सदुपयोग करें। और मैं विपक्ष के अपने दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, अपनी नेत्री अपनी बहन से भी कहना चाहता हूं हम सब लोगों को सार्थक बातें करनी चाहिए। देखिये मैं आपको, आपको अच्छा लगना चाहिए कि आपके भाई को भी जब रिपोर्ट मिली मैंने सबसे पहले काम किया कि अपने ऑफिस गया, इसको सारा मार्क किया ये देखिये एक-एक चीज को मार्क किया, फिर उसको टाइप कराने को लड़के को देकर आया और फिर आप जब यहां बैठे थे तो मैं लड़के को मैसेज कर रहा था कि अभी तक टाइप नहीं हुआ। अच्छा है हमें काम करना चाहिए। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें इस बात का दुख है अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर करप्शन खत्म करने आए लेकिन जो भी कैग की रिपोर्ट पढ़ते हैं वो चिल्ला-चिल्ला के बोलती है ये करप्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं, ये करप्ट हैं, ये भ्रष्ट हैं।

अब मुझे समझ नहीं आया कि केजरीवाल जी भ्रष्टाचार लेकर आए थे या खत्म करने आए थे। अंग्रेजी में हमें अकसर कहा जाता था कि जो अफसरशाही है वो क्या करती है उनकी मर्जी होती है जब तो काम करना होता है, तो लिख देते हैं note approved और ना करना है तो उसको नोट का ई हटा देते हैं, कह देते हैं not approved. केजरीवाल जी का भी वही काम है। कह के आए कि भ्रष्टाचार हटाउंगा, जो किताब खोल के देखते हैं उसमें भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार है। तो आतिशी जी आपको पढ़ना है तो मैं बिना, क्योंकि आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन इतनी मेहनत ना करे। मैं बता देता हूं कैग रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है। तो देखिये बड़ी इंटरस्टींग बात लिखी कैग रिपोर्ट में, कैग रिपोर्ट में हाईकोर्ट का विवरण है, अब इसको ना तो मैं झूठला सकता हूं ना आप झूठला सकते हैं 'The High court of Delhi suo moto अपनी मर्जी से through order dt. 10th September, 2010 intra alia directed Delhi Govt. and Corporation कि आप 11 हजार बसों का फ्लीट लें and corporation fleet share was required to be 5500 साढ़े 5 हजार कोर्पोरेशन का शेयर होना चाहिए in spite of all this क्या किया हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद क्या किया श्री, जस्ट आप सुनके देखो, आप सुनो although 31 मार्च, 2022 तक 1740 बसों की कमी थी और 5500 बसों की बात तो छोड़ दिये केवल दो, लिखा इसमें। except 2 electric buses in March 2022 अब आपको हाईकोर्ट झाड़ लगा रहा है, हाईकोर्ट आपको आदेश कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके पास तो काम करने का समय ही नहीं था। आपको तो लूटने का समय था, कभी शराब की पॉलिसी के नाम से पैसे लूटने थे, कभी स्कूल के कमरों के नाम से पैसे लूटने थे और कैग की रिपोर्ट दबानी थी, अब आपका काम हाईकोर्ट कर रहा है, हाईकोर्ट आपको लिखत में आपको

देके आ रहा है आतिशी जी कि आप कीजिए काम, आप फिर नहीं कर रहे। अच्छा आगे आइये।

...(व्यवधान)

**माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा):** हम आपको बतायें आगे भी, सुनिये आतिशी जी,

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** आप अपनी बात कहे।

**माननीय उद्योग मंत्री (श्री मनजिंदर सिंह सिरसा):** क्योंकि आपको समय लगेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं। ऑडिट रिपोर्ट ने जो सबसे बड़ी बात कही, जो केजरीवाल जी कहते थे की मैं पैनिक बटन लगा रहा हूं, सीसीटीवी लगा रहा हूं, मार्शल लगा रहा हूं, क्या लिखा है कैग रिपोर्ट shows the gross mismanagement bordering on criminality in DTC buses, criminality के अंदर gross mismanagement हो रही थी, उसके अंदर बहुत अपराध हो रहा था और जिस अपराध के लिए आपने कहा कि हमने बटन दबा दिया, ये वाला उसमें क्या किया जा रहा था, केवल और केवल पैसा खाने का काम किया जा रहा था, इसलिये आप आज कह रहे थे कि कैग की रिपोर्ट मत लाओ, इसकी चर्चा मत करो, इसकी बिल्कुल चर्चा मत करो, करेंगे। आगे, 814 रूट हैं अध्यक्ष जी और उन रूट में से केवल 468 रूट के ऊपर बसें चल रही हैं। गरीब आदमी का आप गला घोंट रहे हैं। गरीब आदमी गाड़ियॉ नहीं अफोर्ड करता। गरीब आदमी के पास रोजमर्रा की जिंदगी जीने के साथ काम करने के लिए उसको बस की जरूरत है और इन्होंने क्या किया 814 बसों में से केवल 468 रूट

चलने दिये बाकी रूटों को बंद कर दिया। ये आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये आम आदमी की सरकार है। आगे देखिये। अब जो अभी मेरे से पहले हरीश जी ने भी कहा, क्या था ओपरेटिंग रैवेन्यू। पहले आपके पास कितना पैसा आ रहा था, 914 करोड़ रुपया 2015-16 में जब आपको सरकार मिली और आपने क्या किया। आपने साबित किया कि केजरीवाल जी का मकसद लूटना था ये नालायकों की सरकार थी उसको आधा करके 558 करोड़ रुपया रह गया बाकी सारा पैसा कहां जा रहा है, वीकेटी दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं 914 करोड़ की जगह साढे पांच सौ करोड़ आ रहा है बाकी का पैसा कौन खा रहा है उसका नाम बताने की कृपा करें। बताएं कौन पैसा वो खा रहा है? आगे देखिए। इसी दौरान जो दिल्ली सरकार की ग्रांट थी वो 1174 करोड़ थी उसको बढ़ाकर 2320 करोड़ रूपया, लवली जी आप भी मंत्री रहे हुए हैं आपको तो इन चीजों का ज्ञान है बड़ा अच्छी तरह से। आप देखिए दिल्ली सरकार के उपर बोझ डाला जा रहा है अध्यक्ष जी, जो 1174 करोड़ रूपया देते थे अब 2320 करोड़ रूपया दे रहे हैं 2320 करोड़ में क्या कर रहे हैं पहले 814 रूटों में बसें चलती थीं अब 468 रूट पे चलती हैं और पैसा 1174 से सीधा डबल 2320 करोड़ रूपया अब इससे बड़ी लूट क्या होगी। आगे आईये, पहले आपके पास operating expenditure था 2,398 करोड़ रूपया क्योंकि आप 1174 करोड़ रूपया लेते थे और बाकी 914 करोड़ आपके पास आता था। अब आपका expenditure हो गया तीन हजार साठ करोड़ रूपये और लोन कितना 3,277 करोड़ से 8,375 करोड़। केजरीवाल जी कहा करते थे मैं बनिया का बेटा हूं मुझे सरकार चलानी आती है बिल्कुल बनिया को हिसाब भी करना आता है उससे बैटर कोई नहीं हो सकता लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का ध्यान सरकार चलाते वक्त और पैसा बचाते वक्त नहीं था। उनका ध्यान केवल खाने की तरफ था। यही कारण है जो

लॉस पहले 3277 करोड़ का था माननीय अरविंद केजरीवाल आते ही 8375 करोड़ रूपये तीन गुणा बसों के अंदर आम आदमी पार्टी की लूट के कारण तीन गुणा और खाते में नुकसान होना शुरू हो गया और 8375 करोड़ पहुंच गया। आगे देखिए सबसे इंट्रस्टिंग बात ये कहते थे हमें हिसाब करना आता है ऐसा हिसाब करना आता है। हमें तो अब पता चला कि ये कहते क्यूं थे हिसाब करना आता है, कहते थे हमें घर में पैसा ले जाना आता है। पहले खर्चा आता था 213 करोड़ रूपये माफ करना, 213 रूपये पर किलोमीटर जो खर्चा आ रहा था सरकार को खर्चा पड़ रहा था लवली जी वो 213 रूपये था अब मंथली। अब कितना हो गया 213 से 214 नहीं हुआ, 314 नहीं हुआ, 414 नहीं हुआ, 450 भी नहीं हुआ, कितना हो गया, 213 से 487 रूपये सवा दो गुणा एक बस को चलाने का भईया बताइए कि आप कैसे बस चलाते हैं भाई साहब मैं पूछ सकता हूं ये कैसी बस चलती है जो 213 किलोमीटर से पर किलोमीटर जिसका खर्चा हो उसका सीधा ही 487 रूपये हो गया बताइए ऐसा होता है। सुना आपने पहले नहीं सुना होगा लेकिन केजरीवाल जी कर सकते हैं। आगे देखिए इस देश के अंदर मोदी जी के समय में तो जीडीपी दुगनी होती है हमारी जीडीपी दुगनी है ठीक है अब केजरीवाल जी भी कुछ तो करेंगे ऐसा तो नहीं है मुकाबले में हैं तो उन्होंने क्या किया वो कह रहे भाई मैं जीडीपी तो नहीं बढ़ा सकता मैं कर्जा बढ़ा देता हूं उन्होंने कर्जा डबल कर दिया। कुछ तो डबल करना है ना भई बराबरी तो करनी है ना करेंगे ना तो क्या किया जीडीपी तो नहीं बढ़ा सकते थे कर्जे को डबल कर दिया तो कितना कर दिया 1174 से 2320 करोड़ रूपया खर्चा बढ़ा के और 3277 से 8375 करोड़ रूपया अब आप बताएं कैग रिपोर्ट मत पढ़ के सुनाओ, कैग रिपोर्ट जिस कैग रिपोर्ट को उठा लो वो चीख चीख के बोलती है, स्कूल की कैग रिपोर्ट निकालो तो कमरों को रोती है कैसे लूटा

गया है और शराब घोटाले की बताओ तो बताती है कैसे एक के साथ एक बोतल फ्री बेच के घर भरा गया है। अभी उठाई है डीटीसी की वो कहती है कैसे डबल खर्चा कर दिया एक किलामीटर के अंदर डबल से ज्यादा खर्चा और तीन गुणा से ज्यादा कर्जा बढ़ा दिया गया है। अभी भी कहते हैं कैग रिपोर्ट ना बताओ। मैं तो अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूं इसमें बहुत gross irregularities हैं इतनी हैं कोई ऐसा साबित नहीं कर सकता ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है जो ये बता पाए कि किस तरह 213 से 487 रूपये एक किलोमीटर बस चलाने का खर्चा हो सकता है। ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं मानता हूं इसके उपर तो आपको एक कमेटी बनाकर इसकी सारी जांच करानी चाहिए और जो दोशी हैं उनके उपर सख्त कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई जिंदगी में इस तरह से लूटने का काम ना कर सके जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सरकार बनाकर अपने घर भरने का काम किया है और आज एक महीने से छुपकर बैठे हैं पंजाब में दिल्ली के लोगों ने यहां से हराकर भेजा और सारे हराओं का टोला आगे आगे केजरीवाल जी पीछे जो साथी जेल में थे मनीष सिसौदिया जी उससे पहले जो सत्येन्द्र जैन जी थे और सारे जा के वहां पंजाब सत्ता भोगने के लिए वहां पहुंच गए। मैं समझता हूं लोगों ने आपको सत्ता से निकाला था कोई अधिकार नहीं है अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब की सत्ता पे जा के काबिज करने की कोशिश करने की और इसलिए क्योंकि उनकी जवाबदेही थी उन्होंने दिल्ली को लूटा था आज कैग की रिपोर्ट को इसलिए दबाया जा रहा है लेकिन आप याद रखियेगा अब ये वो सरकार है जो आपका एक एक लूटे हुए पैसे का पाई पाई का हिसाब लेगी और आपको हिसाब देने के लिए मजबूर करेगी। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्षः** डॉक्टर अनिल गोयल।

**डॉक्टर अनिल गोयलः** अध्यक्ष जी नमस्ते, आप मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में अभी किसी ने कहा कि इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है मुझे लगता है एक घंटे अगर इसका executive summary ही देख लें तो सारी की सारी कच्चा चिट्ठा bad governance क्या होती है, mismanagement क्या होता है पैसे का दुरूपयोग किस तरह होता है और कोई देखने वाला नहीं है। ये सारा इस executive summary में दिया हुआ है अध्यक्ष जी कोई भी लेखा परीक्षा या कोई निगम चलाया जाता है कि कुशल दे, किफायती दे, उचित रूप से सड़क परिवहन दे। इन तीनों पैरामीटर्स पर ये कुशल नहीं रहा inefficient हो गया किफायती नहीं रहा करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ ये किस तरह से हुआ ये इसमें मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी कोई व्यवसायिक योजना तैयार नहीं की गई जिससे कि आगे इस निगम के द्वारा फायदा हो और 2015 से 23 की अवधि के दौरान निगम का बेड़ा 4,344 से घट कर 3,937 रह गया 2023 में जबकि ये बढ़ना चाहिये, पापुलेशन बढ़ रही है ये कम रह गया और इसमें भी 300 इलेक्ट्रिक बस ही सिर्फ खरीद पाया ये निगम। और इस ईवी को जोड़ने में जो देरी हुई उसके लिये जो विलंबित डिलीवरी के लिये 29.86 करोड का जुर्माना नहीं लगाया गया। ये भी एक निगम का दिल्ली सरकार का लॉस हुआ। और तो और जितनी लो फ्लोर बसिस थी सिर्फ 2015 में point 5 पांच बसें थी point 13 परसेंट और जो हो गयी करीब 45 परसेंट 2023 में। लो फ्लोर बसें मतलब ओल्ड एज फ्लीट हो गयी। इसका मतलब इसमें ऑपरेशन लॉस होगा वो पाल्यूशन का भी कारण होंगी ये एक मिसमैनेजमेंट का एक और बहुत बड़ा उदाहरण इसके साथ रहा है। और इसी तरह उनके ब्रेक डाउन भी बढ़ गये और उससे लॉस क्या हुआ, इससे लॉस ये हुआ कि करीब 14198 करोड़ का परिचालन घाटा हुआ अध्यक्ष जी। ये परिणामस्वरूप ये सब ओल्ड फ्लीट के कारण, कम

बसों के कारण, रूट पर कम चलने के कारण ये 14198.86 करोड़ ये सीएजी ने कहा इसका घाटा हुआ। इसमें ऑटोमैटिक प्रणाली लागू करनी चाहिये थी जो की गयी लेकिन वो 2020 से वो सिस्टम भी फ्लाप हो गया जिससे निश्चित रूप से वहां करप्शन होगा, जो टिकट वहां दिये जा रहे हैं ऑटोमैटिक सिस्टम होता तो निश्चित रूप से उसमें लॉस नहीं होना था। सीसीटीवी सिस्टम लगाया गया, कहा गया कि बस में अब सिक्योरिटी के लिये सीसीटीवी सिस्टम लगायेंगे। मार्च 2021 में 3697 में लेकिन इसमें भुगतान कर दिया गया 52.45 करोड़ परन्तु सिस्टम में कोई उपयोग नहीं किया गया। इस प्रकार मई 2023 तक बसों में सिस्टम पूरी तरह कार्यान्वित नहीं था। और पैसे इनको दे दिये गये। अब इसके अकार्डिंग्ली अगर हम दूसरा क्लस्टर बसिज़ का परिचालन देखें तो दोनों सेम स्टेट में चल रही हैं दिल्ली में लेकिन वो बेहतर परिस्थिति में हैं और वो फायदे में हैं जबकि निगम के हजारों करोड़ रूपये जैसे मैंने बताया उसके अलावा इन्होंने क्लस्टर बसों से पार्किंग के लिये किराया सेवा कर शुल्क के अतिरिक्त परिवहन विभाग से 225 करोड़ रूपये की बकाया राशि वसूल करनी थी। इसके अतिरिक्त इन डिपो पर प्रापर्टी टैक्स भूमि किराये के रूप में 6.26 करोड़ वसूल करने थे वो भी वसूल नहीं किये गये। निगम ने इनके पास बहुत सारे विज्ञापन के भी ऑप्शन हैं। तो कोई मॉडल कोई कहते हैं हमारी मुख्यमंत्री जी भी कहती हैं मैं भी उसी समाज से आता हूं अगर मैं ये बनिया होता तो इस निगम को जरूर इसको फायदे में कर सकता था क्योंकि इसमें एडवर्टाईजमेंट से भी बहुत पैसा आ सकता था। निगम ने विज्ञापन संविदा देने में देरी की और संभावित राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया। इसी प्रकार से छूट प्राप्त सुविधाओं पर जीएसटी के कारण 63.1 करोड़ के ब्याज और जुर्माने की देनदारी इनको करनी पड़ी। ऐसा प्रतीत होता है कि निगम की आर्थिक स्थिति को गिरावट को रोकने के लिये

इसको सुनिश्चित करने के लिये घाटा कोई रोड़ मैप ही नहीं था। निगम कार्मिक नीति को बोर्ड द्वारा सैद्धांतिक रूप में देने के बाद इसको लागू नहीं किया गया। अध्यक्ष जी इसमें साफ लिखा है कि आंतरिक नियंत्रण कोई कंट्रोल ही नहीं था मेनेजमेंट का, प्रबन्धकीय managerial control कोई नहीं था जवाबदेही accountability कोई नहीं थी जिसके कारण हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है कुशासन का ये एग्ज़ेम्पल है करप्शन का एक एग्ज़ेम्पल है जो सीएजी रिपोर्ट में आया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सुशासन और भ्रष्टाचाररहित शासन के साथ इस सीएजी रिपोर्ट के बाद अगली बार जब भी ये डीटीसी की बसें चलेंगी कलस्टर बसें चलेंगी मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार के बाद ये घाटे ये managerial issues ये मेनेजमेंट के इश्यू भ्रष्टाचार खत्म होगा, मुझे बोलने का मौका दिया मुख्यमंत्री जी, व्हिप साहब और अध्यक्ष जी बहुत-बहुत धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्षः** विपक्ष से कोई सदस्य बोलना चाहेंगे।

## इकॉनामिक सर्वे पर मा. मुख्यमंत्री का वक्तव्य

**श्री अभय वर्माः** अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि कल बजट पेश हो रहा है लेकिन अभी तक इकनॉमिक सर्वे नहीं आया है इसके पीछे क्या रीज़न है एक बार मुख्यमंत्री जी हाउस को बता दें तो अच्छा रहेगा।

**माननीय अध्यक्षः** जी।

**माननीया मुख्यमंत्री (श्रीमती रेखा गुप्ता):** अध्यक्ष जी, ऐसी बहुत सारी परिपाटियां हैं जो पिछली सरकारों ने होना चाहिये था किया नहीं जैसे क्वेश्चन ऑवर पिछली सरकारों में होता ही नहीं था अब इस बार की जो सरकार है सबको सदस्यों को मौका दे रही हैं कि प्रश्न ऑवर में हिस्सा लें तो इकनॉमिक

सर्वे होना चाहिये परन्तु दिक्कतें कुछ इस प्रकार की हैं कि सभी सैक्टर का जो comprehensive survey है वो अभी हम करवा रहे हैं और अभी सभी विभागों की ऑडिट रिपोर्ट भी आ रही है और जो कि आप लोगों के सदन में पेश भी हो रही हैं तो इन ऑडिट रिपोर्ट्स के बिना किसी भी प्रकार का इकनॉमिक सर्वे पेश करने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिये ऐसा हमें लगता है तो बहुत जल्द ये काम पूरा कर लिया जायेगा और इकनॉमिक सर्वे भी पेश होगा और मुझे लगता है कि पिछली सरकार के काम पर व्हाइट पेपर भी पेश किया जायेगा।

**माननीय अध्यक्षः** माननीय सदस्यगण,

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट पहले एक विषय पूरा हो जाये फिर एक मिनट एक मिनट... मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, बिल्कुल मौका दूंगा एक चर्चा जो चल रही थी वो पूरी हो जाये, मुख्यमंत्री जी को एक मिनट। माननीय सदस्यगण अभी हमने सीएजी पर यहां चर्चा की है स्टार्ट की है जो जारी रहेगी। मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूं कि दिनांक 21 मार्च, 2025 को Accountant General, Delhi मेरे कार्यालय में मुझसे मुलाकात की और दिल्ली सरकार से संबंधित सीएजी रिपोर्ट के विभिन्न पैन्डिंग पैराज़ के बारे में जानकार दी। मैं जो जानकारी सदन के समक्ष रख रहा हूं वो बहुत ही alarming है और एक बड़ा विषय है जिसको मैं सदन के समक्ष ला रहा हूं। उन्होंने मेरा ध्यान इस गंभीर तथ्य की ओर दिलाया कि तत्कालीन विधानसभा की पीएसी या Committee on Govt. Undertaking कमेटियों ने पिछले दस वर्षों के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। एक भी पैरा दस साल में पीएसी ने और COGU ने, इससे अधिक गंभीर बात यह है कि प्रशासनिक विभागों ने भी सीएजी रिपोर्ट के पैराज़

पर अपने action taken note प्रस्तुत नहीं किये हैं ये Auditor General, Delhi, Accountant General, Delhi समय लेकर मेरे कार्यालय में आई और उन्होंने ये गंभीर जानकारियां लिखित में भी मुझे दी हैं और सारे दस्तावेज भी उपलब्ध कराये हैं। इससे अधिक गंभीर बात ये है कि प्रशासनिक विभागों ने सीएजी रिपोर्ट के पैराज पर अपने action taken note प्रस्तुत नहीं किये हैं जिन्हें तीन महीने के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना होता है। सीएजी के अधिकारी पूरे साल बहुत मेहनत करके विभिन्न विभागों का ऑडिट करते हैं और केवल गंभीर अनियमितताओं वाले पैरा को ही अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाता है इस तथ्य के बावजूद कि PAC या COGU जब किसी मामले को उठाते हैं तो विभागों का कर्तव्य है कि वे विधानसभा में अपने action taken note प्रस्तुत करें। मैं सभी विभागों को विशेष रूप से चीफ सेक्रेटरी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो अभी तक दस साल में यहां हुआ है उसके बारे में वो ध्यान कर लें जिनको बाद में सीएजी ऑफिस द्वारा जांचा जाता है action taken note आता है उसको सीएजी फिर जांचता है तो तीन comparative statement बनते हैं एक सीएजी रिपोर्ट एक action taken note और फिर उसके बाद सीएजी के कॉमेंट्स। action taken note प्रस्तुत करने में विभागों की विफलता एक गंभीर कमी है क्योंकि इससे ऑडिट की इतनी लम्बी और विस्तृत प्रक्रिया पूरी तरह निरर्थक हो जाती है। Accountant General Delhi ने यह भी बताया कि compliance की निगरानी के लिये भारत सरकार के expenditure department ने एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है और pending action taken note की निगरानी के लिये एक वेब आधारित एप्लीकेशन अर्थात् audit para monitoring system स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने इसको expedite करने के लिये कि सीएजी की रिपोर्ट टाइम्ली उस पर पैराज़ पर विचार होकर

और हाउस फैसला ले सके उसके लिये एक एप्लीकेशन डव्लप की है जिसको कहते हैं एप्लीकेशन अर्थात् audit para monitoring system इस एप्लीकेशन को NIC ने विकसित किया है Accountant General, Delhi ने एक पत्र लिखकर भी उसमें तमाम दस्तावेज़ सचिव, विधानसभा के माध्यम से मुझे पूरी जानकारी दी है। Accountant General Delhi ने जनवरी, 2025 में भी दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से दिल्ली में भी इस सिस्टम को अपनाने का अनुरोध किया था। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है और इसे तुरंत दिल्ली में तुरंत लागू किया जाना चाहिये जिससे कि सीएजी की जितनी पैन्डिंग रिपोर्ट्स हैं उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और किसी निष्कर्ष पर ये सदन पहुंच सके। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को सीएजी की ये रिपोर्ट्स पर की गई कार्रवाई की प्रभावी निगरानी के लिये दिल्ली में online APMS को लागू करने के लिये तत्काल कदम उठाने चाहिये ये इस सदन की भावना है इसमें कोई कोताही सदन बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे कागजी कार्यवाही कम होगी और action taken note जमा करने की वास्तविक समय पर निगरानी सुनिश्चित होगी। वित्त विभाग को अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह तक स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिया गया है तो ये, हां जी इस पर आप कुछ कहना चाहें।

**श्री अरविन्दर सिंह लवली:** ये जो जानकारी आपने दी है बड़ी शॉकिंग है और मैं समझता हूं कि ना केवल वो disgrace है PAC Committee की तरफ, वो इस सदन की अवमानना है अगर PAC अपनी ड्यूटी परफोम नहीं कर रही और दस साल से जो है रिपोर्ट जो है सदन के सामने नहीं लग रही तो ये क्लीयरकट सदन की अवमानना का मामला बनता है और मैं समझता हूं कि पूरे सदन को इसको गंभीरता से लेना चाहिये। पीएसी जो है इस सदन की सब-कमेटी है और वो भी ऐसी सब-कमेटी है जो सरकार का सबसे मुख्य श्रोत है और इस

सदन को रिप्रजेंट करता है। पीएसी हमारी सब-कमेटी है और उसकी जवाबदेही बनती है कि वो इस सदन के सामने रिपोर्ट लेकर आए तो निश्चित रूप से ये सदन की अवमानना का मामला बनता है इसको हम सब लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए और इस ओर सख्त कदम जो है उठाने चाहिए। ये पूरे के पूरे सदन की अवमानना का मामला बनता है।

**माननीय अध्यक्ष:** मैं सदन को ये अवगत करा दूं सीएजी का पूरा सब्जेक्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से जुड़ा हुआ है। कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से जुड़ा हुआ है और सदन से जुड़ा हुआ है इसलिए अभी पीएसी का गठन होगा, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का गठन होगा और साथ ही एपीएमएस जो हमारा ये एप्लीकेशन है इसको विभाग तैयार करेगा जिससे की इस पर गति आएगी और हम सीएजी के तमाम पैराज को जल्दी से जल्दी सैटल करना चाहते हैं। जितनी रिपोर्ट अभी आतिशी जी ने कहा कि रिपोर्ट धीरे-धीरे आ रही है। रिपोर्ट लाकर करें क्या, आप बताईये। आपने 10 साल में एक पैरा, एक पैरा भी एक रिपोर्ट में अगर 50 पैरे हैं एक पैरा भी आप इस सदन के समक्ष नहीं लाए। तो आप चाहते हैं ये भी ढ़ेर का ढ़ेर होकर के और बंद डिब्बे में चली जाए ये रिपोर्ट्स ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम एक-एक रिपोर्ट लेंगे उस पर बात करेंगे और अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे और उसका जो निष्कर्ष होगा उसको लागू किया जाएगा। सीएजी भ्रष्टाचार को खत्म करने, कम करने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है लेकिन जो सरकार दिल्ली में 10 साल रही भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर तो आती रही लेकिन एक भी जो आब्जर्वेशंस थी सुपरवीजन था भ्रष्टाचार को रोकने का जो इंस्ट्रयूमेंट था उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ ये बहुत शर्म की बात है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** इसी विषय पर बोलना है आपको सीएजी पर, सीएजी पर बोलना है। सीएजी पर बोलना है आपने, हां बोलिए सीएजी पर।

**श्री संजीव झाः** आपने जो चिंता अभी जाहिर की है मुझे लगता है कि इस देश के अलग-अलग राज्यों की विधानसभा है और मैं पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं 14 साल।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** आप इसी सदन की बात करिये। इस सदन की बात करिये आप, इधर-उधर की न बात कर ये कारवां कहां लुटा ये बता। 10 साल अपना हिसाब दीजिए आप, अपना हिसाब दीजिए आप।

...(व्यवधान)

**श्री संजीव झाः** रिपोर्ट बनी, ...उनकी भी होनी चाहिए...

**माननीय अध्यक्षः** ओमप्रकाश शर्मा जी, ओमप्रकाश शर्मा जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** अध्यक्ष जी की रूलिंग पर कोई बात नहीं होगी। अध्यक्ष की रूलिंग आखिरी होती है उसमें किसी प्रकार की कोई किन्तु परन्तु नहीं होती।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** पहले एक मिनट विषय पूरा हो जाए। पहले मारवाह जी फिर सतीश उपाध्याय जी एक विषय पूरा होने दीजिए पहले।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** ये गंभीर मामला है सीएजी का। सीएजी के अपराध से दिल्ली की पूर्व सरकारें बच नहीं सकती।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** बताईये, आप अपनी बात बताईये।

...(व्यवधान)

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने भ्रश्टाचार के खिलाफ...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** एक विषय पूरा होने दीजिए। हां जी, आप शुरु करिये तरविन्दर सिंह मारवाह। मारवाह जी बात पूरी कीजिये।

...(व्यवधान)

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं सदन की तरफ से जो आपने भ्रष्टाचार पर जो अभी आपने कमेंट्स किये उसके लिए हम आपका मुबारकबाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपका। आपने शेरों वाली बात की है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** एक बात पूरी होने दीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** आपने शेरों वाली बात की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इन्होंने 11 साल किया है उसको आप नंगा करो उसको किताबों में बिलकुल जिससे कि इनको सजा हो। अबकी अगर केजरीवाल जेल में जाए तो उसकी जमानत न लें जो ये घपले हुए हैं उसमें इनको रगड़ो अध्यक्ष जी। आपका धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी का धन्यवाद की आपने भ्रष्टाचार पर आवाज उठाई है जो आपका मूल उद्देश्य है जो मोदी जी का उद्देश्य है आपका हम धन्यवाद करते हैं, पूरा सदन धन्यवाद करता है लवली जी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अध्यक्ष जी ने किया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका। शर्मा जी धन्यवाद करो अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हैं आपका जो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने जो आवाज उठाई है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, पूरा सदन आपका धन्यवाद करता है। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** एक-एक करके एक-एक करके पहले तरविन्दर मारवाह जी की बात पूरी होने दो। मारवाह जी अपनी बात पूरी कीजिए।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** मारवाह जी आप अपनी बात पूरी कीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी 11 साल में।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** आतिशी जी सदन की कार्यवाही को सुचारु चलने दीजिए। सीएजी की महत्वपूर्ण चर्चा यहां हो रही है उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, हां जी।

...(व्यवधान)

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी 11 साल जो आज आपने करके दिखाया है इनके खिलाफ उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** सतीश उपाध्याय जी। सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

*(सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई।)*

**सदन पुनः अपराह्न 3.14 बजे समवेत हुआ।**

*माननीय अध्यक्ष **( श्री विजेन्द्र गुप्ता )** पीठासीन हुए।*

**माननीय अध्यक्षः** मारवाह जी।

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** अध्यक्ष जी, मैं परसों बोलूंगा तैयारी करके मैंने पहले भी कह दिया था। मैं परसों आराम से बोलूंगा फिर जो इन्होंने काम किये हुए हैं न वो कम से कम आधे घंटे में क्योंकि इनकी बताने हैं।

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है, ओमप्रकाश शर्मा जी।

**श्री तरविन्दर सिंह मारवाहः** लेकिन मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो कहा हाउस में कि आप भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं ये इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

**माननीय अध्यक्षः** ओमप्रकाश शर्मा जी।

...(व्यवधान)

**श्री ओमप्रकाश शर्माः** माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** ओमप्रकाश शर्मा जी।

...(व्यवधान)

**श्री ओमप्रकाश शर्माः** आज कैग की जो रिपोर्ट है उस पर बातचीत के दौरान एक नया मुद्दा आया इकनॉमिक सर्वे का अगर इकनॉमिक सर्वे की सारी चीजें पूरी नहीं हुई।

...(व्यवधान)

## सीएजी रिपोर्ट पर लंबित ए.टी.एन पर मा. अध्यक्ष महोदय का वक्तव्य एवं अन्य सदस्यों द्वारा विचाराभिव्यक्ति

**माननीय अध्यक्षः** ओमप्रकाश शर्मा जी सीएजी पर बात करिये आप।

**श्री ओमप्रकाश शर्माः** सीएजी में 10 साल से ऑडिट हुआ नहीं।

**माननीय अध्यक्षः** जिसको सीएजी पर बोलना है मेरे पास सूची आई है। विपक्ष नहीं चाहता सीएजी पर बात हो लेकिन जिस भी सदस्य को बोलना है मेरा कहना है सीएजी पर बात पूरी कीजिए।

...(व्यवधान)

**श्री ओमप्रकाश शर्माः** 10 साल से कैग की रिपोर्ट, ऑडिट ये जो-जो भ्रष्टाचार ये पुरानी सरकार ने किया है इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इन्होंने

न तो ऑडिट किया और जो एक कानून सम्मत प्रक्रिया होती है अकाउंट्स की उनको पूरा नहीं किया है।

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट पाइंट आफ आर्डर है उनका, पाइंट आफ आर्डर है क्या आपका।

**श्री ओमप्रकाश शर्माः** और लगातार।

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट बैठ जाइये पाइंट आफ आर्डर है, पाइंट आफ आर्डर है।

**श्री अरविन्दर सिंह लवलीः** अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है लीडर आफ अपोजीशन से। मेरा देखिये नियमों में है बार-बार इकोनॉमिक सर्वे की बात करके सीएजी की चर्चा को रोका जा रहा है। 1993 से ये यहां की विधानसभा स्थापित है और एक बार नहीं कम से कम नहीं तो चार बार ऐसा हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे के बिना बजट जो है प्रस्तुत हुआ है तो कोई ये नया काम नहीं होने वाला और जिस प्रदेश की इकोनॉमिक स्थिति ही बिगड़ गई हो उसके सर्वे बनाने में...

**माननीय अध्यक्षः** चलिये इसको बाद में देखते हैं, एक मिनट आप अपनी बात पूरी करिये, ओ पी शर्मा जी।

**श्री अरविन्दर सिंह लवलीः** ...आपने इस लायक ही नहीं छोडा कि इकॉनोमिक सर्वे इस स्टेट का ठीक ढंग से बन पड़े। तो इकॉनोमिक सर्वे भी आयेगा और

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** इस सदन में।

**श्री अरविन्दर सिंह लवली:** दूसरा अध्यक्ष जी जो लोग पीएसी की मिटिंग में...

**श्री ओम प्रकाश शर्मा:** ये बता तो रही है तुम्हारी कैग की रिपार्ट।

**श्री अरविन्दर सिंह लवली:** पैरा जिसकी डिसकस ना करना चाहते हो वो सीएजी की रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत करेंगे?

**श्री ओम प्रकाश शर्मा:** ये कैग की रिपोर्ट बता तो रही है तुम्हें।

**श्री अरविन्दर सिंह लवली:** ये गम्भीर विषय है।

**श्री ओम प्रकाश शर्मा:** पढ़ो इनको।

**श्री अरविन्दर सिंह लवली:** और अध्यक्ष जी मैं फिर दोहरा रहा हूं। इस सदन को संज्ञान लेना चाहिए। आपका धन्यवाद कि आपने इस बात को जो है नोटिस में लेकर आये हो। इस सदन को संज्ञान लेना चाहिए। इससे बडी अनियमितता हो नहीं सकती।

**श्री ओम प्रकाश शर्मा:** बोलेंगे, बोलेंगे, बोलेंगे।

**श्री अरविन्दर सिंह लवली:** ...कि पीएसी की मिटिंग कोई पैरा डिस्कस ना करे। जो पार्टी पीएसी की मिटिंग करने को तैयार नहीं है वो सीएजी की रिपोर्ट कैसे डिस्कस करेगी। ये गम्भीर विषय है। सदन को इसका संज्ञान लेना चाहिए।

**माननीय अध्यक्ष:** चलिए ओपी शर्मा जी अपनी बात पूरी कीजिए। ओपी शर्मा जी।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** माननीय अध्यक्ष जी आज कैग के ऊपर हम सभी सदस्य चर्चा कर रहे है। ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला विषय है। जिस पार्टी ने पिछले दस साल में हर डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार किये है ना तो उनकी ऑडिट रिपोर्ट हुई ना पीएसी में कुछ गया और इस प्रकार के ये काम करने वाले...

**माननीय अध्यक्षः** मैं चेतावनी देता हूं जो सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** इन्होंने दिल्ली को कलंकित करने का जो प्रयास किया है।

**माननीय अध्यक्षः** बैठ जाईये। आप बैठ जाईये।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** इसकी हम निंदा करते हैं।

**माननीय अध्यक्षः** कुलदीप जी बैठिये।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** और मैं

**माननीय अध्यक्षः** बैठिये आप भी। आप भी बैठिये। आप भी बैठिये। आप भी बैठिये। मुझे कार्यवाही देखिये

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** अरे भई बोलने नहीं दोगे क्या।

**माननीय अध्यक्षः** अगर सदन की कार्यवाही को डिस्टर्ब किया जायेगा तो मुझे कार्रवाही करनी पड़ेगी। बैठ जाइये आप। बैठ जाइये, बैठ जाईये। आप बात पूरी करिये अपनी। बैठिये आप भी बैठिये।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** तो कैग की रिपोर्ट की यदि हम बात करते हैं।

**माननीय अध्यक्षः** आप अपनी बात करिये। अपनी बात पूरी करिये। आतिशी जी। बात पूरी करिये।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** कैग की रिपोर्ट आज से बारह साल पहले कैग की रिपोर्ट का यदि मैं विश्लेषण करता हूं। अरे जाओ भाई जाओ। अरे जाओ।

*(विपक्ष के सभी सदस्यों ने तीन बजकर 19 मिनट पर सदन से वॉक आउट किया)।*

**माननीय अध्यक्षः** आप अपनी बात कीजिए। ओ पी शर्मा जी अपनी बात पूरी करे। मैं अगले वक्ता को बुलवाऊं।

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** कैग की रिपोर्ट की यदि मैं बात करता हूं। कैग की रिपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है।

...(व्यवधान)

**श्री ओम प्रकाश शर्माः** हमारी सरकार ने अरे यार सभी प्वाइंट ऑर्डर करते रहोगे। मैं कुछ बोलूं या नहीं बोलूं। स्टार्ट करता नहीं पहले प्वांईट ऑफ आर्डर कर देते हो। अध्यक्ष जी, दिल्ली में एक मफ्लर मैन भिखारी के गैटअप में आया और उस गैटअप से सात लाख रूपये के कमोड पर वो पहुंच गया। तो इस बीच जितना भी क्रिया क्लाप दिल्ली की सरकार का हुआ है, हर डिपार्टमेंट में अधिकतम भ्रष्टाचार हुआ है। किसी भी डिपार्टमेंट को हम देखें। कोई डिपार्टमेंट इससे अछूता नहीं है। बेशर्मी के साथ बेईमानी करना, भ्रष्टाचार करना और उसके बाद पूरी बेईमानी से अपने आप को ये कट्टर बेईमान अपने आप को ईमानदार घोषित करने का जो इन्होंने कार्य किया है। आज पूरी दिल्ली ने उनको लतियाया है। नई दिल्ली से ठोका। पुरानी दिल्ली से फैंका।

(समय की घंटी)

**श्री ओम प्रकाश शर्मा:** और गाजीपुर के कूड़े के ढेर पर इनको ले जाकर फैंक दिया है।

**माननीय अध्यक्ष:** चलिये अजय महावर।

**श्री ओम प्रकाश शर्मा:** आज ये जो कैग की... अरे यार इतनी देर ही बोलना था क्या। कैग की जो ये रिपोर्ट है,...

**माननीय अध्यक्ष:** आदरणीय सदस्य...

...(व्यवधान)

**श्री ओम प्रकाश शर्मा:** कैग की रिपोर्ट में इनके जितने भी पाप हैं वो सारे पाप पौध इनके सामने आ रहे हैं। हम बार-बार पिछले दिनों कैग की रिपोर्ट आने से पहले अध्यक्ष जी आप और हम इन मामलों को इस सदन में उठाते रहे है। हमने बार-बार इनसे कहा कि आप कट्टर बेईमान है। आप हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार कर रहे है। आपने प्रतिभा स्कूलों का नाश कर दिया है। आपने एक नया दिल्ली बोर्ड बना दिया है। शिक्षा का आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। अगर मैं हैल्थ की बात करता हूं। जो हॉस्पिटल है उसके प्रसूति डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं। बसें चलाने के लिए हैं नहीं। बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थय, शिक्षा, जहां से पैसा मिला वहां डैकती मारने का यदि काम इस सरकार ने किया है तो इन सब का लेखाजोखा इस कैग रिपोर्ट के अंदर आया है और इस कैग रिपोर्ट को मैं ये कहना चाहता हूं ये पाप कोई एक दिन का पाप नहीं है। ये बारह साल का इनका पाप है। इस का सूक्ष्म विश्लेषण होना चाहिए। पीएसी को जाना चाहिए और मैं तो यहां तक कहता हूं अगर इसमें कोई ऐसा प्रावधान है एफआईआर का

क्योंकि इन्होंने दिल्ली की जनता की खून और पसीने की कमाई को अपनी अइय्यासी में लगाया है। अगर इनके ऊपर कोई एफआईआर होती है तो इनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए। जय हिंद। जय भारत।

**माननीय अध्यक्ष:** अजय महावर जी।

**श्री अजय महावरः** धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये जो सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है, मैं देख रहा हूं कि ये कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बहाना कर रहे है और पिछली बार भी मैंने कहा था अध्यक्ष जी कि ये अपने गुनाहों की छाया से भागने का प्रयास कर रहे है। जो अभी ओम प्रकाश जी ने कहा कि मफ्लर मैन आया था भिखारी का वेष बनाकरके और दिल्ली लूटने का काम किया। जिन्होंने अपने गुरू अन्ना को नहीं छोड़ा। जिन्होंने...

**माननीय अध्यक्ष:** ये आज सीएजी की चर्चा पर आप अन्तिम वक्ता होंगे। बाकी चर्चा को बजट के बाद जो अगले दिन हो जारी रखेंगे।

**श्री अजय महावरः** दो सौ रूपये की शर्ट और चप्पल पहन करके पौने दो सौ करोड के शीश महल बनाने तक का सफर इस इंसान ने पूरा किया। ओम प्रकाश जी कह रहे थे कि वो कमोड तक पहूंच गए सात लाख मैं तो पन्द्रह लाख पढ़ा था, हो सकता है सात लाख का हो। सुना है उसमें सोने की वो भी कुछ लगी हुई थी और एक तो बता रहे थे कि उसमें जकूजी लगी हुई थी। उसको मसाज का बहुत शोक था। तो कमोड में जगूजी मसाज भी लगी हुई थी। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं था। अब वो किस प्रकार की मसाज होती होगी इसका अनुभव तो हमने कभी जीवन में किया नहीं। हमारे यहां के लोग तो कह रहे थे अध्यक्ष जी कि हमको टिकट ले लो। इस आदमी को पैसे की बहुत भूख है। इस सरकार को पैसे की भूख रहे। एक काम करो विधायक जी हम बीस-बीस

रूपया इकट्ठा करके टिकट भी दे देंगे। सौ रूपया, पचास रूपया दे देंगे। इसकी भूख भी मिटेगी पैसों की और हम कम से कम वो जकूजी मसाज वाला कमोड तो देख आयें। शीश महल तो देख आये। हमारी जनता तो इसके लिए भी तैयार थी। अब ऐसा इंसान जिसने दिल्ली की जनता के बदहाल कर दिया, मतलब people of Delhi is crying for basic needs of life इसने तबाह और बर्बाद कर दिया दिल्ली को, हर विभाग में भ्रष्टाचार, हर विभाग में उन्होंने पूरा का पूरा वातावरण ऐसा कर दिया। सिर्फ लूटने खसोटने के लिए एक वो एक कहानी आई थी पहले पढ़ें होंगे हम लोग इतिहास में अली बाबा चालीस चोर। तो अली बाबा चालीस चोर का गैंग लेकरके दिल्ली में घुसा, गाजियाबाद के रास्ते और धीरे-धीरे उसने एक-एक करके डकैती डालनी शुरू करी। कभी जल बोर्ड, कभी परिवहन पर...

(समय की घंटी)

**श्री अजय महावर:** कभी, अध्यक्ष जी पांच साल तो वैसे ही बोलने नहीं मिला।

**माननीय अध्यक्ष:** पांच मिनट हो गए।

**श्री अजय महावर:** थोडी देर तो मौका दे दीजिए। अभी तो पॉलिटिकली बोलना पड़ रहा है। क्योंकि दिक्कत ये है कि ये अली बाबा चालीस चोर बहुत सारे चोर अंदर चले गए।

नंबर अलीबाबा का भी आया, अभी उसके सेनापति, अलीबाबा सब गए अंदर, लेकिन अभी बेल पर बाहर हैं, बेल पर बाहर आकर ऐसे बता रहे हैं, ऐसे

जता रहे हैं, कितना बड़ा युद्ध जीतकर आए हैं और इस बेशर्म सरकार ने भ्रष्टाचार का वो आलम तो आबकारी विभाग में भी किया। महात्मा गांधी की मूर्ती के नीचे जा करके कहते हैं महात्मा गांधी हम आपके चरण पर चलेंगे, आपके पद्चिन्हों पर चलेंगे। महात्मा गांधी ने कब कहा था कि तुम दारू के ठेके खोलो, गली-गली, मौहल्ले-मौहल्ले, हमारी ये निर्भया के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। और उस समय निर्भया कांड के लिए मोमबत्ती लेकर चल रहे थे, लेकिन ये घड़ियाली आंसू थे, क्योंकि शराब कांड से जितना भ्रष्टाचार, पैसे का मामला तो हुआ, घरेलू हिंसा दिल्ली में सबसे ज्यादा बढ़ी। इन्होंने किसी की भी पीड़ा नहीं समझी, स्वाति मालीवाल इनकी रिस्पैक्टेड सांसद थीं और उसको एक मुख्यमंत्री अपने घर में शीशमहल के नशे में एक तरफ तो एक पर एक फ्री का नशा था, एक तरफ शीशमहल का नशा था, उस नशे में अपनी सांसद की इज्जत तार-तार करी, उसे मारा पीटा और उसको विभव कुमार जो उसका पी.एस. था जिस पर आरोप लगाए स्वाति मालीवाल ने जिसको कोर्ट ने ये कहा कि इस गुंडे को किसने रखा वहां किसने परमीशन दी, उस गुंडे को आज पंजाब में प्रमोशन करके मुख्यमंत्री आवास में रखा हुआ है, उसका सलाहकार बना दिया है। तो भ्रष्टाचार का इनका कोकस है और वो कोकस ये अलीबाबा चालीस चोर ये हर विभाग में एक-एक जैसे बीट होता है ना बीट बाँट-बाँट करके डकैती का एक-एक साधन और अलीबाबा को उसका माल पहुंचाने का काम किया है। अन्ना जी ने भी इस दर्द को बाद में समझा काश अन्ना पहले समझ लेते, लेकिन अब हमारी सरकार आयी है। सीएजी की रिपोर्ट मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी मुख्यमंत्री महोदया रेखा गुप्ता जी को जिन्होंने अपना कमिट्मेंट पूरा किया। दिल्ली की जनता से जो वादे किये थे कि हम सीएजी रिपोर्ट को पहले सदन में करेंगे, पेश की है अभी आतिशी कह रही हैं बार-बार अरे भई एक साथ कर दो, एक साथ क्यों करें भई, अगर

एक-एक करके तुम्हार गुनाहों के पन्ने खुल रहे हैं और हर रिपोर्ट में ये ऐसे चोर हैं अपनी परछाई से भी डर रहे हैं और इसीलिए भागने के लिए सुबह कहने लगे कोरम पूरा नही हुआ। बाद में कहने लगे कि आप अभी इक्नोमिक सर्वे की बात करने के लिए अरविंदर सिंह लवली जी ने ठीक कहा है पिछले चार बार ऐसा हो चुका है। तो ये मूल रूप से सीएजी से भागना चाहते हैं। अभी तो आपने इनको बोलने का भी मौका दिया, अपना नाम नहीं भेजा आपके पास, चेयर ने तो न्याय करने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नाम नहीं भेजा बोलने के लिए, डिस्कशन के लिए, तो चेयर क्या कर सकती है इसके लिए, उन्हें तो भागना था अध्यक्ष महोदय, सीएजी के डिस्कशन में भाग नहीं लेना था, क्योंकि सीएजी आज जो ट्रांस्पोर्ट पर आयी है सबको पता है 11000 बसों का इन्होंने वादा किया था शीला दीक्षित के समय पर 7000 बसें लगभग थी, जिसको घटा करके इन्होंने 3900 कर दीं, वो भी एक्सपायरी डेट में चली गयीं, आज दो या तीन महीने के बाद जीरो हो जाएंगी बसे डीटीसी की और ये अपने प्राइवेट बसों को पहले कभी ब्लू लाइन का, रेड लाइन का विरोध करते थे ये अरविंद केजरीवाल और अब क्या हुआ पिछले दरवाजे से उन्हीं लोगों को एन्टरटेन कर रहे हैं। अपनी बसें कहां खरीदी हैं? और इनके जो कर्मचारी हैं, ड्राइवर हैं वो अलग परेशान हैं। तो कुल मिलाकर के उनको देने के लिए वेतन नहीं है। जलबोर्ड में यही हुआ, जब आदरणीय खुराना जी की सरकार थी, साहब सिंह वर्मा जी की सरकार थी उस समय पर 600 करोड़ से ज्यादा की एफडी छोड़कर गए थे वो। किस के लिए जो हमारा स्टाफ है उसके वेलफेयर के लिए, वो तो सब खत्म हो गया स्वाहा हो गया। ऐसे ही ठीक कहा सुबह मेरे माननीय सदस्यों ने कि डीटीसी भी कभी-भी जो भी गवर्नमेंट ट्रांसफर हुई है जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने तब तक डीटीसी घाटे में नहीं थी,

प्रोफिट में थी, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस सदन में कह रहा हूँ। तो क्या हुआ इस दस साल में इन जैसे अलीबाबा चालीस चोर...

(समय की घंटी)

**श्री अजय महावरः** दीमकों ने पूरा खोखला कर दिया दिल्ली को तार-तार कर दिया। करके बर्बाद दिल्ली सिर्फ मालिक बनने का शौक भर पूरा किया इन्होंने करके बर्बाद दिल्ली। तो इस प्रकार पूरी दिल्ली को तबाह बर्बाद कर दिया आज इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए हम रो रहे हैं, चाहे वो सड़कें टूट गयी हों, चाहे वो पानी सीवर का बुरा हाल हो, यमुना जी का बुरा हाल हो, हवा का बुरा हाल हो, आखिर इसको बर्बाद किसने किया। इस गुलिस्ते चमन को बर्बाद किसने किया। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार ने बर्बाद किया और इसकी जिम्मेदारी ले नहीं रहे हैं, करप्शन की जिम्मेदारी, लेकिन खैर कोर्ट अपना काम कर रहा है न्याय होगा, सब के सब ये जेल जाएगें, क्योंकि इन्होंने करप्शन किया है। दिल्ली वालों को अब जो सरकार आयी है वो न्याय देगी। माननीय नरेन्द्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके मार्गदर्शन में आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हमारे मिनिस्टर ऑफ कांउसिल्स दिल्ली की रात दिन सेवा करने में जुटे हैं और धीरे-धीरे भ्रष्टाचार के गड्ढे भी भरेंगे, अपराध के गड्ढे भी भरेंगे और सबकुछ भर भरकर ये लोग दिल्ली को जो अपना इन्होंने वादा किया है, भाजपा का जो विजन डॉक्यूमेंट था। अब बहुत जल्दी मच रही है इनको कहते हैं भई महिलाओं को 2500 नहीं दिया अरे भईया अभी तो पहला बजट आया नहीं, अभी तुमने तीन साल में अपने वादे पूरे किये नहीं, बार-बार उसको उछालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी में हो। दस साल तुमने करप्शन के अलावा कुछ किया नहीं, पंजाब में दिया नहीं तीन साल हो गए

अध्यक्ष जी, उनको सरकार में आये उनको शर्म नहीं आती कैसे बेशर्म लोग हैं, छाछ तो बोले छलनी बोल रही हैं और...

**माननीय अध्यक्षः** कन्क्लूड करिये।

**श्री अजय महावरः** हमारी, जी अध्यक्ष जी बस कन्क्लूड कर देता हूँ कि हमारी सरकार अपनी जो दिल्ली की सेवा का वादा ली है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनको सब को ठीक करेगी, थोड़ा समय लगेगा। धीर-धीरे धीरे-धीरे दिल्ली को वापस डेव्लपमेंट सबका साथ सबका विकास लेकर हम करेंगे, ये हमारी सरकार का वादा पूरा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

## वित्तीय समितियों का निर्वाचन

**माननीय अध्यक्षः** अब श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री वित्तीय समितियों के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

**माननीया मुख्यमंत्री (श्रीमती रेखा गुप्ता):** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं कि दिल्ली विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 192 के उप नियम 2, नियम 194 के उप नियम 2 और नियम 196 के उप नियम 2 के अनुसार इस सदन के सदस्य 1 अप्रैल 2025 से आरंभ होने वाली कार्यअवधि के लिए लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपकरणों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से नौ-नौ सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अग्रसर होते हैं।

**माननीय अध्यक्षः** यह प्रस्ताव सदन के सामने है

जो इसके पक्ष में है वो हां कहे,

जो इसके विरोध में है वो ना कहे।

(सदस्यों के हां कहने पर)

मेरे विचार में हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता, प्रस्ताव पास हुआ।

## समिति का प्रतिवेदन

अब समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण। श्री मोहन सिंह बिष्ट, श्री ओमप्रकाश शर्मा जी, कार्यमत्रंणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

**माननीय उपाध्यक्ष (श्री मोहन सिंह बिष्ट):** आदरणीय अध्यक्ष जी

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** आप जारी करिये। कार्यमंत्रणा समिति का प्रथम...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** आप पहले समझ लीजिए रूल बुक को समझ लीजिए, फिर आप कहियेगा।

**माननीय उपाध्यक्ष (श्री मोहन सिंह बिष्ट):** अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से...

**माननीय अध्यक्षः** वो सिर्फ सिर्फ फोर्मेशन है और कुछ नहीं है। अभी आगे बहुत कार्यवाही बाकी हैं।

...(व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष (श्री मोहन सिंह बिष्ट):** अध्यक्ष जी।

**माननीय अध्यक्षः** जी, जी।

**माननीय उपाध्यक्ष (श्री मोहन सिंह बिष्ट):** अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से कार्यमंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूँ।[6]

**माननीय अध्यक्षः** धन्यवाद। अब श्री संजय गोयल, श्रीमती पूनम शर्मा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का प्रस्ताव प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। संजय गोयल जी...

...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्षः** एक मिनट बैठिये आप, आप बैठिये, संजय गोयल जी और श्रीमती पूनम शर्मा जी। यहां पर प्रस्ताव को...

...(व्यवधान)

**श्री संजय गोयलः** माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का...

...(व्यवधान)

---

6. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23379 पर उपलब्ध।

**माननीय अध्यक्षः** ये जो समिति के प्रतिवेदन का प्रस्ताव प्रस्तुत करिये।

**श्री संजय गोयलः** प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूँ।[7]

**माननीय अध्यक्षः** ठीक है धन्यवाद। सदन की कार्यवाही कल सुबह तक के लिए स्थगित की जाती है।

*(सदन की कार्यवाही मंगलवार 25 मार्च, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)*

7. दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23380 पर उपलब्ध।

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।